

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
पर प्रतिवेदन



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2018 की प्रतिवेदन सं. 3

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
पर प्रतिवेदन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2018 की प्रतिवेदन सं. 3

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii-xv
अध्याय I: प्रस्तावना		
बजट रूपरेखा	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	2
निरंतर बचतें	1.3	2
भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान की प्राप्ति	1.4	3
स्वायत्त निकायों की वित्तीय विवरणी का प्रमाणन	1.5	3
लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन	1.6	6
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया	1.7	7
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर की गई वसूली	1.8	8
सरकार की लेखापरीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया का अभाव होना	1.9	8
अनुवर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	1.10	9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिए गए निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के वर्ष-वार विवरण	1.11	9
अध्याय II: निष्पादन लेखापरीक्षा		
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
आयुष की कार्यप्रणाली	2.1	11
शहरी विकास विभाग		
दिल्ली नगर निगमों द्वारा दिल्ली सड़क नेटवर्क का विकास और सुदृढीकरण	2.2	47
माप तोल विभाग		
उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ माप तोल विभाग की कार्यप्रणाली	2.3	91
अध्याय III अनुपालना लेखापरीक्षा		
ग्रामीण विकास विभाग		
₹ 66.98 करोड़ की भूमि की लागत और भूमि किराया की वसूली न होना	3.1	131
शिक्षा विभाग		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में खेलकूद सुविधाओं का विकास, रखरखाव और उपयोग तथा खिलाड़ियों को सहयोग।	3.2	133

खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग		
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन लाभार्थियों के पंजीकरण और अंकुरूपण के कार्यान्वयन में कमियाँ	3.3	152
वन एवं वन्य जीव विभाग		
हरित दिल्ली हेतु वन एवं वन्य जीव विभाग, जीएनसीटीडी की पहल	3.4	158
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
रक्त कोषों की कार्यप्रणाली	3.5	173
मानव व्यवहार और सम्बद्ध विज्ञान संस्थान द्वारा शिक्षण संसाधन भत्ता और शैक्षणिक भत्ता का अनियमित भुगतान	3.6	193
₹ 14.79 करोड़ के परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान	3.7	195
यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान द्वारा ₹ 60 करोड़ के सहायता अनुदान का अनियमित उपयोग	3.8	197
दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में पर्याप्त श्रमशक्ति की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना अस्पताल उपकरण की खरीद	3.9	199
शहरी विकास विभाग		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण	3.10	201
दिल्ली जल बोर्ड में ₹ 10.85 करोड़ खर्च करने के बाद 10 वर्षों तक सीवर का कार्य चलता रहा	3.11	211
₹ 3.18 करोड़ मूल्य के निष्क्रिय उपकरण	3.12	214
ठेकेदार को लिक्विडेटेड क्षति आरोपित नहीं करना एवं लागत में वृद्धि का अनियमित भुगतान	3.13	216

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
1.1	वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 25 लाख या अधिक के सहायता अनुदान प्राप्त एनजीओ की विवरणी	1.1	221
2.1.1	कम जीवन काल वाली दवाइयों की खरीद	2.1.9.4	222
2.2.1	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बगैर क्रियान्वित किये गये कार्यों का विवरण	2.2.9.2 (iii)	223
2.3.1	दिल्ली में कार्यशील मानक प्रयोगशालाओं द्वारा सेवित जनसंख्या में भिन्नता	2.3.7.3 (i)	225
2.3.2	राजस्व प्राप्तियों व बैंक खातों में डिपोजिटों के बीच बेमेल होने का विवरण	2.3.8.2 (i)	225
2.3.3	राजस्व प्राप्तियों के डिपोजिट में विलंब के विवरण	2.3.8.2 (ii)	226
2.3.4	बैंक में रोकड़/डीडी डिपोजिट करने के लिए चालान प्रपत्रों में त्रुटियाँ	2.3.8.2 (iv)	226
3.2.1	कैलेंडर 2015-16 तथा 2016-17 में हिंदुस्तान स्काउट तथा गाइड द्वारा संचालित नहीं की गई अनुमोदित गतिविधियां	3.2.7.6 (ग)	227
3.2.2	कैलेंडर 2015-16 तथा 2016-17 में भारत स्काउट तथा गाइड द्वारा संचालित नहीं की गई अनुमोदित गतिविधियां	3.2.7.6 (ग)	228
3.4.1	वन विभाग द्वारा दी गई अनुमति फाईलों की सूची	3.4.1	229
3.5.1	रक्त कोषों में गैर-क्रियाशील उपकरणों का विवरण	3.5.5.9 (i)	231
3.5.2	2014-17 के दौरान अंशशोधित ना किये गए उपकरणों का विवरण	3.5.5.9 (ii)	231
3.7.1	अस्पतालों द्वारा भुगतान किए गए अधिक परिवहन भत्ते का विवरण	3.7	232

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के सेक्शन 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में रखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2016-17 के दौरान लेखों की जांच से लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए, साथ ही वे मामले हैं जो उसके पूर्व के वर्षों में पता चले परंतु जिन्हें पिछली रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था; 2016-17 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी जहां आवश्यक थे, सम्मिलित किए गए हैं।

इस लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएँ जैसे (i) 'आयुष की कार्यप्रणाली', (ii) 'दिल्ली नगर निगमों द्वारा दिल्ली सड़क नेटवर्क का विकास और सुदृढीकरण' तथा (iii) 'उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए माप-तोल विभाग, दिल्ली की कार्यप्रणाली' तथा बिना अनुमोदन के व्यय, व्यर्थ व्यय, मोबिलाइजेशन अग्रिम की गैर-वसूली, परियोजनाओं पर निष्फल व्यय, भूमि लागत की गैर-वसूली, भत्तों का अनियमित भुगतान तथा व्यर्थ निवेश से संबंधित ₹ 324.81 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ के 13 पैराग्राफ थे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) का कुल व्यय¹ 2012-17 के दौरान ₹ 28,570.81 करोड़ से 24.63 प्रतिशत बढ़कर ₹ 35,608.74 करोड़ हो गया जबकि राजस्व व्यय 2012-13 में ₹ 20,659.35 करोड़ से 41.83 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में ₹ 29,301.92 करोड़ हो गया। 2012-16 की अवधि के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय ₹ 14,160.64 करोड़ से 45.37 प्रतिशत बढ़कर ₹ 20,585.33 करोड़ हो गया तथा पूँजीगत व्यय ₹ 4,176.63 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,723.47 करोड़ हो गया, जो 2016-17 के दौरान घटकर ₹ 3,754.30 करोड़ हो गया।

प्रतिवेदन में वर्णित कुछ प्रमुख प्राप्ति को नीचे सारांशीकृत किया जा रहा है।

निष्पादन लेखापरीक्षा

आयुष की कार्यप्रणाली

आयुर्वेद, योग तथा नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) निदेशालय, इसके 24 औषधालयों तथा तीन अस्पतालों की लेखापरीक्षा चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के इसके अधिदिष्ट कार्यों को पूरा करने में निदेशालय के निष्पादन का आकलन करने के उद्देश्य से की गयी। मुख्य लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ निम्नवत हैं।

- अस्पतालों से संबद्ध तीन मेडिकल कॉलेजों, तिबिया कॉलेज, डॉ. बी.आर. सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र तथा चौ. ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान में डॉक्टर फार्मासिस्ट तथा नर्स कैडर में 37 से 52 प्रतिशत के मध्य कमी थी।

(पैराग्राफ 2.1.7.1)

- 2012-17 के दौरान आयुष औषधालयों में चिकित्सीय स्टॉफ की पर्याप्त कमी रही। संस्वीकृत 163 डॉक्टर तथा 155 फार्मासिस्ट पदों की तुलना में, डॉक्टर के 28 पद तथा फार्मासिस्ट के 61 पद मार्च 2017 तक रिक्त थे। 103 होम्योपैथिक

¹ लोक ऋण तथा रोकड़ शेष के पुनर्भुगतान को छोड़कर

औषधालयों में से सिर्फ 24 में उचित रोगी देखभाल को सुनिश्चित करने के लिये पूर्ण स्टॉफ था।

(पैराग्राफ 2.1.7.2)

- तीन कमरों की आवश्यकता की तुलना में 16 आयुर्वेदिक औषधालय दो कमरों में तथा पाँच एक कमरे में चल रहे थे।

(पैराग्राफ 2.1.8.1)

- आयुष अस्पतालों तथा औषधालयों में उपकरण तथा अवसंरचनात्मक सुविधायें जैसेकि औषधि भंडारण, आपातकालीन सेवार्यें, अनिवार्य नैदानिक उपकरण, ऑपरेशन थियेटर, एम्बुलेंस तथा मेडिकल रिकार्ड विभाग में अपर्याप्त थे।

(पैराग्राफ 2.1.8.2, 2.1.8.5, 2.1.8.7, 2.1.8.8, 2.1.8.9, 2.1.8.11, एवं 2.1.8.12)

- डॉ. बी.आर. सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र में अवसंरचना के निर्माण में देरी के परिणामस्वरूप एसएचएमसी में विद्यार्थियों के प्रवेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने में देरी हुई।

(पैराग्राफ 2.1.8.4)

- चौ. ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान के अतिरिक्त अन्य किसी भी आयुष अस्पताल में अपर्याप्त जगह के कारण योगा तथा नैचुरोपैथी सुविधाएँ नहीं थीं यद्यपि आयुष निदेशालय, जीएनसीटीडी की वेबसाइट योगा तथा नैचुरोपैथी को उपलब्ध सेवाओं के रूप में दर्शा रही थी।

(पैराग्राफ 2.1.8.14)

- 2012-17 के दौरान आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालयों में सिर्फ 40 प्रतिशत अनिवार्य दवाईयां उपलब्ध थीं। होम्योपैथिक औषधालय में 2012-17 के दौरान 43 प्रतिशत अति आवश्यक दवाईयां कभी भी उपलब्ध नहीं थीं।

(पैराग्राफ 2.1.9.1)

- 2012-17 के दौरान आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयां 25 से 58 प्रतिशत की घटी हुई सेल्फ लाइफ के साथ खरीदी गई। होम्योपैथिक दवाईयां की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली जिसमें दवाईयां के बैच-वार तथा सब-बैच-वार जाँच का प्रावधान था, के विपरीत आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयां में यादृच्छिक आधार पर दवाईयां की जाँच प्रणाली थी।

(पैराग्राफ 2.1.9.4)

- विभागीय खरीद नीति के उल्लंघन में, निदेशालय, तिबिया कालेज तथा सीबीपीएसीएस द्वारा 2012-17 के दौरान क्लासिकल आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयां (₹ 32.87 करोड़) आईएमपीसीएल से नहीं खरीदी गई तथा पेटेंट/प्रोप्राइटरी दवाईयां (₹ 14.19 करोड़) खुली निविदा द्वारा नहीं खरीदी गई।

(पैराग्राफ 2.1.9.5)

- दवाईयों की गुणवत्ता पर आश्वासन प्रदान के लिए दवाईयों के उत्पादन तथा विक्रय यूनियों का निरीक्षण अपर्याप्त था। औषधि नियंत्रक ने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी उत्पादन इकाइयों के संदर्भ में क्रमशः 31, 424 तथा 180 के अनिवार्य निरीक्षण की तुलना में 8, 267 तथा 149 निरीक्षण किये।

(पैराग्राफ 2.1.11.3)

दिल्ली नगर निगमों द्वारा दिल्ली सड़क नेटवर्क का विकास और सुदृढीकरण

दिल्ली नगर निगमों द्वारा किए गए सड़क कार्यों की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलित करने के लिए की गई थी कि क्या सड़कों के निर्माण और रख-रखाव को दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के साथ योजनाबद्ध किया गया था और निर्धारित नियमों, प्रक्रियाओं तथा करार के नियमों और शर्तों के अनुसार पारदर्शी तरीके से निष्पादित किया गया था। मुख्य लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ निम्नानुसार हैं।

- दिल्ली सड़क नेटवर्क के लिए कई एजेंसियां जिम्मेदार थी। शहरी विकास विभाग ने इन एजेंसियों द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के प्रयासों को समन्वित करने के लिए किसी भी तंत्र की स्थापना नहीं की थी जिसकी वजह से शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या का सामना करने के लिए चरणबद्ध तरीके से दिल्ली सड़क नेटवर्क के विकास में प्रभावी योजना और समन्वय में बाधा उत्पन्न हुई। नागरिकों के शिकायत निवारण के लिए जिम्मेदार एजेंसियां विशिष्ट सड़क से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिये एक प्रभावी तंत्र विकसित करने में विफल थी।

(पैराग्राफ 2.2.6)

- दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने निविदाकरण के पश्चात 2,538 मीटर से 56,636 मीटर तक नये नाले की लम्बाई तथा 6,769 मीटर से 10,226 मीटर तक नाले के सुदृढीकरण में वृद्धि के कारण जुलाई 2017 तक ठेकेदार को ₹ 30.92 करोड़ का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-1 के सड़क कार्य में करार में सम्मिलित 5,360 मीटर सड़क एवं सड़क के दोनों किनारे नाले का निर्माण क्रियान्वित नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 2.2.8.1)

- बिजवासन पर आरओबी के डिजाईन का कार्य सौंपे जाने के पश्चात उसके प्रवेश मार्ग की लंबाई को बढ़ाने, बहुत से पाइल्स, बहुत से ऊपरी ढांचों के फैलाव इत्यादि से महत्वपूर्ण बदलाव हुए। टेंडर दिए जाने के बाद में किए गए बदलाव के कारण ₹ 8.33 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। डाबरी चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर कार्य में मात्रा मदों के निर्धारण से 38.87 प्रतिशत का विचलन हुआ जिसमें ₹ 19.35 करोड़ का अधिक निष्पादन तथा ₹ 26.47 करोड़ का कम निष्पादन था। इन निर्माण कार्यों में संशोधित तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 2.2.8.2)

- ठेकेदार से मोबिलाइजेशन अग्रिम और ब्याज के ₹ 1.07 करोड़ वसूलने में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम विफल रहा हालांकि ठेकेदार के द्वारा 2013 में कार्य छोड़ दिया गया था।

(पैराग्राफ 2.2.8.4)

- पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा वजीराबाद सड़क से शिव विहार तिराहा के लिए करावल नगर सड़क की अपूर्ण रिमांडलिंग के परिणामस्वरूप ₹ 8.34 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.8.7)

- 11 निर्माण कार्यों में कन्स्ट्रस्टिंग बेस कोर्स उपलब्ध कराए बिना बिटुमिन मास्टिक कार्पेट पर ₹ 8.09 करोड़ का व्यय किया गया।

(पैराग्राफ 2.2.8.9)

- नौरोजी नगर और पुष्प विहार में पर्यावरण के मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित किए बिना नालों को ढकने के कार्यों को देने के कारण ₹ 40.58 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.8.12)

- रानी झांसी सड़क पर ग्रेड सेपरेटर के कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत करने के बाद बोली में किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ₹ 5.22 करोड़ की लागत से निविदा वृद्धि हुई।

(पैराग्राफ 2.2.8.13 (iii))

- 14 डिवीजनों में 82 कार्यों के लिए ₹ 242.55 करोड़ का अंतिम भुगतान अप्रैल 2012 से मार्च 2017 के दौरान डिवीजनों द्वारा संबंधित कार्यकारी अधिकारी से अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना किया गया था। अड़तालीस कार्य अभी चल रहे हैं और कार्य पूरा होने में 76 से 2,899 दिनों तक की देरी हुई।

(पैराग्राफ 2.2.9.1 और 2.2.9.2. (ii))

उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ माप तोल विभाग की कार्यप्रणाली

माप तोल विभाग, जीएनसीटीडी (विभाग) के पास माप तोल की शुद्धता सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा लीगल मैट्रोलोजी अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को लागू करके पैकेज की वस्तुओं पर अनिवार्य घोषणाओं को सुनिश्चित करने का अधिदेश है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्राप्तियों का सारांश नीचे है।

- विभाग ने तोल एवं माप के यूजर्स के डाटाबेस तैयार करने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया और ना ही संतुलित दृष्टिकोण के साथ निरीक्षण करने के लिए कोई वार्षिक योजना तैयार की।

(पैराग्राफ 2.3.7.1)

- अधिनियम तथा नियमों के प्रवर्तन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी मुख्य पदाधिकारियों जैसे निरीक्षकों/मैनुअल सहायकों के अंतर्गत जनशक्ति की कमी थी।

(पैराग्राफ 2.3.7.2)

- अवसंरचना की कमी के कारण केन्द्रीय सहायता अप्रयुक्त रह गई। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सत्यापन के उपकरणों का इष्टतम उपयोग नहीं किया गया।

(पैराग्राफ 2.3.7.3 (iv) से 2.3.7.3 (v))

- राजस्व प्राप्तियों पर नियंत्रण कमजोर था जिसके कारण राजस्व प्राप्तियों तथा बैंक में डिपोजिटों का गैर-सामंजस्य था तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ ₹ 40.32 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों का मिलान नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 2.3.8.2 (i) से (iv))

- लीगल मैट्रोलोजी अधिकारियों द्वारा किए जा रहे निरीक्षणों के लिए लक्ष्य नियत नहीं थे जिसके कारण धर्मकाँटों तथा उचित दर दुकानों का अपर्याप्त निरीक्षण हुआ।

(पैराग्राफ 2.3.9.2 (ख), 2.3.9.2 (ग) तथा 2.3.9.2 (घ) (ii))

- विभाग ने पणधारियों हेतु जानकारी अभियानों के लिए कोई नीति तथा दिशानिर्देश नहीं बनाए थे और कोई उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण भी नहीं किए गए थे। आम जनता की अधिक भागीदारी के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए।

(पैराग्राफ 2.3.9.4 (क) तथा 2.3.9.4 (ख))

अनुपालना लेखापरीक्षा

₹ 66.98 करोड़ की भूमि की लागत और भूमि किराया की वसूली न होना

ग्रामीण विकास विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा एमसीडी को भूमि पट्टा आवंटन के नियमों व शर्तों के संचालन में सामयिक और प्रभावी कार्रवाई करने में शिथिल रवैया के फलस्वरूप ₹ 66.98 करोड़ की वसूली नहीं हुई जिसमें भूमि की लागत के रूप में ₹ 51.03 करोड़ का डाउन पेमेंट और ₹ 15.95 करोड़ का वार्षिक भूमि किराया (मई 2005 से अक्टूबर 2017) शामिल है जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम से आठ वर्षों से बकाया है।

(पैराग्राफ 3.1)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में खेलकूद सुविधाओं का विकास, रखरखाव और उपयोग तथा खिलाड़ियों को सहयोग

शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने राष्ट्रीय खेलकूद नीति 2001 का अनुसरण करते हुए दिल्ली की खेलकूद नीति को अंतिम रूप नहीं दिया। शिक्षा निदेशालय ने एनसीटी दिल्ली में खेलकूद सुविधाओं/गतिविधियों के विकास को कम प्राथमिकता दी। डीओई के 13 जिलों में से, तीन जिलों में एक भी खेलकूद सुविधा उपलब्ध नहीं है जबकि छः जिलों में 7.69 लाख विद्यार्थी होने के बावजूद स्वीमिंग पूल के अलावा अन्य कोई खेलकूद सुविधा उपलब्ध नहीं है। 2003 में दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल भूमि अधिग्रहण के बावजूद भी जून 2017 तक स्थापित नहीं किया गया था। निधियां जारी करने में देरी, गतिविधियों का गैर संचालन, खेलकूद कोचों की कमी आदि के कारण नियोजित योजनाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं की गई थीं।

(पैराग्राफ 3.2)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन लाभार्थियों के पंजीकरण और अंकरूपण के कार्यान्वयन में कमियाँ

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन लाभार्थियों के पंजीकरण और अंकरूपण के कार्यान्वयन में कमियाँ थीं। विभाग ने एनएफएस कार्ड के आवेदकों की पात्रता को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया और उनकी घोषणा पर भरोसा कर लिया कि उनके परिवार के सदस्यों में से कोई सदस्य गैर-पात्र श्रेणियों से संबंधित नहीं है। आवेदक, जिनके पास अन्य राज्यों द्वारा जारी आधार कार्ड थे, उनकी अपने गृह राज्य में एनएफएस लाभार्थी के रूप में स्थिति के यथोचित सत्यापन के बिना, दिल्ली में एनएफएस लाभार्थी बन गए। उचित दर दुकान लाइसेंस धारक और परिवार जो नौकरों को रखने की वित्तीय क्षमता रखते थे, उन्हें एनएफएस के लाभ दिये गये। एसएफए के परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले वाहनों में बसें, स्कूटर/मोटर साइकिल और तिपहिया वाहनों के रूप में पंजीकृत वाहन शामिल थे जो कथित दुलाई की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करती है।

(पैराग्राफ 3.3)

हरित दिल्ली हेतु वन एवं वन्य जीव विभाग, जीएनसीटीडी की पहल

वन विभाग एवं अन्य हरितकरण एजेंसियों ने 2014-17 के दौरान 28.12 लाख वृक्ष लगाए, वृक्षारोपण का लक्ष्य 36.57 लाख वृक्ष था, जिससे वृक्षारोपण में 23 प्रतिशत (8.45 लाख) वृक्षों की कमी हुई। 2014-17 के दौरान कथित रूप से 28.12 लाख वृक्ष लगाने से वन एवं वृक्षाच्छादित क्षेत्र में इसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई, जो जीएनसीटीडी के वृक्षारोपण कार्यक्रम की कार्यक्षमता और निष्पादन पर सवाल खड़े करता है। जीएनसीटीडी के पास अपनी दिल्ली वन नीति और सड़क मैप या भावी योजना नहीं थी जो वन क्षेत्र में वृद्धि की रणनीति दर्शाता हो। दिल्ली हरितकरण कार्य योजना 2007-08 के बाद तैयार नहीं की गई। दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत गठित हुए वृक्ष प्राधिकरण की बैठक 2014-17 के दौरान एक ही बार हुई, जबकि बैठकों की अधिदिष्ट संख्या 12 है। परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए वृक्षों की काट-छाँट/गिरने से निकलने वाली लकड़ी को सार्वजनिक श्मशानगृह को निःशुल्क प्रदान नहीं किया गया।

(पैराग्राफ 3.4)

रक्त कोषों की कार्यप्रणाली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों में प्रसंस्करण में देरी के कारण 68 रक्त कोषों में से बत्तीस बिना वैध लाइसेंस के कार्य कर रहे थे। रक्त कोषों के प्रबंधन में बहुत सारी कमियां थीं। 32 रक्त कोषों द्वारा रक्त/रक्त अवयव से संबंधित प्रामाणिक जानकारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल पर अद्यतित नहीं किया जा रहा था जिसके कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आम जनता रक्त कोषों में रक्त एवं रक्त अवयव की उपलब्धता से संबंधित जानकारी प्राप्त करने से वंचित रही। स्वैच्छिक रक्त संग्रहण 2014-15 के दौरान 54.55 प्रतिशत से घटकर 2016-17 के दौरान 45.20 प्रतिशत हो गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा दिल्ली नगर निगम का कोई भी रक्त कोष एनएटी जांच नहीं कर रहा था जो कि रक्त की गुणवत्ता प्रभावित कर रहा था। रक्त कोषों की कार्यप्रणाली पर निरीक्षण एवं निगरानी अपर्याप्त थी।

(पैराग्राफ 3.5)

मानव व्यवहार और सम्बद्ध विज्ञान संस्थान द्वारा शिक्षण संसाधन भत्ता और शैक्षणिक भत्ता का अनियमित भुगतान।

मानव व्यवहार और सम्बद्ध विज्ञान संस्थान ने अपने संकाय सदस्यों को ₹ 60,000 प्रतिवर्ष शिक्षण संसाधन भत्ता ₹ 71.71 लाख व ₹ 60,000 प्रतिवर्ष शैक्षणिक भत्ता ₹ 1.73 करोड़ का अनियमित भुगतान किया जोकि अनुदान की स्वीकृति को शासित करने वाले सरकारी अनुदेशों/नियमों का उल्लंघन था।

(पैराग्राफ 3.6)

₹ 14.79 करोड़ के परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान

जीएनसीटीडी के 26 अस्पतालों/निदेशालयों के द्वारा सरकारी आदेशों की गैर अनुपालना के कारण ₹ 14.79 करोड़ के परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3.7)

यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान द्वारा ₹ 60 करोड़ के सहायता अनुदान का अनियमित उपयोग

अस्पताल के कर्मचारी के साथ राजस्व साझा करने की प्रस्तावित योजना के वित्त पोषण के लिए 2012-16 के दौरान ₹ 60 करोड़ के कॉरपस फण्ड बनाने के लिए आईएलबीएस की कार्रवाई अनियमित थी क्योंकि यह योजना को भावी प्रभाव के साथ 1 सितम्बर 2017 को अनुमोदित किया गया एवं कॉरपस फण्ड में निधियों का हस्तान्तरण प्रभावी रूप से सहायता अनुदान से हुआ न कि संस्थान द्वारा प्रदान की गई सेवा से उत्पन्न राजस्व से हुआ। उधारों पर भुगतान किये गये ब्याजों में अंतर के कारण भी सरकार को नुकसान हुआ।

(पैराग्राफ 3.8)

दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में पर्याप्त श्रमशक्ति की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना अस्पताल उपकरण की खरीद

जीएनसीटीडी द्वारा डीएससीआई (पश्चिम) हेतु संस्वीकृत स्टाफ में चार वर्षों की देरी के कारण नवम्बर 2014 तक आंत्र रोगी विभाग (आईपीडी) के शुरु होने की योजना अक्टूबर 2017 तक चालू नहीं हो पायी जिससे कैंसर रोगी उपचार सुविधा से वंचित रहे। 50 अस्पताल बेड (₹ 96.89 लाख) एवं फोटोन बीम एक्सीलेटर (₹ 12.28 करोड़) भी क्रमशः नवम्बर 2015 एवं जुलाई 2016 से निष्क्रिय पड़े हैं।

(पैराग्राफ 3.9)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण
स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 2 अक्टूबर 2014 को इसके आरम्भ होने से ढाई साल तक एक भी शौचालय का निर्माण नहीं किया गया; इस उद्देश्य के लिए आवंटित कुल राशि ₹ 40.31 करोड़ बैंक में निरर्थक पड़े रहे; स्कीम में निर्धारित निगरानी और मूल्यांकन करने वाले तंत्र ने कार्य की प्रगति की निगरानी प्रभावी तौर पर नहीं की। यह प्रदर्शित करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन योजना के कार्यान्वयन को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।

(पैराग्राफ 3.10)

दिल्ली जल बोर्ड में ₹ 10.85 करोड़ खर्च करने के बाद 10 वर्षों तक सीवर का कार्य चलता रहा

तदर्थ योजना में युग्मित यथोचित परिश्रम की कमी व समयबद्धता तथा अपर्याप्त प्रबंधन पर्यवेक्षण के कारण सीवर बिछाने का कार्य जो कि सितम्बर 2017 तक पूरा किया जाना था 30 जून 2017 तक प्रगति पर था एवं ₹ 10.85 करोड़ खर्च करने के बाद जुलाई 2011 से निर्मित भाग का इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ 3.11)

₹ 3.18 करोड़ मूल्य के निष्क्रिय उपकरण

सिविल कार्यों के साथ इलैक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल उपकरण की समक्रमिक खरीद में दिल्ली जल बोर्ड की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.18 करोड़ की लागत वाले उपकरण निष्क्रिय पड़े रहे। तथ्य यह है कि ये उपकरण छः वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त थे, जोकि उनकी उपयोगिता के बारे में संदेह भी पैदा करता है।

(पैराग्राफ 3.12)

ठेकेदार को लिक्विडेटेड क्षति आरोपित नहीं करना एवं लागत में वृद्धि का अनियमित भुगतान

₹ 4.48 करोड़ के लिक्विडेटेड क्षति को आरोपित किये बिना समय विस्तार एवं पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद ₹ 3.86 करोड़ के लागत में वृद्धि का भुगतान जो संविदा में नहीं दिखाया गया था, ठेकेदार को अनुचित लाभ दिए जाने को दर्शाता है जिससे परियोजना के कुल लागत में ₹ 8.34 करोड़ की वृद्धि हुई।

(पैराग्राफ 3.13)

अध्याय-।

प्रस्तावना

अध्याय-I
प्रस्तावना

1.1 बजट रूपरेखा

दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 57 विभाग और 67 स्वायत्त निकाय हैं। 11 ऐसे गैर-सरकारी संस्थान भी हैं जिन्हें 2016-17 के दौरान सहायता अनुदान में ₹ 25 लाख से अधिक राशि प्रदान की गई (परिशिष्ट 1.1)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के 2012-17 के दौरान बजट अनुमान और उनके वास्तविक आंकड़ों की स्थिति तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1: 2012-17 के दौरान जीएनसीटीडी का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	3,128.74	5,738.57	5,792.69	5,597.48	6,763.15	5,983.40	7,055.66	6,427.12	7,210.04	6,590.28
सामाजिक सेवाएं	12,616.68	11,737.43	13,134.81	12,314.54	14,800.52	13,306.11	16,193.02	14,817.83	18,431.53	16,578.89
आर्थिक सेवाएं	2,611.64	2,350.82	3,783.08	3,650.00	3,573.12	3,318.99	4,302.65	4,138.71	5,412.43	5,111.41
सहायता अनुदान एवं अंशदान	833.77	832.53	804.50	804.50	900.99	900.99	958.89	958.89	1,022.44	1,021.34
कुल (1)	19,190.83	20,659.35	23,515.08	22,366.52	26,037.78	23,509.49	28,510.22	26,342.55	32,076.44	29,301.92
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	4,835.80	4176.63	4,889.22	4,707.42	4,937.41	4,403.94	5,308.25	4,723.47	4,686.10	3,754.30
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	4,082.37	3,734.83	5,694.00	5,652.37	2,138.06	1,679.94	2,711.35	2,684.32	2,782.84	2,552.52
लोक ऋण की वापसी	1,288.00	1,287.99	1,325.29	1,325.29	1,676.75	1,346.73	1,435.18	1,435.17	1,654.63	1,654.62
आकस्मिक निधि	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0	0
लोक लेखों का संवितरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अंतिम नकद शेष	0	1,985.75	0	880.65	0	1,517.07	0	3,654.94	0	2,645.35
कुल (2)	10,206.17	11,185.20	11,908.51	12,565.73	8,752.22	8,947.68	9,454.78	12,507.90	9,123.57	10,606.79
कुल योग (1+2)	29,397.00	31,844.55	35,423.59	34,932.25	34,790.00	32,457.17	37,965.00	38,850.45	41,200.01	39,908.71

स्त्रोत: वार्षिक वित्त लेखे तथा राज्य सरकार के वित्त लेखे

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

2012-17 के दौरान राज्य सरकार का कुल व्यय¹ 24.63 प्रतिशत बढ़कर ₹ 28,570.81 करोड़ से ₹ 35,608.74 करोड़ हो गया, जबकि राजस्व व्यय 2012-13 में ₹ 20,659.35 करोड़ था, जो 2016-17 में 41.83 प्रतिशत की वृद्धि के बाद ₹ 29,301.92 करोड़ हो गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय 45.37 प्रतिशत बढ़कर ₹ 14,160.64 करोड़ से ₹ 20,585.33 करोड़ हो गया और पूंजीगत व्यय 2012-16 की अवधि के दौरान ₹ 4,176.63 करोड़ से ₹ 4,723.47 करोड़ हो गया और 2016-17 में घटकर ₹ 3,754.30 करोड़ हो गया।

कुल व्यय के एक घटक के रूप में राजस्व व्यय में 2012-13 में 72.31 प्रतिशत से वर्ष 2016-17 में 82.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पूंजीगत व्यय 14.62 प्रतिशत से घटकर 10.54 प्रतिशत हो गया। 2012-17 की अवधि में कुल व्यय 7.61 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा, जबकि राजस्व प्राप्तियां 9.16 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर ₹ 25,560.97 करोड़ से ₹ 34,345.74 करोड़ हो गया।

1.3 निरंतर बचत

चार मामलों में, पिछले पांच वर्षों के दौरान ₹ एक करोड़ से अधिक की निरंतर बचत हुई, जैसा कि तालिका 1.2 में हैं।

तालिका 1.2: 2012-17 के दौरान निरंतर बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या और नाम	बचत की गई धनराशि				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व (दत्तमत)						
1.	अनुदान सं. 3: न्याय का प्रशासन: 2014 बी.1(2)(1)-न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय	5.00 (14.46%)	6.04 (15.24%)	8.05 (16.85%)	15.29 (24.50%)	8.13 (13.90%)
2.	अनुदान सं. 7: चिकित्सा व लोक स्वास्थ्य: 2211 के 1 (3)(1)-शहरी परिवार कल्याण केंद्र (सीएसएस)	1.93 (42.89%)	3.50 (71.43%)	9.21 (86.32%)	8.71 (87.10%)	17.76 (92.21%)
3.	अनुदान सं. 11: शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग: 2217 ए.8(2) (1) (26)- नगर सुधार हेतु सहायता अनुदान	189.87 (55.86%)	325.16 (100%)	157.12 (100%)	377.16 (100%)	40.87 (9.85%)
पूंजीगत (दत्तमत)						
4.	अनुदान सं. 8: समाज कल्याण: 5055 डीडी.1(3)(1)-इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसें-वैकल्पिक परिवहन प्रणाली का प्रारंभ	8.39 (83.90%)	97.21 (97.21%)	3.00 (100%)	11.00 (100%)	11.73 (100%)

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

लघु कोष्ठक में आने वाले आँकड़े अनुदान की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

इन शीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचत का कारण रिक्त पदों पर भर्ती न होना, कम भंडार मर्दों का क्रय या क्रय न होना, योजना के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम को अनुदान न जारी होना/कम जारी होना, नगर निगमों द्वारा काम नहीं होने के कारण, अनुदान का द्विविभाजन, योजना का क्रियान्वयन न

¹ लोक ऋण तथा नकद शेष के पुनर्भुगतान को छोड़कर

होना, समय पर निधि/संस्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कार्य की धीमी प्रगति और परियोजना/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा के बिना अनुमान तैयार करना, आदि थे।

1.4 भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान की प्राप्ति

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान तालिका 1.3 में दिए गए हैं।

तालिका 1.3: भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)					
विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
गैर-योजनागत अनुदान	333.57	326.91	327.95	2,905.02	1,118.71
राज्य योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	919.73	717.81	1,467.35	486.72	550.17
केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	249.22	358.14	552.84	866.55	1,156.28
कुल	1,502.52	1,402.86	2,348.14	4258.29	2825.16
पिछले वर्षों के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता	(-) 23.37	(-) 6.63	(+) 67.38	(+) 81.35	(-) 33.66
राजस्व प्राप्तियां	25,560.97	27,980.69	29,584.59	34,998.85	34,345.74
राजस्व परिणामों में सहायता अनुदान की प्रतिशतता	5.88	5.01	7.94	12.17	8.23

भा.स. से सहायता अनुदान में 2012-14 के दौरान कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी, 2014-15 में यह बढ़कर ₹ 2,348.14 करोड़ हो गई, वर्ष 2015-16 के दौरान इसमें 81.35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह लगभग दोगुना हो गया और 2016-17 के दौरान यह 33.66 प्रतिशत घटकर ₹ 2,825.16 करोड़ हो गया। 2012-17 के दौरान इसकी राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता 5.01 प्रतिशत से 12.17 प्रतिशत के मध्य थी।

1.5 स्वायत्त निकायों की वित्तीय विवरणी का प्रमाणन

1.5.1 लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

स्वायत्त निकायों की वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के सेक्शन 19(3) तथा 20(1) के अंतर्गत की जाती है। वित्तीय विवरणी में बैलेंस शीट, आय तथा व्यय के लेखे और/अथवा प्राप्ति तथा भुगतान के लेखे शामिल होते हैं। प्रत्येक लेखापरीक्षित स्वायत्त निकाय के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन होते हैं जिसमें वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण विधियों की अनुपालना, लेखाकरण मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों इत्यादि के संबंध में लेखापरीक्षा व्यवहार पर हमारी टिप्पणियाँ होती हैं। तालिका 1.4 में उन स्वायत्त निकायों की स्थिति दी गई है जिन्होंने अपनी वित्तीय विवरणियाँ लेखापरीक्षा हेतु 30 सितंबर 2017 तक प्रस्तुत नहीं की हैं।

**तालिका 1.4: स्वायत्त निकायों की बकाया वित्तीय विवरणी की
30 सितंबर 2017 को स्थिति**

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	पिछली बार लेखापरीक्षित लेखे	बकाया लेखों के वर्ष
1.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान	2014-15	2015-16 एवं 2016-17
2.	दिल्ली जल बोर्ड	2011-12	2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17
3.	दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	2013-14	2014-15, 2015-16 एवं 2016-17
4.	इन्द्रप्रस्थ सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	2015-16	2016-17
5.	गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	2015-16	2016-17
6.	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	शून्य	प्रारंभ से अर्थात् 2010 से
7.	दिल्ली कल्याण समिति	2013-14	2014-15, 2015-16 एवं 2016-17
8.	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण	2015-16	2016-17

स्वायत्त निकायों के प्रबंधनों को उनकी वित्तीय विवरणियों की समय पर प्रस्तुति हेतु नियमित रूप से स्मरण कराया गया। इस मामले को मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के समक्ष जून 2017 तथा नवंबर 2017 में उठाया गया।

1.5.2 दिल्ली जल बोर्ड की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

दिल्ली जल बोर्ड के वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 की वित्तीय विवरणियों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को फरवरी-जून 2017 में जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने इन चार वर्षों में से प्रत्येक की वित्तीय विवरणी पर रिपोर्ट किया तथा बताया कि इन रिपोर्ट की बैलेंस शीट और आय तथा व्यय लेखे खाता बही से सुसंगत नहीं थे और उक्त वित्तीय विवरणियाँ महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों तथा लेखों के नोट्स सही एवं निष्पक्ष रूप नहीं प्रस्तुत करते हैं। इन वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ निम्न प्रकार हैं:

- (क) 31 मार्च 2012 को ₹ 51.98 करोड़ नकद था और ₹ 126.34 करोड़ के चेक ट्रांजिट में थे। बोर्ड केवल 31 मार्च 2012 को ₹ 2.66 करोड़ का नकद, जो कि बैंकों में जमा था तथा ₹ 52.88 करोड़ के ट्रांजिट के चेकों का विवरण प्रस्तुत कर सका। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा के लिए यह संभव नहीं था कि 31 मार्च 2012 को नकद तथा चेकों की उपलब्धता तथा बाद में बैंक में इनकी प्रस्तुति को प्रमाणित कर सके।

- इन परिस्थितियों में जालसाजी, दुर्विनियोजन तथा धन के गबन की संभावना हो सकती है (लेखांकन वर्ष 2011-12)।
- (ख) बैंक समायोजन जनरल खाते के अंतर्गत ₹ 325.31 करोड़ का ऋणात्मक अंतशेष जो पिछले वर्ष तक धनात्मक था, का कोई विवरण नहीं था तथा इसीलिए लेखापरीक्षा इस राशि की उपलब्धता तथा विश्वसनीयता को प्रमाणित नहीं कर सका। 31 मार्च 2009, 31 मार्च 2010 तथा 31 मार्च 2011 को इस खाते के अंतर्गत डेबिट राशि क्रमशः ₹ 38.64 करोड़, ₹ 62.80 करोड़ तथा ₹ 89.73 करोड़ थी। इन परिस्थितियों में जालसाजी, दुर्विनियोजन तथा धन के गबन की संभावना हो सकती है (लेखांकन वर्ष 2011-12)।
- (ग) बैलेंस शीट में दिखाए गए नामोदिष्ट निधि/इंडाउमेंट फंड (₹ 715.02 करोड़) का अथशेष, उपयोग तथा अंतशेष बोर्ड द्वारा प्रस्तुत विवरणी में दिखाए गए स्कीम वार शेषों (₹ 323.79 करोड़) की कुल राशि से मेल नहीं खाती है। इस प्रकार, निधियों तथा उससे किए गए व्यय के अथशेष एवं अंतशेष एवं वर्गीकरण की शुद्धता को लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं किया जा सका। (लेखांकन वर्ष 2011-12)।
- (घ) बोर्ड के पास 1998-99 से पहले के ऋणों एवं उधारियों के शेषों का विवरण नहीं था। 1998-99 एवं उसके बाद प्राप्त ₹ 20,567.43 करोड़ के ऋणों में से बोर्ड ₹ 16,349.41 करोड़ के ऋण का संस्वीकृति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। ₹ 5,745.08 करोड़ की शेष राशि तथा आय एवं व्यय खाते में भारित ब्याज व्यय की शुद्धता को लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं किया जा सका (लेखांकन वर्ष 2011-12)।
- (ङ) बोर्ड ने भूमि, भवन, प्लॉट एवं मशीनरी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस (सीडब्ल्यूआईपी) तथा अन्य परिसंपत्तियों एवं अन्य पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए उनकी स्थिति, मूल्य, वृद्धि, कमी, संचयी अवमूल्यन, वर्ष के दौरान अवमूल्यन, इत्यादि का कोई भी उचित अचल संपत्ति रिकार्ड/रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया। परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणी में दर्शाते अचल संपत्तियों के मूल्यांकन तथा प्रमाणिकता को जाँचा नहीं जा सका था (लेखांकन वर्ष 2011-12)।
- (च) ₹ 856.49 करोड़ के विविध कर्जदारों को लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं किया जा सका क्योंकि पार्टी-वार/उपभोक्ता-वार, बिल-वार तथा उम्र-वार कर्जदारों के विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए, कर्जदारों से पुष्टि तथा बोर्ड द्वारा ऋण की प्राप्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। वित्तीय

विवरणी में दिखाए गए विविध कर्जदारों की वास्तविकता प्रमाणित करना संभव नहीं था तथा क्या यह वसूली के लिए सही था (लेखांकन वर्ष 2011-12)।

बिक्री से प्राप्त ₹ 1,349.75 करोड़ की कुल आय में से ₹ 75.05 करोड़ के बिल लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए तथा अन्य विवरण जैसे बिक्री रजिस्टर, बिक्री बिल, इन बिलों के प्रति प्राप्त राशि, ₹ 1,274.70 करोड़ के इन बिलों के प्रति बकाया राशि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। रिकार्डों की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा बिक्री से प्राप्त ₹ 1,274.70 करोड़ की राशि की उपलब्धता को प्रमाणित करने में अक्षम था (लेखांकन वर्ष 2011-12)।

1.5.3 दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्ति

वर्ष 2013-14 के लिए वित्तीय विवरणी पर 6 दिसंबर 2016 को जारी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हमने सूचित किया था कि बही खाते और अन्य संबद्ध रिकार्डों को उचित तरीके से नहीं रखा गया था, इस रिपोर्ट के अनुसार बैलेंस शीट तथा आय और व्यय खाते निर्धारित फार्मेट में नहीं थे और बही खातों से मेल नहीं खाते थे तथा उक्त वित्तीय विवरणी को महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं लेखों के नोट्स के साथ पढ़ने पर लेखों की कोई सही एवं निष्पक्ष तस्वीर नहीं प्राप्त होती थी।

1.5.4 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं थी तथा अंबेडकर विश्वविद्यालय (2015-16), गुरु गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (2015-16), नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (2014-15), दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (2013-14), दिल्ली कल्याण समिति (2013-14) तथा दिल्ली जल बोर्ड (2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12) में इसे मजबूत किए जाने की आवश्यकता थी।

1.6 लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों तथा योजनाओं/परियोजनाओं के जोखिम निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है तथा इसमें गतिविधियों की आवश्यकता/जटिलता प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा पणधारियों के हित तथा पूर्व लेखापरीक्षा परिणामों का निर्धारण भी शामिल होता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा

की संख्या तथा समयसीमा तय की जाती हैं एवं एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा परिणामों को शामिल करते हुए, कार्यालय प्रमुख को चार सप्ताह में उत्तर प्रदान करने के अनुरोध के साथ जारी की जाती है। जब उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो निपटान किया जाता है अथवा आगे अनुपालना के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए संसाधित किया जाता है जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 48 के अधीन दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

2016-17 के दौरान, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय द्वारा राज्य के 207 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) तथा 10 स्वायत्त निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा की गई। इनके अतिरिक्त, छः निष्पादन लेखापरीक्षाएँ भी आयोजित की गईं।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कुछ महत्वपूर्ण कमियों के साथ-साथ चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता को बताया है जिसका विभागों के कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव था। अभीष्ट लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सुधार के लिए उपर्युक्त सिफारिशें देने पर ध्यान दिया गया था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों को शामिल करने हेतु महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली द्वारा प्रधान सचिवों/संबंधित विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों की ओर ध्यान दिलाते हुए उन पर अपने उत्तर छः सप्ताह में भिजवाने हेतु अग्रेषित किया जाता है। विभागों/सरकार से प्रत्युत्तर की गैर-प्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऐसे पैराग्राफों के अंत में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 13 लेखापरीक्षा पैराग्राफों को 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक (गैर-साक्षेड) क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु संबंधित प्रधान सचिवों/संबंधित विभागों के सचिवों को भेजा गया। इनमें से दो

निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 11 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2018)।

1.8 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर की गई वसूली

राज्य सरकार के विभागों के लेखों की लेखापरीक्षा जांच के दौरान संज्ञान में आने वाली वसूलियों से संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों को लेखापरीक्षा को सूचना देते हुए पुष्टि व आगे की कार्रवाई के लिए विभिन्न आहरण व संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को भेजा जाता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान 150 मामलों में इंगित की गई ₹ 106.53 करोड़ की वसूली के प्रति संबंधित डीडीओ ने 37 मामलों में केवल ₹ 1.98 करोड़ (पिछले वर्षों की वसूली शामिल कर) की वसूली की।

1.9 सरकार की लेखापरीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया का अभाव होना

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हुए लेन-देन की नमूना जांच और महत्त्वपूर्ण लेखाकरण और अन्य अभिलेखों का विनिर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार रखरखाव का सत्यापन करते हैं। इस निरीक्षण के बाद वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदनों (आईआर) को जारी किया जाता है। जब लेखापरीक्षा निरीक्षणों के दौरान पाई गई बड़ी गड़बड़ियों, का मौके पर निपटान नहीं होता, तो ये आईआर निरीक्षण किए गए कार्यालयाध्यक्षों को जारी की जाती है। कार्यालयाध्यक्षों और अन्य वरिष्ठ प्राधिकारियों को आईआर की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर दिल्ली के महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अपनी अनुपालना के बारे में सूचना देना आवश्यक है।

नमूना जांच के परिणामों के आधार पर 1,940 आईआर में दिए गए गए 8,691 लेखापरीक्षा निष्कर्ष 31 मार्च 2017 तक बकाया थे, जैसा कि तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5: बकाया आईआर तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	मार्च 2015 को			मार्च 2016 को			मार्च 2017 को		
	आईआर	पैरा	राशि	आईआर	पैरा	राशि	आईआर	पैरा	राशि
सामाजिक क्षेत्र	843	3,551	99.19	876	3,647	99.84	1,124	4,578	106.41
सामान्य क्षेत्र	537	3,041	448.04	594	3,455	455.30	641	3,499	457.15
आर्थिक क्षेत्र (गैर. सा.क्षे.उ.)	163	593	6,821.38	180	640	5,494.71	175	614	5,437.51
कुल	1,543	7,185	7,368.61	1,650	7,742	6,049.85	1,940	8,691	6,001.07

बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि वित्तीय प्रबंधन तथा जवाबदेही में सुधार करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा उत्थित मामलों का पता लगाने हेतु सरकार की प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाता है।

1.10 अनुवर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

विविध लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, प्रस्तुत किए गए मामलों पर कार्यकारियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा में दर्शाये गये सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर स्वतः ऐक्शन टेकेन नोट्स (एटीएन) की शुरुआत करनी चाहिए बगैर इस तथ्य को ध्यान में रखे कि इनकी लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चर्चा की गयी है या नहीं। इन एटीएन को राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की तारीख से लेकर तीन महीने की अवधि के भीतर महालेखाकार (ले.प.), दिल्ली द्वारा यथावत् जांच के बाद पीएसी को प्रस्तुत किया जाता है।

2006-07 से 2015-16 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में प्रस्तुत 39 निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 117 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से, 12 निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 56 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में स्वतः ऐक्शन टेकेन नोट्स प्राप्त नहीं किए गए हैं। छः निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 24 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर 31 अक्टूबर 2017 तक, लोक लेखा समिति/सरकारी उपक्रमों पर समिति द्वारा चर्चा की गई है।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिए गए निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के वर्ष-वार विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के वर्ष-वार विवरण जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उनको धन मूल्य सहित दर्शाए गए थे, को तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.6: 2013-16 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाई गई निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों का विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		लेखापरीक्षा पैराग्राफ		प्राप्त उत्तर	
	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखापरीक्षा	लेखापरीक्षा पैराग्राफ
2013-14	5	43.40	15	146.26	3	0
2014-15	4	240.04	16	1,711.58	1	3
2015-16	5	107.93	15	365.91	3	0

राज्य सरकार को 2013-16 के दौरान चौदह निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 46 लेखापरीक्षा पैराग्राफ जारी किए गए थे। हालाँकि, सरकार/विभागों से केवल सात निष्पादन लेखापरीक्षा तथा तीन लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में उत्तर प्राप्त हुए थे।

इस प्रतिवेदन में ₹ 142.29 करोड़ धन मूल्य की तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा ₹ 182.52 करोड़ के 13 लेखापरीक्षा पैराग्राफ सम्मिलित किए गए हैं। जहां कहीं भी उत्तर प्राप्त हुए थे, उन्हें उचित स्थान पर शामिल कर दिया गया है।

अध्याय-॥

निष्पादन लेखापरीक्षा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

2.1 आयुष की कार्यप्रणाली

आयुष निदेशालय, इसके 24 औषधालयों तथा तीन अस्पतालों की लेखापरीक्षा चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के इसके अधिदिष्ट कार्यों को पूरा करने में निदेशालय के निष्पादन का आकलन करने के उद्देश्य से की गयी। मुख्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां नीचे दी गयी हैं:

मुख्य बिंदु

- अस्पतालों से संबद्ध तीन मेडिकल कॉलेजों तिबिया कॉलेज, डॉ. बी.आर. सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र तथा चौ. ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान में डॉक्टर, फार्मसिस्ट तथा नर्स कैंडर में 37 से 52 प्रतिशत के मध्य कमी थी।

(पैराग्राफ 2.1.7.1)

- 2012-17 के दौरान आयुष औषधालयों में चिकित्सीय स्टाँफ की पर्याप्त कमी रही। संस्वीकृत 163 डॉक्टर तथा 155 फार्मासिस्ट पदों की तुलना में, डॉक्टर के 28 पद तथा फार्मासिस्ट के 61 पद मार्च 2017 तक रिक्त थे। 103 होम्योपैथिक औषधालयों में से, सिर्फ 24 में उचित रोगी देखभाल को सुनिश्चित करने के लिये पूर्ण स्टाँफ था।

(पैराग्राफ 2.1.7.2)

- तीन कमरों की आवश्यकता की तुलना में 16 आयुर्वेदिक औषधालय दो कमरों में तथा पाँच एक कमरे में चल रहे थे।

(पैराग्राफ 2.1.8.1)

- आयुष अस्पतालों तथा औषधालयों में उपकरण तथा अवसंरचनात्मक सुविधायें जैसे कि औषधि भंडारण, आपातकालीन सेवायें, अनिवार्य नैदानिक उपकरण, आपरेशन थियेटर, एम्बुलेंस तथा मेडिकल रिकार्ड विभाग अपर्याप्त थे।

(पैराग्राफ 2.1.8.2, 2.1.8.5, 2.1.8.7, 2.1.8.8, 2.1.8.9, 2.1.8.11 एवं 2.1.8.12)

- डॉ.बी.आर.सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र में अवसंरचना के निर्माण में देरी के परिणामस्वरूप एसएचएमसी में विद्यार्थियों के प्रवेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने में देरी हुई।
(पैराग्राफ 2.1.8.4)
- चौ. ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान के अतिरिक्त, अन्य किसी भी आयुष अस्पताल में अपर्याप्त जगह के कारण योगा तथा नैचुरोपैथी सुविधाएं नहीं थीं यद्यपि आयुष निदेशालय, जीएनसीटीडी की वेबसाइट योगा तथा नैचुरोपैथी को उपलब्ध सेवाओं के रूप में दर्शा रही थी।
(पैराग्राफ 2.1.8.14)
- 2012-17 के दौरान आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालयों में सिर्फ 40 प्रतिशत अनिवार्य दवाईयां उपलब्ध थी। होम्योपैथिक औषधालय में 2012-17 के दौरान 43 प्रतिशत अति आवश्यक दवाईयां कभी भी उपलब्ध नहीं थी।
(पैराग्राफ 2.1.9.1)
- 2012-17 के दौरान आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयां 25 से 58 प्रतिशत की घटी हुई सेल्फ लाइफ के साथ खरीदी गई। होम्योपैथिक दवाईयां की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली जिसमें दवाईयां के बैच-वार तथा सब-बैच-वार जाँच का प्रावधान था, के विपरीत आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयां में यादृच्छिक आधार पर दवाईयां की जाँच प्रणाली थी।
(पैराग्राफ 2.1.9.4)
- विभागीय खरीद नीति के उल्लंघन में, निदेशालय, त्रिबिया कालेज तथा सीबीपीएसीएस द्वारा 2012-17 के दौरान क्लासिकल आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयां (₹ 32.87 करोड़) आईएमपीसीएल से नहीं खरीदी गई तथा पेटेंट/प्रोप्राइटरी दवाईयां (₹ 14.19 करोड़) खुली निविदा के द्वारा नहीं खरीदी गई।
(पैराग्राफ 2.1.9.5)
- दवाईयां की गुणवत्ता पर आश्वासन प्रदान करने के लिये दवाईयां के उत्पादन तथा विक्रय यूनिटों का निरीक्षण अपर्याप्त था। औषधि नियंत्रक ने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी उत्पादन इकाईयां के संदर्भ में क्रमशः 31, 424 तथा 180 के अनिवार्य निरीक्षण की तुलना में 8, 267 तथा 149 निरीक्षण किये।
(पैराग्राफ 2.1.11.3)

2.1.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (एच एंड एफडब्ल्यू या विभाग) के अंतर्गत एक पृथक विभाग होम्योपैथी एवं चिकित्सा की भारतीय प्रणाली (आईएसएम एंड एच) की स्थापना (मई 1996) चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणाली जैसे कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) को स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए तथा इन प्रणालियों में अनुसंधान तथा शिक्षा के प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिये की। आईएसएम एंड एच को वर्ष 2013 में पुनः आयुष निदेशालय (निदेशालय) नाम दिया गया।

निदेशालय 163 औषधालयों (40 आयुर्वेदिक, 20 यूनानी तथा 103 होम्योपैथिक) के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सुविधायें तथा चार शैक्षणिक संस्थाओं¹ में स्नातक तथा परास्नातक कोर्स के द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, निदेशालय लाइसेंस जारी करने तथा औषधि तथा प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सकों का पंजीकरण करने; औषधि नियंत्रण सैल के माध्यम से आयुर्वेदिक/यूनानी औषधियों के लिये जाँच प्रयोगशालाओं को अनुमोदन प्रदान करने तथा उपलब्ध आयुर्वेदिक/यूनानी औषधियों की गुणवत्ता जाँच हेतु मार्केट सर्वे कराने तथा जनसमूह में जागरूकता फैलाने के लिये उत्तरदायी है। एच एंड एफडब्ल्यू के अंतर्गत औषधि नियंत्रण विभाग (डीसीडी) एलोपैथिक तथा होम्योपैथिक औषधियों के उत्पादनकर्ताओं तथा विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करता/नवीनीकरण करता है।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

निदेशालय का अध्यक्ष निदेशक होता है जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के संपूर्ण पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करता है। अध्यक्ष की सहायता एक संयुक्त निदेशक, तीन उपनिदेशक आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा यूनानी प्रत्येक के लिये एक, सहायक निदेशक तथा स्वास्थ्य अधिकारी करते हैं। निदेशालय के अंतर्गत औषधि नियंत्रण सैल में दो सहायक औषधि नियंत्रक/लाइसेंसिंग प्राधिकारी आयुर्वेदिक तथा यूनानी दोनों के लिये एक-एक तथा तीन औषधि निरीक्षक होते हैं। औषधि नियंत्रण विभाग (डीसीडी) एच एंड एफडब्ल्यू के अंतर्गत पाँच सहायक औषधि नियंत्रक तथा 23 औषधि निरीक्षकों के साथ कार्य करता है।

¹ (i) आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिबिया कॉलेज तथा अस्पताल (ए एंड यू तिबिया अस्पताल), (ii) डॉ. बी.आर. सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र (एसएचएमसी), (iii) चौ. ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान (सीबीपीएसीएस) तथा (iv) नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या आयुष के कार्यक्रम तथा योजनायें पर्याप्त रूप से नियोजित किये गये तथा स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति में चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणाली को प्रोत्साहित करने तथा इन प्रणालियों में अनुसंधान तथा शिक्षा के प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण ढंग से इन्हें कार्यान्वित किया गया।

2.1.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र, कार्यप्रणाली तथा मानदंड

2012-17 की अवधि की 'आयुष की कार्यप्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा मई-अगस्त 2017 के दौरान की गयी। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अभिलेखों की जाँच की:

(क) निदेशालय, औषधि नियंत्रण सैल, होम्योपैथिक विंग, औषधि नियंत्रण विभाग, दोनों केंद्रीय औषधि भण्डार तथा 40 आयुर्वेदिक, 20 यूनानी तथा 103 होम्योपैथिक औषधालयों में से छः आयुर्वेदिक, तीन यूनानी तथा 15 होम्योपैथिक औषधालय² ;

(ख) निदेशालय के चार स्वायत्त निकाय, बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद (डीबीसीपी), भारतीय चिकित्सा दिल्ली के लिये पराचिकित्सीय प्रशिक्षण हेतु इक्जामिनिंग बॉडी, तथा दिल्ली होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद (डीएचएपी); तथा

(ग) संबद्ध अस्पतालों³ के साथ चार में से तीन आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज

लेखापरीक्षा उद्देश्य, क्षेत्र तथा मानदंड पर विचार करने के लिए 28 अप्रैल 2017 को लेखापरीक्षित संगठन के साथ एक प्रवेश सम्मेलन किया गया। चयनित संस्थाओं के अभिलेखों की समीक्षा की गयी। एक मसौदा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निदेशक, आयुष को 19 सितंबर 2017 को जारी की गयी तत्पश्चात् 27 सितंबर 2017 को निदेशक, आयुष के साथ समापन सम्मेलन आयोजित किया गया। अगस्त/अक्टूबर 2017 के दौरान प्राप्त इनके उत्तरों को इस प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

² आयुष निदेशालय- होम्योपैथी औषधालय (i) प्रीत विहार, (ii) साकेत, (iii) द्वारका सेक्टर 14, (iv) नांगली जालिब, (v) पश्चिम पुरी, (vi) रघुवीर नगर, (vii) सरदार बल्लभ भाई पटेल अस्पताल, (viii) कौंडली, (ix) सिर्फ साउथ कैंपस (एम, डब्ल्यू, एफ), (x) जगप्रवेश चन्द्र अस्पताल, (xi) सीलमपुर अस्पताल, (xii) सूरज मल विहार, (xiii) बेर सराय, (xiv) मदनगीर, (xv) चौखंडी: आयुर्वेदिक औषधालय (i) सत्यवादी हरिश्चंद्र अस्पताल, नरेला (ii) धर्मशाला ब्लॉक, डा.बी.आर. अम्बेडकर अस्पताल, (iii) सेक्टर-17 द्वारका, (iv) ब्लॉक ए, मयूर विहार-III, (v) एच-ब्लॉक, जहाँगीरपुरी, (vi) सोनिया विहार; यूनानी औषधालय (i) चमेलियन रोड, बारा हिंदू राव, (ii) बाटला हाउस, ओखला, (iii) ब्लॉक ए, मयूर विहार-III, कौंडली।

³ (i) आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिबिया कॉलेज तथा अस्पताल (ए एंड यू तिबिया अस्पताल), (ii) डॉ. बी.आर. सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र (एसएचएमसी) तथा (iii) चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान (सीबीपीएसीएस)

इस लेखापरीक्षा हेतु प्रयुक्त लेखापरीक्षा मानदंडों में सम्मिलित है - 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आयुष को प्रोत्साहित करने के लिये जीएनसीटीडी के उद्देश्य एवं लक्ष्य; औषधि तथा प्रसाधन अधिनियम, 1940; सामान्य वित्त नियम (जीएफआर) 2005 तथा सरकारी नीतियां, निर्देश, आदेश एवं दिशानिर्देश।

‘चिकित्सा की भारतीय प्रणाली तथा होम्योपैथी के निदेशालय की निष्पादन लेखापरीक्षा’ राक्षे दिल्ली सरकार के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2005 की प्रतिवेदन में छपी थी तथा इसका एकशन टेकन नोट प्रतिक्रित है। यद्यपि हमने इन बिंदुओं को भलीभांति इस लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

2012-17 के दौरान सभी तीन अस्पतालों तथा औषधालयों में भर्ती हुए रोगी तथा बाह्य रोगियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई जैसा कि तालिका 2.1.1 में दिया गया है। औषधियों पर व्यय 2012-13 में ₹ 16.09 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 22.55 करोड़ हो गया।

तालिका 2.1.1: वर्ष 2012-17 के दौरान रोगियों की संख्या का विवरण

वर्ष	आयुष औषधालय	ए एण्ड यू तिबिया		एसएचएमसी		सीबीपीएसीएस	
		ओपीडी	आईपीडी	ओपीडी	आईपीडी	ओपीडी	आईपीडी
2012-13	24,27,815	2,28,284	4,295	64,022	357	2,95,753	5,903
2013-14	28,93,599	2,42,726	5,196	56,541	362	2,86,785	6,395
2014-15	32,55,223	2,36,931	5,802	64,687	428	2,67,813	6,162
2015-16	35,76,042	2,76,716	5,796	70,660	358	3,09,077	8,033
2016-17	33,93,024	2,96,727	5,317	61,629	275	3,33,150	8,073

इन वर्षों के दौरान रोगियों की संख्या में कुल बढ़ोत्तरी का तात्पर्य है कि लोगों के मध्य औषधियों की भारतीय प्रणाली की प्रभावोत्पादकता तथा स्वीकार्यता के संबंध में जागरूकता बढ़ रही है। इसलिए, इन प्रणालियों में स्वास्थ्य सुविधा आपूर्ति तथा अनुसंधान एवं शिक्षा में चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणाली के प्रयोग में बढ़ोत्तरी तथा प्रोत्साहन हेतु आयुष स्कीमों तथा कार्यक्रमों को प्रभावी तथा दक्षतापूर्वक पर्याप्त रूप से नियोजित तथा क्रियान्वित करना आवश्यक है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने आयुष स्कीमों तथा कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में निम्नलिखित अपर्याप्तता तथा कमियां पाईं।

2.1.5 योजना

2.1.5.1 वार्षिक कार्य योजना तथा क्रियान्वयन नीति तैयार नहीं की गई

आईएसएम एंड एच- 2002 के उन्नयन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार देश में आईएसएम एंड एच की बृहत अवसंरचना को लोगों की स्वास्थ्य देखभाल सेवा आपूर्ति के लिये अनुकूल रूप से उपयोग किया जाना चाहिये। यह चिकित्सा की इन प्रणालियों के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं के उचित स्तर तक, एकीकरण के लिये राष्ट्रीय नीति के सामंजस्य के साथ एक यथार्थ वार्षिक कार्य योजना की आवश्यकता पर विचार करता है। यद्यपि आयुष निदेशालय तथा इसके स्वायत्त निकायों, अस्पतालों तथा कॉलेजों के लिये 12 वीं पंचवर्षीय योजना (एफवाईपी) तथा वार्षिक योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, परन्तु इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये निदेशालय तथा अन्य संस्थाओं द्वारा कोई वार्षिक कार्य योजना या समग्र कार्यान्वयन नीति नहीं तैयार की गयी थी। इसने पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन को प्रभावित किया जैसा कि नीचे टिप्पणी की गई है-

(i) निदेशालय ने पंचवर्षीय योजना के विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक कदम नहीं उठाये जैसे जल शोधन संयंत्र का परिचालन, हड्डी के घनत्व की जाँच के लिये बी एम डी (बोन मिनरल डेंसिटी) मशीन का प्रतिस्थापन, चौ. ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान के लिये एन ए बी एच प्रमाणन प्राप्त करना, भागीदारी स्कीम के अंतर्गत होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) परियोजना के अंतर्गत 100 होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना, आयुर्वेदिक, यूनानी तथा पंचकर्मा तकनीकी में परा चिकित्सीय कोर्स की शुरुआत, हाकिम अजमल खान अकादमी तथा संग्रहालय की स्थापना तथा तिबिया कॉलेज में सूचना सह प्रलेखन केंद्र तथा अकादमिक ब्लॉक का निर्माण। संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) को जारी सेवाओं तथा स्कीमों के लिये मापा नहीं गया जिससे यह निर्धारित हो सके कि क्या स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित एसडीजी प्रभावी रूप से नियोजित थे तथा क्रियान्वित किये गये थे।

(ii) अन्य घटकों जैसे कि (i) डॉ. बी.आर. सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र (एसएचएमसी) में रेडियोलाजी सेवाओं का उन्नयन; (ii) 60 नये आयुष औषधालयों (25 आयुर्वेदिक, 10 यूनानी तथा 25 होम्योपैथिक) को खोलना; (iii) औषधालयों के माध्यम से चिकित्सा की भारतीय प्रणाली (आईएसएम) की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का प्रावधान; (iv) उपकरणों तथा औषधियों की खरीद; (v) आईएसएम की औषधि नियंत्रण

यूनिट का सशक्तीकरण; तथा (vi) अस्पताल सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण तथा एसएचएमसी में पुस्तकालय का उन्नयन, के क्रियान्वयन में कमी थी।

2.1.5.2 एसएचएमसी में रेडियोलाजी सेवाओं का गैर उन्नयन

पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, एसएचएमसी ने रेडियोलाजी सेवाओं जैसे कि एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड तथा इसीजी मशीन के उन्नयन, दंत विभाग का विकास, ओपीडी में केंद्रीकृत वातानुकूलन; छोटी सर्जिकल सुविधाओं के सशक्तीकरण पर विचार किया, जो कि मार्च 2017 में पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक भी पूरी नहीं हुई तथा रोगी देखभाल सेवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

2.1.5.3 नये औषधालयों के खुलने में कमी

पंचवर्षीय योजना के दौरान, निदेशालय द्वारा 60 नये औषधालयों के खुलने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया जिसकी तुलना में सिर्फ 25 औषधालय ही खुल सके जैसा कि तालिका 2.1.2. में विस्तृत है।

तालिका 2.1.2: नये औषधालयों को खोलने में कमी का विवरण

औषधालय	2012-17 के दौरान नये औषधालय खोलने का लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	कमी
होम्योपैथिक	25	12	13
आयुर्वेदिक	25	8	17
यूनानी	10	5	5
कुल	60	25	35

निदेशालय ने नये आयुष औषधालयों को खोलने के लिये उपलब्ध स्थान तथा दिल्ली सरकार के अस्पतालों में उपलब्ध अवसंरचना पर विचार नहीं किया। निदेशालय ने स्थान के चयन, शामिल किये जाने वाले लाभार्थियों, दो औषधालयों के मध्य दूरी तथा नया औषधालय खोलने के लिए अवसंरचनात्मक सहायता के लिये कोई मानदंड निर्धारित नहीं किये। जिसके परिणामस्वरूप, नये औषधालय बगैर किसी उद्देश्य मानदंडों के खोले गये। उदाहरण के लिये, एक होम्योपैथिक औषधालय दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में खोली गई जो कि एसएचएमसी से अत्यंत समीप के इलाके में था। निदेशालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2017) कि स्वास्थ्य देखभाल में समरूपता प्रदान करने के लिए वह दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों तथा यथेष्ट दूरी पर औषधालय खोलने के लिये लक्ष्य निर्धारित करेगा।

2.1.5.4 अस्पताल सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण

औषधालयों में मांगसूची प्रबंधन तथा रोगियों के आकड़ों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिये निदेशालय ने 2006-12 के दौरान ₹ 57.50 लाख की लागत से

यूपीएस के साथ 118 कम्प्यूटर तथा 87 होम्योपैथिक साफ्टवेयर⁴ निदेशालय, केंद्रीय होम्योपैथिक ड्रग स्टोर तथा होम्योपैथिक औषधालयों के लिये खरीदे। यद्यपि, जुलाई 2017 तक 103 होम्योपैथिक औषधालयों में से सिर्फ 28 में कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर क्रियाशील थे।

एसएचएमसी ने पंचवर्षीय योजना में रोगी के पंजीकरण से लेकर उसके अस्पताल से छुट्टी देने तक की अस्पताल की सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण तथा वेबसाइट के उन्नयन की योजना बनाई परंतु यह पूरी नहीं हो सकी। 2015-16 के दौरान कुल 25 कम्प्यूटर खरीदे गये परंतु संबंधित साफ्टवेयर की खरीद न होने के कारण यह रोगी के पंजीकरण तथा छुट्टी देने तक की सेवाओं के लिये प्रयुक्त नहीं हो सके।

2.1.5.5 पुस्तकालय का गैर-उन्नयन

12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अनुसार, एसएचएमसी को पूर्ण आटोमेशन, स्मार्ट कार्ड (पुस्तकालय) क्रियान्वयन, तथा बार कोड सुविधा के साथ नयी पुस्तकों एवं जर्नल की खरीद के द्वारा अपने पुस्तकालय, जिसमें 5,720 पुस्तके थी, का उन्नयन करना था। हालांकि, एसएचएमसी पुस्तकालय के उन्नयन का कार्य अगस्त 2017 तक पूरा नहीं कर सका। एसएचएमसी ने उत्तर दिया कि यद्यपि नई पुस्तके/जर्नल खरीदी गयी, परंतु पुस्तकालय अध्यक्ष तथा आई टी स्टॉफ की कमी के कारण पुस्तकालय का न तो पूर्ण आटोमेशन हुआ ना ही स्मार्ट कार्ड क्रियान्वयन प्रारंभ किया जा सका।

2.1.5.6 राजकीय औषधीय प्लांट बोर्ड का गैर-क्रियान्वयन

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, जीएनसीटीडी ने निदेशक आयुष के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में औषधीय प्लांट से संबंधित सभी मामलों जैसे प्राकृतिक संरक्षण के लिये नीतियों कूटनीतियों की रूपरेखा तैयार करने, उचित दोहन, लागत प्रभावी खेती तथा कच्चे माल के विचलन आदि को सम्मिलित करते हुये राजकीय औषधीय प्लांट बोर्ड (एसएमपीबी) की स्थापना (2006) की। ऐसे कोई अभिलेख नहीं पाये गये जो यह प्रदर्शित करे कि क्या यह बोर्ड अपने निश्चित किये गये उत्तरदायित्व का निष्पादन कर रहा है। एनसीटीडी में औषधीय प्लांट के विकास के लिये कोई कार्य योजना या नीति नहीं थी। निदेशालय ने स्वीकार किया (सितंबर 2017) कि एनसीटी क्षेत्र में औषधीय प्लांट के विकास के लिये ना तो कोई सर्वेक्षण किया ना ही कोई कार्य योजना/नीति तैयार की गयी।

⁴ साफ्टवेयर केनबो वर्जन 1.0 (सं.-11), होमपैथ 8.0 प्रीमियम कलेक्शन (सं.-5) तथा राडार (सं.71) इन साफ्टवेयर का प्रयोग चिकित्सको द्वारा किया जाना था।

2.1.6 वित्तीय प्रबंधन

2.1.6.1 बजट आवंटन तथा व्यय

2012-17 के दौरान वर्षवार बजट आवंटन तथा व्यय तालिका 2.1.3. में दिया गया है।

तालिका 2.1.3: 2012-17 के दौरान बजट आवंटन तथा निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

यूनिट का नाम	बजट आवंटन		व्यय	
	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत
आयुष निदेशालय	182.19	28.09	164.05	26.82
होम्योपैथिक विंग	22.15	97.54	8.72	95.93
ए एंड यू तिबिया कॉलेज	42.03	100.37	40.65	98.00
एसएचएमसी	15.85	23.50	13.39	22.80
सीबीपीएसीएस	82.00	-	106.80	-
नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल	14.76	54.71	13.40	52.11

स्रोत: अनुदान के लिये मांग (व्यय के लिये)

वर्ष 2012-17 के दौरान योजनागत शीर्ष के अंतर्गत निदेशालय तथा होम्योपैथिक विंग द्वारा ₹ 31.57 करोड़ (15.45 प्रतिशत) की निधियां अप्रयुक्त रही।

2.1.6.2 वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता

जी.एफ.आर., 2005 के नियम 56(3) के अनुसार, 15 प्रतिशत से अधिक व्यय की अधिकता, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंत में, को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जायेगा तथा टाला जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2012-17 के दौरान 134 मामलों में से योजनागत तथा गैर योजनागत के विभिन्न शीर्ष के अंतर्गत 15 से 100 प्रतिशत व्यय सिर्फ मार्च माह में हुआ जो कि उपरोक्त नियम की भावना के विपरीत है।

निदेशालय ने कहा (अगस्त 2017) की नीतियों को बनाने व अंतिम रूप देने में एक लंबा समय लगता है जिसके कारण, व्यय कभी-कभी वित्तीय वर्ष के लगभग अंत में होता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नीतियां साधारणतया वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में या उसके पहले ही तैयार कर ली जाती हैं तथा वित्तीय नियमों का नीतियों को लागू करने के दौरान पालन करना चाहिये। निदेशालय तथा एसएचएमसी ने कहा कि अभ्युक्तियों को भविष्य में अनुपालना के लिये नोट कर लिया गया है।

2.1.6.3 सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बगैर विज्ञापनों पर व्यय

जीएनसीटीडी द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों (मई 2007, अप्रैल 2008 तथा जनवरी 2016) के उल्लंघन में मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री, जीएनसीटीडी के अनुमोदन के बगैर निदेशालय, सीबीपीसीएस तथा तिबिया कॉलेज द्वारा तीन वर्षों अर्थात् 2015-17 के दौरान विज्ञापनों तथा प्रचार पर ₹ 1.11 करोड़ का व्यय किया गया। अतः विज्ञापन तथा प्रचार पर किया गया समस्त व्यय अनाधिकृत था। इसके अतिरिक्त, कुल व्यय का 58.83 प्रतिशत वित्तीय वर्ष के अंत में किया गया जो कि स्पष्ट रूप से निधियों को खत्म करने के लिये ही किया गया था। आयुष के निदेशक ने उत्तर में कहा (16 जनवरी 2018) कि मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री, जीएनसीटीडी का अनुमोदन आवश्यक नहीं है क्योंकि विज्ञापनों तथा प्रचार पर किया गया व्यय सूचनात्मक प्रकृति का था तथा इसमें कोई रचनात्मक डिजाइनिंग नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। उपरोक्त वर्णित जीएनसीटीडी के निर्देश के अनुसार संदेश रूपरेखा तथा गुणवत्ता में मानकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, टीवी, खेलकूद, रेडियो जिंगल या विभागीय ब्रोचरों के माध्यम से दिए गये सभी विज्ञापनों को आवश्यक रूप से मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

2.1.7 मानव संसाधन प्रबंधन

2.1.7.1 अस्पतालों में स्टाफ की कमी

अस्पतालों से संबद्ध तीन मेडिकल कॉलेजों तिबिया कॉलेज, एसएचएमसी तथा सीबीपीसीएस में डॉक्टर, फार्मासिस्ट तथा नर्स कैडर में 37 से 52 प्रतिशत की कमी पायी गयी जैसा कि तालिका 2.1.4. में दिया गया है।

तालिका 2.1.4: मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में स्टाफ की स्थिति

श्रेणी	तिबिया कॉलेज		सीबीपीसीएस		एसएचएमसी		कुल		स्टाफ की कमी	
	संस्वीकृत क्षमता	तैनात कार्मिक	संस्वीकृत क्षमता	तैनात कार्मिक	संस्वीकृत क्षमता	तैनात कार्मिक	संस्वीकृत क्षमता	तैनात कार्मिक	संख्या	%
डॉक्टर	33	30	104	55+3*	55	21	192	109	83	43
फार्मासिस्ट	8	3	14	7	3	2	25	12	13	52
नर्स	13	3	47	31	13	12	73	46	27	37

* बाह्यस्रोत

हालांकि कैडर नियंत्रण विभाग अस्पतालों से प्राप्त मांग के बावजूद इन रिक्तियों को भरने में असफल रहा। यह देखा गया कि नए डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी तथा परीक्षा आयोजित कराई गई थी (दिसम्बर 2017)। तथ्य यह है कि इन कैडर में कमी के कारण संस्थान शिक्षण तथा

स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों को प्रभावी तथा दक्षतापूर्ण तरीके से लागू नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, डीजीएचएस के दिशानिर्देशों के अनुसार, 50 बेड क्षमता वाले अस्पताल में एक कनिष्ठ आहार विशेषज्ञ तथा 200 बेड क्षमता वाले अस्पताल के लिये एक आहार विशेषज्ञ तथा एक कनिष्ठ आहार विशेषज्ञ के पद की आवश्यकता होती है। उपचार के एक हिस्से के रूप में भर्ती रोगियों को आहार उपलब्ध कराने के बावजूद, एसएचएमसी, तिबिया अस्पताल तथा सीबीपीएसीएस में आहार विशेषज्ञ/कनिष्ठ आहार विशेषज्ञ का कोई पद नहीं था जो प्रदर्शित करता है कि अस्पताल उपचार के इस पहलू पर उचित महत्व नहीं दे रहा है।

2.1.7.2 औषधालयों में स्टाफ की कमी

राज्य सरकार ने प्रत्येक औषधालय में एक जनरल ड्यूटी स्वास्थ्य अधिकारी (जीडीएमओ), एक फार्मासिस्ट तथा एक नर्सिंग आर्डली (एनओ) का पद संस्वीकृत किया। 163 डॉक्टरों तथा 155 फार्मासिस्ट के संस्वीकृत पदों की तुलना में डॉक्टरों के 28 तथा फार्मासिस्ट के 61 पद मार्च 2017 तक रिक्त थे। उचित रोगी देखभाल को सुनिश्चित करने के लिये, 103 होम्योपैथिक औषधालयों में से सिर्फ 24 में पूर्ण क्षमता थी। 2016-17 के दौरान पाँच होम्योपैथिक डॉक्टर सेवा निवृत्त हुए/त्यागपत्र दिया, जिसके कारण डॉक्टरों की कमी में आगे बढ़ोत्तरी हो गई। 2012-17 के दौरान, 25 नये आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा यूनानी औषधालय खोलने के बावजूद, निदेशालय ने ना तो नये पदों का सृजन किया ना ही रिक्त पदों को भरा। डॉक्टरों की कमी में बढ़ोत्तरी के कारण औषधालयों की कार्यप्रणाली बुरी तरह से प्रभावित हुई। उदाहरण के लिए, सिर्फ 33 आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालय सप्ताह में पाँच से छः दिन कार्य कर रहे थे जबकि 25 औषधालय सप्ताह में तीन से चार दिन तथा तीन सप्ताह में दो दिन कार्य कर रहे थे। 2016-17 में सेवानिवृत्त/त्यागपत्र के कारण तथा वर्ष के दौरान बहुत सी महिला डॉक्टरों द्वारा शिशु देखभाल अवकाश लेने के कारण डॉक्टरों की कमी के परिणामस्वरूप 2016-17 में औषधालयों में मरीजों की संख्या भी घट गई (तालिका 2.1.1 को देखें)।

2.1.7.3 अनुमोदन के बगैर बाह्यसेवाओं के करार को सौंपा जाना

वित्त विभाग (एफडी) ने (अगस्त 2012/मार्च 2015) संस्वीकृत रिक्त पदों के लिये चतुर्थ श्रेणी/नर्सिंग आर्डली/स्टाफ (रसोईया) इत्यादि के बाह्य ठेका स्टाफ को प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से रखने/नियुक्त करने के लिये इस शर्त के साथ विभागाध्यक्ष को शक्तियां प्रत्यायोजित की कि बाहरी ठेका आधार पर

नियुक्त व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में प्रथम बार एफडी का अनुमोदन आवश्यक है।

आयुष अस्पतालों ने इस कार्य हेतु 2012-17 के दौरान नर्सिंग आर्डली, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मचारी, माली तथा किचन सेवाओं की बाह्यठेका सेवाओं पर ₹ 12.35 करोड़ का खर्च किया। हालांकि, लेखापरीक्षा के लिये चयनित तीनों अस्पताल आवश्यक अनुमोदन के लिये प्रशासनिक विभाग और/या वित्त विभाग के पास नहीं गये तथा बाहरी ठेका के लिये व्यक्तियों की संख्या को स्वयं निर्धारित किया तथा सेवाओं के लिये आदेश दिया। यह निदेशालय तथा प्रशासनिक विभाग की भूल को दर्शाता है।

2.1.8 अवसंरचना, अस्पतालों तथा उपकरणों का प्रबंधन

2.1.8.1 औषधालयों में अपर्याप्त जगह

निदेशालय के अनुसार, रोगियों की सुविधा के लिये एक औषधालय को चलाने के लिये तीन कमरे आवश्यक हैं। हालांकि, 16 आयुर्वेदिक औषधालय 2 कमरों में तथा 5 औषधालय एक कमरे में चल रहे थे। औषधालयों में जगह की कमी के कारण विशेषकर एक कमरे वाले औषधालय में डॉक्टर के साथ-साथ रोगी को भी विशेषकर महिला रोगी की जाँच के समय, असुविधा होती है, जो कि सीडीएमओ, मयूर विहार औषधालय द्वारा अधिक जगह उपलब्ध कराने के लिये भेजे गये निवेदन द्वारा भी स्पष्ट होता है। इसके अतिरिक्त, होम्योपैथिक औषधालयों में दिव्यांगों के लिये कोई सुविधायें नहीं थी, हालांकि सीपीडब्ल्यूडी दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांगों तथा बुजुर्ग व्यक्तियों को अवरोध मुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिये। निदेशालय ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीएचएस) से मयूर विहार औषधालय के लिये अतिरिक्त जगह के लिये जुलाई 2017 में अनुरोध किया गया है।

2.1.8.2 तिबिया कॉलेज के गेस्ट हाउस में दवाईयों का खुली जगह में संग्रहण

निदेशालय के आयुर्वेदिक औषधि स्टोर को पॉलीक्लीनिक के लिये जगह बनाने के लिये तिबिया कॉलेज के गेस्ट हाउस में बगैर यह निर्धारित करे कि क्या गेस्ट हाउस औषधि भंडारण मानकों को पूरा करता है, स्थानांतरित



खुले स्थान पर संग्रहित दवाईयां

कर दिया गया (मार्च 2016)। हालांकि यह जगह अपर्याप्त पायी गई तथा दवाईयों के स्टॉक को गेस्ट हाउस के खुले कॉरिडोर में तथा बगल में कॉलेज के प्रधानाचार्य के आवासीय परिसर में भी रखा गया। औषधि भंडार को स्थानांतरित करने के एक वर्ष के पश्चात् भी दवाईयों/औषधियों के उचित भंडारण का प्रबंध नहीं किया गया। खुली जगह में भंडारण से दवाईयों की चोरी तथा दवाईयों के प्राकृतिक तत्वों के संपर्क में आने के कारण दवाईयों के खराब होने की संभावना हो सकती है।

2.1.8.3 नये बने हुये गर्ल्स हॉस्टल का गैर उपयोग

तिबिया कॉलेज की 48 विद्यार्थियों (प्रत्येक कमरे में तीन विद्यार्थी) के लिये 1.90 करोड़ की लागत से निर्मित 16 कमरों का एक नया गर्ल्स हॉस्टल मार्च 2016 से तैयार है। हालांकि तिबिया कॉलेज प्रशासन ने लड़कियों के आवास हेतु अक्टूबर 2017 तक भी हॉस्टल को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लिया। हॉस्टल को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने में देरी के कारण तिबिया कॉलेज द्वारा नहीं दिये गए।

2.1.8.4 एसएचएमसी में अवसंरचना के निर्माण में देरी के परिणामस्वरूप 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अभी तक लागू नहीं हुआ

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में जीएनसीटीडी ने अपने शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लागू (जुलाई 2008) करने का निर्णय लिया तथा साथ ही अवसंरचना की स्थिति पर विचार करने के पश्चात् पाँच वर्षों की अवधि में सीटों की कुल संख्या में समरूप बढ़ोत्तरी की जानी थी। न्यायालय का यह आदेश तथा जीएनसीटीडी के इसके बाद के निर्णय को अभी तक लागू नहीं किया गया। सीटों में बढ़ोत्तरी ना करने के तर्क में विद्यार्थियों की प्रस्तावित बढ़ी हुई संख्या के आवास हेतु स्थान की अनुपलब्धता भी सम्मिलित थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि अतिरिक्त सुविधा के निर्माण हेतु एसएचएमसी में विद्यमान परिसर के अंदर स्थित खाली भूखण्ड के प्रयोग हेतु एक प्रस्ताव 2008 में शुरू किया। हालांकि, एसएचएमसी तथा विभाग के प्राधिकारियों द्वारा अपर्याप्त अनुसरण तथा हस्तक्षेप के कारण नियमित क्लियरेंस ना हो पाने के कारण यह विगत नौ वर्षों से अटका हुआ है।

2.1.8.5 अस्पतालों द्वारा आपदा प्रबंधन

सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (सीसीआईएम) विनियम 2012⁵ के विनियम 7(5) के अनुसार विद्यार्थियों के प्रशिक्षण तथा अस्पताल के आपदा प्रबंधन योजना को लागू करने के लिये अस्पताल में अत्यायिका (आपातकाल) को सम्मिलित करते हुये न्यूनतम आठ बाह्य विभाग⁶ होने चाहिये। हालांकि, तिबिया कॉलेज ने दुर्घटना या आपात-कालीन क्षेत्र (अत्याहत वार्ड) स्थापित किये बगैर आपदा प्रभावित रोगियों के लिये सितम्बर 2010 से सितम्बर 2011 के दौरान खरीदे गए अस्पताल के 60 बिस्तरों को एकत्र कर के बिना किसी उपयोग के रखा। इसलिये, दुर्घटना तथा आपातकालीन क्षेत्र (अत्याहत वार्ड) के अभाव में आपदा प्रबंधन योजना तथा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण संभव नहीं था। सीबीपीएसीएस के पास भी पूर्णतया सज्जित अत्याहत वार्ड नहीं था। आपातकालीन चिकित्सा हेतु आवश्यक उपकरण नहीं थे; यह स्थान योगा क्लास के रूप में प्रयोग हो रहा था।

2.1.8.6 फायर क्लियरेंस के बगैर भवन

हिम्मतपुरी, दिल्ली में स्थित केंद्रीय होम्योपैथिक औषधि स्टोर तथा होम्योपैथिक औषधालय तथा आयुष निदेशालय (होम्योपैथिक विंग) प्रीत विहार का कार्यालय भवन दिल्ली अग्नि शमन सेवा से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किये बगैर जुलाई 2017 तक चल रहा था। निदेशालय के औषधि नियंत्रण सैल, तिबिया कॉलेज कैम्पस में सितम्बर 2016 में लगी आग से फाइलों तथा अभिलेखों के साथ-साथ अन्य कई मर्दे नष्ट हो गयी। हालांकि निदेशक ने घटना के एक से अधिक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी पुनः ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिये जाँच समिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की।

2.1.8.7 आयुष अस्पतालों में मेडिकल रिकार्ड विभाग (एमआरडी) की अनुपस्थिति

अस्पताल नियमावली के अध्याय XII के अनुसार दक्षता पूर्वक रोगी की स्वास्थ्य देखभाल के लिये मेडिकल रिकार्ड का रखरखाव अत्यंत आवश्यक है। मेडिकल रिकार्ड विभाग (एमआरडी) को अस्पताल प्रशासन के लिये आवश्यक सभी स्वास्थ्य आंकड़ों के पूर्ण अभिलेखों को सुरक्षित संरक्षण में रखना चाहिये तथा इसको मासिक रूप से संकलित करना चाहिये। सीबीपीएसीएस,

⁵ सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (आयुर्वेद कॉलेज तथा संबद्ध अस्पतालों के लिये आवश्यक न्यूनतम मानक (एमएसआर)) विनियम 2012

⁶ 1. कायाचिकित्सा, 2. पंचकर्मा, 3. शल्य तंत्र, 4. शालक्य तंत्र, 5. प्रसूति एवं स्त्रीरोग, 6. कुमार भारतीय (बालरोग), 7. स्वास्थ्य वृत्त एवं योग, 8. अत्यायिका (आपातकाल)

एसएचएमसी तथा तिबिया अस्पताल में एमआरडी नहीं था जिसकी अनुपस्थिति में आवश्यक डेटा जैसे कि पेशेंट अटेडेंस रिकार्ड, अवलोकन तथा अनुसरण रिकार्ड, अस्पताल के अंदर तथा बाहर परामर्श रिकार्ड, उपचार रिकार्ड इत्यादि का उचित प्रकार से रखरखाव नहीं किया गया।

2.1.8.8 तिबिया कॉलेज में आवश्यक उपकरणों की अनुपलब्धता

उप राज्यपाल द्वारा स्थापित एक सलाहकार समिति ने तिबिया कॉलेज की नैदानिक सेवाओं में सुधार करने के लिये तथा कॉलेज को तीन वर्षों की अवधि में आयुर्वेदिक तथा यूनानी उपचार हेतु उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिये ₹ 2.58 करोड़ की लागत के उपकरणों/यंत्रों की खरीद की सिफारिश की (अक्टूबर 2014)। मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए टेंडर आमंत्रित करने के लिए एक प्रस्ताव तिबिया कॉलेज द्वारा 2015 में प्रस्तुत किया गया था, परंतु बाद में प्रस्ताव की अनुपालना नहीं की गई थी। इस प्रकार उपकरण खरीदे नहीं गये थे। इसलिए उप राज्यपाल द्वारा तिबिया कॉलेज को उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिये की गई पहल तीन वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी। तिबिया कॉलेज द्वारा प्रस्तावित उपकरणों की खरीद न किये जाने के संबंध में कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

2.1.8.9 अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनें कार्य नहीं कर रही थी

अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति के कारण तिबिया अस्पताल (लागत ₹ 5.72 लाख), एसएचएमसी (₹ 7.20 लाख), तथा सीबीपीएसीएस (₹ 25.05 लाख) में अल्ट्रासाउंड मशीनें क्रमशः दिसम्बर 2012, अक्टूबर 2015 तथा अप्रैल 2015 से क्रियाशील नहीं थी। लंबे समय से क्रियाशील न रहने के कारण, इनमें से कुछ उपकरण अनुपयोगी हो गये तथा हाल ही में खरीदे गये उपकरण व्यापक रखरखाव वारंटी के लाभों से वंचित हो गये। इन अस्पतालों द्वारा रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति के प्रयास नहीं किये गये तथा अल्ट्रासाउंड सुविधा की अनुपस्थिति में रोगियों को अन्य अस्पतालों में भेजा गया। इसके अतिरिक्त, इन अस्पतालों में विद्यार्थी आवश्यक नैदानिक कौशल को सीखने से वंचित रहे। एसएचएमसी ने कहा कि मामलों को निदेशालय के संज्ञान में अगस्त 2016 में लाया गया है।

2.1.8.10 तिबिया अस्पताल में बिस्तरों का उपयोग न किया जाना

300 बिस्तर क्षमता वाला तिबिया अस्पताल वर्ष 2013-14 से सिर्फ 188 बिस्तरों के साथ अपने आंतरिक रोगी विभाग को चला रहा है। एक नये ओ पी डी ब्लॉक के निर्माण के लिये जगह बनाने हेतु, 112 बिस्तरों को दो पृथक



अप्रयुक्त बिस्तर

कमरों में इतनी खराब स्थिति में एकत्र किया गया था कि आवश्यकता होने पर भी उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। नये ओपीडी ब्लॉक का निर्माण जून 2016 में पूर्ण होने के बाद भी आईपीडी स्थान को 300 बिस्तरों के साथ ज्यों का त्यों बहाल करने के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई, क्योंकि इसने अप्रयुक्त बिस्तरों का संचालन नहीं किया तथा अक्टूबर 2017 तक संचालित बिस्तरों की संख्या सिर्फ 188 थी।

2.1.8.11 अप्रयुक्त आपरेशन थियेटर

सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी (होम्योपैथिक कॉलेजों तथा संबद्ध अस्पतालों के आवश्यक न्यूनतम मानक (एमएसआर)) विनियम 2013 तथा सेंट्रल काउंसिल ऑफ इण्डियन मेडिसिन (सीसीआईएम) विनियम 2012 के अनुसार, कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में पूर्णतया सज्जित तथा क्रियाशील आपरेशन थियेटर (ओटी) होना चाहिये।

एसएचएमसी के पास एक पूर्णतया सज्जित ओटी थी जिसका उपयोग वर्ष 2007 से एनास्थेतिस्ट तथा पूर्ण कालिक सर्जन न होने के कारण नहीं किया जा सका। एसएचएमसी ने ओटी को क्रियाशील बनाने के लिये एनास्थेतिस्ट तथा सर्जन की व्यवस्था/संविदा आधार पर करने के कोई प्रयास नहीं किये तथा इसके स्थान पर ओटी सुविधाओं को अनुपयोगी बना दिया। साथ ही संकाय सदस्यों की अनुपस्थिति में विद्यार्थियों को सर्जरी में नैदानिक प्रशिक्षण देने हेतु दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के सर्जरी विभाग में भेजा जाता है जो कि एसएचएमसी से करीब 11 किमी. दूर है।

सीबीपीएसीएस में वर्ष 2009-10 में निर्मित ओटी स्त्री रोग विशेषज्ञ की अनुपलब्धता के कारण 2015-16 से प्रयोग में नहीं थी।

तिबिया अस्पताल में अक्रियाशील ओटी के कारण वर्ष 2012-17 के दौरान मातृत्व वार्ड से 593 महिला रोगी तथा यूनानी, सर्जरी, इ एन टी तथा अन्य वार्ड से 232 रोगी अन्य अस्पतालों को स्थानांतरित कर दिये गये थे। तिबिया अस्पताल में स्त्री रोगियों तथा शल्य चिकित्सा के लिये आने वाले रोगियों के लिये सबसे आवश्यक घटक चिकित्सीय ऑक्सीजन 22 जुलाई 2016 से अगस्त 2017 तक उपलब्ध नहीं थी जो कि अस्पताल के कार्य संचालन तथा रोगी देखभाल में भारी चूक को इंगित करता है।

2.1.8.12 बुनियादी जीवन समर्थित प्रणाली के बगैर एम्बुलेंस

सीसीएच (एमएसआर) विनियम 2013 के अनुसार, कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में सभी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस होगी। एसएचएमसी में गंभीर रोगियों को रैफरल अस्पतालों में भेजने के लिये एम्बुलेंस नहीं थी। वर्ष 2004 में खरीदी गयी एम्बुलेंस सामान्यतः इस उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं की गयी क्योंकि एसएचएमसी ने इसे बुनियादी जीवन समर्थित प्रणाली जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, सायरन, इमरजेंसी लाइट इत्यादि से लैस नहीं किया था। त्रिबिया कॉलेज के पास एक एम्बुलेंस थी जो कि बिना किसी प्रयोग के फरवरी 2014 से अस्पताल परिसर में खड़ी थी। एसएचएमसी ने अपने उत्तर में कहा कि दो कैट (सेंट्रलाइज्ड एम्बुलेंस तथा ट्रामा सर्विसेज) एम्बुलेंस अक्टूबर 2017 से इसके परिसर में खड़ी हुई हैं।

2.1.8.13 आयुष अस्पतालों में अप्रयुक्त उपकरण

सीबीपीएसीएस में पैथालॉजी टेस्ट के लिये लैब सुविधायें थी परंतु रीजेंट की खरीद न होने और/या लैब उपकरणों की मरम्मत न होने के कारण इसका प्रयोग नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 33.05 लाख की लागत के उपकरण निष्क्रिय पड़े थे तथा रोगी भी लैब सुविधाओं से वंचित रहे।

त्रिबिया अस्पताल ने ऑटोमैटिक बायोकेमेस्ट्री एनालाइजर का प्रयोग नहीं किया/मरम्मत नहीं करवाई, जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 13.64 लाख की कुल लागत से खरीदे गये अप्रयुक्त रीजेंट तथा केमिकल की उपयोग अवधि समाप्त हो गई।

2.1.8.14 उपचार की योगा तथा नैचुरोपैथी प्रणाली

योगा जीवनशैली से संबंधित बहुत सारी विकृतियों के उपचार तथा बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करता है। नैचुरोपैथी बीमारियों को दूर करने तथा स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिये शरीर से रोगजन्य पदार्थ को हटाने का एक प्राकृतिक प्रयास है। सीबीपीएसीएस के अतिरिक्त अन्य किसी भी आयुष अस्पताल में योगा तथा नैचुरोपैथी सुविधाएं नहीं थी। यद्यपि, आयुष निदेशालय, जीएनसीटीडी की वेबसाइट योगा तथा नैचुरोपैथी को अपनी उपलब्ध सेवाओं के रूप में दर्शा रही थी। त्रिबिया अस्पताल ने कहा कि यह सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। त्रिबिया अस्पताल का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि सीसीआईएम विनियम 2012 के अनुसार प्रत्येक आयुष अस्पताल में स्वास्थ्यवृत्त तथा योगा विभाग अनिवार्य विभाग होंगे। एसएचएमसी ने कहा कि

सीसीआरवाईएन⁷ के अधिकारियों जिन्होंने एसएचएमसी का दौरा किया था (मई 2016) ने सूचित किया कि एसएचएमसी में सीसीआरवाईएन के प्रस्ताव के अनुसार पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, आयुष निदेशालय जिसे योगा एवं नैचुरोपैथी को प्रोत्साहित करना था, ने अपने अस्पतालों में इसके प्रोत्साहन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की।

2.1.8.15 संक्रमण नियंत्रण समिति

डीजीएचएस अस्पताल नियमावली के अनुसार, प्रत्येक अस्पताल में एक संक्रमण नियंत्रण समिति होनी चाहिये जो कि अस्पताल के अंदर संक्रमण के नियंत्रण की रोकथाम तथा नियंत्रण की देखरेख तथा नैदानिक तथा शल्य चिकित्सा प्रक्रिया, जोखिमपूर्ण उपकरणों को कीटाणुरहित तथा असंक्रमित करने की प्रक्रिया इत्यादि की निगरानी कर सके। यह नैदानिक विभाग तथा माइक्रोबायोलॉजिस्ट के मध्य समन्वय के रूप में भी कार्य करता है। यद्यपि एसएचएमसी तथा सीबीपीएसीएस में ऐसी समिति थी, तिबिया कॉलेज जिसने वर्ष 2012-17 के दौरान 26,406 रोगियों को अपने आंतरिक रोगी विभाग में प्रवेश दिया था, में इस प्रकार की कोई समिति नहीं थी। अस्पताल के अंदर संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये निरीक्षण मापन में निर्धारित तंत्र की अनुपस्थिति का अर्थ है कि अस्पताल में संक्रमण सुरक्षित वातावरण को सुनिश्चित करने में जोखिम हो सकता है। तिबिया अस्पताल ने संक्रमण नियंत्रण समिति की अनुपस्थिति को स्वीकार किया।

2.1.8.16 अस्पतालों में स्थित बिस्तरों की तुलना में रोगियों की कम संख्या

31 मार्च 2017 को रोगियों के उपचार हेतु तिबिया अस्पताल तथा एसएचएमसी के आईपीडी में क्रमशः 300 तथा 50 की बिस्तर क्षमता थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2012-17 के दौरान बिस्तर क्षमता के अनुपात में रोगियों की संख्या अत्यंत कम थी जैसा कि तालिका 2.1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.5: अस्पतालों में स्थित बिस्तरों की तुलना में भर्ती रोगियों की संख्या

वर्ष	उपलब्ध बिस्तरों की संख्या		भरे हुये बिस्तरों की संख्या		भरे हुये बिस्तरों की प्रतिशतता	
	ए एंड यू तिबिया (365x300)	एसएचएमसी (365x50)	ए एंड यू तिबिया	एसएचएमसी	ए एंड यू तिबिया	एसएचएमसी
2012-13	1,09,500	18,250	35,190	4,135	32	23
2013-14	1,09,500	18,250	37,384	4,497	34	25

⁷ योगा तथा नैचुरोपैथी में अनुसंधान के लिये सेंट्रल काउंसिल

2014-15	1,09,500	18,250	35,023	4,654	32	26
2015-16	1,09,500	18,250	38,050	3,422	35	19
2016-17	1,09,500	18,250	34,301	2,502	31	14

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, तिबिया अस्पताल में स्थित बिस्तरों की तुलना में भर्ती रोगियों का विस्तार 31 से 35 प्रतिशत था जबकि एसएचएमसी में यह 14 से 26 प्रतिशत था। यह स्पष्ट था कि अस्पताल में विद्यमान अवसंरचना का अनुकूलतम उपयोग नहीं हो रहा था। अस्पताल प्रशासन ने अपने अस्पतालों में आई पी डी सुविधाओं के कम उपयोग के कारणों का निर्धारण नहीं किया। इन दोनों अस्पतालों में संबंधित सुविधाओं जैसा कि पैराग्राफ सं. 2.1.7.1, 2.1.8.5, 2.1.8.9 तथा 2.1.8.11 में इंगित अक्रियाशील ऑपरेशन थियेटर, अल्ट्रासाउंड सुविधायें, स्टॉफ की कमी तथा अत्याहत वार्ड की अनुपस्थिति तथा तिबिया में ऑक्सीजन सुविधा की गैर आपूर्ति आईपीडी सुविधाओं को पूर्ण रूप से उपयोग न करने का एक कारण हो सकता है।

एसएचएमसी ने कहा (अक्टूबर 2017) कि सीसीएच नियम के अनुसार 60 विद्यार्थी क्षमता वाले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में आईपीडी में सिर्फ 20 बिस्तरों की आवश्यकता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यदि 50 विद्यार्थी क्षमता वाले होम्योपैथिक कॉलेज में आवश्यक बेड क्षमता सिर्फ 20 की है तो एसएचएमसी क्यों 30 बिस्तरों के आधिक्य के साथ-साथ संबद्ध अवसंरचना, संसाधनों, शिक्षकों की स्टॉफ क्षमता, डॉक्टर, पराचिकित्सीय तथा अन्य स्टॉफ के साथ वर्ष 2013 से कार्य कर रहा है, जोकि एसएचएमसी में उपलब्ध अधिक अवसंरचना सुविधाओं के अनुचित प्रयोग को दर्शाता है।

2.1.8.17 बीएएमएस, बीयूएमएस तथा बीएचएमएस विषयों में खाली सीटे

एसएचएमसी तथा सीबीपीएसीएस में (बीएएमएस, बीयूएमएस तथा बीएचएमएस) विषयों में प्रवेश आई पी विश्वविद्यालय द्वारा तथा तिबिया कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। तीन चयनित अस्पतालों में बीएचएमएस, बीएएमएस तथा बीयूएमएस⁸ विषयों में विद्यार्थियों की सलाना संस्वीकृत भरती क्षमता तथा 2012-17 के दौरान वास्तविक प्रवेश तालिका 2.1.6. में दिये गये हैं।

⁸ बीएचएमएस - होम्योपैथिक औषधि एवं शल्य चिकित्सा में स्नातक, बीयूएमएस - यूनानी औषधि एवं शल्य चिकित्सा में स्नातक, बीएएमएस - आर्युवेदिक औषधि एवं शल्य चिकित्सा में स्नातक

तालिका 2.1.6: उपलब्ध तथा खाली सीटों का विवरण

मार्च के अंत में समाप्त वर्ष	संस्वीकृत/उपलब्ध सीटों की संख्या				प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या				रिक्तियां
	बीएएमएस		बीयूएमएस	बीएचएमएस	बीएएमएस		बीयूएमएस	बीएचएमएस	
	सीबीपीएस	तिबिया	तिबिया	एसएचएमसी	सीबीपीएस	तिबिया	तिबिया	एसएचएमसी	
2013	100	44	44	50	97	41	35	40	25
2014	100	44	44	50	92	41	36	40	29
2015	100	44	44	50	97	41	35	34	31
2016	100	44	44	50	97	41	37	37	26
2017	100	64	64	50	93	61	50	38	36

तालिका प्रदर्शित करती है कि तीन स्नातक विषयों के अंतर्गत 2012-17 के दौरान लगभग 10 से 13 प्रतिशत सीटे वार्षिक रूप से रिक्त रह गईं। विभाग को इस मामले को देखना चाहिए तथा उपलब्ध सीटों को पूरी तरह से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय शीघ्रता से लेने चाहिए।

2.1.9 दवाईयों के प्रबंधन में विसंगतिया

2.1.9.1 औषधि स्टोर-आईएसएम और सीएचडीएस में आवश्यक दवाईयों की गैर-उपलब्धता

निदेशालय अपने औषधालयों को यूनानी, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथी दवाओं के केंद्रीय औषधि स्टोर के माध्यम से दवाईयों का वितरण करता है। जीएनसीटीडी द्वारा अंगीकृत आवश्यक औषधि सूची (ईडीएल) में 277 आयुर्वेदिक तथा 288 यूनानी दवाईयां होती हैं, जिन्हें अस्पतालों/औषधालयों में पूरे समय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना चाहिये परंतु पिछले पांच वर्षों (2012-17) के दौरान निदेशालय के दो केंद्रीय औषधि स्टोर में किसी भी समय ईडीएल में सूचीबद्ध दवाईयों के 40 प्रतिशत से अधिक दवाईयां नहीं पायी गयी। औषधि स्टोर ने इन वर्षों के दौरान 277 आयुर्वेदिक दवाईयों में से सिर्फ 110 तथा 288 यूनानी दवाईयों में से सिर्फ 99 दवाईयों की खरीद तथा आपूर्ति की। इसके अतिरिक्त, औषधि स्टोर में उपलब्ध दवाईयां भी लेखापरीक्षा हेतु चयनित तीन यूनानी तथा छः आयुर्वेदिक औषधालयों में वर्ष 2012-17 के दौरान 6 माह से एक वर्ष की अवधि तक उपलब्ध नहीं रही। निदेशालय ने उत्तर दिया कि नयी ईडीएल तैयार की जा रही है क्योंकि ईडीएल में सूचीबद्ध सभी प्रकार की दवाईयों की खरीद करना संभव नहीं है।

औषधालयों के लिये आवश्यक होम्योपैथिक दवाईयों के ईडीएल की सूची में 314 दवाईयां थी जिसमें 233 डाइल्यूशन थे जिन्हें चार भिन्न पोटेंसी में रखना था साथ ही दो पोटेंसी में 12 बायोकेमिक थे, इन सभी को मिलाकर दवाईयों की कुल संख्या 1,025 थी परंतु 43 प्रतिशत 5 वर्ष से अधिक अवधि

के लिये उपलब्ध नहीं थी। मांगी गयी दवाईयों के बड़े हिस्से की आपूर्ति नहीं की गयी थी जिसके कारण केंद्रीय होम्योपैथिक औषधि स्टोर (सीएचडीएस) में दवाईयों की कमी हो गयी थी। निदेशालय ने उत्तर दिया कि होम्योपैथिक उपचार हेतु ईडीएल को निदेशालय की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा संशोधित कर दिया गया है परंतु लेखापरीक्षा ने पाया कि संशोधित ईडीएल सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की गयी है तथा अनुमोदन अभी भी प्रक्रियाधीन है। निदेशालय द्वारा औषधालयों के लिये आवश्यक दवाईयों की खरीद तथा आपूर्ति में असफलता से ईडीएल को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य समाप्त हो गया साथ ही रोगियों को प्रभावी रूप से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की औषधालय की क्षमता के साथ भी समझौता किया गया।

2.1.9.2 दवाईयों को जारी करने तथा प्राप्त करने में विसंगतियां

केंद्रीय औषधि स्टोर तथा चयनित आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालयों के स्टॉक रजिस्ट्रों की नमूना जाँच में केंद्रीय औषधि स्टोर से जारी की गई दवाईयों की मात्रा तथा औषधालय में प्राप्त मात्रा में विसंगतिया पायी गई।

वर्ष 2012-17 के दौरान निदेशालय के सेंट्रल ड्रग स्टोर से जारी की गई ₹ 6.75 लाख की आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयां औषधालयों के रिकार्ड में नहीं पायी गई। चयनित आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालयों में ₹ 1.34 लाख मूल्य की दवाईयां प्राप्त की गई परंतु यह केंद्रीय ड्रग स्टोर अर्थात् जारी किये गये रिकार्ड में नहीं पायी गई। इसके अतिरिक्त, औषधालयों, रोगी, दवाईयों तथा मात्रा के संबंध में कोई डाटा/अभिलेख नहीं तैयार किये गये थे। जिसकी अनुपस्थिति में, रोगियों को दवाईयों के वितरण की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। निदेशालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017) निदेशालय ने इसका पता लगाने के लिये तथा इन विसंगतियों के लिये जिम्मेदार कर्मचारी की जबाबदेही तय करने हेतु कोई जाँच नहीं की क्योंकि यह दवाईयों की गलत प्रविष्टि के कारण भी हो सकता है।

2.1.9.3 खुली दवाईयों का वितरण

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ईडीएल (आयुर्वेद) नियमावली खुली दवाईयों के वितरण को हतोत्साहित करता है तथा रोगी की साप्ताहिक आवश्यकता के आधार पर दवाईयों के एक मानक पैक आकार की खरीद की सलाह देता है क्योंकि दवाईयों में लवण की उपस्थिति के कारण लिफाफे में वितरित दवाईयों की गुणवत्ता दूषित हो जाती है तथा वातावरण में नमी के कारण बड़े कंटेनर की दवाईयां भी खराब हो जाती है। कई संस्थान जैसे सीजीएचएस तथा एसआई अस्पताल भी रोगियों के वितरण के लिये मानक पैक साइज की

खरीद करते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि दवाईयां जैसे कि आसव/अरिस्ता, अवलेह/पाक, चूर्ण, गुग्गल, वटी तथा गुटिका, घृत, भस्म आदि की बड़ी मात्रा में खरीद की जाती है तथा आयुर्वेदिक औषधालयों द्वारा इसे छोटे-छोटे कागज के लिफाफों में रोगियों को दिया जाता है जो कि ना तो नमी से सुरक्षित है ना ही ले जाने हेतु स्वास्थ्यकर/शुद्ध है जिसके परिणाम स्वरूप मूल्यवान दवाईयों की बर्बादी होती है। रोगियों ने भी कागज के लिफाफों में खुली दवाईयों के वितरण से दवाईयों के खराब होने विशेषकर बरसात के मौसम में, की शिकायत आयुष निदेशालय में दर्ज कराई है। निदेशालय ने उत्तर दिया कि बड़े पैक में दवाईयों की खरीद लागत प्रभावी थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दवाईयों का वितरण ईडीएल दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिये।

2.1.9.4 पर्याप्त जीवन काल तथा दूसरे गुणवत्ता मुद्दों के बगैर दवाईयों की खरीद

आयुष निदेशालय की खरीद नीति के अनुसार आपूर्ति के समय दवाईयों का कम से कम 60 प्रतिशत जीवनकाल बकाया होना चाहिये परंतु आयुष निदेशालय ने खरीद नीति के विरुद्ध वर्ष 2012-17 के दौरान ₹ 7.02 लाख मूल्य की आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयां खरीदी जिनका सिर्फ 25 से 58 प्रतिशत तक ही जीवनकाल बकाया था (परिशिष्ट 2.1.1) इसी प्रकार समय से पूर्व गर्भावस्था की जाँच के लिये खरीदे गये 1,600 ह्यूमन कोरिओनिक गोनाडोट्रोपिन (एचसीजी) कार्ड ने भी बिना प्रयुक्त हुये अपना जीवन काल अप्रैल 2016 में पूरा कर लिया क्योंकि इनकी खरीद कुल 18 माह के जीवनकाल में से सिर्फ 10 माह की बकाया जीवनकाल के साथ की गई थी, यह खरीद प्रक्रिया में लापरवाही को दर्शाता है। निदेशालय ने 8 फरवरी 2018 को अपने उत्तर में कहा कि “आपूर्ति के समय कम से कम 60 प्रतिशत बकाया जीवनकाल” का क्लॉज करार में वित्तीय वर्ष 2017-18 से सम्मिलित किया गया है।

2012-17 के दौरान निदेशालय, तिबिया अस्पताल तथा सीबीपीएसीएस ने क्रमशः ₹ 35.36 करोड़, ₹ 42.59 करोड़ तथा ₹ 14.88 करोड़ की आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयां आपूर्तिकर्ता द्वारा दिये गये औषधि जाँच रिपोर्ट के आधार पर ही खरीदी। एसएचएमसी भी अपने द्वारा खरीदी गई होम्योपैथिक औषधियों के मामले में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई औषधि जाँच रिपोर्ट पर विश्वास कर रहा था। सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं के माध्यम से परीक्षण के लिए निदेशालय के ड्रग्स कंट्रोल सैल द्वारा दवाओं की आपूर्ति से नमूनों के यादृच्छिक चयन का एक तंत्र विभाग द्वारा निर्धारित किया गया

था तथा निदेशालय ने 2012-17 के दौरान यादृच्छिक रूप से 933 नमूनों का चयन किया जबकि होम्योपैथिक दवाओं के मामले में दवाओं का बैचवार एवं उप-बैचवार जाँच हेतु प्रावधान है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि निदेशालय आयुर्वेदिक और यूनानी दवाईयों के मामलों में खरीद के लिए एक समान गुणवत्ता तंत्र लगाने का विचार कर सकता है।

2.1.9.5 ₹ 47.06 करोड़ मूल्य की दवाईयों की खरीद

आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयों में क्लासिकल तथा पेटेंट/प्रोप्राइटरी दवाईयां समाविष्ट है। आरटीआई अपील दिनांक 22 अगस्त 2012 में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की प्रतिक्रिया दर्शाती है कि केंद्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत प्राप्त निधियों से आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयां एक केंद्रीय क्षेत्र उद्यम मेसर्स आईएमपीसीएल⁹ या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) जिनके पास आयुष दवाईयों के उत्पादन के लिए स्वयं का प्रबंध हो, से खरीदी जानी थी। यह भी कहा गया कि आयुष औषधियों तथा दवाईयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए दवाईयों की खरीद लोन लाइसेंसी उत्पादनकर्ता से नहीं की जानी थी। आईएमपीसीएल के मूल्यों को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी उचित प्रकार से जांचा गया था। आयुष निदेशालय, जीएनसीटीडी ने केंद्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत प्राप्त निधियों से आयुष औषधियों तथा दवाईयों की खरीद आईएमपीसीएल से की।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयों की खरीद के लिए 2008 में अनुमोदित निदेशालय की खरीद नीति के अनुसार जीएनसीटीडी निधियों से खरीदी जाने वाली क्लासिकल आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयों को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार मेसर्स आईएमपीसीएल से सीधे खरीदना था, जबकि पेटेंट आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयों को खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा खरीदना था। निदेशालय, तिबिया कॉलेज तथा सीबीपीएसीएस ने उपरोक्त नीति का पालन किए बगैर 2012-17 के दौरान एक साथ जीएनसीटीडी निधियों से ₹ 47.06 करोड़¹⁰ (₹ 32.87 करोड़ की क्लासिकल दवाईयां तथा ₹ 14.19 करोड़ की पेटेंट/प्रोप्राइटरी दवाईयां) की

⁹ इण्डियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयों के उत्पादनकर्ता

¹⁰ ₹ 47.06 करोड़ = आईएसएम ₹ 22.25 करोड़, सीबीपीएसीएस ₹ 0.56 करोड़ तथा तिबिया कॉलेज ₹ 24.25 करोड़

क्लासिकल तथा पेटेंट/प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयां खरीदी। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित विसंगतियां पाई:

(क) विभागीय खरीद नीति के उल्लंघन में क्लासिकल आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयां आईएमपीसीएल से नहीं खरीदी गई तथा पेटेंट/प्रोप्राइटरी दवाईयां खुली निविदा द्वारा नहीं खरीदी गई।

(ख) इसके स्थान पर, यह दवाईयां केंद्रीय पीएसई अर्थात् हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड (एचएलएल), कर्नाटका एंटीबायोटिक तथा फर्मास्यूटिकल लिमिटेड (केएपीएल), तथा राजस्थान ड्रग तथा फर्मास्यूटिकल लिमिटेड (आरडीपीएल) से सीधे मूल्य सूची मंगाकर खरीदी गई। उनके द्वारा दिये गए दवाओं के अनुसार दिये गये न्यूनतम दरों के आधार पर इन कंपनियों के मध्य खरीद आदेश जारी किये गये। यह खरीद प्रक्रिया ना तो खुली निविदा थी ना ही सीमित निविदा थी।

आयुष निदेशालय, जीएनसीटीडी ने उत्तर दिया (16 जनवरी 2018) कि ये सभी तीन कंपनिया भी पीएसई थी तथा जानने वाली एवं सर्वोत्तम स्रोत थी तथा जी एफ आर के अनुसार वे सीमित निविदा आमंत्रित कर सकते थे तथा उन्होंने पीएसई के लिये निर्णय लिया तथा न्यूनतम प्रस्तावित दर स्वीकार किये गये क्योंकि निजी कंपनियों की दवाईयों की गुणवत्ता खराब थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मेसर्स एचएलएल, केएपीएल तथा आरडीपीएल यद्यपि केंद्रीय पीएसई हैं फिर भी वे लोन लाइसेंसी उत्पादनकर्ता है जिसका तात्पर्य है कि उनके पास आयुष दवाईयों के उत्पादन के लिये स्वयं का कोई प्रबंध नहीं है तथा वह अन्य के द्वारा उत्पादित दवाईयों के आपूर्तिकर्ता है। इसलिए यह पीएसई आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिनांक 22 अगस्त 2012 को जारी सूचना, सीवीसी दिशानिर्देश, तथा जीएनसीटीडी द्वारा अनुमोदित खरीद नीति 2008 के तहत आयुष दवाईयों की खरीद के योग्य नहीं है।

2.1.10 निदेशालय के अधीन स्वायत्त निकायों के क्रियाकलाप

2.1.10.1 दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद

दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद (डीबीसीपी) की स्थापना जनवरी 2001 में चिकित्सा की भारतीय प्रणाली के चिकित्सकों के पंजीकरण, चिकित्सकों के लाइव रजिस्ट्रों के रखरखाव, चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा अयोग्य व्यक्तियों द्वारा भारतीय चिकित्सा में की जा रही प्रैक्टिस की जाँच करने के लिये की गई थी। 21 सदस्यीय डीबीसीपी का मुखिया अध्यक्ष होता

है तथा इसकी सहायता एक रजिस्ट्रार द्वारा की जाती है जो कि डीबीसीपी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। लेखापरीक्षा ने डीबीसीपी की कार्यप्रणाली में निम्नलिखित अनियमिततायें पायीं।

(i) रजिस्ट्रार तथा अन्य स्टाफ के पदों के लिये भर्ती नियम (आरआर) का मसौदा निदेशक (आईएसएम एंड एच) के पास मई 2010 से अनुमोदन हेतु लंबित है। डीबीसीपी द्वारा निविदा आधार पर अध्यक्ष के व्यक्तिगत सचिव (पीएस) तथा सात अन्य कार्मिकों की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् दिल्ली के उप राज्यपाल के अनुमोदन के बगैर की गई थी, जो कि निदेशालय के पूर्ण संज्ञान में थी।

(ii) अध्यक्ष के पीएस को त्रिबिया कॉलेज में प्रवेश लेने के लिये अपनी मार्कशीट में प्रारंभिक तौर पर जालसाजी में सम्मिलित पाया गया जिसके लिये उसके विरुद्ध एक एफआईआर भी दर्ज करायी गयी थी। तत्पश्चात्, उसकी पृष्ठभूमि की जाँच पूरी किये बगैर उसे जाली मार्कशीट के आधार पर निविदा आधार पर पीएस की नौकरी दे दी गई। डीबीसीपी ने अध्यक्ष के पीएस को बगैर किसी कार्रवाई के छोड़ दिया जैसा कि जीएनसीटीडी ने निर्णय लिया था। जीएनसीटीडी ने डीबीसीपी को जुलाई 2015 में भंग कर दिया परंतु डीबीसीपी अधिनियम के अनुसार भंग करने के छः माह के अंदर ही नये डीबीसीपी का गठन नहीं किया गया। भंग होने के पश्चात् इसकी ₹ 22.05 लाख की चल संपत्तियाँ जो अप्रयुक्त रही जैसे कि कम्प्यूटर, लैपटाप, फोटोकॉपी मशीन, एयर कंडिशनर, फर्नीचर तथा फिक्सर आदि को सुरक्षित रखने के लिये निदेशालय द्वारा पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये। मार्च 2013 के पश्चात् उनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ तथा अप्रैल 2015 से अभिलेख जैसे कि प्राप्त एवं व्यय की कैशबुक तथा लेजर नहीं बनाये गये थे। तथ्यों को सुनिश्चित करने के दौरान डीबीसीपी ने उत्तर दिया कि पुर्नगठन के पश्चात् यह अपने पंजीकृत कार्यालय से कार्य करेगा।

2.1.10.2 भारतीय चिकित्सा में पराचिकित्सीय प्रशिक्षण हेतु इक्जामिनिंग बॉडी

दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद (डीबीसीपी) अधिनियम, 1998 के सेक्शन 33 के प्रावधानों के अंतर्गत जीएनसीटीडी द्वारा एक इक्जामिनिंग बॉडी (ईबी) की स्थापना (मार्च 2011) भारतीय चिकित्सा के संदर्भ में अध्ययन के विषयों तथा प्रशिक्षण के निर्धारण तथा फार्मासिस्टों, तकनीशियनों तथा नर्सिंग विषयों के लिये अर्हता परीक्षा कराने के लिये की गई। लेखापरीक्षा ने ईबी के क्रियाकलाप में निम्नलिखित विसंगतियाँ पाईं:

(i) ईबी ने अपने एक सदस्य की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बगैर जून 2011 में ईबी के सचिव के रूप में की। गलत प्रस्तुतीकरण/तथ्यों को छुपाने के आधार पर ईबी ने नियुक्त सचिव की सेवाओं को अक्टूबर 2013 में समाप्त कर दिया। ईबी ने सेवा समाप्त किये गये सचिव द्वारा फाइल किये गये केस को लड़ने के लिये जीएनसीटीडी की अनुमति प्राप्त किये बगैर एक वकील की सेवायें ली। इस सेवा समाप्त किये गये सचिव को बाद में 17 मार्च 2016 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा ईबी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त, इस नियुक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप राज्यपाल द्वारा अनुमोदन प्राप्त किये जाने का कोई साक्ष्य फाइलों में नहीं था।

(ii) पैटर्न ऑफ असिस्टेंस के अनुसार, प्रथम सहायता अनुदान (जीआईए) जारी करने की तिथि से, 3-5 वर्षों की अवधि के अंदर ईबी को स्वयं पोषित आधार पर कार्य करने के लिये अपने संसाधनों को बढ़ाना था। हालांकि, ईबी ने अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। इसका गठन होने के पश्चात अभी तक इसने ₹ 34.70 लाख का सहायता अनुदान प्राप्त किया है, परंतु इसने अपने किसी भी अधिसूचित कार्यों जैसे कि भारतीय चिकित्सा के संदर्भ में फार्मासिस्ट, तकनीशियनों तथा नर्सिंग विषयों के लिये अध्ययन के विषयों का निर्धारण तथा प्रशिक्षण एवं अर्हता परीक्षा आयोजित करवाना आदि को नहीं करवाया।

(iii) पदों के सृजन एवं उनके सेवा शर्तों के लिये योजना एवं वित्त विभाग के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। हालांकि ईबी ने सात आकस्मिक पदों की भर्ती बगैर पारदर्शी प्रक्रिया 'सभी योग्य अभ्यर्थियों के लिये खुला' का पालन किये बगैर की तथा उनके वेतन भी तदर्थ आधार पर निर्धारित कर दिये। इस प्रकार ईबी ने 2012-17 के दौरान वेतन पर ₹ 17.15 लाख का अनियमित व्यय किया।

2.1.10.3 बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन

बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दिल्ली (बोर्ड) की स्थापना दिल्ली होम्योपैथिक अधिनियम, 1956 के सेक्शन III के अंतर्गत की गई। बोर्ड के मुख्य कार्य थे- दिल्ली सरकार में होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के चिकित्सकों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण; होम्योपैथी के विभिन्न जाली संस्थानों/नीम हकीमों के विरुद्ध कार्रवाई करना; संबद्धता हेतु दिल्ली में या दिल्ली के बाहर के होम्योपैथिक शिक्षण संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों की पहचान करना, स्थापित करना और/या सहायता देना। आयुष निदेशालय ने

इस शर्त के साथ बोर्ड को सहायता अनुदान जारी किया कि बोर्ड प्रशासन या वित्त विभाग की अनुमति के बगैर कोई ऐसा कार्य या गतिविधि नहीं करेगा जो अतिरिक्त वित्तीय उत्तरदायित्व को बढ़ाता हो। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित विसंगतियों को पाया:

(i) अधिनियम के अनुसार, रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिये बोर्ड को राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता होती है। हालांकि, बोर्ड ने रजिस्ट्रार को सरकार के अनुमोदन के बगैर 2009 में ग्रेड II असिस्टेंट से पदोन्नति दे कर नियुक्त किया। बोर्ड ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर मंजूरी लेने के लिये कार्रवाई की जायेगी।

(ii) कार्यालय के सदस्यों का कार्यकाल सदस्य के नामांकन या चुनाव की तिथि से तीन वर्ष तक होगा। उसके पश्चात, राज्य सरकार इस कार्यकाल को समय-समय पर अवधियों में परंतु कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकती है। वर्तमान बोर्ड की स्थापना अक्टूबर 2012 में हुई थी तथा इसका कार्यकाल अक्टूबर 2015 में समाप्त हो गया था। उप राज्यपाल ने वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल को अक्टूबर 2016 या चुनाव के द्वारा बोर्ड के पुर्नगठन, जो भी पहले हो तक के लिये कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की (जनवरी 2017) हालांकि, जीएनसीटीडी ने ना तो इस अवधि के दौरान चुनाव करवाये ना ही उप राज्यपाल से इसका समय विस्तार करवाया।

(iii) यद्यपि अधिनियम या नियमावली में अनंतिम संबद्धता के लिये कोई प्रावधान नहीं था, बोर्ड ने फार्मसी कोर्स चलाने के लिये आठ संस्थानों को अनंतिम संबद्धता (अगस्त 2016) इस शर्त के साथ प्रदान की कि इन संस्थानों में अवसंरचना तथा शैक्षणिक स्टाँफ को अनुमोदित आवश्यकताओं के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। यह देखा गया कि सरकार का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त संबद्धता देने से पहले, बोर्ड को होम्योपैथी फार्मसी कोर्स विनियम, 2015 में डिप्लोमा के अनुसार इन संस्थानों का निरीक्षण करवाना था। बोर्ड ने हालांकि इन आठ संस्थानों में से तीन¹¹ का निरीक्षण नहीं करवाया था। अनंतिम संबद्धता जारी करने के पश्चात, बोर्ड को पुनः जाँच करनी थी कि क्या इन संस्थानों में आवश्यक अवसंरचना तथा शैक्षणिक स्टाँफ है लेकिन सात¹² मामलों में यह नहीं किया गया था। सात में से तीन संस्थान दिल्ली के थे।

¹¹ एस.के.एच. मेडिकल कॉलेज, महाराष्ट्र, जी.डी. मेमोरियल ट्रस्ट, पटना तथा श्री राज बहादुर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट, इलाहाबाद

¹² ब्रेथवेल मेडीकेयर इंडिया (होम्योपैथिक फार्मसी कॉलेज), शकरपुर, दिल्ली; श्रीमती ईश्वरी देवी एजुकेशनल एण्ड कल्चरल सोसाइटी (होम्योपैथिक फार्मसी कॉलेज), शास्त्री नगर, दिल्ली; जे.आर. किशन कॉलेज ऑफ फार्मसी एण्ड हेल्थ साइंस, रोहतक, हरियाणा; नीडी पीपल वेलफेयर सोसाइटी, रोहिणी, दिल्ली; एस.के.एच. मेडिकल कॉलेज, महाराष्ट्र; जी.डी. मेमोरियल ट्रस्ट, पटना तथा श्री राज बहादुर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट, इलाहाबाद

बोर्ड ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि वह दिल्ली से बाहर के चार संस्थानों को दी गई अनंतिम संबद्धता को वापस ले लेगा।

(iv) एनसीटीडी में ज्यादा प्रभावी तथा नीम हकीमों के विरुद्ध कार्रवाई करने के उद्देश्य से, डीएचएस, जीएनसीटीडी ने आम जागरूकता फैलाने के लिये नीम हकीमों के विरुद्ध सूचनाओं के प्रचार तथा जन प्रसार के लिये वार्षिक योजना तैयार करने के लिये संबंधित काउंसिल¹³ को निर्देश दिये (2014)। इसके अतिरिक्त, संबंधित काउंसिलों को नीम-हकीमों के संबंध में सभी सर्वेक्षण तथा मैपिंग करनी थी तत्पश्चात इसका डाटाबेस भी तैयार करना था। बोर्ड द्वारा ना तो ऐसी कोई वार्षिक योजना तैयार की गई ना ही नीम हकीमों के संदर्भ में कोई सर्वेक्षण या मैपिंग की गई। बोर्ड ने कहा (अगस्त 2017) कि संसाधनों की कमी के कारण सिर्फ शिकायत प्राप्त होने पर ही अनाधिकृत चिकित्सकों/नीम-हकीमों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और वह इस उद्देश्य के लिये निदेशालय को निधियां जारी करने के लिये प्रार्थना करेगा।

2.1.10.4 चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान

जीएनसीटीडी की वित्तीय सहायता से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त निकाय सीबीपीएसीएस की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। इसे राजधानी में राष्ट्रीय संसाधन सुविधा के तहत एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य दवाइयों की आयुर्वेदिक प्रणाली में रोगियों को उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक तथा प्रबंधन सुविधायें उपलब्ध कराना था तथा आर्युवेद में स्नातक तथा परास्नातक कोर्स करवाना था। सीबीपीएसीएस की कार्यप्रणाली में निम्नलिखित अनियमितायें पायी गईं:

(i) पैटर्न ऑफ असिस्टेंस के अनुसार, जीएनसीटीडी को सीबीपीएसीएस के आय तथा व्यय के मध्य के अंतर को दूर करने के लिये सहायता अनुदान उपलब्ध कराना था। 31 मार्च 2016 को सीबीपीएसीएस के सावधि जमा खाते में ₹28.70 करोड़ की राशि थी। इसका तात्पर्य पैटर्न ऑफ असिस्टेंस के प्रावधानों के विरुद्ध सरकार द्वारा आधिक्य में जारी किया गया अनुदान था।

(ii) अनुमोदित भर्ती नियम (आरआर) के अनुसार (मार्च 2013), निदेशक - प्रधानाचार्य के पद को 20 वर्षों का अनुभव रखने वाले एक आयुर्वेद विशेषज्ञ द्वारा सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाना था। अक्टूबर 2015 से यहां पर कोई नियमित निदेशक प्रधानाचार्य नहीं था तथा निदेशक (आयुष)

¹³ दिल्ली मेडिकल काउंसिल, दिल्ली भारती चिकित्सा परिषद, बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, फिजियोथैरेपी तथा आक्यूपेशनल थेरेपी की दिल्ली काउंसिल, दिल्ली डेंटल काउंसिल

के पास अस्पताल का प्रभार था। हालांकि, कॉलेज तथा अस्पताल को सुचारु रूप से चलाने के लिये जीएनसीटीडी द्वारा निदेशक - प्रधानाचार्य के पद को नियमित आधार पर भरने के लिये कोई प्रयास नहीं किये गए।

(iii) एंबुलेंस सेवा प्रदान करने के लिये सीबीपीएसीएस ने एक वर्ष की अवधि के लिये एंबुलेंस को किराये पर लेने के लिये सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बगैर एक एजेंसी के साथ अनुबंध किया (अगस्त 2012)। एंबुलेंस को अधिकतर परियोजना निदेशक तथा सीबीपीएसीएस के स्टॉफ को घर से लाने तथा छोड़ने के लिये प्रयोग किया गया। जीएनसीटीडी की कैट्स एंबुलेंस निशुल्क उपलब्ध होने के कारण एंबुलेंस को किराये पर लेने पर निदेशालय द्वारा आपत्ति जताने पर (फरवरी 2013) इसे रोक दिया गया। अगस्त 2012 से जुलाई 2013 के दौरान इस पर ₹ 5.92 लाख का व्यय किया गया जो कि अनियमित था तथा एंबुलेंस को अनियमित रूप से किराये पर लेने एवं इसे स्टॉफ वाहन के रूप में प्रयोग करने के लिये सीबीपीएसीएस प्रशासन की जबावदेही तय नहीं की गई।

(iv) लेखापरीक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी द्वारा करवाई गई विशेष लेखापरीक्षा में (मार्च 2016) कर्मचारियों से ₹ 1.93 करोड़ के अधिक भुगतान तथा नैदानिक रजिस्ट्रार तथा वरिष्ठ रेजीडेंट डॉक्टर को ₹ 2.08 करोड़ के अनियमित भुगतान की वसूली को इंगित किया गया। सीबीपीएसीएस को निर्देशित किया गया कि उचित निर्णय लेने के लिये वह रिपोर्ट को वित्त समिति के साथ-साथ शासी परिषद में रखे। हालांकि, एक वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी, अगस्त 2017 तक अधिक भुगतान/अनियमित भुगतान की वसूली या रिपोर्ट को शासी परिषद/वित्त समिति में रखने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(v) जीएनसीटीडी के निर्देशों के अनुसार, संविदात्मक आधार पर कर्मचारी की नियुक्ति सिर्फ एक वर्ष के लिये होनी चाहिये तथा एक वर्ष पूर्ण होने पर यह स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। वेतनमान के संबंध में यदि कर्मचारी किसी वेतनमान में नियुक्त है उनका प्रारंभिक वेतन वेतनमान का न्यूनतम होगा तथा वह सेवा में किसी वेतन वृद्धि या प्रोन्नति या नियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होगा। सीबीपीएसीएस ने 2010 में संविदा आधार पर 58 कर्मचारियों की नियुक्ति की एवं नियमित विस्तार देते हुए उन्हें लगातार सेवा में बनाए रखा। सीबीपीएसीएस द्वारा सरकार से अनुमोदन ना तो नियुक्ति के समय ना ही विस्तार के समय लिया गया। इस प्रकार संविदा आधार पर 58

कर्मचारियों की नियुक्ति प्रारंभ से ही अनियमित थी। इन संविदा कर्मचारियों को सरकारी निर्देशों के विरुद्ध वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी गई।

(vi) सीबीपीएसीएस के मेमोरेण्डम ऑफ एसोशियेशन (एमओए) के अनुसार, वित्त से संबंधित मामलों में शासी परिषद की सहायता के लिये एक वित्त समिति, नैदानिक एवं अनुसंधान कार्य के लिये एक वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति तथा सीबीपीएसीएस के शिक्षण से संबंधित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये एक शैक्षणिक समिति होनी चाहिये। यद्यपि वित्त समिति फरवरी 2014 में स्थापित की गई थी, अन्य समितियाँ अगस्त 2017 तक भी स्थापित नहीं की गई थी। वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति का कार्य अनुसंधान कार्य को सुगम बनाना था तथा संस्थान में वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यक्रमों को विकसित करना था जबकि शैक्षणिक समिति को राष्ट्रीय तथा जननीति को ध्यान में रखते हुये संस्थान के एम ओ ए के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कदम उठाने थे। वैज्ञानिक परामर्शदात्री तथा शैक्षणिक समितियों की अनुपस्थिति प्रदर्शित करती है कि सीबीपीएसीएस अपने उद्देश्यों को सक्रियता से पूरा नहीं कर रहा था।

(vii) सीबीपीएसीएस प्रशासन अस्पताल की कुछ सुविधाओं को रोगियों/विद्यार्थियों के लिये प्रयोग नहीं कर रहे थे। मानव शरीर की शरीर रचना के अध्ययन के लिये बनाया गया शवगृह दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा प्रयोग किया जा रहा था। भवन में उपलब्ध 12 लिफ्ट में से सिर्फ चार क्रियाशील थी। रखरखाव के अभाव के कारण अस्पताल भवन की स्थिति जल रिसाव, टूटी हुई टाइलों, नालियों के जाम होने आदि की वजह से अत्यंत खराब थी जिसके कारण रोगियों/डॉक्टरों/विद्यार्थियों का स्वास्थ्य जोखिम में था।



दीवारों पर रिसाव



अग्निशमन सेवा द्वारा प्रयोग किया जा रहा शवगृह भवन

(viii) सीबीपीएसीएस के औषधि स्टोर में 2012-17 के दौरान जीवनकाल समाप्त हो चुकी ₹ 18.25 लाख की दवाईयां थी, जिसमें से सीपीए द्वारा

आपूर्ति की गई ₹ 8.97 लाख की दवाईयां भी थी जबकि दिल्ली के अन्य अस्पतालों एवं औषधालयों में दवाईयों की कमी बनी रही। सीबीपीएसीएस ने इन दवाईयों के जीवनकाल समाप्ति की अवधि पर निगरानी नहीं रखी जिससे वो इन दवाईयों को अन्य अस्पतालों/औषधालयों में प्रयुक्त कर सके।

2.1.10.5 दिल्ली होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद

होम्योपैथिक संस्थानों और अन्य संगठनों के सहयोग से होम्योपैथी में अनुसंधान गतिविधियों को आरंभ सहायता, विकास और समन्वय करने के लिए जुलाई 1998 में दिल्ली होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद (डीएचएपी) की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में हुई थी। 2012-17 के दौरान, डीएचएपी ने कोई भी इन हाउस अनुसंधान गतिविधियां नहीं की। जीवनशैली संबंधित बीमारियों पर 2012 से पहले 14 चालू अनुसंधान परियोजनाएं थी। 11 ऐसी परियोजनाओं को संयुक्त रूप से एसएचएमसी और नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को सौंपा गया, मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान आर.बी.टी.बी. अस्पताल तथा दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान प्रत्येक को एक-एक सौंपा गया। एसएचएमसी ने इन 11 अनुसंधान परियोजनाओं में से मात्र एक परियोजना का पूर्ण होना सूचित किया। हालांकि डीएचएपी के पास इन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जिसका अर्थ है उन्होंने इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी नहीं की। डीएचएपी ने कहा कि नवम्बर 2013 से अनुसंधान परियोजना कार्यों के आकलन के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान सलाहकार समिति ने मुलाकात नहीं की थी।

इसके अतिरिक्त, एसएचएमसी ने इस अवधि के दौरान किए गए आठ इन हाउस अनुसंधान परियोजनाओं में से पाँच अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा कर लिया। शेष तीन चालू परियोजनाएं निर्धारित समय के भीतर हैं। सीबीपीएसीएस के पास आयुर्वेद और सिद्धा में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद के सहयोग से एक चालू अनुसंधान परियोजना है। तिबिया कॉलेज और अस्पताल ने आयुर्वेदिक और यूनानी दवाईयों पर कोई अनुसंधान परियोजना नहीं की। एसएचएमसी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 16 जर्नल थे।

2.1.11 निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा निगरानी तंत्र

निरीक्षण तथा निगरानी में निम्नलिखित कमियां पायी गईं:

2.1.11.1 राज्य स्तरीय प्रबंधन सूचना प्रणाली निगरानी एवं मूल्यांकन सैल
राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) को लागू करने के ढाँचे के अनुसार राज्य स्तर पर एक समर्पित प्रबंधन सूचना प्रणाली निगरानी एवं मूल्यांकन सैल

होना चाहिये परंतु जीएनसीटीडी के द्वारा ऐसा कोई सैल स्थापित नहीं किया गया।

2.1.11.2 राजकीय औषधि जाँच प्रयोगशाला

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने दवाईयों की भारतीय पद्धति पर एक औषधि जाँच प्रयोगशाला स्थापित करने के लिये ₹ 95 लाख जारी किये (2001-02) जिसे कि बाद में वापस कर दिया गया, क्योंकि अनुदान की वैधता को बढ़ाने के लिये जीएनसीटीडी के वित्त विभाग से अनुमति समय से प्राप्त नहीं हुई थी। इस प्रकार, निदेशालय की असफलता के कारण अनुदान प्रयुक्त नहीं की जा सकी। तदन्तर में, इस सुविधा को पीपीपी मोड में भी स्थापित करने के लिये निदेशालय द्वारा पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये हालांकि, प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिये निधियाँ तथा जगह (खाद्य अपमिश्रण का निषेध, प्रथम तल, लारेंस सड़क) उपलब्ध थी। औषधि तथा प्रसाधन नियमावली 1945 के नियम 160क की अनुपालना में आयुष निदेशालय के औषधि नियंत्रण सैल ने प्रत्येक तिमाही में आयुर्वेदिक/यूनानी दवाईयों के लगभग 1,000 सर्वेक्षण नमूनों की जाँच सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं से करवाई। इसके कारण सिर्फ 2012-17 के दौरान ₹ 14 करोड़ का खर्च हुआ जिससे निदेशालय द्वारा औषधि जाँच प्रयोगशाला स्थापित किये जाने पर बचा जा सकता था। निदेशालय ने कहा कि आयुर्वेद एवं यूनानी दवाईयों के लिये राजकीय औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे।

2.1.11.3 दवाईयों की उत्पादन तथा बिक्री इकाईयों का अपर्याप्त निरीक्षण

लाइसेंस की शर्तों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिये औषधि एवं प्रसाधन नियमावली 1945 के नियम 162 के अनुसार आयुर्वेदिक यूनानी दवाईयों की प्रत्येक उत्पादन इकाईयों का वर्ष में दो बार तथा नियम 52 (1) के अनुसार होम्योपैथिक दवाईयों की प्रत्येक उत्पादन इकाईयों का वर्ष में एक बार निरीक्षण आवश्यक है। मार्च 2017 में आयुर्वेद की 57 उत्पादन इकाईयां, होम्योपैथिक की सात तथा यूनानी दवाईयों की 23 इकाईयां निदेशालय के औषधि नियंत्रण सैल एवं डीसीडी के अंतर्गत पंजीकृत थी। हालांकि, इन इकाईयों का निरीक्षण उक्त नियम/अधिनियम के अनुसार नहीं किया गया था जैसा कि तालिका 2.1.7 में वर्णित है।

तालिका 2.1.7: उत्पादन इकाईयों के निरीक्षण में कमी

मार्च में समाप्त वर्ष	आवश्यक (संख्या)			निरीक्षित इकाईयों की (संख्या)			कमी (प्रतिशत)		
	होम्योपैथी	आयुर्वेदिक	यूनानी	होम्योपैथी	आयुर्वेदिक	यूनानी	होम्योपैथी	आयुर्वेदिक	यूनानी
2013	5	54	28	1	45	17	4 (80)	9 (17)	11 (39)
2014	6	54	30	1	41	25	5 (83)	13 (24)	5 (17)
2015	6	90	36	-	69	34	6 (100)	21 (23)	2 (6)
2016	7	112	40	5	74	33	2 (29)	38 (34)	7 (18)
2017	7	114	46	1	38	40	6 (86)	76 (67)	6 (13)
कुल	31	424	180	8	267	149	23 (74)	157 (37)	31 (17)

2012-17 के दौरान आवश्यक निरीक्षणों की संख्या में पर्याप्त कमी थी। औषधि नियंत्रण ने होम्योपैथी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी उत्पादन इकाईयों की 31, 424 तथा 180 आवश्यक निरीक्षणों के प्रति सिर्फ 8, 267 एवं 149 निरीक्षण किये। आवश्यक नियमित निरीक्षण की अनुपस्थिति में औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना एवं दवाईयों/उत्पादित औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

इसके अतिरिक्त, औषधि एवं प्रसाधन नियमावली 1945 के नियम 51 (1) के अनुसार, औषधि नियंत्रण विभाग (डीसीडी) के औषधि निरीक्षक को वर्ष में एक बार उसके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले औषधियों की बिक्री के लिये लाइसेंस प्राप्त सभी होम्योपैथिक स्थापनाओं का निरीक्षण करना था। डीसीडी ने आयुष दवाइयों की बिक्री इकाईयों के लिये पृथक अभिलेख नहीं बनाये जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि क्या नियमावली के अंतर्गत आवश्यक निरीक्षण किये गये थे। डीसीडी ने उत्तर दिया कि स्टॉफ की बहुत अधिक कमी के कारण नियमों की गैर-अनुपालना हुई।

2.1.11.4 अवैध उत्पादकों की पहचान का सर्वेक्षण ना कराया जाना

औषधि नियंत्रण (आईएसएम) के पास उत्पादन इकाईयों की पहचान कर उन्हें अपने लाइसेंसिंग क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत लाने के लिए कोई प्रभावी प्रणाली नहीं थी। वैध लाइसेंस के बगैर चल रही आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयों की उत्पादन इकाईयों की पहचान के लिये लेखापरीक्षा में सम्मिलित पाँच वर्षों के दौरान उन्होंने कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया था। लेखापरीक्षा ने ऑनलाइन जाँच में पाया कि एन सी टी दिल्ली में स्थापित तीन उत्पादन इकाईयां हुकुम बकाई मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड, चावड़ी बाजार, दिल्ली, तिब्ब-ए-नकवी दवाखाना प्राइवेट लिमिटेड, उत्तम नगर, दिल्ली एवं सदर पुरानी दिल्ली अनिवार्य लाइसेंस के बगैर चल रहा था परंतु यह औषधि नियंत्रक के संज्ञान में नहीं था। निदेशालय ने कहा कि इन तीन मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिये डीबीसीपी को प्रेषित कर दिया जायेगा।

2.1.11.5 खराब गुणवत्ता की दवाईयों के उत्पादकों के विरुद्ध अपर्याप्त कार्रवाई

एनसीटीडी में आयुर्वेदिक दवाईयों के लगभग 20,000 रिटेल आउटलेट तथा यूनानी क्षेत्र में 2,000 रिटेलर थे। 2012-17, के दौरान औषधि सैल ने आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयों के 73 नमूने “मानक गुणवत्ता के नहीं” पाये गये जिसमें से औषधियों के सिर्फ 21 नमूने दिल्ली के थे। निदेशालय के लाइसेंसिंग प्राधिकारी (एलए) द्वारा इन 21 उत्पादनकर्ताओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई जैसे कि लाइसेंस निरस्त कर देना या चेतावनी जारी करना, की गई। नमूना जाँच में असफल हुये दिल्ली से बाहर के 52 उत्पादकों के संबंध में संबंधित राज्य के लाइसेंसिंग अथारिटी से उचित कार्रवाई करने के लिये अनुरोध किया गया। निदेशालय ने इन राज्यों से आगे कार्रवाई जैसे कि इन उत्पादनकर्ताओं के लाइसेंस को निलंबित करने के लिये नहीं कहा। अतः जीएनसीटीडी इस स्थिति में नहीं था कि वह एनसीटीडी में बिकने वाली आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाईयों की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सके।

2.1.11.6 औषधि निरीक्षकों की कमी

31 मार्च 2017 को 31 औषधि निरीक्षकों के संस्वीकृत पदों के प्रति औषधि नियंत्रण विभाग (डीसीडी) में 23 डीआई तथा चिकित्सा की भारतीय प्रणाली (आईएसएम) में डीआई के पाँच संस्वीकृत पदों के प्रति तीन डीआई थे। डीआई की कमी से अधिसूचित कार्यों जैसे कि लाइसेंस जारी करने तथा औषधि उत्पादन एवं बिक्री इकाईयों का निरीक्षण आदि को करने में बाधा आई। डीसीडी ने कहा (अगस्त 2017) कि डीआई के संस्वीकृत पदों की भरती के लिये कदम उठाये जा रहे हैं तथा छः अन्य डीआई की नियुक्ति के लिये यूपीएससी को जुलाई 2017 में मांग भेजी गई है।

2.1.12 निष्कर्ष

(क) आयुष अस्पतालों एवं औषधालयों में अवसंरचना सुविधाएं एवं उपकरण जैसे कि औषधि भण्डारण, आपातकालीन सेवाएं, आवश्यक नैदानिक उपकरण, आपरेशन थियेटर, एंबुलेंस, मेडिकल रिकार्ड विभाग तथा पुस्तकालय आदि अपर्याप्त थे। तीन कमरों की आवश्यकता के प्रति 16 आयुर्वेदिक औषधालय दो कमरों में तथा पाँच औषधालय एक कमरों में चल रहे थे, जिसके कारण रोगियों को दिक्कत हो रही थी। चौ. ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान के अतिरिक्त अन्य किसी भी आयुष अस्पताल में अपर्याप्त जगह के कारण योगा तथा नैचुरोपैथी सुविधाएं नहीं थी। डॉ. बी.आर. सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल तथा अनुसंधान संस्थान में अवसंरचना के निर्माण में देरी

से एसएचएमसी में विद्यार्थियों के प्रवेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने में देरी हुई। तीन मेडिकल कॉलेज तिबिया, सीबीपीएसीएस, तथा एसएचएमसी में संस्वीकृत सीटों के प्रति विद्यार्थियों के प्रवेश में उल्लेखनीय कमी थी।

(ख) आयुष औषधालयों में 2012-17 को दौरान मेडिकल स्टॉफ में पर्याप्त कमी थी। 103 होम्योपैथिक औषधालयों में से सिर्फ 24 में रोगियों की उचित देखभाल के लिये पूरी स्टॉफ क्षमता थी। तीन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल तिबिया कॉलेज, एसएचएमसी तथा सीबीपीएसीएस में डॉक्टर, फार्मासिस्ट तथा नर्सों के केंद्र में 37 से 52 प्रतिशत की कमी थी। औषधि निरीक्षकों में उल्लेखनीय कमी के कारण अधिसूचित कार्यों जैसे कि लाइसेंस जारी करने तथा औषधि उत्पादन एवं बिक्री इकाईओं के निरीक्षण को करने में बाधा आई।

(ग) 2012-17 के दौरान आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालयों में सिर्फ 40 प्रतिशत अतिआवश्यक दवाईयां तथा इसी दौरान होम्योपैथिक औषधालयों में 43 प्रतिशत दवाईयां किसी भी समय उपलब्ध नहीं थी। 2012-17 के दौरान आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयां 25 से 58 प्रतिशत के बकाया जीवनकाल के साथ खरीदी गई। होम्योपैथिक दवाईयां में गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र जिसमें दवाईयां की बैचवार एवं उप-बैच-वार जाँच का प्रावधान है, के विपरीत आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयां की जाँच यादृच्छिक आधार पर करने का तंत्र है। विभागीय खरीद नीति के उल्लंघन में, क्लासिकल आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाईयां (₹ 32.87 करोड़) 2012-17 के दौरान निदेशालय, तिबिया कॉलेज तथा सीबीपीएसीएस द्वारा आईएमपीसीएल से नहीं खरीदी गई तथा पेटेंट/प्रोपराइटरी दवाईयां (₹ 14.19 करोड़) खुली निविदा द्वारा नहीं खरीदी गई।

इन दवाईयां की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये दवाईयां की उत्पादन एवं बिक्री इकाईयां का निरीक्षण अपर्याप्त था। औषधि नियंत्रण ने होम्योपैथी, आयुर्वेदिक तथा यूनानी उत्पादन इकाईयां के अनिवार्य 31, 424 तथा 180 निरीक्षण के प्रति सिर्फ 8, 267 तथा 149 निरीक्षण किये।

2.1.13 सिफारिशें

(i) विभाग आयुष अस्पतालों, औषधालयों तथा औषधि नियंत्रण की अवसंरचना तथा स्टॉफ की आवश्यकता का पुनः मूल्यांकन कर सकता है तथा एक समयबद्ध तरीके में इस अंतर को भरने के लिये प्रभावी कदम उठा सकता है।

- (ii) विभाग पंचवर्षीय योजना के सभी तत्वों को एक समयबद्ध तरीके से लागू करना सुनिश्चित करने के लिये वार्षिक कार्य योजना तथा क्रियान्वयन रणनीति तैयार कर सकता है।
- (iii) विभाग को सुनिश्चित करना चाहिये कि आयुष दवाईयां पारदर्शिता के प्रसार तथा खरीद में प्रतियोगिता को बढ़ावा देते हुए सरकारी/सी वी सी निर्देशों का पालन करते हुये खरीदी गई है।
- (iv) विभाग आयुष औषधियों गुणवत्ता जाँच के साथ-साथ खरीदी गई दवाईयों की स्वतंत्र रूप से जाँच को सुगम बनाने के लिये अपनी स्वयं की औषधि जाँच सुविधा को स्थापित करने के पर्याप्त कदम उठा सकता है।
- (v) विभाग इन औषधियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये एनसीटीडी में आयुष दवाईयों की उत्पादन तथा बिक्री इकाईओं के निरीक्षण को प्रभावी बना सकता है।

मामला सरकार को नवंबर 2017 में प्रेषित किया गया तथा जनवरी 2018 तक उनके उत्तर प्रतीक्षित है।

शहरी विकास विभाग

2.2 दिल्ली नगर निगमों द्वारा दिल्ली सड़क नेटवर्क का विकास और सुदृढीकरण

दिल्ली नगर निगमों द्वारा किए गए सड़क कार्यों की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलित करने के लिए की गई थी कि क्या सड़कों के निर्माण और रख-रखाव को दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के साथ योजनाबद्ध किया गया था और निर्धारित नियमों, प्रक्रियाओं तथा करार के नियमों और शर्तों के अनुसार पारदर्शी तरीके से निष्पादित किया गया था। मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम निम्नानुसार है।

मुख्य बिंदु

- दिल्ली सड़क नेटवर्क के लिए कई एजेंसियां जिम्मेदार थीं। शहरी विकास विभाग ने इन एजेंसियों द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के प्रयासों को समन्वित करने के लिए किसी भी तंत्र की स्थापना नहीं की थी जिसकी वजह से शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या का सामना करने के लिए चरणबद्ध तरीके से दिल्ली सड़क नेटवर्क के विकास में प्रभावी योजना और समन्वय में बाधा उत्पन्न हुई। नागरिकों के शिकायत निवारण के लिए जिम्मेदार एजेंसियां विशिष्ट सड़क से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिये एक प्रभावी तंत्र विकसित करने में विफल थीं।

(पैराग्राफ 2.2.6)

- दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने निविदाकरण के पश्चात 2,538 मीटर से 56,636 मीटर तक नये नाले की लम्बाई तथा 6,769 मीटर से 10,226 मीटर तक नाले के सुदृढीकरण में वृद्धि के कारण जुलाई 2017 तक ठेकेदार को ₹ 30.92 करोड़ का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-1 के सड़क कार्य में करार में सम्मिलित 5,360 मीटर सड़क एवं सड़क के दोनों किनारे नाले का निर्माण क्रियान्वित नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 2.2.8.1(क) (i))

- बिजवासन पर आरओबी के डिजाइन का कार्य सौंपे जाने के पश्चात उसके प्रवेश मार्ग की लंबाई को बढ़ाने, बहुत से पाइल्स, बहुत से ऊपरी ढांचों के फैलाव इत्यादि से महत्वपूर्ण बदलाव हुए। टेंडर दिए जाने के बाद में किए गए बदलाव के कारण ₹ 8.33 करोड़ का अतिरिक्त

भुगतान हुआ। डाबरी चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर कार्य में मात्रा मदों के निर्धारण से 38.87 प्रतिशत का विचलन हुआ जिसमें ₹ 19.35 करोड़ का अधिक निष्पादन तथा ₹ 26.47 करोड़ का कम निष्पादन था। इन निर्माण कार्यों में संशोधित तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 2.2.8.2(i))

- ठेकेदार से मोबिलाइजेशन अग्रिम और ब्याज के ₹ 1.07 करोड़ वसूलने में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम विफल रहा हालांकि ठेकेदार के द्वारा 2013 में कार्य छोड़ दिया गया था।

(पैराग्राफ 2.2.8.4)

- पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा वजीराबाद सड़क से शिव विहार तिराहा के लिए करावल नगर सड़क की अपूर्ण रिमांडलिंग के परिणामस्वरूप ₹ 8.34 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.8.7)

- 11 निर्माण कार्यों में, कन्स्ट्रस्टिंग बेस कोर्स उपलब्ध कराए बिना बिटुमिन मास्टिक कार्पेट पर ₹ 8.09 करोड़ का व्यय किया गया।

(पैराग्राफ 2.2.8.9)

- नौरोजी नगर और पुष्प विहार में पर्यावरण के मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित किए बिना नालों को ढकने के कार्यों को देने के कारण ₹ 40.58 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.8.12)

- रानी झांसी सड़क पर ग्रेड सेपरेटर के कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत करने के बाद बोली में किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ₹ 5.22 करोड़ की लागत से निविदा वृद्धि हुई।

(पैराग्राफ 2.2.8.13 (iii))

- 14 डिवीजनों में 82 कार्यों के लिए ₹ 242.55 करोड़ का अंतिम भुगतान अप्रैल 2012 से मार्च 2017 के दौरान डिवीजनों द्वारा संबंधित कार्यकारी अधिकारी से अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना किया गया था। अड़तालीस कार्य अभी चल रहे हैं और कार्य पूरा होने में 76 से 2,899 दिनों तक की देरी हुई।

(पैराग्राफ 2.2.9.1 (क) और 2.2.9.2. (ii))

2.2.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) का क्षेत्रफल 1,483 वर्ग किमी है। एनसीटीडी भौगोलिक रूप से तीन नगर निगमों में बांटा गया है जो हैं: उत्तरी दिल्ली नगर निगम (उत्तरी डीएमसी) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (दक्षिणी डीएमसी) और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (पूर्वी डीएमसी)। अप्रैल 2012 में तीन भागों में बटने से पहले केवल एक नगर निगम (दिल्ली नगर निगम) था।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के सेक्शन 298 के द्वारा दिल्ली नगर निगम को सड़कों का एकमात्र मालिक बनाया गया है। दिल्ली नगर निगम के द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय बाधाओं के कारण, जीएनसीटीडी ने (जनवरी 2012) कार्यकारी आदेश के माध्यम से दिल्ली नगर निगम के कानूनी अधिकार को कम कर दिया था और 60 फीट और उससे अधिक चौड़ी सड़कों का रखरखाव वर्तमान में, दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त, जीएनसीटीडी के तीन एजेंसियों अर्थात् लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली राज्य औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएसआईआईडीसी), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएफसीडी) तथा भारत सरकार की दो एजेंसियों अर्थात् दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) को सौंप दिया जो एनसीटीडी में सड़कों का निर्माण/रखरखाव कर रहे हैं। मार्च 2017 तक दिल्ली में 33,868 किलोमीटर (किमी) के सड़क नेटवर्क के साथ 1.03 करोड़ मोटर वाहन थे। विभिन्न एजेंसियों के अन्तर्गत दिल्ली की सड़कों की लंबाई के अनुसार विवरण तालिका 2.2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2.1: रखरखाव की गई सड़कों की एजेंसी वार लंबाई

(लम्बाई किमी में)

एजेंसी	दिल्ली नगर निगम	पीडब्ल्यूडी		एनडीएमसी	आई एंड एफसीडी	डीडीए	डीएसआई आईडीसी	कुल
		शहरी सड़कें	राजमार्ग					
सड़कों की लंबाई	23,931	6,308	430	1,290	40	435	1,434	33,868

2.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

दिल्ली के सभी तीनों नगर निगमों (दिल्ली नगर निगम) के अध्यक्ष इनके आयुक्त हैं। तीनों दिल्ली नगर निगम में अपने स्वयं के इंजीनियरिंग विभाग हैं। जिनमें प्रत्येक का प्रमुख इंजीनियर-इन-चीफ हैं जिसकी सहायता मुख्य अभियंता (सीई), अधीक्षक अभियन्ता (एसई) और कार्यकारी अभियंता (ईई) इत्यादी करते हैं। कुल 12 नगर निगम क्षेत्र है (उत्तरी दिल्ली नगर निगम में छः, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में चार और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में दो)

जिन्हें भौगोलिक रूप से 55 कार्य निर्माण मंडलों (मंडल) में बांटा गया है जिनके प्रमुख संबंधित कार्यकारी अभियन्ता (ईई) होते हैं। इंजीनियरिंग के कार्यों की गुणवत्ता के आश्वासन के लिए प्रत्येक दिल्ली नगर निगम में क्वालिटी कंट्रोल सर्कल (क्यूसीसी) है और इंजीनियरिंग सामग्रियों के परीक्षण के लिए एक संयुक्त प्रयोगशाला (दिल्ली नगर निगम लैब) भी हैं। दिल्ली नगर निगम ने निर्माण कार्य के गुणवत्ता आश्वासन के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी (तृतीय पक्ष) के रूप में सेन्ट्रल सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीआरआरआई) को लगाया हुआ है। वित्तीय प्रबंधन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक दिल्ली नगर निगम में संबंधित लेखा नियंत्रक- सह वित्तीय परामर्शदाता के अधीन एक वित्त विंग है। शहरी विकास विभाग, जीएनसीटीडी (यूडीडी) दिल्ली नगर निगम का प्रशासनिक विभाग है।

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह आंकलित करना था कि क्या:

(क) वाहन संख्या और आवास क्षेत्र में विकास को समर्थन देने के लिए दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यूडीडी एवं दिल्ली नगर निगम में एक प्रभावी तंत्र था।

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्यों को प्रदान करना तथा उनका क्रियान्वयन निर्धारित प्रक्रियाओं, नियमों और विनिर्देशों के अनुसार था तथा निविदा प्रबंधन तंत्र दक्ष एवं प्रभावी था।

(ग) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भा.स./जीएनसीटीडी द्वारा अनुमोदित सड़क कार्यों के भौतिक के साथ-साथ वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए यूडीडी में एक तंत्र था।

(घ) सड़क कार्यों हेतु गुणवत्ता नियंत्रण/आश्वासन तंत्र दक्ष एवं प्रभावी था।

2.2.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली

इस निष्पादन लेखापरीक्षा को मई-जुलाई 2017 के दौरान किया गया था। तीनो दिल्ली नगर निगम के तहत कुल 55 डिवीजनों (उत्तरी दिल्ली नगर निगम-25, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम-22 तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम-8) में से 17 डिवीजनों (उत्तरी दिल्ली नगर निगम-8, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम-7, पूर्वी दिल्ली नगर निगम-2) को जिन्होंने अप्रैल 2012 से मार्च 2017 के दौरान सड़क कार्यों पर ₹ 10 करोड़ या इससे अधिक का खर्च किया है, का चयन किया था। इन डिवीजनों में, भारत सरकार और जीएनसीटीडी द्वारा अनुमोदित सभी 166 सड़क निर्माण के कार्य जो अप्रैल 2012 से मार्च

2017 के बीच दिए गए थे और कार्य अप्रैल 2012 से पहले दिया गया था अपूर्ण थे या 2012-17 के दौरान पूर्ण किया गया था। 24 कार्य जिनका लागत ₹ 25 लाख एवं इससे अधिक है और जिन्हे दिल्ली नगर निगम द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा वित्त पोषित किया गया है वे भी इस लेखापरीक्षा का हिस्सा हैं। इस तरह कुल 190 सड़क कार्यों (उत्तरी दिल्ली नगर निगम-89, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम-73, पूर्वी दिल्ली नगर निगम-28) जिनमें कुल व्यय ₹ 880.35 करोड़ हुआ है का चयन लेखापरीक्षा के लिए किया गया था।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए क्षेत्र, उद्देश्यों और कार्यप्रणाली पर चर्चा करने के लिए यूडीडी और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक प्रवेश सम्मेलन 4 मई 2017 को आयोजित किया गया था। यूडीडी और दिल्ली नगर निगम की योजना शाखाओं में सड़क परियोजनाओं/कार्यों की योजना और स्वीकृति की जाँच की गई और स्वीकृत कार्य के क्रियान्वयन से जुड़े अभिलेख और उनके गुणवत्ता संबंधी पहलुओं की दिल्ली नगर निगम के डिवीजनों और अन्य फील्ड संरचनाओं में जाँच की गई। यूडीडी और दिल्ली नगर निगम के साथ एक समापन सम्मेलन 28 सितम्बर 2017 को हुआ था जिसमें दिल्ली नगर निगम ने आश्वासन दिया कि लेखापरीक्षा अवलोकनों पर उत्तर दस दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि, उत्तरी एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। बाद में 22 सितंबर 2017 को ड्राफ्ट निष्पादन प्रतिवेदन प्रधान सचिव (यूडी) को जारी किया गया था। यूडीडी से प्रतिउत्तर जनवरी 2018 तक प्रतीक्षित था।

2.2.5 लेखापरीक्षा मानदंड

दिल्ली सड़क नेटवर्क के विकास और सुदृढीकरण में यूडीडी तथा दिल्ली नगर निगम के निष्पादन तथा दक्षता के स्तर का निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करते हुए आंकलन किया गया:

- (i) सामान्य वित्तीय नियम, प्राप्ति एवं भुगतान नियम और अन्य संबंधित सरकारी नियम; भारत सरकार और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश और आदेश;
- (ii) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग वर्क्स मैनुअल (सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल), केन्द्रीय लोक निर्माण खाता संहिता, दिल्ली दरों की अनुसूची और यूटीटीआईपीईसी¹⁴ के निर्देश;
- (iii) एमओआरटीएच¹⁵, भारतीय सड़क कांग्रेस और सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देश;
- (iv) दिल्ली नगर निगम के ठेके और अनुबंधों के सामान्य शर्तों के प्रावधान।

¹⁴ यूनीफाईड ट्रैफिक तथा ट्रांसपोर्ट अवसंरचना (योजना एवं अभियांत्रिकी) केंद्र

¹⁵ सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.6 परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं

दिल्ली सड़क नेटवर्क के लिए उत्तरदायी एजेंसियों की बहुलता थी। हालांकि, दिल्ली सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए कोई एकल एजेंसी या तंत्र नहीं हैं। दिल्ली में नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए उत्तरदायी जीएनसीटीडी के नोडल विभाग यूडीडी ने परिप्रेक्ष्य योजना को तैयार करने के लिए इन सभी एजेंसियों के प्रयासों के समन्वय के लिए कोई तंत्र या प्रशासनिक ढांचा स्थापित नहीं किया। परिप्रेक्ष्य योजना की कमी ने शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या का सामना करने के लिए चरणबद्ध तरीके से दिल्ली सड़क नेटवर्क के विकास में प्रभावी योजना और समन्वय में बाधा डाली। एनसीटीडी के वाहनों की संख्या 2012-13 में 77.85 लाख से बढ़कर 2015-16 में 97.04 लाख तथा 2016-17 में बढ़कर 1.03 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन लेखापरीक्षा में कवर किए गए 17 डिवीजनों में से किसी के द्वारा इस अवधि के दौरान नई सड़कों, फ्लाई ओवर या अंडरपास के निर्माण लिए कोई कार्य/परियोजना प्रारंभ नहीं की गई थी। साथ ही यूडीडी से नागरिकों के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने में विफलता हुई, जिससे कि संबंधित सड़क से जुड़ी शिकायतों को निपटाने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों से पूछताछ की जा सके।

2.2.7 निधियों का स्रोत और प्रबंधन

सड़क कार्यों हेतु दिल्ली नगर निगम के लिए निधियों का नियमित स्रोत एलए रोड तथा ट्रांस यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड (टीवाईएडीबी) शीर्ष के अंतर्गत जीएनसीटीडी से सहायता अनुदान (जीआईए) है। दिल्ली नगर निगम साथ ही जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत एमओयूडी से तथा केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के अंतर्गत एमओआरटीएच से सहायता अनुदान प्राप्त करता है। ये अनुदान यूडीडी के माध्यम से प्राप्त किया गया है। हालांकि, यूडीडी ने भविष्य के संदर्भ के लिए विभिन्न शीर्षो/योजनाओं के अधीन अनुमोदित कार्यों का कोई डाटा/रिकार्ड नहीं रखा जिससे कि अनुमोदित कार्यों के क्रियान्वयन की अनुपालना और उनकी भौतिक और वित्तीय प्रगति पर निगरानी की जा सकती।

2.2.7.1 निधियों की आवश्यकता और उपलब्धता को उचित रूप से समक्रमिक नहीं बनाया जाना

दिल्ली नगर निगम के लिए सड़क निर्माण के लिए निधियों का मुख्य स्रोत एलए रोड लेखा शीर्ष के अंतर्गत जीएनसीटीडी से सहायता अनुदान था। यह

देखा गया कि अनुमोदित कार्यों और एलए रोड के तहत यूडीडी द्वारा दिल्ली नगर निगम के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि का आपस में कोई संबंध नहीं था। व्यक्तिगत प्रस्तावों के आधार पर उप राज्यपाल द्वारा कार्य संस्वीकृत किया गया था लेकिन यूडीडी के द्वारा दिल्ली नगर निगम को त्रैमासिक आधार पर निधियाँ जीआईए के रूप में जारी की गई जिसका आधार दिल्ली नगर निगम की वास्तविक आवश्यकता का विश्लेषण/मूल्यांकन किये बिना जीएनसीटीडी द्वारा वार्षिक बजट आवंटन था। संस्वीकृत कार्यों और बजट/जारी किए गए निधियों के मध्य मेल न होने के कारण संस्वीकृत किये गये कुछ नए कार्य नहीं किए गए और चल रहे कार्यों में प्रगति नहीं हुई या ठेकेदारों के भुगतान के लिए देयताएँ जमा हो गईं। इसका परिणाम एलए रोड शीर्ष के अंतर्गत पारित ठेकेदारों के बिलों के कारण दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को 31 मार्च 2017 तक ₹ 14.98 करोड़ के नकद देयताओं का संचय के रूप में हुआ तथा निधियों के उपलब्धता के बगैर कार्यों के प्रदान के कारण, दक्षिणी तथा उत्तरी दिल्ली नगर निगम को क्रमशः ₹ 1.73 करोड़ तथा ₹ 76.60 करोड़ के प्रतिबद्ध देयताओं में हुआ। प्रदत्त कार्य एवं जारी किए गए निधियों में असंतुलन ने कार्य की प्रगति को बाधित किया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम, ने दूसरी ओर, 31 मार्च 2017 तक ₹ 1.13 करोड़ के सहायता अनुदान राशि का उपयोग नहीं किया था।

2.2.7.2 दिल्ली नगर निगम द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) का कम उपयोग

सड़क निर्माण कार्य के लिये राज्यों द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत प्रस्तावों के आधार पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा सीआरएफ से जीआईए प्रदान किया जाता है। जीएनसीटीडी में सीआरएफ के माध्यम से नियोजित किए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों द्वारा एमओआरटीएच को प्रस्तुत किए जाते हैं और एमओआरटीएच से क्रियान्वयन एजेंसियों को धनराशि यूडीडी के माध्यम से दी जाती है।

सीआरएफ के तहत दिल्ली नगर निगम द्वारा पीडब्ल्यूडी को प्रस्तुत प्रस्तावों का विवरण दिल्ली नगर निगम के पास उपलब्ध नहीं था। पीडब्ल्यूडी के द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2012 से मार्च 2017 के दौरान दिल्ली नगर निगम ने पीडब्ल्यूडी को केवल 27 प्रस्ताव प्रस्तुत किए। पीडब्ल्यूडी ने हालांकि, केवल 5 प्रस्तावों को एमओआरटीएच को भेजा और एमओआरटीएच के द्वारा केवल एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। पीडब्ल्यूडी के द्वारा शेष प्रस्तावों को प्रस्तुत न करने और एमओआरटीएच के

द्वारा चार प्रस्तावों को अनुमोदन न करने के लिए कारण दिल्ली नगर निगम के रिकार्ड में नहीं मिले। यह इंगित करता है कि दिल्ली सड़क नेटवर्क के सुधार के लिए इस फंड का लाभ लेने के लिए दिल्ली नगर निगम के द्वारा प्रस्तावों को पर्याप्त रूप से आगे नहीं बढ़ाया गया था।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने कहा कि सीआरएफ फंड के लिए प्रस्ताव पेश करने के बाद उन्हें आगे की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिल्ली नगर निगम को सक्रिय रूप से प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहिए था विशेष रूप से जब दिल्ली नगर निगम सड़क कार्यों के लिए वित्तीय बाधाओं का सामना कर रहा था।

2.2.7.3 सहायता अनुदान का अनाधिकृत उपयोग

भारत सरकार और जीएनसीटीडी से सहायता अनुदान सड़क कार्य तथा पूंजीगत संपत्ति के निर्माण हेतु दिल्ली नगर निगम द्वारा प्राप्त किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि दिल्ली नगर निगम ने वेतन तथा नियोजित योजनाओं के लिए अन्य व्यय हेतु प्रशासनिक खर्चों के रूप में ऐसे अनुदानों का लगभग 10 प्रतिशत अर्थात् ₹ 73.50 करोड़ उपयोग किया था यद्यपि सहायता अनुदान के नियमों और शर्तों में इस आशय के लिए कोई विशिष्ट शर्त नहीं थी। एसडीएमसी ने ऐसी कटौती के लिए पत्र दिनांक 22 जुलाई 2011 के माध्यम से जीएनसीटीडी के वित्तीय विभाग से अनुमति को उद्धृत किया जिसे वे अभी तक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं। वित्त विभाग ने यह भी कहा है (02 फरवरी 2018) कि पत्र अभी खोजा नहीं जा सका और भविष्य में खोजने के लिए प्रयास किए जाएंगे तथा उपलब्ध कराया जाएगा।

यह भी पाया गया था कि यूडीडी ने कभी भी दिल्ली नगर निगम को जारी किए गए सहायता अनुदान में से व्यय का परियोजना-वार विवरण के लिए नहीं कहा।

2.2.8 निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन और ठेका प्रबंधन

2.2.8.1 समय और लागत में वृद्धि के साथ पारदर्शिता का अभाव

जेएनएनयूआरएम के तहत औखला औद्योगिक क्षेत्र फेज I और II की सड़कों के सुधार और सुदृढीकरण के लिए परियोजना-II डिवीजन, सेंट्रल जोन दिल्ली नगर निगम ने फरवरी 2010 में निविदा आमंत्रित की थी। तीन तकनीकी योग्यता प्राप्त बोली में से जे. कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एजेसी-I) अपनी बोली ₹ 138.49 करोड़ के साथ सबसे कम (एल-I) और एजेसी-II ₹ 142.89 करोड़ की बोली के साथ दूसरे स्थान पर (एल-II) थी। डिवीजन ने 22 दिसम्बर

2010 को इस आधार पर दोबारा निविदा काल किया कि एजेंसी-I द्वारा कुछ मर्दों के लिए उद्धृत दरें दिल्ली नगर निगम के द्वारा निर्धारित उचित दर से अधिक थी। एजेंसी-I निविदा दोबारा आमंत्रित करने को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय (न्यायालय) गई। अदालत के निर्देश पर दोबारा प्राप्त की गई बोलियां 10 मार्च 2011 को खोली गई। इस बार एजेंसी-II जो पहले निविदा प्रक्रिया में एल-II थी ₹ 123.96 करोड़ के साथ एल-I और एजेंसी-1 जो पहली बार एल-I थी ₹ 135.63 करोड़ की बोली के साथ एल-II रही।

एजेंसी-I ने अदालत में दलील दी कि एजेंसी-II के द्वारा उद्धृत मूल्य व्यावहारिक नहीं था और अतिरिक्त राशि लागत में वृद्धि आदि के माध्यम से पुनः प्राप्त की जाएगी और गुणवत्ता गंभीर मुद्दा होगा। अदालत ने (मार्च 2011) एजेंसी-1 के द्वारा जताई गई आशंका के आधार पर दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया था कि सीआरआरआई को एक स्वतंत्र देखरेख एजेंसी के रूप में नियुक्त किया जाए जो एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में, अधिदेश के साथ, समयबद्धता सुनिश्चित करें और लागत में वृद्धि की संभावना को न्यूनतम रखे। क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए न्यायालय ने निर्देश दिया कि संबंधित स्वतंत्र एजेंसी दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट पर कार्य की तिमाही प्रगति रिपोर्ट रखेगी। तदनुसार ईई ने अगस्त 2011 में एजेंसी-II को ₹ 123.64 करोड़ संविदात्मक राशि में कार्य दिया। अक्टूबर 2017 तक ठेकेदार को ₹ 137.29 करोड़ का भुगतान किया गया था। आगे की जाँच में पाया गया कि:-

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों की गैर-अनुपालना

अदालत के आदेश के बावजूद, दिल्ली नगर निगम ने सीआरआरआई को स्वतंत्र जाँच एजेंसी के रूप में शामिल नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप कार्य की कीमत, गुणवत्ता और समय-सीमा पर स्वतंत्र एजेंसी द्वारा निगरानी के बिना कार्य कार्यान्वित किया गया था। जाँच से आगे पता चला कि क्रियान्वयन के दौरान, डिवीजन ने कार्य का दायरा बढ़ा दिया, उच्च मूल्यों पर बीओक्यू मर्दों को क्रियान्वित किया, कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की, कार्य को स्थायी रूप से बन्द कर दिया जैसा कि आने वाले पैराग्राफों में दर्शाया गया है।

(i) निविदाकरण के बाद कार्य के क्षेत्र को बढ़ाने के कारण कार्य की लागत में वृद्धि

डिवीजन ने निविदाकरण के पश्चात सुदृढ़ किए जाने हेतु नाले की लंबाई 6,769 मीटर से बढ़ाकर 10,226 मीटर और निर्माण किये जाने वाले नये नाले की लम्बाई 2,538 मीटर से 56,636 मीटर तक बढ़ा दी। डिवीजन ने

इस करार के जरिए ₹ 5.91 करोड़ की लागत के बाजार मूल्य पर डीजेबी द्वारा सड़क काट के पुनरुद्धार को भी अतिरिक्त मद के रूप में प्राप्त किया। आगे, एसओक्यू के अनुसार बिटुमिन के द्वारा निर्मित होने वाली सड़क वास्तव में सीमेंट कंक्रीट के द्वारा ₹ 1.36 करोड़ की अतिरिक्त लागत पर निर्मित की गई थी। परिणामस्वरूप, निविदाकरण के पश्चात कार्य में वृद्धि के कारण ₹ 30.92 करोड़ का भुगतान एजेंसी -2 को (36 आरए बिल तक) जुलाई 2017 तक किया गया था। इसमें प्रचलित बाजार दर पर भुगतान किया गया ₹ 20.79 करोड़ भी शामिल था जो करार की दरों से 170 से 231 प्रतिशत अधिक था। इसके अतिरिक्त 21,913 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाली 5,360 मीटर लंबी सड़क के दोनों किनारों पर नाले और अन्य सहायक कार्यों का निर्माण कभी नहीं किया गया। न ही कार्य के क्षेत्र में वृद्धि कम के कारणों और औचित्य तथा न ही कार्य के क्षेत्र में निविदाकरण के पश्चात परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन रिकार्ड में पाया गया।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बताया (अक्टूबर 2017) कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से साईट की आवश्यकता के अनुसार अनुमानित मात्रा में परिवर्तन और विचलन किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मात्रा में भिन्नता का मामला नहीं था बल्कि निविदाकरण के पश्चात कार्य के क्षेत्र में वृद्धि का मामला है जिसके लिए संशोधित तकनीकी स्वीकृति सीपीडब्ल्यूडी मैनुयल के सेक्शन 2.5.2 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना था।

(ii) कार्य की गुणवत्ता के आश्वासन पर अपर्याप्त अभिलेख

सीपीडब्ल्यूडी और एमओआरटीएच के विनिर्देशों में निर्धारित डिवीजनल अधिकारियों द्वारा आवश्यक गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट और तीसरे पक्ष की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट मंडलो में उपलब्ध नहीं थी।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने उत्तर दिया कि आवश्यकता के अनुसार कार्य के गुणवत्ता आश्वासन को किया गया था इसके समर्थन में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सीआरआरआई के एक पत्र को, कार्य के गुणवत्ता के पहलुओं पर सीआरआरआई का प्रमाण मानते हुए प्रस्तुत किया। यद्यपि लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र तथा नियमों एवं शर्तों के साथ रिकार्ड विस्तृत अनुमान पर पाया गया था और ऐसा अनुमान होता है कि काम को पूरा करने के लिए सीआरआरआई को इन सभी कार्यों के लिए लगाया गया था जो ₹ 25 लाख से अधिक था किन्तु इससे संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे।

(iii) लागत में वृद्धि के कारण परिहार्य भुगतान

वर्कस मैनुअल के सेक्शन 15.1.2 के अनुसार एनआईटी की संस्वीकृति से पहले, बाधामुक्त स्थान की उपलब्धता, स्थानीय निकायों की संस्वीकृति और सभी सेवाओं के लिए योजना तैयार करना वांछनीय हैं।

यह देखा गया कि कार्य 942 दिनों के विलंब के साथ पूरा हुआ था और डिवीजन ने ठेकेदारी के कार्य को पूरा करने की तारीख के बाद वृद्धि पर ₹ 7.88 करोड़ का भुगतान किया। इस विलंब में 556 दिन का विलंब हुआ, जिसमें बाधा मुक्त साइट (307 दिन) की अनुपलब्धता, दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा सड़क कटिंग (124 दिन) मैनहोल के स्थान का पता लगाने (94 दिन) और संयंत्र के लिए उपलब्ध साइट बनाने में 31 दिन की देरी हुई। इस तरह के विलंब के लिए बढ़ी लागत के कारण भुगतान से बचा जा सकता था यदि विभाग ने कार्य करने से पहले इन सभी मुद्दों को सूचित किया होता। दिल्ली नगर निगम ने कार्य के क्षेत्र में वृद्धि के कारण 188 दिनों के लिए समय के विस्तार की अनुमति दी लेकिन डिवीजन ने कार्य के क्षेत्र में कमी को ध्यान में नहीं रखा। ₹ 123.64 करोड़ की कार्य की संविदात्मक मात्रा के प्रति केवल ₹ 94.42 करोड़ की लागत की मात्राएं कार्यान्वित की गईं। क्योंकि कार्य के क्षेत्र में कमी आई थी इसलिए, इस मद के लिए मुआवजे के बिना समय के विस्तार की अनुमति उचित नहीं है।

(ख) वाहन पर खर्च की लागत के साथ कार्य पर रनिंग लागत की अनुचित लोडिंग

करार की सामान्य शर्तों (एसओक्यू में नहीं) में एक शर्त शामिल थी कि ठेकेदार परियोजना के क्रियान्वयन की अवधि के दौरान ईंधन, रखरखाव, चालक आदि के साथ विभाग के उपयोग के लिए एक नया वाहन प्रदान करेगा जो 1800 सीसी से कम का नहीं होगा। परियोजना के पूरा होने के बाद वाहन को दिल्ली नगर निगम में स्थानांतरित किया जाना था। यह उचित नहीं था क्योंकि इसमें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बचने के लिए ठेकेदार के माध्यम से एक कार खरीदने की लागत थी। परियोजना बंद हो गई थी लेकिन वाहन को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के स्टॉक में नहीं लिया गया।

इस प्रकार अगस्त 2017 तक कार्य जैसे जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-I तथा फेस-II के सड़कों के सुधार एवं सुदृढीकरण हेतु ₹ 123.64 करोड़ की संविदात्मक राशि के विरुद्ध ₹ 11.95 करोड़ की वृद्धि लागत सहित ₹ 137.29 करोड़ की राशि का भुगतान ठेकेदार को कार्य के लिए किया जा चुका है जिसमें मात्र ₹ 94.42 करोड़ की राशि

मद/मात्रा के लिए कार्य के मूल दायरे में थे तथा शेष ₹ 30.92 करोड़ की राशि मात्रा के लिए निविदा पश्चात चरण के दौरान जोड़े जाने के लिए भुगतान की गई थी। इसके अतिरिक्त, समयबद्धता तथा गुणवत्ता विश्वसनीयता प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट आदेशों के बावजूद, सीआरआरआई का तिमाही प्रगति रिपोर्ट दिल्ली नगर निगम की बेबसाईट पर अपलोड नहीं किया गया था। अतः कार्य के कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बताया कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम बेबसाईट पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट अपलोड की गई थी। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि तिमाही प्रगति रिपोर्ट को स्वतंत्र निगरानी एजेंसी सीआरआरआई के द्वारा अपलोड किया जाना था।

2.2.8.2 सड़क पुल परियोजनाओं को पूरा करने में अत्यधिक देरी

प्रोजेक्ट-1 डिवीजन, पश्चिम क्षेत्र, दिल्ली नगर निगम ने जनवरी 2008 में पंखा सड़क (ग्रेड सेपरेटर) के डाबरी चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के कार्य को अगस्त 2010 में पूरा होने की तारीख के साथ एलए रोड शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 109.84 करोड़ की करार लागत पर कार्य सौंपा। 22 अगस्त 2014 को कार्य पूरा कर लिया गया था। अगस्त 2017 तक ठेकेदार को ₹ 105.77 करोड़ का भुगतान किया गया था।

डिवीजन ने दिसम्बर 2009 में आरओबी/आरयूबी शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 44.21 करोड़ की करार लागत पर दिसम्बर 2011 में पूरा होने की निर्धारित तारीख के साथ विजवासन (ओवर ब्रिज) पर रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर पुल के निर्माण और सड़क बनाने का एक अन्य कार्य भी प्रदान किया। यह कार्य 30 जून 2016 को ₹ 66.18 करोड़ की कुल लागत जिसमें ₹ 13.64 करोड़ की लागत वृद्धि शामिल है पर 54 महीने की देरी के साथ पूरा हुआ। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है:-

(i) कार्य के क्षेत्र में निविदा प्रक्रिया के बाद वृद्धि के लिए संशोधित तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त न करना

सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के सेक्शन 2.5 के अनुसार कार्य की तकनीकी संस्वीकृति इस बात की गारंटी है कि प्रस्ताव तकनीकी तौर पर मजबूत है और यह अनुमान सटीक तैयार है और पर्याप्त डाटा पर आधारित है। सेक्शन 2.5.1.(ग) के अनुसार अनुमान के तकनीकी रूप से स्वीकृत होने से पहले, विनिर्देशों के साथ विस्तृत वास्तुशिल्पीय चित्रण वांछनीय हैं। सेक्शन 2.5.2 के अनुसार 'तकनीकी संस्वीकृति' 10 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है उसके बाद संशोधित तकनीकी संस्वीकृति आवश्यक होगी। इसी प्रकार, यदि तकनीकी

संस्वीकृति के तदनरूप में भौतिक संरचानात्मक परिवर्तनों पर विचार किया जाता है तो प्राधिकरण के आदेशों को तकनीकी रूप से स्वीकृत किया जाना चाहिए, हालांकि इस तरह के परिवर्तनों के कारण कोई अतिरिक्त व्यय शामिल नहीं किया जा सकता है।

बिजवासन में ओवर ब्रिज का कार्य अर्वाड करने के बाद आरओबी के डिजाइन में महत्वपूर्ण संरचानात्मक परिवर्तन किए गए थे, इसके पहुंच की लंबाई, पाईल्स की संख्या, अधिरचना तथा स्पष्ट ऊंचाई में वृद्धि की गई। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप करार के संविदात्मक मात्रा की लागत में 61 प्रतिशत विचलन हुआ। करार की मात्रा के प्रति ₹ 17.60 करोड़ की एसओक्यू मदों का अधिक क्रियान्वयन किया गया और ₹ 9.56 करोड़ का कम क्रियान्वयन किया गया। इससे ठेकेदार को ₹ 8.33 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इसी प्रकार, डाबरी चौराहे के ग्रेड सेपरेटर के कार्य में 38.87 प्रतिशत का विचलन हुआ जिसमें एसओक्यू मदों का ₹ 19.35 करोड़ का अधिक क्रियान्वयन तथा ₹ 26.47 करोड़ का कम क्रियान्वयन था। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि दोनों कार्यों में तकनीकी संस्वीकृति पर्याप्त डेटा पर आधारित नहीं थी। आगे यह भी पाया गया कि सक्षम प्राधिकारी से संशोधित तकनीकी संस्वीकृति नहीं ली गई थी। इसके अलावा निविदाकरण के पश्चात कार्य के क्षेत्र में लागत में आवश्यक बदलाव किये बगैर परिवर्तन से टेंडरिंग प्रक्रिया की शुचिता और पारदर्शिता से भी समझौता किया गया।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अक्टूबर 2017 में कहा कि ओवर ब्रिज के कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन रेलवे द्वारा गिरडर की ऊंचाई में वृद्धि के कारण था। उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति के लिए प्रस्तुत नोट में रेलवे द्वारा ऊंचाई बढ़ाने के मुद्दे को नहीं लाया गया था। डिवीजन ने डाबरी चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर के परिप्रेक्ष्य में संशोधित तकनीकी संस्वीकृति नहीं मिलने के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

(ii) परिहार्य समय ओवररन और लागत में वृद्धि का भुगतान

सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के सेक्शन 15.1(2) के अनुसार, एनआईटी के अनुमोदन के लिये स्पष्ट साइट और धन की उपलब्धता पूर्व आवश्यक है।

बिजवासन ओवर ब्रिज का कार्य 1,483 दिनों की देरी के साथ पूरा हुआ जिसमें 1,439 दिनों की देरी भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण थी और डिवीजन ने कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद की अवधि के लिये लागत का स्तर बढ़ने के कारण ₹ 10.60 करोड़ का भुगतान किया। दिल्ली

जल बोर्ड की लाइनें, हाई टेंशन लाइनें, एमटीएनएल लाइनें, गैस पाइप लाइनों और अतिक्रमण को हटाने में देरी के कारण डाबरी चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर का कार्य 1,464 दिनों की देरी के साथ पूरा हुआ। कार्यों को अवाई करने से पहले यदि डिवीजन के द्वारा बाधामुक्त साइट सुनिश्चित कर ली जाती तो लागत और समय ओवररन से बचा जा सकता था।

मुआवजे के बिना कुल देरी के लिए समय का विस्तार उचित नहीं था क्योंकि कुछ कारणों जैसे कास्टिंग यार्ड के लिए नान हैण्डलिंग ओवर साइट तथा सेवाओं के स्थानांतरण में विलंब कार्य के सभी घटकों के लिए कुल बाधा के रूप में नहीं माना जाता है। उस दिन जिस पर इस करार से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य किया गया था या किया जा सकता था, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए उसी प्रकार से समय के विस्तार और विलंब के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने में ध्यान दिया जाना चाहिए। चूंकि दोनों कार्यों के लिए बाधाओं के रिकार्ड को निर्धारित तरीके से नहीं रखा गया था और महत्वपूर्ण जानकारियों और डेटा की कमी थी इसलिए आडिट में सटीक स्वीकार्य विलंब निकाला नहीं जा सकता था।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अक्टूबर 2017 में कहा था कि ओवर ब्रिज का कार्य पूरा होने में देरी मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण थी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने शेष मुद्दों पर टिप्पणी नहीं की।

(iii) कार्यों पर डिवीजन के स्वयं के व्यय की लोडिंग

डिवीजन को मैनपावर और भारी मशीनरी प्रदान करने के लिए मर्दें करार के एसओक्यू में शामिल की गई थी और इन मर्दों के लिए ठेकेदारों को ₹ 1.12 करोड़ का कुल भुगतान किया गया था जिसे तालिका 2.2.2. में दिखाया गया है:

तालिका 2.2.2: करार में सम्मिलित डिवीजन के उपयोग की मर्दें

क्र.स.	मर्दें	व्यय (₹ में)		कुल राशि (₹ में)
		ओवर ब्रिज	ग्रेड सेपरेटर	
1	दैनिक आधार पर बेलदार	6,60,000	5,40,000	12,00,000
2	ट्रैक्टर ट्राली	0	5,36,277	5,36,277
3	बेलदार के साथ टिप्पर	5,76,072	0	5,76,072
4	दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों के लिए ए.सी. कार का रखरखाव	22,99,977	34,88,625	57,88,602
5	कंप्यूटर आपरेटर	8,53,312	0	8,53,312
6	साइट आफिस का रखरखाव	0	22,00,000	22,00,000
कुल		43,89,361	67,64,902	1,11,54,263

करार पर डिवीजन के स्वयं के व्यय को लोड करना जीआईए का अनाधिकृत उपयोग है। हालांकि, ठेकेदार द्वारा मैनपावर और मशीनरी की आपूर्ति और डिवीजन द्वारा उनके उपयोग का कोई सबूत रिकार्ड में नहीं पाया गया।

ओवर ब्रिज के निर्माण के संबंध में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने कहा कि मशीनरी और मैनपावर का उपयोग सरकार के द्वारा व्यापक रूप से ध्वस्त करने की कार्रवाई के लिए किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं जैसा कि एसओक्यू में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि साइट को स्वच्छ और सुन्दर रखने के लिए मैन पावर को नियोजित किया गया और ट्रैक्टर ट्राली और टिप्पर का उपयोग साइट से उपयोगी सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए किया जाना था।

(iv) औचित्य और अनुमोदन के बिना अतिरिक्त मदों का क्रियान्वयन
ठेकेदारों को अतिरिक्त मदों के लिए ₹ 2.38 करोड़ का भुगतान किया गया था जैसे डिजाइनर दीवार टाइलें प्रदान करना, बैच मिश्रण कंक्रीट बिछाने, दिल्ली नगर निगम स्टाफ आदि के लिए वाहन प्रदान करना लेकिन इन मदों के लिए सक्षम प्राधिकारी का कोई औचित्य या अनुमोदन रिकार्ड में नहीं पाया गया। सक्षम प्राधिकारी के उचित औचित्य और अनुमोदन के अभाव में लेखापरीक्षा के दौरान यह पता नहीं लगाया जा सकता था कि क्या इन मदों का क्रियान्वयन वास्तविक आवश्यकता पर आधारित था। इसके अलावा, ईई ने अनियमित रूप से दो कम्प्यूटरों को ठेकेदार के माध्यम से ₹ 1.20 लाख की राशि से अतिरिक्त मद के रूप में खरीदा था। हालांकि, डिवीजन के स्टॉक रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं थी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बताया कि प्रतिदिन के रिकार्ड बनाने के लिए कंप्यूटर खरीदे गए थे। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंप्यूटर यदि वास्तव में आवश्यक थे तो ये कार्यालय आकस्मिकताओं के माध्यम से खरीदे जाने चाहिए थे। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने यह नहीं बताया कि इनकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में क्यों नहीं की गई थी।

(v) ठेकेदार को अनुचित भुगतान

करार में उल्लिखित एफई 415 सुदृढीकरण बार के स्थान पर एफई 500 सुदृढीकरण बार के उपयोग के लिए ग्रेड सेपरेटर कार्य के लिए ठेकेदार को ₹ 44.35 लाख का भुगतान किया गया था। करार की मदों के उपयोग न करने के कारण, करार के एफई 415 के स्थान पर एफई 500 का उपयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन और एफई 415 और एफई 500

के बीच में निकाले गये मूल्य का अन्तर रिकार्ड में उपलब्ध नहीं था। सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित नहीं की गई मदों के लिए ठेकेदार को किया गया भुगतान ठेकेदार को अनुचित भुगतान था।

(vi) अनावश्यक व्यय

ग्रेड सेपरेटर का कार्य अगस्त 2014 में पूरा किया गया था और ठेकेदार को बागवानी कार्यों के लिए एसओक्यू की एक मद के लिए ₹ 47.01 लाख का भुगतान किया गया था जिसमें भूमि की तैयारी/अच्छी भूमि/खाद उपलब्ध कराना, पौधो और पेड़ो और मैनपाँवर की आपूर्ति शामिल थी। लेखापरीक्षा ने व्यक्तिगत रूप से साइट (जून 2017) का दौरा किया और पाया कि फ्लाईओवर के आसपास या नीचे वनस्पति का कोई नामोनिशान नहीं था इसके स्थान पर, तीन बड़े कार्यालय परिसर अर्थात कार्यालय ईई प्रोजेक्ट-I और II, पश्चिम क्षेत्र, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और कार्यालय ईई, रखरखाव डिवीजन (पीडब्ल्यूडी) वहाँ पर स्थित थे। ऐसी स्थिति में, यह सत्यापित करना कठिन था कि क्या कार्य पहले ही कार्यान्वित हुआ था और बाद में इसे विघटित कर दिया था या यह कार्यान्वित ही नहीं हुआ था। दोनों ही स्थितियों में यह सरकारी खजाने का घाटा था।

2.2.8.3 परामर्शदाताओं की अनियमित तैनाती

सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के सेक्शन 6.13 में यह प्रावधान है कि निजी परामर्शदाता की नियुक्ति उसी स्थिति में की जा सकती है यदि महानिदेशक (डब्ल्यू) संतुष्ट हो जाए कि वास्तुविद स्टाफ पूरी तरह से भरा है। इसके अतिरिक्त, विभाग खुले विज्ञापन के आधार पर निजी परामर्शदाताओं का एक पैनल बना कर रखेगा और विशिष्ट मामले में निजी परामर्शदाता की नियुक्ति पैनल में मौजूद लोगो के लिए बोली आमंत्रित करने के आधार पर सीमित होगी। इस प्रकार, परामर्शदाता को यदि आवश्यक हो, दिल्ली नगर निगम के द्वारा स्वयं ही लगाया जाना था। हालांकि, तीन कार्यों¹⁶ में दिल्ली नगर निगम ने सलाहकारों को खुद ही नियुक्त करने के बजाय एनआईटी में परियोजना के लिए व्यापक परामर्श के लिए परामर्शदाता प्रदान करने के लिए एक क्लॉज भी शामिल किया। ठेकेदारों के माध्यम से परामर्शदाताओं की सहभागिता अनियमित थी।

¹⁶ (i) (कार्य-I) पंखा रोड के डाबरी चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण (ii) (कार्य-II) बिजवासन के रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज तथा पहुँचने के लिए सड़क का निर्माण एवं (iii) (कार्य-iii) रानी झ़ाँसी रोड पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण

ग्रेड सेपरेटर डाबरी मोड (कार्य-I), ओवर ब्रिज बिजवासन (कार्य- II) और रानी झांसी सड़क ओवर ब्रिज का कार्य (कार्य-III) के ठेकेदारों ने परामर्श के कार्य के लिए क्रमशः ₹ 1.49 करोड़, ₹ 24.37 लाख और ₹ 1.30 करोड़ उद्दत किया। ठेकेदारों को भुगतान कार्य-I और II में उद्दत दरों के अनुसार किया गया था। कार्य-I के ठेकेदारों ने मार्च 2008 में एक परामर्शदात्री फर्म के साथ इस कार्य के लिए ₹ 1.10 करोड़ के शुल्क पर व्यापक परामर्श प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जबकि करार में उनके द्वारा उद्दत राशि ₹ 1.49 करोड़ थी। इस प्रकार, दिल्ली नगर निगम ने ठेकेदार को ₹ 39 लाख ज्यादा फीस का भुगतान किया जिस पर उन्होंने परामर्शदाता को तैनात किया था। इस राशि को बचाया जा सकता था यदि दिल्ली नगर निगम अपने आप परामर्शदाता को सीधे तौर पर तैनात करती। कार्य-II और कार्य III के ठेकेदारों द्वारा परामर्शदाता को जारी किया गया औपचारिक नियुक्ति पत्र और उन्हें किए गए भुगतान का विवरण लेखा परीक्षा को नहीं उपलब्ध कराया गया।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने उत्तर दिया कि एजेंसी द्वारा परामर्शदाता को तैनात करना अन्य संगठनों में एक आदर्श परिपाटी है। हालांकि, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने कार्य मैनुअल के प्रावधानों को न मानने के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया।

2.2.8.4 अधूरे कार्य और मोबिलाइजेशन अग्रिम की गैर-वसूली

दिल्ली नगर निगम ने दिसम्बर 2010 में जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत टिगरी सड़क एमबी रोड़ से दुर्गा विहार, देवली रोड़ एमबी रोड़ से देवली गाँव, एसएसएन मार्ग के गाँव के हिस्से में तथा ईपीडीपी मार्ग और कालकाजी के बीच रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) के जरिए ₹ 29.96 करोड़ की लागत से सुधार के लिए कार्य का आबंटन किया जिसकी कार्य पूरा होने की तिथि जनवरी 2012 थी जिसके लिए मई 2011 में ठेकेदार को ₹ 1.50 करोड़ की राशि ब्याज सहित मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में जारी की गई। अक्टूबर 2013 तक ठेकेदार को ₹ 7.55 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था इसके बाद, ठेकेदार ने निर्माण स्थल से लेबर एवं मशीनरी इंजीनियर-इन-चार्ज की अनुमति के बिना वापस ले ली। इस समय तक मोबिलाइजेशन अग्रिम के केवल ₹ 67.79 लाख वसूले गए थे और एसओक्यू के 18 अनुबंधित मर्दों में से केवल 10 मर्दों का आंशिक रूप से क्रियान्वयन किया गया था और 8 मर्दों को अभी तक बिल्कुल भी कार्यान्वित नहीं किया गया था। हालांकि कार्य रुका पड़ा था, ठेकेदार को पुनः दिसम्बर 2014 तक, ₹ 22.51 लाख का भुगतान किया गया था। मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली इन भुगतानों से भी प्रभावित

नहीं हुई थी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने इस ठेकेदार के माध्यम से या ठेकेदार के जोखिम और लागत पर किसी अन्य ठेकेदार के जरिए कार्य पूरा नहीं किया। दिल्ली नगर निगम के पास मोबिलाइजेशन अग्रिम के प्रति ₹ 1.50 करोड़ (दिसंबर 2017 तक की वैधता के साथ) की बैंक गारंटी थी परंतु इसे बकाया वसूली के लिये केश नहीं कराया गया था। अक्टूबर 2017 तक मोबिलाइजेशन अग्रिम और उसके ब्याज के कारण ठेकेदार के पास ₹ 1.07 करोड़ की राशि वसूली के लिए पड़ी हुई थी। इस प्रकार, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्णय न लेने के परिणामस्वरूप कार्य पूर्ण नहीं हुआ और ₹ 1.07 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम की गैर वसूली हुई, हालांकि ठेकेदार के द्वारा 2013 में तीन साल से अधिक से पहले कार्य को छोड़ दिया गया था।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने कहा कि दो सड़कों को छोड़कर कार्य के क्षेत्र के अनुसार सड़क पर आंशिक कार्य किया गया था। यह भी कहा गया था कि ठेकेदार को वसूली के लिए पत्र लिखा गया था (अक्टूबर 2017)। जवाब स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि दिल्ली नगर निगम के पास मोबिलाइजेशन अग्रिम और बयाना धन की ₹ 25 लाख की बकाया राशि के प्रति ₹ 1.50 करोड़ की वैद्य बैंक गारंटी थी, जिसे मोबिलाइजेशन अग्रिम की बकाया की वापसी तथा ठेकेदार द्वारा गैर-निष्पादन के मुआवजे के लिए नहीं भुनाया गया यद्यपि ठेकेदार ने कार्य को अक्टूबर 2013 में छोड़ दिया था।

2.2.8.5 अपर्याप्त रूप से नियोजित सड़क निर्माण कार्य

डेरा भाटी रोड (रोड-I) के चौड़ीकरण, सुधार और सुदृढीकरण के कार्य के साथ नाले के निर्माण का कार्य परियोजना डिवीजन, दक्षिणी-II के द्वारा जून 2011 में ₹ 26.80 करोड़ की करार राशि पर केन्द्रीय सड़क फंड के अंतर्गत अगस्त 2012 में पूरा होने की निर्धारित तारीख के साथ प्रदान किया गया था। इसी तरह, गदाईपुर बंध सड़क (रोड-II) के चौड़ीकरण, सुधार और सुदृढीकरण के एक और कार्य को जनवरी 2012 में ₹ 11.58 करोड़ की लागत से जनवरी 2013 में पूरा होने की निर्धारित तारीख के साथ डिवीजन के द्वारा दिया गया। आर.ए. बिलों के माध्यम से रोड-I और रोड-II के लिए मार्च 2014 और अप्रैल 2015 में क्रमशः ₹ 26.26 करोड़ एवं ₹ 11.53 करोड़ का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि जब कार्य को अवाई किया उस समय रोड-I तथा रोड-II के चौड़ीकरण करने के हिस्से में 77 एवं 221 पेड़ मौजूद थे। डिवीजन ने जुलाई 2011 में रोड-I पर मौजूद 77 पेड़ों की कटाई की अनुमति के लिए वन विभाग को आवेदन किया। वन विभाग के डिप्टी कंजर्वेटर (डीसीएफ) ने डिवीजन से कुछ स्पष्टीकरण 20 दिसम्बर 2011 को

मांगा था। उसके बाद डिवीजन के द्वारा मामले पर विचार नहीं किया गया। रोड-II के कार्य को अवाई करने के दो साल के बाद 8 मई 2014 को डिवीजन ने पेड़ काटने की अनुमति के लिए वन विभाग को मामला उठाया। डीसीएफ (दक्षिणी) ने नवम्बर 2014 में दिल्ली नगर निगम से सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में ₹ 96.60 लाख जमा करने और पेड़ों की कटाई के बदले प्रस्तावित प्रतिपूरक वृक्षारोपण के स्थानों के विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा। ना तो पैसा और न ही कोई अन्य दस्तावेज डीसीएफ को सौंपे गए थे। दोनों सड़कें पेड़ों को हटाए बिना बनाई गई थी। सड़कों को पीडब्ल्यूडी को अगस्त 2014 में सौंप दिया गया था। 5,760 मीटर की लम्बाई में रोड-I पर 77 पेड़ों तथा 2,850 मीटर की लम्बाई में रोड-II पर 221 पेड़ों की मौजूदगी के कारण इन सड़कों की व्यवहारिकता और उपयोगिता पर सवाल खड़ा हो गया। पीडब्ल्यूडी ने बार-बार डिवीजनों से पेड़ों को हटाने के लिए अनुरोध किया क्योंकि इन पेड़ों की वजह से घातक दुर्घटनाएँ हो रही थी। हालांकि जुलाई 2017 तक पेड़ों को नहीं हटाया गया था।

सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी दिल्ली नगर निगम के द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई थी। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि अगस्त 2014 में सड़कों को लेने के तुरंत बाद से ही पीडब्ल्यूडी ने सड़कों की खराब गुणवत्ता की शिकायते शुरू कर दी थी लेकिन उन्हें दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने नहीं सुना। कार्य पूरा होने के पाँच साल तक सड़क और जल निकासी के रख-रखाव का कार्य ठेकादार के द्वारा किया जाना था। पीडब्ल्यूडी ने डिवीजन से कमियों को दूर करने के लिए कहा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नतीजतन, पीडब्ल्यूडी को नाले की मरम्मत पर ₹ 42.69 लाख का खर्च करना पड़ा। इस प्रकार से ₹ 38.22 करोड़ के व्यय के बावजूद भी चौड़ी एवं बेहतर सड़कों की अभीष्ट सुविधा सार्वजनिक रूप से जनता को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अक्टूबर 2017 में कहा था कि रोड-I के ठेकेदार को क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के लिए जुलाई 2017 में कहा गया था। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने यह भी कहा कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए रोड-I के चौड़ीकरण को फिर से रीएलाइण्ड किया गया था। उत्तर से यह स्पष्ट है कि ऑडिट में बताए जाने के बाद विभाग ने जुलाई 2017 में ठेकेदार के साथ मामला उठाया था जबकि पीडब्ल्यूडी ने सड़क की खराब गुणवत्ता के बारे में शिकायते अगस्त 2014 में शुरू कर दी थी। हालांकि, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने रोड-I के एलाइन्मेंट में बदलाव के बारे में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था। लेखापरीक्षा का मानना है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा व्यय किये गये ₹ 42.69 लाख को ठेकेदार की दक्षिणी दिल्ली नगर

निगम में दी गई बैंक गारंटी जो कि 19 नवंबर 2018 तक मान्य है, से वसूल किया जाना चाहिए था।

2.2.8.6 अनुचित व्यय

एक बिटुमिनस सड़क में मुख्य रूप से तीन स्तर होते हैं (i) वाटर बाउंड मैकाडम (डब्ल्यूबीएम) जो कि उप आधार स्तर के रूप में जाना जाता है तथा जो सड़क की नींव बनाता है। (ii) बिटुमिनस मैकाडम (बीएम)/डेंस बिटुमिनस मैकाडम (डीबीएम) स्तर सड़क की नींव सामग्री के रूप में और (iii) बिटुमिनस कंक्रीट (बीसी) सड़क के सबसे ऊपर की परत है जिसे विअरिंग कोर्स के रूप में जाना जाता है तथा जिसे बिटुमिन के साथ एक विनिर्दिष्ट ग्रेडिंग प्री मिक्सड क्रशड स्टोन एग्रीगेट से बनाया जाता है, या पहले से बिछे नींव स्तर के ऊपर बिटुमिनस बाइंडर के साथ छोटे आकार के कुल प्रीमिक्स की ओपन ग्रेड प्रीमिक्स सतह रखी जाती है। इस प्रकार सड़क की ऊपरी परत का निर्माण या तो बिटुमिन के साथ बीसी जिसमें कोरस/फाइन एग्रीगेट प्रीमिक्स के साथ या बिटुमिनस बाइंडर के साथ ओपन ग्रेड स्माल साइज एग्रीगेट प्रीमिक्स के साथ किया जाता है। यह परत सड़क की परिवहन क्षमता को गुणवत्ता प्रदान करता है और यात्रियों के सीधे संपर्क में आता है। इस परत के पश्चात पानी से सड़कों की रक्षा के लिए सील कोट लगाया जाता है।

(क) प्रोजेक्ट-1 डिवीजन, शाहदरा (उत्तर) ने जनवरी 2010 में शाहदरा सहारनपुर रेलवे लाइन आरओबी के साथ बरसाती नाला, फुटपाथ और सर्विस सड़क को चौड़ा करने के कार्य को एलए रोड शीर्ष के अधीन ₹ 6.44 करोड़ की लागत से प्रदान किया। कार्य के तहत, एक नई सर्विस सड़क को प्रीमिक्स कारपेटिंग और सील कोट करके चौड़ा करना तथा बनाना था यह कार्य 28 दिसम्बर 2012 को ₹ 6.42 करोड़ की लागत से पूरा हो गया था। जब कार्य प्रगति पर था, डिवीजन ने फरवरी 2012 में इसी सर्विस सड़क को मजबूत करने का कार्य दोबारा बीएम और बीसी प्रदान करने के लिए ₹ 4.09 करोड़ में दिया जो कि जून 2012 में ₹ 3.38 करोड़ में पूरा हुआ। इस प्रकार, सड़क के निर्माण के तुरंत पश्चात सड़क के सुदृढीकरण का कार्य संदेहास्पद है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.38 करोड़ का अनुचित व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, यदि बीसी एवं बीएम इस सड़क में प्रयुक्त किये गये थे, तो इन्हें प्रथम करार में भी सम्मिलित किया जाना चाहिये थे।

(ख) एम-1 डिवीजन, शाहदरा (उत्तर) ने जोहरीपुर सड़क के यू.पी. सीमा से शिव विहार तिराहा और ब्रिज पुरी, वजीराबाद सड़क से शिव विहार

तिराहा के मरम्मत कार्य को जिसमें डब्ल्यूबीएम, प्रीमिक्स कार्पेट सर्फसिंग तथा सील कोट होना था, जून 2011 में ₹ 75.01 लाख की लागत से अवार्ड किया जो कि दिसम्बर 2011 में पूरा हुआ था। अगस्त 2012 में डिवीजन ने प्रोजेक्टस-I, डिवीजन, शाहदरा (उत्तर) से अनुरोध किया था कि समय से पहले सड़क के सुदृढीकरण के कारणों को स्पष्ट किए बिना ही उसी सड़क के डेन्स कारपेटिंग का कार्य प्रारंभ करें। परियोजना-I डिवीजन ने जून 2013 में इन सड़कों के सुधार और सुदृढीकरण के कार्य को जो बीएम और बीसी के द्वारा होना था ₹ 2.66 करोड़ में अवार्ड किया। हालांकि ठेकेदार को दिसम्बर 2013 तक कुल ₹ 2.77 करोड़ का भुगतान हुआ जिसमें लागत में बढ़ोतरी के कारण ₹ 11.19 लाख भी शामिल थे फिर भी कार्य अगस्त 2017 में प्रगति पर था।

इस प्रकार, एक सड़क के अनुचित सुदृढीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.77 करोड़ का अनुचित व्यय हुआ था। कार्य के पूरा होने को रिकार्ड न करना और रनिंग बिल के चार साल बाद भी बिल को फाइनल न करना यह आश्वासन नहीं देते कि कार्य वास्तव में हुआ था।

2.2.8.7 सड़क की अपूर्ण रिमॉडलिंग के कारण निष्फल व्यय

वजीराबाद सड़क से शिव विहार तिराहे तक स्थित करावल नगर सड़क की लंबाई 4.2 किलोमीटर है। यूडीडी ने अगस्त 2006 में इस सड़क के एक किमी तक की लंबाई अर्थात् वजीराबाद सड़क से शेरपुर चौक तक के चौड़ीकरण के लिए ट्रांस यमुना एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (टीवाईएडीबी) की ₹ 4.85 करोड़ के अनुमोदन की जानकारी दी। लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ निम्नानुसार हैं:

- i. इस सड़क के एक किलोमीटर तक की लंबाई के चौड़ीकरण का कार्य दिल्ली नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया था। कार्य को क्रियान्वित ना करने के कारण रिकार्ड में नहीं मिले। अप्रैल 2007 में, टीवाईएडीबी ने सड़क के 3.2 किलोमीटर शेष भाग अर्थात् शेरपुर चौक से शिव विहार तिराहा तक को चौड़ा करने के लिए ₹ 21.78 करोड़ की अतिरिक्त राशि की संस्वीकृति दी थी। इस बार प्रोजेक्ट-II डिवीजन, शाहदरा (उत्तर) ने अगस्त 2010 में फुटपाथ को ऊपर उठाने के कार्य के साथ इस सड़क के 1.450 किलोमीटर के छोटे से भाग चाँद बाग पुलिया से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दयालपुर तक के विस्तार, सुधार और सुदृढीकरण के कार्य को ₹ 11.67 करोड़ की करार लागत पर अवार्ड किया। निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख फरवरी 2012 थी। मार्च 2013 में भुगतान

किए गए 10 वें आरए बिल तक ठेकेदार को कुल ₹ 8.34 करोड़ का भुगतान किया गया था। संबंधित सड़क का लेखापरीक्षा द्वारा पूर्वी दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी के साथ दिनांक 21 जुलाई 2017 को दौरा किया गया तथा यह पाया गया कि सड़क पर नाले के ऊपर एक पुलिया थी जिसका रखरखाव सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, जीएनसीटीडी के द्वारा किया जा रहा था। इस करार के अंतर्गत डिवीजन द्वारा पुलिया के दोनों ओर से सड़क को चौड़ा कर दिया गया था परन्तु पुलिया को ना तो




चौड़ी की गई करावल नगर सड़क के बीचो बीच संकरी पुलिया

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा और ना ही सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा चौड़ा किया गया। संकरी पुलिया के कारण सड़क के चौड़ीकरण की सुविधा का उपयोग करने में एक बड़ी रूकावट बनी हुई थी।

- ii. अनुमोदित योजना के अनुसार, सड़क के दोनों किनारों पर सीमेंट कंक्रीट प्रतिबंध और पेवर बलोक के साथ उठे हुए फुटपाथ बनाया जाना था, जिसका निर्माण नहीं किया गया था। टीवाईएडीबी ने 4.2 किमी की करावल नगर सड़क को चौड़ा करने की संस्वीकृति दी थी। हालांकि, इस करार के तहत सिर्फ 1.450 किमी के एक छोटे से भाग को चौड़ा और सुदृढ़ किया गया। शेष 2.750 किमी की सड़क की लंबाई को चौड़ा करने और सुदृढ़ करने के लिए कार्य नहीं किया गया जिसके कारण रिकार्ड में नहीं मिले। दयालपुर विद्यालय से सड़क बहुत ही संकीर्ण है और बगैर सैन्ट्रल वर्ज के है। इसलिए ₹ 8.34 करोड़ के व्यय के बावजूद निवासियों को पूरा लाभ नहीं दिया जा सका और पूरा खर्चा निष्फल रहा।
- iii. 10वें आरए बिल से पता चलता है कि डिवीजन ने ठेकेदार को सड़क के पुनर्निर्माण प्रिमीक्स कारपेटिंग और सील कोट के लिए ₹ 22.02 लाख का भुगतान किया था लेकिन मई 2013 में ईई ने एक अन्य कार्य इसी सड़क पर डैन्स कारपेटिंग प्रदान करने के लिए ₹ 2.48 करोड़ में अर्वाइ किया। यह कार्य जुलाई 2013 में ₹ 2.52 करोड़ की लागत से पूरा हुआ। यह इंगित करता है कि मार्च 2013 में पूरा किया सड़क निर्माण कार्य का

दोबारा जुलाई 2013 में सुदृढ़ीकरण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.52 करोड़ का अनुचित व्यय हुआ।

iv. संबंधित सड़क को जुलाई 2013 में मजबूत किया गया था लेकिन



करावल नगर सड़क की खराब स्थिति

फिजीकल विजिट के दौरान यह पाया गया कि सड़क बहुत ही जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी और इसमें बड़े गड्ढे थे। यद्यपि यह वारंटी अवधि के तहत थी, डिवीजन ने कमियां ठेकेदार के द्वारा ठीक नहीं करवाई।

2.2.8.8 सड़क सुदृढ़ीकरण अधूरा रहना

टीवाईएडीबी ने (जून 2012) डेंस कारपेटिंग द्वारा परिवहनमार्ग का विकास, साइड बर्म का विकास तथा मौजूदा नाली का विकास और उत्थान सहित लोनी सड़क के पूर्व में डीडीए के एमआईजी और एलआईजी फ्लैटों के अंदर की सड़कों के विकास और सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 160.10 लाख संस्वीकृत किया। परियोजना-1 डिवीजन, शाहदरा उत्तर ने निर्दिष्ट सड़कों पर बीएम और बीसी उपलब्ध और बिछाने का कार्य (दिसम्बर 2012) सौंपा। हालांकि, साइड बर्म और मौजूदा नालियों के विकास का कार्य संविदा में सम्मिलित नहीं थे जिसके लिए अभिलेख में कोई कारण नहीं पाए गए थे। ₹ 96.98 लाख की लागत पर सितम्बर 2013 में यह कार्य पूरा कर लिया गया था। बिना रख-रखाव के साइड बर्म पैदल चलने वालों के साथ-साथ वाहनों के लिए भी खतरनाक है। इसी प्रकार, सड़क मार्ग से बारिश का पानी निकालने का पर्याप्त प्रबंधन भी अच्छी सड़क अवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक है।

2.2.8.9 बेस कोर्स के बिना मास्टिक अस्फाल्ट का लगाया जाना

एमओआरटीएच विनिर्देश में मास्टिक कारपेटिंग एक परिभाषित शब्द नहीं है। हालांकि एमओआरटीएच विनिर्देश के सेक्शन 515.4.2 पहले बनाए गए बेस कोर्स पर मास्टिक अस्फाल्ट बिछाने के लिए प्रदत्त है। हालांकि, यह पाया गया था कि छः डिवीजनों ने अप्रैल 2012 से मार्च 2017 के दौरान बिना बेस तैयार किए विघटित अवस्था की सड़कों पर बिटुमिन मास्टिक कारपेट प्रदान करने के द्वारा विकास एवं सुदृढ़ीकरण के 11 कार्यों हेतु ₹ 8.09 करोड़ खर्च किए। चूंकि बेस तैयार किये बगैर सिर्फ मास्टिक कारपेटिंग बिछाने से सड़क

का सुदृढीकरण/विकास एमओआरटीएच में विनिर्दिष्ट नहीं है, इसलिए लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या इन कार्यों के माध्यम से इन सड़कों के सुदृढीकरण के इच्छित परिणाम प्राप्त किए गए थे।

2.2.8.10 सहायता अनुदान का अनाधिकृत उपयोग

जीएनसीटीडी ने वर्ष 2007 में 'आईएसबीटी की पूर्वी पहुंच से लेकर उत्तर प्रदेश सीमा तक के जीटी सड़क के चौड़ीकरण, विकास, सुदृढीकरण और सौंदर्यीकरण' की एक योजना को मंजूरी दी। परियोजना-11 डिवीजन, शाहदरा (उत्तर) ने हालांकि शिव मंदिर से सड़क संख्या 66 तक साइड लेन सहित नई सीलमपुर से शिव मंदिर तक आरसीसी नाली के निर्माण हेतु अनाधिकृत रूप से इस योजना के अधीन प्राप्त निधियों को लगा दिया जिसे सितम्बर 2012 में ₹ 2.08 करोड़ की संविदात्मक लागत पर प्रदान किया था। कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि मई 2013 थी। दिल्ली नगर निगम ने नवम्बर 2013 तक ठेकेदार को ₹ 1.08 करोड़ भुगतान किया तथा उसके पश्चात् कार्य की कोई प्रगति अभिलिखित नहीं की गयी थी।

2.2.8.11 ठेकेदार को अनुचित भुगतान

गुणवत्ता नियंत्रण सर्किल (क्यूसीसी) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, सीआरआरआई को तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन के लिए शुल्क, कार्य के ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना था। हालांकि, यह पाया गया था कि परियोजना-11 डिवीजन, शाहदरा (उत्तर), पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कार्य आदेश सं. 07/2015-16 दिनांक 12 जून 2015 के माध्यम से प्रदत्त कार्य हेतु सीआरआरआई को उनके द्वारा किए गए भुगतान के प्रति ठेकेदार को ₹ 8.98 लाख का भुगतान किया। जैसाकि यह व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना था इसलिए ठेकेदार को इस संदर्भ में भुगतान अनियमित था और यह ठेकेदार से वसूल किया जाना चाहिए।

2.2.8.12 नौरोजी नगर और पुष्प विहार में नाले को अधूरा कवर करने पर ₹ 40.58 करोड़ का अपव्यय

दिल्ली विकास प्राधिकरण, शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), भा.स. की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 7 अगस्त 2009 के अनुसार, दिल्ली में सभी परिवहन परियोजनाएँ/परिवहन इंजीनियरिंग जो किसी भी एजेंसी के द्वारा किये जाने हो तथा जिसके पास सड़क इंजीनियरिंग/अवसंरचना निहितार्थ हो, को डीडीए के एकीकृत आवागमन एवं परिवहन अवसंरचना (योजना और इंजीनियरिंग) केन्द्र (यूटीटीआईपीईसी) की मंजूरी की आवश्यकता होगी। 19 फरवरी 2010 को यूटीटीआईपीईसी शासी निकाय ने, पर्यावरणीय कारणों से,

निर्णय लिया कि अब से नालियों को कवर किसी भी एजेंसी द्वारा नहीं किया जाएगा और नालियों को स्थानीय पारिस्थितिक और परिदृश्य के साथ विकसित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) कनेक्टिविटी मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। जैसाकि जेएनएनआरयूएम के अंतर्गत अनुमोदित दिल्ली नगर निगम की कुछ परियोजनाओं को यूटीटीआईपीईसी का अनुमोदन नहीं प्राप्त हुआ था, एमओयूडी ने 4 नवम्बर 2010 को निर्देशित किया कि दिल्ली नगर निगम ऐसी परियोजनाओं के स्थान पर अन्य परियोजनाएं मंत्रालय की अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर सकती है।

एमओयूडी, भा.स. ने जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत पार्किंग/सड़क सह पार्किंग प्रदान करने के लिए नौरौजी नगर (₹ 51.20 करोड़) एवं पुष्प विहार (₹ 233.00 करोड़) में नाला कवर करने की परियोजनाओं हेतु वित्त पोषण के अनुमोदन की सूचना दिसम्बर 2009 में दी। दिल्ली नगर निगम ने यूटीटीआईपीईसी को प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया बल्कि यूटीटीआईपीईसी के निर्देशों से छूट प्राप्त करने के लिए सीधे उप राज्यपाल से संपर्क किया। उप राज्यपाल ने दिल्ली नगर निगम के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया तथा इन हिस्सों में पर्यावरण अनुकूल इको-मोबिलिटी गलियारा विकसित करने के लिए शीघ्र निविदा शुरू करने और एक खुली बोली प्रक्रिया लिए जाने का निर्देश दिया।

दिल्ली नगर निगम ने पुनः 16 मई 2011 को उप राज्यपाल के पास नालों को इस तरीके से कवर करने हेतु नीति को अंतिम रूप देने का आवेदन किया जिसमें इन नालों में विभिन्न चैनलों के माध्यम से पानी का रिसाव हो सके। हालांकि यह देखा गया था कि यूटीटीआईपीईसी दिनांक 19 फरवरी 2010 के निर्णय का कोई संदर्भ नोट में नहीं लिया गया था। उप राज्यपाल ने अवधारणा को अनुमोदित किया। इसके बाद दिल्ली नगर निगम ने अनुमोदित अवधारणा पर आधारित इन नालों को कवर करने के लिए डिजाइन एवं ड्राइंग की मंजूरी हेतु यूटीटीआईपीईसी को प्रस्तुत नहीं किया और ईई (परियोजना-I) दक्षिणी तथा ईई (परियोजना-I) सैन्ट्रल ने, सितम्बर 2012 में, ₹ 33.38 करोड़ की संविदात्मक लागत पर नौरौजी नगर नाला एवं ₹ 163.21 करोड़ की संविदात्मक लागत पर पुष्प विहार नाला को कवर करने हेतु निर्माण कार्य अवाई किया। यूटीटीआईपीईसी के निर्देशों के विरुद्ध नाले को कवर करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में दर्ज एक आवेदन पर, एनजीटी ने 13 जनवरी 2015 को किसी भी नाले को कवर नहीं करने का निर्देश दिया।

इसके पश्चात् इन कार्यों पर ₹ 33.73 करोड़ के कुल व्यय करने के पश्चात् सितम्बर 2015 में दोनों संविदाओ को समाप्त कर दिया गया।



पुष्प विहार नाले को कवर करने का छोड़ा गया कार्य

दिल्ली नगर निगम ने सीआरएफ के अंतर्गत जाफराबाद के समीप मंडोली सड़क से नाला संख्या 1 तक नाले के ऊपर सड़क के निर्माण हेतु अन्य कार्यों में, फरवरी 2012 में एमओआरटीएच, भा.स. से प्राप्त अनुमोदन यूटीटीआईपीईसी के निर्देशों की अनदेखी कर रहा है। ईई (परियोजना)-I शाहदरा ने बीएसईएस, डीजेबी एवं वन विभाग को ऐसे भुगतान पर इस परियोजना के पूर्व संविदात्मक आरंभिक कार्यों पर ₹ 6.85 करोड़ का व्यय किया गया फिर भी एनजीटी के आदेशों के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, नाले को कवर करने का कार्य प्रदान करने में यूटीटीआईपीईसी निर्देशों के उल्लंघन और बगैर इसके मंजूरी के कारण, न केवल ₹ 40.58 करोड़ का अपव्यय हुआ, बल्कि इसने पुष्प विहार और नोरौजी नगर में नाले का हाल भी अत्यंत बुरा कर दिया क्योंकि एनजीटी के निर्देशों के बावजूद अधूरे सुदृढीकरण की जगह से सलाखों को नहीं हटाया गया। परिणामस्वरूप, ये न केवल नालों की सफाई बाधित कर रहे हैं बल्कि पानी के मुक्त प्रवाह को भी अवरुद्ध कर रहे हैं। आगे वहां पर्यावरण की अप्राप्य क्षति हुई क्योंकि मंडोली जाफराबाद नाला को कवर करने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा 249 पेड़ों को काटे गए थे।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने उत्तर दिया कि यूटीटीआईपीईसी के निर्णय को टिप्पण दिनांक 16 मई 2011 के माध्यम से उप राज्यपाल के संज्ञान में लाया गया था तथा उप राज्यपाल ने कार्य के क्रियान्वयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उप राज्यपाल ने कभी भी यूटीटीआईपीईसी के अनुमोदन के बिना कार्य के क्रियान्वयन के लिए

अनुमोदन प्रदान नहीं किया है। सिर्फ एक अवधारणा उप राज्यपाल द्वारा अनुमोदित की गयी थी।

2.2.8.13 एलिवेटेड सड़क परियोजना की लागत में असमान्य विलंब एवं वृद्धि

आजाद बाजार और बाड़ा हिन्दु राव के घनी आबादी वाले वाणिज्यिक इलाकों में भीड़भाड़ वाले रानी झांसी सड़क पर बाधाओं को दूर करने के लिए तथा अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, कश्मीरी गेट एवं ईदगाह के बीच बाधा मुक्त कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए उप राज्यपाल ने रानी झांसी सड़क पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन तथा ₹ 177.72 करोड़ व्यय की संस्वीकृति दी (जुलाई 2006)। इस अनुमोदित लागत में ₹ 75.40 करोड़ के ग्रेड सेपरेटर का निर्माण, भूमिगत उपयोगिताओं का निष्कासन तथा ₹ 96.42 करोड़ के भूमि अधिग्रहण की राशि आकस्मिकताओं तथा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए ₹ 5.90 करोड़ आदि शामिल हैं।

सदर पहाड़गंज परियोजना डिवीजन ने अक्टूबर 2010 में समाप्ति की निर्धारित तिथि के साथ ₹ 93.84 करोड़ के संविदात्मक लागत पर जून 2008 में संविदा प्रदान करने के लिए दो वर्ष लिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

i) दिल्ली नगर निगम ने प्रशासनिक अनुमोदन एवं कार्य अवाई करने से पूर्व परियोजना नियोजन में कारक संबंधित मामलों के लिए प्रभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए इलाकों का व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया। ग्रेड सेपरेटर को इसकी सिधाई में पड़ने वाले एक पूजा स्थल को पार करना था और इसीलिए ग्रेड सेपरेटर के सिधाई/डिजाईन में संशोधन समेत समुदायिक विरोध तथा संभावित समाधान यथेष्टतया नियोजित किया जाना चाहिए। दिल्ली नगर निगम ने ध्यान नहीं दिया कि ग्रेड सेपरेटर की सिधाई में एक रेलवे ट्रैक पड़ता था एवं रेलवे द्वारा इसके ऊपर पुल का निर्माण तथा इसकी लागत एवं समयसीमा को रेलवे के साथ परामर्श द्वारा इस परियोजना में विचार किया जाना चाहिए था।

ii) दिल्ली नगर निगम ने आवासीय, व्यावसायिक और सरकारी संपत्तियों की उपस्थिति का पर्याप्त रूप से अनुमान नहीं लगाया जिन्हें पुनः स्थापित करना/मुआवजा दिया जाना था। जिसके परिणामस्वरूप, क्रियान्वयन के दौरान आवर्ती रुकावटें हुई थी तथा ग्रेड सेपरेटर कार्य जिसे अक्टूबर 2010 तक पूरा कर लिया जाएगा मानित था उस पर ₹ 58.79 करोड़ व्यय करने के बावजूद अगस्त 2017 तक कार्य प्रगति में था। अनुमानित मूल लागत ₹ 177.72 करोड़ को संशोधित (अगस्त 2014) कर ₹ 724.22 करोड़ कर दिया गया था।

डिवीजन ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद परियोजना को पूरा करने में अपना सर्वोत्तम प्रयास लगाया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कार्य अपर्याप्त रूप से नियोजित था जिसके परिणामस्वरूप, एक महत्वपूर्ण विघटित परियोजना इसके अनुमोदन के 10 वर्षों के बाद भी अधूरी रह गयी थी। इसके अतिरिक्त, लंबे समय तक निर्माण कार्य ने इलाके के निवासियों एवं आगंतुकों के लिए अस्तव्यस्तता और कठिनाईया पैदा की।

iii) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत एसपीजेड परियोजना डिवीजन ने (अगस्त 2007) रानी झांसी रोड पर ग्रेड सेपरेटर के कार्य हेतु मद दर निविदा आमंत्रित किया। कार्य ₹ 93.84 करोड़ की राशि पर एकल बोली दस्तावेज पर सौंपा गया। मूल्य बोली दस्तावेज दर्शाते हैं कि प्रारंभिक रूप से दिये गये मूल्यों में कटिंग के द्वारा मात्रा की सूची के तीन मदों में बढ़ाकर संशोधित किया गया था। एकल बोली में वृद्धि के द्वारा संशोधन न्यायोचित नहीं है। लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐसे परिवर्तनों ने मूल्य बोली के अन्य संबंधित स्थानों को प्रभावित नहीं किया था। लगातार संशोधन का प्रभाव कुल मूल्य बोली में ₹ 5.22 करोड़ अर्थात ₹ 93.44 करोड़ से ₹ 98.66 करोड़ तक वृद्धि में पड़ा।

एसपीजेड परियोजना डिवीजन ने उत्तर दिया (जुलाई 2017) कि वित्तीय बोली में बोलीदाताओं द्वारा दरों में की गई कटौती को संबंधित लेखाकार द्वारा बारीकी से चिन्हित/नोट कर लिया गया था तथा साथ ही ईई द्वारा सत्यापित भी किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है। सुधार के पक्ष पर अस्पष्ट अद्याक्षर स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संशोधन का साक्ष्य निविदा खोलने वाली समिति से की गई टिप्पणियों द्वारा समर्थित नहीं थे जैसे कि ये मूल्य बोलियों के प्रस्तुतीकरण से पूर्व किए गए थे। इसके अतिरिक्त, बोलियों को खोलते समय नोट किए गए मूल्य बोलियों में लिपिकीय तथा अंकगणितीय गलतियों का सुधार न्यायोचित हो सकता है लेकिन इस मामले में, मूल्य बोली दस्तावेज में मूल दरों के दो लगातार संशोधनों के साक्ष्य थे, और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए, दिल्ली नगर निगम कार्मिकों द्वारा निविदा चरण के बाद गलत रूप से दरों में वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सका, विशेष रूप से जब से यह एकल निविदा के रूप में था।

2.2.8.14 किशन गंज में आरयूबी के क्रियान्वयन में विलंब के कारण लागत वृद्धि एवं व्यर्थ निवेश

मध्य दिल्ली एवं पश्चिमी दिल्ली को जोड़ने के लिए सतह परिवहन मंत्रालय, भा.स. द्वारा नवम्बर 1992 में “किशन गंज आरयूबी तथा उप सड़क के

चौड़ीकरण” का एक कार्य ₹ 24.36 करोड़ की लागत से अनुमोदित किया गया था। दिल्ली नगर निगम को उप सड़क के चौड़ीकरण का निर्माण कार्य किया जाना था तथा वर्तमान आरयूबी के चौड़ीकरण का कार्य रेलवे को सौंपा जाना था। सड़क एवं आरयूबी के चौड़ीकरण का कार्य साथ-साथ किये जाने थे। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित है:

(i) कार्य आरंभ करने में विलंब के कारण लागत में वृद्धि

दिल्ली नगर निगम ने आरयूबी के निर्माण हेतु रेलवे को सितम्बर 2004 में ₹ 17.52 करोड़ तथा फरवरी 2006 में ₹ 8.89 करोड़ का जमा भुगतान करने में 12 वर्ष लगा दिया। अनुमानित लागत को अगस्त 2006 में ₹ 56.47 करोड़ तक कर दिया गया था। इस प्रकार, दिल्ली नगर निगम की ओर से निष्क्रियता के परिणामस्वरूप इसकी परियोजना लागत आरंभिक दौर से ₹ 32.11 करोड़ बढ़ गई।

(ii) आरयूबी के न पूरा होने के कारण व्यर्थ निवेश

रेलवे ने राशि प्राप्ति से सात वर्षों के पश्चात अप्रैल 2012 में केवल अंडरपास के निर्माण का कार्य शुरू किया एवं दिसम्बर 2014 में केवल एक बॉक्स को पूरा किया तथा ₹ 26.41 करोड़ से ₹ 57.40 करोड़ तक संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम से ₹ 31 करोड़ की अतिरिक्त निधि की मांग की। दिल्ली नगर निगम ने रेलवे से शुरुआत में जारी निधियों के व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जो उन्होंने नहीं किया। दिल्ली नगर निगम ने अतिरिक्त निधियाँ जारी नहीं की एवं जिसके परिणामस्वरूप, रेलवे ने शेष तीन बक्सों के निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया। यह पाया गया था कि परियोजना को समय से पूरा करने हेतु मामले को कमिश्नर उत्तरी दिल्ली नगर निगम या शहरी विकास विभाग के स्तर तक आगे नहीं बढ़ाया गया था।

(iii) गैर-कार्यात्मक आरयूबी

रेलवे द्वारा निर्मित आरयूबी के एक बाक्स के संचालन हेतु दीवार एवं अन्य संबद्ध कार्यों का निर्माण किया जाना था। दिल्ली नगर निगम ने दिसम्बर 2016 में ₹ 1.48 करोड़ की लागत पर यह कार्य प्रदान करने के लिए 23 महीने लिये। इससे सटे हुए डीजेबी सीवर प्रणाली से पानी के अतिप्रवाह के कारण 60 प्रतिशत कार्य भौतिक रूप से पूरा होने के बाद अगस्त 2017 में यह कार्य रोक दिया गया था जो कि दिल्ली नगर निगम की कमजोर प्लानिंग को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, दिसंबर 2014 में पूरा हुआ एकमात्र आरयूबी बॉक्स भी अप्रयुक्त पड़ा था।

(iv) ठेकेदार को अनियमित भुगतान

सीपीडब्ल्यूडी मैनुयुल का सेक्शन 33.10(3) दर्शाता है कि करार के प्रावधान के अंतर्गत बढ़ाई गई उचित अवधि सहित करार की निर्धारित अवधि के दौरान किए गए कार्य हेतु लागत में वृद्धि का भुगतान किया जाना है।

उप सड़क के निर्माण के लिए कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 14 अक्टूबर 2010 थी। यह कार्य अगस्त 2017 तक पूरा नहीं किया गया था।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा विलंब हेतु समय का कोई विस्तार नहीं दिया गया है लेकिन डिवीजन ने समाप्ति की निर्धारित अवधि के उपर विलंब की अवधि के लिए लागत वृद्धि के कारण ₹ 93.81 लाख का भुगतान किया है।

इस परियोजना पर ₹ 8.68 करोड़ की लागत पर पूरा किए गए आरयूबी के दोनो ओर उप सड़क मार्ग के चौड़ीकरण के साथ अभी तक ₹ 36.92 की करोड़ की राशि खर्च की गयी है लेकिन 1992 में नियोजित मध्य दिल्ली एवं पश्चिमी दिल्ली को जोड़ने के लिए किशनगंज आरयूबी के चौड़ीकरण का कार्य अभी भी प्रगति में है तथा इसे नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

2.2.8.15 त्रुटिपूर्ण योजना के कारण सुल्तानपुरी पर आरयूबी के निर्माण में निष्फल व्यय

सुल्तानपुरी पर आरयूबी हेतु उप सड़क का कार्य अगस्त 2012 में समाप्ति की निर्धारित तिथि के साथ ₹ 38.97 करोड़ पर जुलाई 2010 में रोहिणी परियोजना-1 डिवीजन द्वारा प्रदान किया गया था। दिल्ली क्षेत्र में एमटीएनएल केबलों, डीजेबी लाइनों, एनडीपीएल/बीएसईएस विद्युत लाइन सेवाओं जैसी भूमिगत नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता ज्ञात तथ्य है तथा इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य हेतु अनुबंध प्रदान करने से पूर्व इन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में दिल्ली नगर निगम ने आवश्यक तत्परता नहीं दर्शायी। 20 प्रतिशत भौतिक प्रगति हो जाने के पश्चात्, इस भूमिगत बाधाओं के गैर निवारण के कारण फरवरी 2013 में यह कार्य रोक दिया गया था तथा करार समाप्त कर दिया गया था। इसी दौरान, ठेकेदार को रनिंग बिलों के प्रति ₹ 9.04 करोड़ का भुगतान किया गया था जो निष्फल हो गया है। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार को भुगतान की गयी ₹ 1.61 करोड़ की असमायोजित अग्रिम राशि भी वसूल नहीं की गयी थी। उप सड़क की अनुपलब्धता में, निर्मित आरयूबी का भी उपयोग नहीं किया जा सका जिसके कारण बेहतर सड़क परियोजना से लोग वंचित रहे। लेखापरीक्षा का मानना है कि असमायोजित अग्रिम की वसूली किये बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट जारी नहीं करना चाहिए।

2.2.8.16 मदों की मात्राओं में अनाधिकृत विचलन

सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल का सेक्शन 24.1.2(2) एवं (3) दर्शाता है कि 10 प्रतिशत की सीमा से ऊपर विशिष्ट मद की मात्राओं में विचलन सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत किया जाना चाहिए तथा विचलन का परिणाम सभी विशिष्ट मदों की विचलित राशि के निरपेक्ष मूल्य का योग होगा। यह आगे दर्शाता है कि यदि मात्रा का कुल विचलन 10 प्रतिशत की विचलन सीमा से ऊपर है, तो तकनीकी संस्वीकृति प्राधिकरण के सैद्धांतिक अनुमोदन के बिना इस सीमा से ऊपर विचलन साईट पर नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कार्यान्वित छः आरयूबी उप सड़क कार्यों में करार में दी गई मात्रा की तुलना में 43 से 72 प्रतिशत का विचलन पाया गया, जैसा कि तालिका 2.2.3 में इंगित किया गया है। इन मामलों में मात्रा बढ़ाने या घटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

तालिका 2.2.3: मात्राओं से विचलन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	काम का नाम	करार की धनराशि	अधिक क्रियान्वित मात्रा की लागत (मदों की संख्या)	कम कार्यान्वित मात्रा की लागत (मदों की संख्या)	विचलन की धनराशि	विचलन का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (6/3x100)
1	नरेला में आरयूबी का निर्माण	23.69	8.97 (82)	7.17 (28)	16.14	68
2	मुंडका में आरयूबी का निर्माण	34.62	10.21 (66)	10.62 (43)	20.83	60
3	सावन पार्क में आरयूबी का निर्माण	19.51	6.37 (93)	6.66 (33)	13.03	67
4	बादली में आरयूबी का निर्माण	24.88	5.89 (68)	4.74 (35)	10.63	43
5	संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में आरयूबी का निर्माण	4.26	1.35 (90)	1.34 (29)	2.69	63
6	रोशनारा बाग में आरयूबी का निर्माण	14.10	5.92 (70)	4.18 (52)	10.10	72
कुल			38.71	34.71	73.42	

सभी छः कार्यों में, एसओक्यू मदों में ₹ 38.71 करोड़ का अधिक क्रियान्वयन तथा ₹ 34.71 करोड़ की मदों का कम क्रियान्वयन था। यह दर्शाता है कि कार्यों की तकनीकी संस्वीकृति पर्याप्त/विश्वसनीय डाटा पर आधारित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, किसी भी मामले में सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

नरेला प्रोजेक्ट डिवीजन (अगस्त 2017) ने बताया कि कार्यों को साईट की आवश्यकता के अनुसार क्रियान्वित किया गया और दोनों परियोजनाओं की संविदा लागत संविदागत धनराशि के भीतर ही थी। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी के सेक्शन 24.1.2(2) व (3) के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

2.2.8.17 हिरण कुदना गाँव की फिरनी सड़क पर पहले से तैयार मिक्स कंक्रीट उपलब्ध कराने के कार्य में अनाधिकृत व्यय

नरेला प्रोजेक्ट डिवीजन ने जुलाई 2013 में यह कार्य ₹ 3.53 करोड़ की लागत पर इसकी प्रारंभ तिथि 19 जुलाई 2013 और समाप्ति तिथि 24 मार्च 2014 के साथ सौंपा। करार के अनुसार, 1,400 मीटर लंबाई की एक सड़क का निर्माण होना था, लेकिन वास्तव में करार में निर्धारित मात्रा के लगभग ढाई गुणा 3446.06 मीटर की सड़क बनाई गई, जबकि छः मर्दों¹⁷ को क्रियान्वित नहीं किया गया और 12 मर्दों में क्रियान्वित मात्रा एसओक्यू में दी गई मात्रा से कम थी। जनवरी 2015 तक ठेकेदार को ₹ 3.50 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके बाद, परियोजना की स्थिति यथावत् बनी रही और यह अगस्त 2017 तक पूर्ण नहीं हुई थी। ₹ 1.09 करोड़ की लागत से सड़क की अतिरिक्त लंबाई के निर्माण का कारण और स्पष्टीकरण के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे और संशोधित तकनीकी संस्वीकृति भी प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार, निविदा प्रक्रिया के बाद कार्य के क्षेत्र में वृद्धि के कारण, विभाग ने ₹ 1.09 करोड़ का अनाधिकृत व्यय किया।

नरेला प्रोजेक्ट डिवीजन ने उत्तर दिया कि स्थानीय निवासियों की मांग पर सड़क की अतिरिक्त लंबाई का निर्माण किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अभाव में उसने यह आश्वासन नहीं दिया कि सड़क की अतिरिक्त लंबाई का निर्माण आवश्यकता पर आधारित तथा तकनीकी रूप से न्यायोचित था।

2.2.8.18 ठेकेदारों से ₹ 1.92 करोड़ की वसूली न होना

मुंडका और रामपुरा में आरयूबी के निर्माण के कार्य हेतु करार की अतिरिक्त शर्तों की शर्त सं. 4 यह निर्धारित करती है कि, यदि साइट की स्थितियों के कारण करार की कोई मद, जिसकी स्वीकृत दरें विभाग द्वारा प्राक्कलित उचित दरों से कम हैं, मात्रा सूची में निर्धारित मात्रा से कम हो जाती है, तो जिस मात्रा का निष्पादन नहीं किया गया, उसे विभाग द्वारा प्राक्कलित उचित दरों और करार की मद की स्वीकृत दर के अंतर पर वसूल किया जाएगा।

मुंडका और रामपुरा आरयूबी में 26 मर्दों और 29 मर्दों की मात्रा, जिनकी निविदा दरें उचित दरों से कम थी, करार की मात्रा सूची में उल्लिखित मात्रा से कम मात्रा में कार्यान्वित की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि इन कार्यों के ठेकेदारों को अक्टूबर 2016 और अक्टूबर 2014 तक क्रमशः

¹⁷ (i) खुदाई का कार्य (ii) मिट्टी का निपटान (iii) ईंट का कार्य (iv) स्टील कार्य (v) 40 मिमी ग्रेड का सीमेंट कंक्रीट तथा (vi) 20 मिमी ग्रेड का सीमेंट कंक्रीट

₹ 34.38 करोड़ और ₹ 5.95 करोड़ का भुगतान किया गया, लेकिन उपर्युक्त शर्तों के अनुसार क्रमशः ₹ 1.72 करोड़ और ₹ 0.20 करोड़ की वसूली नहीं की गई। अगस्त 2017 तक ये परियोजनाएँ न तो पूर्ण घोषित की गईं, न ही अंतिम बिलों का भुगतान किया गया।

रोहिणी प्रोजेक्ट-। तथा नरेला प्रोजेक्ट विभागों ने जुलाई/अगस्त 2017 में आश्वासन दिया कि वसूली की जाएगी। मुंडका आरयूबी के संदर्भ में रोहिणी प्रोजेक्ट-। डिवीजन के पास ₹ 1.73 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में पड़ा हुआ है तथा लेखापरीक्षा का मानना है कि वसूली इस राशि से की जानी चाहिए। नरेला प्रोजेक्ट डिवीजन ने कहा (जनवरी 2017) कि रोके गये सिक्योरिटी डिपॉजिट को प्रोजेक्ट के रद्द होने पर रामपूरा आरयूबी के ₹ 29.74 लाख के बिल से जब्त किया गया लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि क्या जब्ती पुनः प्राप्ति योग्य राशि के लिये था।

2.2.8.19 सुधार और सुदृढ़ीकरण कार्य की सुपुर्दगी के बाद कार्य के क्षेत्र में अप्राधिकृत बदलाव

रोहिणी प्रोजेक्ट-। डिवीजन ने 2012-17 के दौरान 'रोहिणी सेक्टर 5,6,17 और 18 में नालों और साईड वर्म के सुधार, सरस्वती विहार, रोहिणी में ड्रेनेज सिस्टम का सुधार व परिवहन मार्ग का सुदृढ़ीकरण, और पुष्पांजलि इंकलेव, रोहिणी में सड़कों का सुधार व विकास और नालों के सुधार' संबंधी छः कार्य कुल अनुमानित लागत ₹ 19.60 करोड़ के सौंपे। इन करारों की मात्रा सूची के अनुसार, साईड बर्म्स को सी.सी. पथ निर्माण ईटों से ₹ 3.09 करोड़ की कुल लागत पर बनाया जाना था। यद्यपि पथ-निर्माण ईटों के स्थान पर, पहले से तैयार कंक्रीट मिक्स (आरएमसी) का प्रयोग किया गया। लागत में बदलाव के बिना करार में दी गई मद के स्थान पर दूसरी मद की प्रयोग ठेकेदार को अनुचित लाभ देना माना जाता है। वित्त पर होने वाले प्रभाव का सटीक आकलन नहीं किया जा सका, क्योंकि बर्म्स में प्रयोग हुई आरएमसी की मात्रा उपलब्ध नहीं थी।

विभाग ने बताया (जुलाई 2017) कि कार्य के क्षेत्र में बदलाव व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर और सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से किया गया। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवश्यकता का निर्धारण अनुमान तैयार करते समय किया जाता है। कार्य की सुपुर्दगी के बाद बदलाव का अर्थ पारदर्शिता की भावना व स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध होना था और अन्य बोलीदाताओं के प्रति पक्षपात था। प्रतिस्थापन के कारण लागत में होने वाले अंतर को ठेकेदार से वसूल नहीं किया गया।

2.2.9 दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन स्तर के कार्यों की निगरानी न होना

2.2.9.1 कार्यों का विनिर्देशों के अनुसार पूर्ण किये जाने का आश्वासन नहीं

(क) सामान्य वित्तीय नियम (साविनि) का नियम 132(7) यह प्रावधान करता है कि अंतिम भुगतान कार्य के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी द्वारा इस आशय का एक व्यक्तिगत प्रमाणपत्र देने पर ही किया जाएगा, कि कार्य को विनिर्देशों के अनुसार ही निष्पादित किया गया और कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। अप्रैल 2012 से मार्च 2017 के बीच 14 डिवीजनों में 82 कार्यों (दक्षिणी दिल्ली नगर निगम-34, उत्तरी दिल्ली नगर निगम-32 और पूर्वी दिल्ली नगर निगम-16) हेतु ₹ 242.55 करोड़ का अंतिम भुगतान संबंधित कार्यपालक अधिकारियों के अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त हुए बगैर ही किया गया।

(ख) सीपीडब्ल्यूडी की धारा 30.4 निर्धारित करती है कि किसी सड़क संबंधी कार्य को सभी प्रकार से पूर्ण घोषित करने से पूर्व एसई/ईई द्वारा प्रमाणित करना था कि यह कार्य विनिर्देशों, के अनुसार किया गया।

हालांकि यह पाया गया कि अप्रैल 2012 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान कुल 127 कार्य (दक्षिणी दिल्ली नगर निगम-55, उत्तरी दिल्ली नगर निगम-51 और पूर्वी दिल्ली नगर निगम-21) पूर्ण किए गए, जिनकी संविदागत लागत ₹ 545.94 करोड़ थी। लेकिन इनमें से किसी भी कार्य में एसई/ईई द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र अभिलिखित नहीं हुए। यह दर्शाता है कि अधिकारी अपने निर्धारित उत्तरदायित्वों की पूर्ति में सक्षम नहीं थे और इन कार्यों के वास्तविक रूप से पूर्ण होने और उनकी गुणवत्ता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं था।

लेखापरीक्षा में इंगित होने पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अभियंता प्रभारी ने सभी ईई को निर्देश दिया (अक्तूबर 2017) कि वे एसई द्वारा पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ठेकेदारों को भुगतान जारी करें।

2.2.9.2 दिल्ली नगर निगम में कमजोर वित्तीय नियंत्रण प्रणाली

(i) बिलों को अंतिम रूप न देना

सीपीडब्ल्यूडी की धारा 30.2 यह प्रावधान करती है कि ₹ 15 लाख से अधिक लागत वाले कार्यों हेतु अंतिम भुगतान इस कार्य के पूर्ण होने के छः माह के भीतर होना चाहिए। हालांकि, यह पाया गया कि 45 कार्यों में ₹ 15 लाख से अधिक की लागत के अंतिम बिलों पर कार्रवाई सितम्बर 2017 तक या इनके पूर्ण होने की तिथि से 145 से 2,147 दिनों बाद तक भी नहीं हुई थी।

उदाहरण के लिए, सेक्टर-18, रोहिणी की 13.5 मीटर और 18 मीटर के परिवहन मार्ग के सुदृढीकरण तथा पंजाबी बाग में डैस कार्पेट के द्वारा सड़क का सुदृढीकरण को नवंबर 2011 और मई 2017 में पूर्ण होना दर्शाया गया लेकिन सितंबर 2017 तक इन कार्यों के बिलों को फाईनल नहीं किया।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बताया कि बिलों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया जा सका क्योंकि ठेकेदारों ने कुछ औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं की। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन बिलों की प्रक्रिया करार की शर्तों के अनुसार होती है जिसमें ठेकेदारों के कारण होने वाले विलंब के लिए प्रतिपूर्ति भी शामिल है। 45 कार्यों में से, 25 कार्य करार अवधि समाप्त होने के पश्चात पूर्ण हुए (इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 2.2.9.2 (ii) को देखें)। इसके अतिरिक्त, अंतिम बिलों के भुगतान में विलंब के कारण अभिलिखित नहीं किये गये थे।

(ii) बिलंब के लिए मुआवजे की उगाही नहीं

सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल की धारा 33.1(3) काम की धीमी प्रगति या काम पूरा होने में देरी के लिए मुआवजे की वसूली को दर्शाता है जो कि निविदा के मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत है। धारा 33.1 (4) में यह कहा गया है कि अभियंता प्रभारी के पास कोई विकल्प नहीं है लेकिन अनुबंध के खंड 2 में उल्लिखित दरों पर इसकी वसूली की जानी है। यह देखा गया कि लेखापरीक्षा में जांचे गये कुल 190 कार्यों में से 117 कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि पर या उसके पहले समाप्त हुए 25 कार्य पूरा होने की तिथि से 34 से 513 दिन की देरी से पूरे हुए और 48 कार्य उनकी पूरा होने की तिथि के बाद 76 से 2,899 दिन बाद भी चल रहे थे। हालांकि, इन कार्यों के देरी से पूर्ण होने या धीमी प्रगति के लिए ठेकेदार पर कोई मुआवजा नहीं लगाया गया था।

(iii) कार्य निष्पादन का कोई प्रमाण न होने के बावजूद कार्यों हेतु भुगतान

पाँच डिवीजनों में नकद बही में ₹ 7.19 करोड़ की कुल धनराशि को एलए सड़क शीर्ष के अंतर्गत किए गए कार्यों के भुगतान के रूप में दर्शाया गया (परिशिष्ट 2.2.1.)। इन कार्यों हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बारे में पूछे जाने पर विभागों ने बताया कि ये उपलब्ध नहीं थे। इन भुगतानों के संदर्भ में वाउचरों के अलावा डिवीजनों द्वारा कोई भी दस्तावेज, जैसे कार्य आदेश, बोली और संविदा दस्तावेज, कार्य समाप्ति प्रमाणपत्र, आदि लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए। आगे इन वाउचरों की संविदा से पता चला कि ₹ 7.19 करोड़ की लागत में से ₹ 1.13 करोड़ की राशि डिवीजनों के आकस्मिक व्ययों, जैसे फर्नीचर, कार, कार्यालय केबिन के

निर्माण आदि पर खर्च की गई। हालांकि, मदों की आवश्यक स्टॉक प्रविष्टियाँ डिवीजनो के सरकारी अभिलेखों में नहीं पाई गई। उचित अभिलेखों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या यह कार्य वास्तव में क्रियान्वित किये गये थे तथा धोखाधड़ी की संभावना से नकारा नहीं जा सकता।

(iv) व्यय के कार्यवार विवरण का रखरखाव न होना

सीपीडब्ल्यूडी नियमावली का सेक्शन 10.3 यह प्रावधान करता है कि वर्ष के दौरान प्रत्येक कार्य पर किए गए व्यय के स्थायी व समेकित अभिलेख 'निर्माण कार्य पंजिका' के रूप में अनुरक्षित होने चाहिए और कार्यपालक अभियन्ता द्वारा इसकी समीक्षा के बाद इस पर अपने अद्योहस्ताक्षर अंकित किया जाना चाहिए। लेकिन डिवीजन में इस पंजिका का रखरखाव नहीं हो रहा था जो यह दर्शाता है कि नियंत्रण की कमी थी क्योंकि कार्य पर व्यय सक्षम अधिकारी की व्यय संस्वीकृति की अनुपालना में हुआ, यह सुनिश्चित नहीं किया गया। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने कहा कि आगे इस पंजिका का रखरखाव किया जाएगा।

2.2.9.3 गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली के अभिलेखों का गैर-रखरखाव

₹ 25 लाख या इसके ऊपर के प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए सीआरआरआई को तृतीय पक्षीय गुणवत्ता आश्वासन आयोजित कराना था। इसे स्वीकृत रूपरेखा के अनुसार स्तर-वार निरीक्षण कराना था तथा निरीक्षण के 10 दिन के अंदर पूर्ण तथा विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। गुणवत्ता नियंत्रण सर्किल के निर्देशों के अनुसार, ठेकेदार को भुगतान सीआरआरआई से तृतीय पक्षीय गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद किया जाएगा। अप्रैल 2012 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान 190 निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों को सीआरआरआई से तीसरे पक्ष की गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ठेकेदारों को ₹ 880.35 करोड़ का भुगतान आरए या अंतिम बिलों के माध्यम से किया गया। हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य डिवीजनो के कार्यकारी अभियंताओं द्वारा जांच के लिए भेजी गयी सामग्री के नमूने तथा तृतीय पक्षीय गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए नमूना जांच रिपोर्ट के संदर्भ में निर्धारित रजिस्ट्रों का रखरखाव नहीं किया जा रहा था तथा गुणवत्ता लेखापरीक्षा दस्तावेज का भी रखरखाव नहीं था। इन अभिलेखों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्या ठेकेदार को रनिंग बिल तथा अंतिम भुगतान सीआरआरआई से तृतीय पक्षीय गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट पर उचित विचार करके किया गया था। लेखापरीक्षा में यह इंगित करने पर प्रभारी अभियंता (दक्षिणी दिल्ली नगर निगम) ने सभी ईई

को तिथि 20 फरवरी 2007 के परिपत्र में उल्लिखित गुणवत्ता नियंत्रण सर्किल के नीति निर्देशों की सख्त अनुपालना के निर्देश जारी किए (अक्टूबर 2017)।

2.2.10 एमओआरटीएच के प्रावधानों का अनुपालन न होना

एमओआरटीएच के सड़क व पुल निर्माण कार्यों से संबंधित दिशानिर्देशों की अनुपालना दिल्ली नगर निगम द्वारा सौंपे गए इस प्रकार के कार्यों के लिए एक मानक शर्त हैं। एमओआरटीएच विनिर्देशों के सेक्शन 500 और 600 क्रमशः बिटुमिनस और सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट सड़कों (सीसी सड़क) के लिए प्रक्रियाओं और विनिर्देशों को निर्धारित करते हैं। बिटुमिनस सड़क में प्रमुखतः तीन स्तर होते हैं- वाटर बाउंड मैकाडम (डब्ल्यूबीएम) से निर्मित उप-आधार स्तर, बिटुमिनस मैकाडम (बीएम) से निर्मित आधार स्तर और बिट्यूमिनस कंक्रीट (बीसी) से निर्मित ऊपरी स्तर।

अप्रैल 2012 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली नगर निगम ने 110 कार्यों में बिटुमिनस सड़को के सुधार/सुदृढीकरण/सतह पुनः बिछाने का कार्य और सीमेंट कंक्रीट सड़कों के 14 निर्माण कार्य किए, जिनकी कुल लागत ₹ 301.27 करोड़ थी। लेखापरीक्षा में इन सभी 124 निर्माण कार्यों की जाँच एमओआरटीएच विनिर्देशों/प्रक्रियाओं की अनुपालना के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए की गई और पाई गई कमियाँ निम्नवत् हैं:

(i) सड़क निर्माण कार्य हेतु जाँच मिक्स व मिक्स डिजाईन का निर्धारण न होना।

जाँब मिक्स फॉर्मूला बिटुमिन या किसी अन्य बाइंडर, मोटी रोड़ी/महीन रोड़ी, खनिज भराव, इत्यादि को भार या प्रतिशत के विनिर्दिष्ट अनुपात में मिश्रित किए गए मिश्रण को कहते हैं, जो किसी बिटुमिनस सड़क विशेष के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। एमओआरटीएच विनिर्देशों का सेक्शन 507.3.3 यह प्रावधान करता है कि ठेकेदार द्वारा अभियंता को कार्य में प्रयोग होने के लिए प्रस्तावित जाँब मिक्स फार्मूला के कार्य को प्रारंभ करने से 20 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जाएगी और सभी सामग्री के स्रोत एवं स्थान के साथ-साथ प्रयोग होने वाली रोड़ी के भौतिक विशेषताओं के जाँच परिणामों का विवरण प्रदान किया जाएगा। हालांकि दिल्ली नगर निगम के ईई ने इसकी अनुपालना नहीं की और इसके बजाय सड़क निर्माण कार्यों की एनआईटी में यह शर्त जोड़ दी कि एक वर्ष का जाँब मिक्स फार्मूला ठेकेदार दिल्ली नगर निगम की प्रयोगशाला में तैयार कराएगा, जिसकी लागत वर्ष के दौरान किए गए कार्यों

की संख्या को ध्यान में न रखते हुए ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। यद्यपि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

उदाहरण के लिए, दिल्ली नगर निगम प्रयोगशाला ने अगस्त 2017 में यह सूचित किया कि उन्हें जॉब मिक्स फार्मूलों की सामग्री के नमूने डिवीजन से प्राप्त हुए न कि ठेकेदारों से, जैसा कि एनआईटी के अनुसार अनिवार्य है। हालांकि, डिवीजन के पास भी कोई ऐसी अभिलेख नहीं थे जिससे यह प्रमाणित होता हो कि ऐसा कोई नमूना कभी भी दिल्ली नगर निगम की प्रयोगशाला को भेजा गया जैसे दिल्ली नगर निगम की प्रयोगशालाओं में नमूने भेजने का विवरण व तिथि, स्रोत व स्थान जहाँ से एकत्र किए गए, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत रोड़ी व अन्य सामग्री की भौतिक विशेषताओं की जाँच के परिणाम इत्यादि। दिल्ली नगर निगम प्रयोगशाला द्वारा जाँच के लिए गए नमूनों को न तो दिल्ली नगर निगम प्रयोगशाला में संरक्षित किया गया, न ही ठेकेदार द्वारा कार्यों में इसी सामग्री का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए इसे डिवीजन को उपलब्ध कराया गया। दिल्ली नगर निगम प्रयोगशाला द्वारा अनुमोदित जॉब मिक्स फार्मूला का सड़क निर्माण कार्य के अनुसार या ठेकेदार के अनुसार अभिलेखों का रखरखाव ना तो दिल्ली नगर निगम प्रयोगशाला द्वारा, न ही डिवीजन द्वारा किया गया।

इसी प्रकार सीमेंट कंक्रीट की मिक्स डिजाईन को सीसी सड़कों के लिए तैयार किया जाना आवश्यक था। यद्यपि विभागों में किसी ऐसे अभिलेख का रख-रखाव नहीं किया गया जिससे प्रमाणित हो कि सीसी सड़कों हेतु ईई ने कोई डिजाईन अनुमोदित किया या फिर अनुमोदन प्राप्त किया गया।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने कहा कि जब भी ठेकेदार एक नया फार्मूला तैयार करना चाहता है तब उसे संबंधित विभाग को विभिन्न सामग्रियों और सूचनाओं को प्रस्तुत करना होगा जिसमें काम करना है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा उनके उत्तर में परिभाषित इस व्यवहार का पालन क्यों नहीं किया गया था।

(ii) सड़क पैदल पथ हेतु कोई संरचनात्मक डिजाईन का निर्माण नहीं

सड़क पर चलने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों के एक्सल लोड से सड़क के पैदल पथ की संरचनागत डिजाईन का निर्धारण होता है। दिल्ली नगर निगम द्वारा कई सड़कों पर 40 से 50 मिमी मोटी बीसी या 25 मिमी मोटी मास्टिक एस्फाल्ट की एक नई परत बिछाकर उनकी सुदृढ़ीकरण/सुधार/पुनर्निर्माण किया गया। हालांकि किसी अभिलेख से यह पता नहीं चला कि

किस आधार पर निर्णय लिया गया कि बीसी/मास्टिक एस्फाल्ट की सतह कितनी मोटी होनी चाहिए। यह संकेत करता है कि इन सड़कों के पैदल पथ को उनके एक्सल लोड के अनुसार डिजाइन करने हेतु कोई गतिविधि नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, बीसी और मास्टिक एस्फाल्ट मात्र ऊपरी सतह प्रदान करते हैं जो सड़क को परिवहन योग्य बनाता है। इस प्रकार कम से कम पाँच वर्षों से मरम्मत न की गई सड़को पर बिना बीएम का नया आधार प्रदान किए मात्र बीसी या मास्टिक बिछाकर सुदृढीकरण कार्य से यह सुनिश्चित होना कतई संभव नहीं था कि सड़क को आवश्यक मजबूती और टिकाऊपन प्राप्त हो गया है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बताया कि विद्यमान सड़कों की सतह के पुनर्निर्माण हेतु सड़कों की संरचनागत डिजाइनिंग की आवश्यकता नहीं थी। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन सड़कों पर बिछाया गया ऊपरी स्तर भी सड़क पर परत चढ़ाने का एक भाग है। इसलिए इस स्तर की मोटाई को सड़क विशेष के एक्सल लोड के अनुसार डिजाइन करना आवश्यक था।

(iii) विद्यमान बिटुमिनस की परत ना हटाना

एमओआरटीएच विनिर्देशों का सेक्शन 501.8.3.2 यह निर्धारित करता है कि जहां भी विनिर्दिष्ट किया गया हो विद्यमान बिटुमिन परत को ध्यानपूर्वक हटाया जाए। ₹ 238.33 करोड़ की कुल धनराशि लागत वाले 110 निर्माण कार्यों की जाँच से पता चला कि सड़को पर बीसी की नई परत किसी भी सड़क की विद्यमान ऊपरी बीसी सतह को हटाए बिना बिछाई गई। संबंधित डिवीजनो में सड़कों पर नई परत बिछाने के निर्णय के पूर्व वर्तमान परत की दृढ़ता और स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु की गई गतिविधि का कोई दस्तावेज नहीं था तथा इस तथ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया कि ऊपरी सतह जिसकी उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी होगी, वही नई सतह का आधार बनेगी। इसलिए यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि इन निर्माण कार्यों से सड़कों में वांछित गुणवत्ता और दृढ़ता में वृद्धि हो सकी। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि सड़कों की गुणवत्ता और टिकाऊपन से समझौता हुआ जिसके परिणामस्वरूप सड़कों में गड़ढे बने और पूर्ण सतह निर्माण हेतु अनुमोदित और भुगतान किए गए बिल ठेकेदार द्वारा वास्तव में उपयोग की जाने वाली मात्रा से अधिक हो सकते थे।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बताया कि सड़कों की सतह निर्माण का कार्य निष्पादित किया गया क्योंकि वर्तमान सड़कों की उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी और वर्तमान सतह को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दक्षिणी

दिल्ली नगर निगम का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि ऐसे कोई साक्ष्य अभिलेख में नहीं थे जो यह प्रदर्शित करें कि किसी भी कार्य में वर्तमान सतह को हटाने की आवश्यकता नहीं थी।

(iv) सड़कों का पानी से बचाव करने के लिए सील कोट न लगाना

बिटुमिन जल के प्रति अति संवेदी होता है। एमओआरटीएच विनिर्देश का सेक्शन 513.1 बिटुमिन की सतह पर बने गड्ढे को सील करने हेतु ऊपरी सतह पर सील कोट लगाने का प्रावधान करता है। सील कोट पहले से बिछी बिटुमिन की सतह में पानी के रिसने से बचाव हेतु अपारगम्य दीवार बनाती है। हालांकि, यह पाया गया कि सड़कों की सतह निर्माण/सुदृढीकरण के किसी भी कार्य में सील कोट का प्रावधान शामिल नहीं किया गया, न ही नई बिटुमिन की सतह पर इसे मुहैया कराया गया जिससे इन सड़कों की सामान्य जीवनावधि का घट जाना संभव है।

(v) बिटुमिन स्तरों के घनत्व व मोटाई का निर्धारण न होना

एमओआरटीएच विनिर्देशों का सेक्शन 501.6 और 509.4.8 यह प्रावधान करते हैं कि बीएम/बीसी स्तरों को स्मूद व्हील्ड टैंडम रोलरों द्वारा सपाट किया जाता है जब तक वांछित घनत्व की फिनिश लेयर प्राप्त न हो जाए। विनिर्दिष्ट घनत्व प्राप्त करना और निर्धारित मोटाई की बिटुमिन की सतह बिछाना बिटुमिन की सतह की वांछित दृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इसका वित्तीय रूप से भी महत्व है क्योंकि ठेकेदार को भुगतान बीसी/बीएम की सपाट की गई सड़कों के आयतन के अनुसार किया जाना था।

सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार, बीएम/बीसी की नई सतह के मूल भाग को काटकर उसकी मोटाई व घनत्व निर्धारण सीआरआरआई के माध्यम से किया जाना था। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित 110 सतह पुनर्निर्माण के कार्यों में केस फाईलों या संबंधित डिवीजनों के अभिलेखों में सीआरआरआई की ये रिपोर्ट नहीं पाई गई।

यद्यपि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बताया कि सीआरआरआई की रिपोर्टों में साईट पर प्राप्त मोटाई और फील्ड घनत्व शामिल था, लेकिन ये रिपोर्ट ना तो डिवीजनों के अभिलेखों में पाई गई, न ही दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने उत्तर के साथ उन्हें प्रस्तुत किया।

(vi) मेनहोल को सड़क के नए सत्र तक उठाने का काम अधूरा छोड़ा गया

सड़को को मजबूत करने से संबंधित 20 निर्माण कार्यों में गड्ढों को भरने की एक मद को मात्रा अनुसूची (एसओक्यू) में जोड़ा गया। हालांकि, 17 कार्यों में

गड्डों को भरने की मद को क्रियान्वित किया ही नहीं गया और तीन मामलों में, क्रियान्वित मात्रा करार में निर्धारित मात्रा से बहुत कम थी। हालांकि, अभियंताओं ने गैर-क्रियान्वित/कम मात्रा के क्रियान्वयन के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया। इन सभी कार्यों में विद्यमान सतह के रखरखाव के बिना सड़कों पर बीएम/बीसी की 50 मिमी से 100 मिमी तक मोटी परत बिछाने के कारण सड़क के बीचोबीच स्थित मेनहोल तथा सड़क की नई निर्मित सतह पर चौड़े खांचे बन गये थे। सड़क के बीचोबीच खांचे वाहन ट्रैफिक के साथ-साथ पैदल यात्रियों के लिए जान का खतरा बन सकते हैं।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बताया कि यह कार्य डीजेबी द्वारा किया गया क्योंकि ये मेनहोल डीजेबी द्वारा अनुरक्षित होने वाली सीवर लाईन पर थे। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मेनहोलो की सतह ऊँची कर सड़क की नई सतह तक करने का कार्य साथ-साथ किया जाना चाहिए था, जो कि करार का एक हिस्सा था। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने इस तथ्य का प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया कि इन मेनहोल को ऊँचा करने का कार्य डीजेबी द्वारा किया गया।

(vii) सड़कों की हिस्ट्री शीट दर्ज न होना

सड़को के सुदृढीकरण/सतह के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव सड़क के पाँच वर्ष से अधिक पुरानी होने पर अनुमोदित की जाती हैं। हालांकि, डिवीजनो के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सड़को के पिछले सुदृढीकरण/सतह पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्य और अन्य संबंधित कार्य हेतु किसी अभिलेख का रखरखाव नहीं किया गया। अभिलेखों के अभाव के कारण, लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं हो सका कि क्या सड़कों का सुदृढीकरण उनका सामान्य जीवन काल पूरा होने के बाद किया गया या इन सड़कों पर वारंटी की अवधि के भीतर दिल्ली नगर निगम ने अपनी लागत पर कोई मरम्मत का कार्य किया। सड़कों की स्थिति के संबंध में जनता से प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के अभिलेखों का रखरखाव भी विभागों द्वारा नहीं किया गया। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने उत्तर दिया कि अपेक्षित पंजिका का रखरखाव अब किया जाएगा।

(viii) करारों के गारंटी और रखरखाव उपबंध को लागू न करना

करारों में दी गई शर्तें और नियमों के अनुसार, ठेकेदार सड़क के निर्माण पूर्ण होने के माह की अंतिम तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक सड़क के रखरखाव और इसमें आने वाली खराबियों को ठीक करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा होने के लिए दिल्ली नगर निगम डिवीजनों को सड़को में खराबी का पता

लगाने हेतु इन सड़कों का आवधिक निरीक्षण कर ठेकेदारों को इन खराबियों को दूर/मरम्मत करना अपेक्षित था। हालांकि, डिविजनों से प्राप्त किसी अभिलेख/प्रणाली से यह प्रमाणित नहीं होता है कि इन प्रावधानों को कभी भी लागू किया गया। आंकड़े उपलब्ध न होना यह दर्शाता है कि डिविजनों ने वारंटी अवधि के अंतर्गत सड़कों में जब कहीं तथा जहां कहीं आने वाली खराबियों को ठीक करने के लिए ठेकेदारों को कभी भी काम पर नहीं लगाया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में जाँचे गए सभी 190 मामलों में, सक्षम अधिकारी ने औपचारिक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किए और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि किस तिथि से और किस प्रकार वारंटी के उपबंध को लागू किया जा सकता था।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने उत्तर दिया कि वारंटी उपबंध को आवश्यकतानुसार लागू किया गया। हालांकि, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने इस कथन का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए। इन प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का अर्थ सड़क का रखरखाव ना होने के फलस्वरूप जन सड़क सुरक्षा को ताक पर रखने के साथ-साथ इसी अनुपात में ठेकेदारों को बचत होना भी होता है।

2.2.11 निष्कर्ष

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का सेक्शन 298 दिल्ली की सभी सड़कों पर नगर निगम का एकाधिपत्य स्थापित करता है। हालांकि, मार्च 2016 तक, दिल्ली की 33,868 किमी सड़क में से 23,931 किमी सड़क का रखरखाव दिल्ली नगर निगम करता है। जीएनसीटीडी के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग और भा.स. के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण और नई दिल्ली नगर निगम भी सड़कों का रखरखाव/निर्माण कर रहे हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(क) दिल्ली सड़क नेटवर्क हेतु एक से अधिक एजेंसियाँ उत्तरदायी हैं। शहरी विकास विभाग (यूडीडी) ने परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने हेतु एजेंसियों के प्रयासों का समन्वय करने हेतु कोई प्रणाली स्थापित नहीं की जिस के कारण एक चरणबद्ध ढंग से दिल्ली सड़क नेटवर्क के निर्माण में प्रभावी योजना व समन्वय की कमी हुई। सड़कों से संबंधित जनता की शिकायतों के समाधान हेतु नागरिकों के लिए एक प्रभावी प्रणाली का निर्माण करने में सफलता नहीं मिली।

(ख) यूडीडी द्वारा पिछले वर्षों में विभिन्न शीर्षो/योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित निर्माण कार्यों का डाटा/अभिलेख नहीं रखा गया जिससे भविष्य में संदर्भ प्राप्त किया जा सके और अनुमोदित निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन, उनकी भौतिक व वित्तीय प्रगति पर दिल्ली नगर निगम के साथ आगे कार्रवाई की जा सके। संस्वीकृत कार्यों और निर्धारित बजट/जारी की गई निधियों के बीच सामंजस्य न होने के कारण कुछ नए संस्वीकृत कार्य आरंभ नहीं हो सके और/या कुछ चालू कार्यों में प्रगति नहीं हुई।

(ग) पर्याप्त अनुसरण की कमी के कारण दिल्ली नगर निगम ने राज्य सड़क निर्माण कार्यों के लिए एमओआरटीएच द्वारा रखी गई केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया। दिल्ली नगर निगम ने अपने प्रशासकीय एवं आकस्मिक व्ययों की पूर्ति के लिए अप्राधिकृत ढंग से सड़क निर्माण कार्यों हेतु प्रदत्त ₹ 73.50 करोड़ का सहायता अनुदान अपने गैर-योजनागत लेखों में ट्रांसफर किया।

(घ) बिजवासन ओवर ब्रिज में ₹ 10.60 करोड़ की लागत वृद्धि के अतिरिक्त पंखा रोड तथा बिजवासन में ब्रिज के निर्माण कार्य को पूरा होने में क्रमशः 1,464 दिनों तथा 1,483 दिनों का विलंब था। रानी झांसी सड़क के ग्रेड सेपरेटर तथा किशन गंज के अंडर ब्रिज का कार्य इसके कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से क्रमशः 2,502 दिनों तथा 2,513 दिनों के विलंब से चल रहा था।

(ङ) दिल्ली नगर निगम में गुणवत्ता आश्वासन की कमी थी क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल और एमओआरटीएच के विनिर्देशों और दिल्ली नगर निगम के गुणवत्ता नियंत्रण सर्किल द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया जिससे खराब गुणवत्ता के कार्य की संभावना उत्पन्न हो जाती है।

(च) अभिलेखों का रखरखाव यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं किया गया कि क्या सड़कों को मजबूत करने का कार्य उनके सामान्य जीवन काल पर या उसे पूरा करने के बाद किया गया तथा किसी भी मरम्मत कार्य को पांच वर्षों की वारंटी अवधि के दौरान दिल्ली नगर निगम की लागत पर इन सड़कों पर किया गया था।

(छ) दिल्ली नगर निगम सड़कों की हिस्ट्री शीट या वारंटी पीरियड का रखरखाव नहीं कर रहा था जिससे कि ठेकेदार को बनाई गई सड़क की मरम्मत के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके।

2.2.12 सिफारिशें

विभाग को चाहिए:-

- (i) दिल्ली सड़क नेटवर्क के विकास और सुदृढीकरण के लिए उचित सर्वेक्षण और विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर लंबी, मध्यम और लघु अवधि के लिए व्यापक योजना तैयार करे;
- (ii) सड़कों के विकास सुदृढीकरण में सीपीडब्ल्यूडी और एमओआरटीएच के प्रावधानों और विशिष्टताओं के लिए सख्त अनुपालना सुनिश्चित करे;
- (iii) विभिन्न शीर्षो/योजनाओं के तहत अनुमोदित सड़क निर्माण की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करे;
- (iv) समय समय पर जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों की अनुपालना द्वारा नए निर्माण की गई सड़कों/सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को मजबूत करे;
- (v) अपनी वेबसाइट पर सड़कों की हिस्ट्री शीट/वारंटी पीरियड को अपलोड करे;
- (vi) करार के रखरखाव के प्रवर्तन तथा गारंटी क्लेम को सुनिश्चित करे;

मामला सरकार को नवंबर 2017 में प्रेषित किया गया तथा उनका उत्तर जनवरी 2018 तक प्रतीक्षित है।

माप तोल विभाग

2.3 उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ माप तोल विभाग की कार्यप्रणाली

माप तोल विभाग, जीएनसीटीडी (विभाग) के पास माप तोल की शुद्धता सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा लीगल मेट्रोलोजी अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को लागू करके पैकेज की वस्तुओं पर अनिवार्य घोषणाओं को सुनिश्चित करने का अधिदेश है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश नीचे है:

मुख्य बिंदु

- विभाग ने तोल एवं माप के यूर्स के डाटाबेस तैयार करने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया और ना ही संतुलित दृष्टिकोण के साथ निरीक्षण करने के लिए कोई वार्षिक योजना तैयार की।

(पैराग्राफ 2.3.7.1)

- अधिनियम तथा नियमों के प्रवर्तन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी मुख्य पदाधिकारियों जैसे निरीक्षकों/मैनुअल सहायकों के अंतर्गत जनशक्ति की कमी थी।

(पैराग्राफ 2.3.7.2)

- अवसंरचना की कमी के कारण केन्द्रीय सहायता अप्रयुक्त रह गई। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सत्यापन के उपकरणों का इष्टतम उपयोग नहीं किया गया।

(पैराग्राफ 2.3.7.3 (iv) से 2.3.7.3 (v))

- राजस्व प्राप्तियों पर नियंत्रण कमजोर था जिसके कारण राजस्व प्राप्तियों तथा बैंक में डिपोजिटों का गैर-सामंजस्य था तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ ₹ 40.32 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों का मिलान नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 2.3.8.2 (i) से 2.3.8.2 (iv))

- लीगल मेट्रोलोजी अधिकारियों द्वारा किए जा रहे निरीक्षणों के लिए लक्ष्य नियत नहीं थे जिसके कारण धर्मकाँटों तथा उचित दर दुकानों का अपर्याप्त निरीक्षण हुआ।

(पैराग्राफ 2.3.9.2 (ख), 2.3.9.2 (ग) तथा 2.3.9.2 (घ) (ii))

- विभाग ने पणधारियों हेतु जानकारी अभियानों के लिए कोई नीति तथा दिशानिर्देश नहीं बनाए थे और कोई उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण भी नहीं किए गए थे। आम जनता की अधिक भागीदारी के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए।

(पैराग्राफ 2.3.9.4 (क) तथा 2.3.9.4 (ख))

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर तथा अप्रभावी थी।

(पैराग्राफ 2.3.10)

2.3.1 प्रस्तावना

उपभोक्ताओं द्वारा क्रय की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के तोल माप में शुद्धता तथा परिशुद्धता उपभोक्ता की सुरक्षा हेतु सर्वोपरि है। “माप तोल” शब्द का सामान्यतः अभिप्राय एक वस्तु/साधन/उपकरण अथवा यंत्र से है जो उपभोक्ता को किसी वस्तु अथवा सेवा की बिक्री करते समय तोलने अथवा मापने के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है।

फोटोग्राफ 1: विभिन्न प्रकार के तोल एवं माप उपकरण



भारत सरकार (भा.स.) ने लीगल मेट्रोलोजी अधिनियम 2009 (अधिनियम) को माप तोल विभाग के मानकों की स्थापना तथा लागू करने, तोल,माप तथा अन्य वस्तुएँ जो माप,तोल अथवा संख्या में विक्रय अथवा बाँटी जाती है, में व्यापार तथा वाणिज्य को नियमित करने के लिए अधिनियम बनाया। राराक्षेदिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने दिल्ली लीगल मेट्रोलोजी (प्रवर्तन) नियमावली 2011 भी बनाई जो राज्य अधिकारियों को कथित अधिनियम तथा उनके अतर्गत बने नियमों के प्रावधानों को लागू करने के आवश्यक अधिकार प्रदान करती है। अधिनियम तथा नियम क्रमशः 1 मार्च 2011 तथा 1 अप्रैल 2011 से माप तोल (प्रवर्तन) अधिनियम 1985 को निरस्त करके लागू किए गए।

विभाग के मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है, कि:

- (i) लेनदेनों में केवल मुद्रांकित तथा सत्यापित इलैक्ट्रॉनिक/यांत्रिक तोल मशीनें, धर्मकाँटे, टैक्सी तथा आटोरिक्षा किराया मीटरों का उपयोग किया जाता है;

- (ii) वाणिज्यिक संस्थापनों द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तावित पैकेज्ड/पूर्व पैकेज्ड वस्तुओं पर घोषणा अनिवार्य है जैसा कि अधिनियम/नियमों के अंतर्गत निर्धारित है;
- (iii) वाणिज्यिक लेनदेनों में प्रयुक्त माप तोल उपकरणों के निर्माण, मरम्मत तथा व्यापार करने के लिए लाइसेंसों को जारी/नवीकरण करना;
- (iv) पैकेज्ड वस्तुओं के पैकर्स तथा आयातकों का पंजीकरण;
- (v) डीलर/रिटेलर द्वारा तोल उपकरण का सत्यापन प्रमाणपत्र मुख्य स्थान पर दर्शाया/प्रदर्शित किया जाता है;
- (vi) पैकेज वस्तुओं में निवल सामग्री प्रत्येक पैकेज पर घोषित तोल के अनुरूप है;
- (vii) वाणिज्यिक संस्थापन किसी मद को अतिप्रभार/ कम तोल/माप में प्रदान नहीं करते हैं;
- (viii) पेट्रोल पंप मालिकों/अन्य ठेकेदारों की पेट्रोल/डीजल टैंकों, लॉरियों का अंश शोधन तथा फ्लो मीटर/ऑयल कंपनियों के प्रोविंग टैंक का सत्यापन करना तथा सत्यापन प्रमाणपत्रों को जारी करना।

2.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों का आयुक्त, विभाग का सम्पूर्ण प्रभारी होता है और सचिव (लीगल) के रूप में नियुक्त किया जाता है। नियंत्रक (लीगल मेट्रोलोजी) विभाग का अध्यक्ष होता है, तथा लीगल मेट्रोलोजी अधिनियम तथा नियमों की मॉनीटरिंग और प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है और इसके सहायक के रूप में सहायक नियंत्रक (मुख्यालय स्तर पर), जोनल अधिकारी/ निरीक्षक (लीगल मेट्रोलोजी अधिकारी) (सभी दिल्ली में नौ जोनल कार्यालयों, एक अंश शोधन यूनिट, एक टैक्सी मीटर यूनिट में सत्यापन तथा निरीक्षणों के जरिए प्रवर्तन हेतु उत्तरदायी) होते हैं।

2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा उद्देश्य मुख्यतः यह निर्धारित करने के लिए थे:

1. संस्थागत सार्वजनिक/कमियाँ:

- (i) क्या रोलिंग परिप्रेक्ष्य तथा वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए आवश्यक डाटाबेस बनाने हेतु किए गए आवधिक सर्वेक्षण कुशल तथा प्रभावी थे, और

(ii) क्या विभाग को अपने लाइसेंसिंग, अंश शोधन, सत्यापन, मुद्रांकन तथा प्रवर्तन के अधिदेश के पालन के लिए मानवीय, वित्तीय तथा भौतिक संसाधनों के संबंध में आवश्यक संस्थागत साधन प्रदान किए गए।

2. वित्तीय प्रबंधन: क्या विभाग के भीतर किया गया वित्तीय प्रबंधन कुशल, मितव्ययी तथा प्रभावी था और विद्यमान वित्तीय कानूनों, नियमों, आदेशों इत्यादि के भी अनुरूप था।

3. प्रवर्तन सेवाएँ तथा अधिनियम/नियमों का अनुपालन:

(i) क्या अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों को कुशल तथा प्रभावी रूप से लागू किया गया है तथा प्रवर्तन सेवाओं के लिए लक्ष्य नियत किए गए।

(ii) क्या अधिनियम/नियमों के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा हेतु प्रभावी जन जागरूकता अभियान तथा प्रभावी सुरक्षा (कम तोल/अधिक प्रभार) जन शिकायत सुधार प्रणाली थी।

4. आंतरिक नियंत्रण, मॉनीटरिंग व मूल्यांकन: क्या कुशल तथा प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था थी तथा आवधिक मॉनीटरिंग व मूल्यांकन किए जा रहे थे।

2.3.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

माप तोल विभाग की कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा 2012-13 से 2016-17 तक की पाँच वर्षों की अवधि को कवर करते हुए विभाग के मुख्य कार्यालय तथा नौ जोनल कार्यालयों¹⁸ में से चार जोनल कार्यालयों,¹⁹ टैक्सी मीटर यूनिट, अंश शोधन यूनिट तथा चयनित चार जोनल कार्यालयों में स्थित विभाग की मानक प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की जाँच करने हेतु मई 2017 से अगस्त 2017 तक की गई।

3 मई 2017 को एक प्रवेश सम्मेलन सचिव (लीगल मैट्रोलोजी) के साथ लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली, क्षेत्र, उद्देश्यों तथा मानदण्ड की चर्चा करने के लिए किया गया। इसकी रिपोर्ट सरकार को 15 सितम्बर 2017 को लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए जारी की गई। 28 सितम्बर 2017 को विभाग के साथ समापन सम्मेलन किया गया। समापन सम्मेलन में विभाग द्वारा व्यक्त किए गए विचारों तथा प्राप्त उत्तरों को रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है। विभाग ने तदन्तर अपने उत्तर (नवम्बर

¹⁸ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, केन्द्रीय तथा नई दिल्ली

¹⁹ पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण तथा पश्चिम जोनल कार्यालय क्षेत्र

2017) में निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रदर्शित तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की।

2.3.5 लेखापरीक्षा मानदंड

मापदंड के प्रति लेखापरीक्षा प्राप्तियों को निम्नलिखित स्रोतों से मूल्यांकित किया गया:

- (i) लीगल मैट्रोलोजी अधिनियम, 2009
- (ii) दिल्ली लीगल मैट्रोलोजी (प्रवर्तन) नियम 2011
- (iii) लीगल मैट्रोलोजी (पैकेज्ड वस्तुएँ) नियम 2011
- (iv) लीगल मैट्रोलोजी (सामान्य) नियम 2011
- (v) लीगल मैट्रोलोजी (नमूनों का अनुमोदन) नियम 2011
- (vi) भारतीय लीगल मैट्रोलोजी संस्थान नियम, 2011
- (vii) समय-समय पर जारी सरकारी आदेश/अनुदेश/दिशानिर्देश

2.3.6 पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा

‘दिल्ली में उपभोक्ताओं की सुरक्षा से संबंधित अधिनियमों तथा नियमों का कार्यान्वयन’ पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए) को 2006 के जीएनसीटीडी की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रिंट किया गया। पी.ए के पैराग्राफ 1.8.2 में माप तोल विभाग की लेखापरीक्षा उपलब्धियों को भी दर्शाया गया। रिपोर्ट पर विधान सभा की लोक-लेखा समिति द्वारा चर्चा नहीं की गई (अगस्त 2017) विभाग ने भी लेखापरीक्षा परिणामों पर कोई समुचित कार्रवाई नहीं की जिसने निरीक्षणों तथा निरीक्षणों/सत्यापनों के लिए लक्ष्यों के नियतन तथा माप तोल विभाग के यूजर्स के डाटाबेस के अनुरक्षण में कमी को दर्शाया जैसा कि इस रिपोर्ट में उचित स्थानों पर चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.3.7 संस्थागत सामर्थ्य/कमियाँ

किसी संगठन के लिए अपने अधिदेश को मितव्ययतापूर्ण तथा कुशल ढंग से प्राप्त करने के लिए संस्थागत शक्तियाँ, सुदृढ़ अवसंरचना, पर्याप्त जनशक्ति तथा निधियाँ होती हैं। जोखिम पर आधारित योजना, अपर्याप्त जनशक्ति व अवसंरचनात्मक संसाधनों के साथ-साथ उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उपयोग में कमियों से संबंधित लेखापरीक्षा प्राप्तियों की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

2.3.7.1 नियोजन- यूजर्स के विस्तृत डाटाबेस का अभाव

तोल एवं माप के वाणिज्यिक संस्थापनों/यूजर्स का अभिज्ञान तथा डाटाबेस विभाग को जोखिम आधारित परिप्रेक्ष्य तथा वार्षिक योजना तैयार करने में व्यापक सामर्थ्य प्रदान करता है ताकि निरीक्षण करने के लिए विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को लागू किया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग के जोनल कार्यालयों ने माप तोल विभाग के वाणिज्यिक संस्थापनों/यूजर्स के डाटाबेस को नहीं बनाया। मुख्यालयों तथा जोनल कार्यालयों द्वारा माप तोल के विभिन्न प्रकार के यूजर्स (जैसे ज्वैलर्स, शॉपिंग मॉल, उचित दर दुकानें, मिठाई की दुकानें तथा इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अन्य वाणिज्यिक संस्थापन) को निश्चित करने के लिए यूजर्स के डाटाबेस को भी तैयार नहीं किया जबकि माप-तोल उपकरणों के निर्माताओं, डीलर्स तथा मरम्मतकारों की संख्या धीरे-धीरे 1 अप्रैल 2012 में 561 से बढ़कर 31 मार्च 2017 को 721 हो गई।

इसके अतिरिक्त चयनित जोनल कार्यालयों की नमूना जाँच ने दर्शाया कि 842 निरीक्षणों में से उचित दर दुकानें, धर्मकाँटों, ज्वैलर्स, पेट्रोल पंपों तथा एलपीजी एजेन्सियों की निरीक्षण संख्या बहुत कम थी। इसके बावजूद चार प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच निरंतर कदाचार घटनाओं की सूचना इन संस्थापनों में पाई गई, जिसे तालिका 2.3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3.1: चार जोनल कार्यालयों के विभिन्न संस्थापनों के निरीक्षण/अभियोजन

जोन का नाम	कुल निरीक्षण	उचित दर दुकाने	सिनेमा हॉल/शॉपिंग मॉल	तोलसेतु	ज्वैलर्स	मिठाई की दुकाने	एलपीजी आऊटलेट	पेट्रोल पम्प	अन्य
दक्षिणी	250	0	0	2	16	15	5	2	210
उत्तर पश्चिम	243	5	4	4	20	32	10	2	166
पूर्वी	199	5	9	2	0	26	23	0	134
पश्चिम	150	0	2	4	8	6	0	21	109
निरीक्षण	842	10	15	12	44	79	38	25	619
अभियोजन	316	6	6	4	12	20	7	1	260
निरीक्षणों में अभियोजनों की प्रतिशतता		60	40	33	27	25	18	4	42

इस प्रकार यूजर्स तथा वाणिज्यिक संस्थापनों के डाटाबेस के अभाव में लीगल मैट्रोलोजी अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षणों का जोखिम आधारित दृष्टिकोण उपलब्ध नहीं था।

विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकारते हुए कहा (अक्टूबर 2017) सभी यूजर्स का विस्तृत डाटाबेस तथा जोखिम आधारित कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसने आगे कहा कि इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता होगी क्योंकि विभाग जनशक्ति की कमी का सामना कर रहा है।

2.3.7.2 मानव संसाधन

विभाग में 2012-13 के दौरान जनशक्ति की कमी लगभग 30 प्रतिशत थी जो धीरे-धीरे 2015-17 में बढ़कर 50 प्रतिशत तक हो गई। 2012-17 के दौरान संस्वीकृत जनशक्ति, वर्तमान पद स्थिति तथा कमी के ब्यौरे तालिका 2.3.2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.3.2: 2012-17 के दौरान वर्षवार जनशक्ति की स्थिति

वर्ष	संस्वीकृत पद	वर्तमान पद स्थिति	कमी	संस्वीकृत पद के प्रति जनशक्ति की कमी की प्रतिशतता
2012-13	149	105	44	29.53
2013-14	149	98	51	34.23
2014-15	149	87	62	41.61
2015-16	149	74	75	50.34
2016-17	149	75	74	49.66

स्त्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना

विभाग ने एक जोन से संबंधित कार्य के विचार से प्रत्येक जोन के लिए वर्ग-वार जनशक्ति की आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया। लेखापरीक्षा ने जोन तथा वर्ग-वार जनशक्ति की स्थिति का विश्लेषण किया तथा प्रवर्तन के साथ-साथ पर्यवेक्षण स्तर पर जनशक्ति की अपर्याप्तता को पाया जैसाकि नीचे चर्चा की गई है:

(क) जोनल कार्यालयों यूनिटों में प्रवर्तन गतिविधियों के लिए अपर्याप्त जनशक्ति

लीगल मेट्रोलोजी अधिनियम 2009 के सेक्शन 15 के अनुसार निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई लीगल मेट्रोलोजी अधिकारी (एलएमओ) भी माप तोल विभाग के यूजर्स के परिसरों का निरीक्षण करता है।

विभाग में निरीक्षकों (ग्रेड-I, II तथा III) को दिल्ली प्रशासनिक सहायक सेवा (डीएसएस) केंद्र से जीएनसीटीडी के सेवा विभाग द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिन्हें बाद में दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के अनुमोदन से "लीगल मेट्रोलोजी अधिकारी" के रूप में नियुक्त/अधिसूचित किया जाता है। 2012-17 के दौरान स्थिति का ब्यौरा तालिका 2.3.3 में दिया गया है।

तालिका 2.3.3: 2012-17 के दौरान प्रवर्तन स्टाफ की कैडर-वार जनशक्ति की स्थिति

	संस्वीकृत पद	कार्यरत स्टाफ				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ग्रेड-I (डीएसएस) निरीक्षक	11	10	8	8	8	8
ग्रेड-II (डीएसएस) निरीक्षक	12	12	11	6	4	8
ग्रेड-III (डीएसएस) निरीक्षक	34	29	30	28	22	16
मैनुअल सहायक/कनिष्ठ मैनुअल सहायक	31	18	18	18	18	17
कुल	88	69	67	60	52	49
संस्वीकृत पद में प्रतिशतता		78.41%	76.14%	68.18%	59.09%	55.68%

स्त्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना

यह पाया गया कि निरीक्षक/मैनुअल सहायक के भरे हुए पद 2012-13 में 69 से कम होकर 2016-17 में 49 हो गए तथा इस कमी ने प्रवर्तन गतिविधियों जैसे सत्यापन, निरीक्षण, अभियोजन तथा अंश शोधन इत्यादि को बुरी तरह प्रभावित किया। 2012-13 में 11,650 निरीक्षण किए गए जो 2016-17 में कम होकर 6,732 रह गए। इसके अतिरिक्त 19 लिपिकीय स्टाफ की संस्वीकृत संख्या के प्रति 2012-17 के दौरान आठ से 17 लिपिकों के बीच की रेंज में स्टाफ की कमी थी जो 42 प्रतिशत से 89 प्रतिशत थी। इस कमी को 2013-17 के दौरान आठ से 13 डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को ठेके पर नियुक्त करके पूरा किया गया परन्तु जोनल कार्यालयों में नियुक्त निरीक्षकों को प्रशासनिक कार्य सौंपना भी जारी रखा गया जिससे कोर प्रवर्तन कार्य प्रभावित हुए।

(ख) पर्यवेक्षण स्तर पर जनशक्ति की कमी

मार्च 2017 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों के दौरान उप-निदेशक का एक पद रिक्त था जबकि सहायक नियंत्रक का एक पद भी फरवरी 2017 से रिक्त था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उप-निदेशक/सहायक नियंत्रक स्तर में रिक्ति का परिणाम जोनल कार्यालयों/प्रयोगशालाओं/यूनिटों की मॉनीटरिंग में अपर्याप्तता था। इसके अलावा 2012-16 के दौरान नियंत्रक/सहायक नियंत्रक द्वारा जोनल कार्यालयों/यूनिटों में कोई दौरा/निरीक्षण नहीं किए गए, जैसाकि पैराग्राफ सं. 2.3.10.1(i) में चर्चा की गई है।

विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा (अक्टूबर 2017) कि जनशक्ति की कमी विभाग के कार्य को रोकती है तथा सचिव/नियंत्रक (एलएम)/सहायक नियंत्रक (एलएम) द्वारा विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए समय-समय पर कई पत्र सेवा विभागों को भेजे गए हैं। चूंकि विभाग माप तोल की शुद्धता

को सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु बाध्य है, पर्याप्त जनशक्ति को इन कार्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।

2.3.7.3 अपर्याप्त संरचनात्मक सुविधाएं

(i) प्रयोगशालाओं के बीच जनसंख्या का असंगत बंटवारा

कार्य मानक प्रयोगशालाएं (डब्ल्यूएसएल) विभाग की रीढ़ हैं, जहाँ तोल माप का मुद्रांकन तथा सत्यापन किया जाता है। डब्ल्यूएसएल को जोनल कार्यालय के लिए स्थापित किया जाता है तथा माध्यमिक मानक प्रयोगशाला (एसएसएल) एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला है। डब्ल्यूएसएल में रखे उपकरणों को एसएसएल अथवा संदर्भ मानक प्रयोगशाला (राष्ट्रीय स्तर प्रयोगशाला) में आवधिक रूप से सत्यापित किया जाना आवश्यक होता है जबकि एसएसएल में रखे उपकरणों को संदर्भ मानक प्रयोगशाला में आवधिक रूप से सत्यापित किया जाना आवश्यक होता है। विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र तथा जनसंख्या में एकरूपता लाने के लिए माध्यमिक मानक प्रयोगशाला (एसएसएल) तथा डब्ल्यूएसएल को स्थापित करने हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं किए।

नौ जोनल अधिकारियों के पर्यवेक्षण में नौ डब्ल्यूएसएल तथा एक एसएसएल है। विभाग ने 2012-17 की अवधि के दौरान दिल्ली में कोई नई माध्यमिक/कार्य मानक प्रयोगशाला स्थापित नहीं की थी। नौ जोनल कार्यालयों की इन प्रयोगशालाओं द्वारा सेवित जनसंख्या के आकार में बहुत अंतर था। राराक्षे दिल्ली के 29.87 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करते हुए उत्तर पश्चिम जोनल कार्यालय की प्रयोगशाला 36.56 लाख की जनसंख्या को सेवा प्रदान कर रही थी जबकि 2.36 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करते हुए नई दिल्ली क्षेत्र कार्यालय की प्रयोगशाला 1.42 लाख की जनसंख्या को सेवा प्रदान कर रही थी (परिशिष्ट 2.3.1)। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकारते हुए कहा (अक्टूबर 2017) कि स्टाफ की कमी के कारण स्टाफ की तैनाती तथा दिल्ली में जनसंख्या के अनुसार सेवाओं का विस्तार संभव नहीं हो सका।

(ii) इसके अतिरिक्त दिल्ली के उत्तर पश्चिम जोन में दिल्ली में कुल सेवा दे रही 1.07 लाख²⁰ टैक्सी तथा ऑटो-रिक्शा के लिए टैक्सी तथा ऑटो-रिक्शा किराया मीटरों के सत्यापन तथा मुद्रांकन के लिए केवल एक टैक्सी मीटर यूनिट (टीएमयू) थी, परन्तु दिल्ली में एक अतिरिक्त टीएमयू बनाने की संभावना की खोज नहीं की गई। विभाग ने एक अतिरिक्त टैक्सी मीटर यूनिट की उत्पत्ति के इस लेखापरीक्षा सुझाव को नोट किया (अक्टूबर 2017)।

²⁰ विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार

(iii) प्रयोगशाला उपकरण हेतु आवधिक सत्यापन प्रमाणपत्रों की गैर-प्राप्ति

प्रयोगशालाएं, यूजर्स द्वारा लाए गए तोल माप के मुद्रांकन तथा सत्यापन हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित हैं। लीगल मेट्रोलोजी अधिनियम 2009 के सेक्शन 9(2) तथा 9(3) के अनुसार प्रत्येक संदर्भ मानक, माध्यमिक मानक तथा कार्य मानक तराजू का यथानिर्धारित ढंग से सत्यापन तथा मुद्रांकन करना होगा तथा यथानिर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद तथा तोल तराजू जो सत्यापित तथा मुद्रांकित नहीं है, वैध मानक नहीं माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त दिल्ली लीगल मेट्रोलोजी (प्रवर्तन) नियम 2011 के नियम 6 तथा 7 में भी निर्धारित है कि प्रयोगशाला में रखे प्रत्येक सहायक/कार्य मानक तराजू को 12 महीनों की अवधि के भीतर कम से कम एक बार सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

चार चयनित जोनल कार्यालयों के अंतर्गत एक एसएसएल तथा चार डब्ल्यूएसएल के अभिलेखों की नमूना जाँच ने दर्शाया कि:

(क) एसएसएल तथा डब्ल्यूएसएल में रखे उपकरण तथा तराजू को विभाग द्वारा आवधिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया था। पाँच प्रयोगशालाएँ (एसएसएल/ डब्ल्यूएसएल) 2012-17 की अवधि के लिए संदर्भित मानक/माध्यमिक मानक प्रयोगशालाओं से प्राप्त सत्यापन प्रमाणपत्रों का आंशिक ब्यौरा प्रदान कर सकीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपकरण के 49 सैट पाँच प्रयोगशालाओं में उपलब्ध थे, 2012-15 के लिए सत्यापन प्रमाणपत्र प्रयोगशालाओं में उपलब्ध नहीं थे जबकि 25 सैटों और 38 सैटों के लिए सत्यापन प्रमाणपत्र क्रमशः वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त एसएसएल तथा डब्ल्यूएसएल में उपकरणों के सत्यापन के कोई रजिस्टर/अभिलेख नहीं रखे जा रहे थे जिनके अभाव में लेखापरीक्षा इन प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए निष्पादन/सत्यापनों का विश्लेषण नहीं कर सका।

(ख) इसके अतिरिक्त टैक्सी मीटर यूनिट दिल्ली में टैक्सी तथा ऑटो-रिक्शा किराए मीटर के सत्यापन हेतु 22 पल्स जनरेटिंग मशीनों का उपयोग कर रही थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 22 मशीनों में से 10 मशीनों का अधिष्ठापन तथा परीक्षण फरवरी 2002 तथा सितंबर 2006 के बीच किया गया जबकि 12 मशीनों का अधिष्ठापन तथा परीक्षण सितम्बर 2012 तथा जुलाई 2015 के बीच किया गया। इसके पश्चात इन मशीनों के कोई आवधिक सत्यापन प्रमाणपत्र निर्दिष्ट परीक्षण लैब (इलेक्ट्रॉनिक रिजनल टैस्ट लैबोरेटरी) से प्राप्त नहीं किए गए थे।

विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा (अक्टूबर 2017) कि सचिव (लीगल मैट्रोलोजी) ने अधिकारियों को प्रयोगशालाओं/टीएमयू में रखे उपकरण के लिए समय पर आवधिक सत्यापन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के सख्ती से निर्देश/चेतावनी दी है।

(iv) प्रयोगशालाओं हेतु भूमि का गैर-विकास

विभाग को 1989 में जोनल कार्यालय तथा टैक्सी मीटर प्रयोगशाला की स्थापना हेतु एक भूखण्ड (दिल्ली के विश्वास नगर में 770 वर्ग मी) आवंटित किया गया। भूमि का कब्जा विभाग को अक्टूबर 1993 में सौंपा गया। भवन का निर्माण कार्य डीएसआईआईडीसी को 1993 में दिया गया परन्तु केवल चारदीवारी तथा सुवाहय झोपड़ियों को निर्मित किया गया।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय, भा.स. ने राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को तोल माप अवसंरचना को सुदृढ़ करने की स्कीम के अंतर्गत 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर कार्यशील मानक प्रयोगशाला सहायक मानक प्रयोगशाला के निर्माण हेतु निधियाँ प्रदान करने का अवसर प्रदान किया (जुलाई 2009)। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने रिक्त भूमि पर अवसंरचना की उत्पत्ति के अवसर का लाभ 2013 तक नहीं उठाया। भा.स. ने पुनः (फरवरी 2013) विभाग को उपलब्ध भूमि पर प्रयोगशालाओं के निर्माण का प्रस्ताव भेजने के लिए कहा। उसके पश्चात विभाग ने कार्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव प्रारंभ किया (मई 2013) तथा कार्यात्मक आवश्यकताओं²¹ का निर्धारण किया। डीटीडीसी ने ₹ 9.99 करोड़ की अनुमानित लागत के भवन के निर्माण की ड्राइंग्स प्रस्तुत की (मार्च 2014)। विभाग ने प्रस्ताव²² भा.स. को भेजा (18 मार्च 2014) तथा को केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत ₹ 4.75 करोड़ प्रदान करने का अनुरोध किया। भा.स. ने इच्छा व्यक्त की (जुलाई 2014) कि ₹ 4.75 करोड़ से अधिक व्यय को जीएनसीटीडी द्वारा वहन किया जाएगा। भा.स. ने 2014-15 के दौरान विभाग को ₹ 0.75 करोड़ (मार्च 2014 में ₹ 0.25 करोड़ तथा सितंबर 2014 में ₹ 0.50 करोड़) प्रदान किए।

उसी समय जीएनसीटीडी के योजना एवं वित्त विभाग के निर्देशों पर (जून 2014) विभागीय प्रभार बचाने के लिए कार्य को पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराने का प्रस्ताव रखा गया। अक्टूबर 2014 में कार्य पीडब्ल्यूडी को

²¹ एक सहायक, मानक प्रयोगशाला, तीन कार्यशील मानक प्रयोगशालाएँ, तीन जोनल अधिकारी/निरीक्षक कमरा, मंत्रालय स्टाफ कमरा, अभिलेख कक्ष, सम्मेलन हाल तथा प्रत्येक तल पर आधारभूत सिविक सुविधाएँ

²² छः कार्यशील मानक प्रयोगशालाएँ, एक सहायक मानक प्रयोगशाला तथा टैक्सी मीटर यूनिट प्रयोगशाला और नियंत्रक (लीगल मैट्रोलोजी) कार्यालय।

आवंटित किया गया जिसके लिए 31 जनवरी 2017 को ₹ 5.92 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति (एए/ईएस) की सहमति दी गई। कार्य को एए/ईएस की तिथि से 730 दिन में पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने 1993 से 2013 तक भवन का निर्माण प्रारंभ करने की कोई पहल नहीं की। इसके अतिरिक्त 2013 से 2017 के दौरान प्रत्येक स्तर पर विलंब हुआ था। भा.स.द्वारा 2014-15 में ₹ 0.75 करोड़ प्रदान करने के बावजूद निर्माण कार्य अभी तक (जुलाई 2017) आरंभ नहीं किया गया है। भा.स. को भी निधियों को अगले वर्ष में पुनः उपयोग के लिए समय बढ़ाने के लिए बाधित होना पड़ा। इस प्रकार विभाग के लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण के कारण पर्याप्त अवसंरचना उत्पन्न नहीं की जा सकी जबकि उत्तर पश्चिम जोन में संपूर्ण दिल्ली के लिए केवल एक टैक्सी मीटर यूनिट था तथा जोनल कार्यालय (पूर्व) विश्वास नगर में अपनी कार्यशील मानक प्रयोगशाला के लिए सुवाह्य झोपड़ियों के माध्यम से संचालन कर रहा था (फोटोग्राफ-2)।

फोटोग्राफ -2: जोनल कार्यालय (पूर्व) में कार्य मानक प्रयोगशाला



विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि विश्वास नगर में भवन का निर्माण एक बड़ी परियोजना है जिसमें कई एजेंसियाँ जैसे डीडीए, डीएसआईआईडीसी, दिल्ली नगर निगम, डीएफसी, पीडब्ल्यूडी इत्यादि शामिल है जिसमें परियोजना की शुरुआत से पहले अनुमोदन लेना आवश्यक है तथा इस संबंध में सभी प्रयास उच्च स्तर पर किए जा रहे हैं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 1993 से भूमि की उपलब्धता के बावजूद विभाग द्वारा आवश्यक अवसंरचना के निर्माण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त तथ्य यह है कि निर्माण कार्य अभी तक आरंभ नहीं किया गया है।

(v) गतिशील धर्मकाँटा सत्यापन क्रेनों का अल्प-उपयोग

भा.स.²³ ने विभाग को केन्द्र प्रयोजित स्कीम (सीएसएस) को सुदृढ़ करने के लिए दिसम्बर 2007 में (एक क्रेन) तथा मार्च 2010 में (दो क्रेन) मूल्य के

²³ उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय, भारत सरकार

धर्मकाँटों के सत्यापन हेतु ₹ 1.77 करोड़²⁴ मूल्य की तीन तोलसेतु सत्यापन किटें (मोबाइल हायड्रोलिक फोल्डेबल क्रेन) प्रदान कीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि ड्राइवरों की गैर-उपलब्धता के कारण तथा यहाँ तक 14 फरवरी 2014 से ₹ 14,365/- प्रति माह प्रति ड्राइवर भाड़ा प्रभारों पर तीन ड्राइवर भाड़े पर लेने के बाद भी क्रेनों का कम उपयोग हुआ। क्रेनों की प्राप्ति से लेकर उनके पंजीकरण तथा उपयोग के ब्यौरे तालिका- 2.3.4 में दिखाये गए हैं।

तालिका- 2.3.4: तोल सेतु के सत्यापन के लिए मोबाइल हाईड्रोलिक क्रेनों का उपयोग

क्रेन सं. तथा निर्वाह जोन का नाम	प्राप्ति की तिथि/पंजीकरण की तिथि	क्रेन का प्रथम बार उपयोग	क्रेन अपनी प्राप्ति की तिथि से किमी में चली	लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ
डीएलएकजीबी 6593 दक्षिणी जोन	दिसम्बर 2007/ 7-11-2008	प्रथम बार फरवरी 2013 में चलाई गई परन्तु अगस्त 2017 तक धर्मकाँटों के सत्यापन के लिए उपयोग नहीं किया गया	523 किमी चलाई गई (13-02-2013 से 27-11-2015)	क्रेन का उपयोग ड्राइवर की गैर-उपलब्धता के कारण अगस्त 2017 तक किसी तोलसेतु के सत्यापन हेतु नहीं किया गया। यह फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए नवम्बर 2015 तक 523 किमी चली तथा क्रेन की आवधिक मरम्मत के लिए इसके रखरखाव/ईंधन पर जबकि ₹ 2.54 लाख खर्च किए गए। क्रेन को नवम्बर 2015 से दक्षिणी जोन के खुले क्षेत्र में चारदीवारी तथा शैंड के बिना पार्क किया गया था।
डीएलएकजीबी 7046 उत्तर पश्चिम जोन	मार्च 2010/30-04-2010	प्रथम बार अगस्त 2012 में धर्मकाँटों के सत्यापन हेतु उपयोग किया गया	4226 किमी. चलाई गई (08-08-2012 से 11-08-2016)	भारी वाहन चलाने वाले ड्राइवर की गैर-उपलब्धता के कारण क्रेन का पहली बार अगस्त 2012 में सत्यापन के लिए उपयोग किया गया तथा अन्तिम बार मार्च 2016 में धर्मकाँटों के सत्यापन के लिए उपयोग किया गया। इस अवधि के दौरान क्रेन का सत्यापन के लिए 137 बार उपयोग किया गया। मार्च 2016 के पश्चात् क्रेन को अगस्त 2016 तक केवल मरम्मत/फिटनेस प्राप्त करने के लिए चलाया गया। इसे अब उत्तर पश्चिम जोन में पार्क किया गया था।
डीएलएकजीबी 7047 पूर्वी जोन	मार्च 2010/30-04-2010	अक्टूबर 2012 को प्रथम बार धर्मकाँटों के सत्यापन हेतु उपयोग किया गया	1148 किमी चलाई गई (08-08-2012 से 01-11-2016)	भारी वाहन चलाने वाले ड्राइवर की गैर-उपलब्धता के कारण क्रेन का पहली बार अक्टूबर 2012 में उपयोग किया गया। क्रेन को 27 जून 2016 को सत्यापन के लिए अंतिम बार पूर्वी जोन में उपयोग हेतु खड़ा किया गया। इस अवधि के दौरान क्रेन को सत्यापन के लिए 36 बार उपयोग किया गया तथा जून 2016 के पश्चात क्रेन को खुले क्षेत्र में पार्क किया गया। इसके अतिरिक्त जनवरी 2017 से क्रेन आवश्यक मरम्मत के लिए बेकार पड़ी थी।

²⁴ ₹ 0.53 करोड़ लागत की एक क्रेन तथा ₹ 0.62 करोड़ प्रत्येक की लागत की दो क्रेन

फोटोग्राफ-3: तोल सेतु के सत्यापन हेतु दक्षिणी, पूर्वी तथा उत्तर पश्चिम जोन में अप्रयुक्त पड़ी क्रेन



(डीएल1जीबी-6593)

(डीएल1जीबी- 7047)



(डीएल1जीबी- 7046)

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि विभाग ने भा.स. को दो क्रेन अर्पित करने तथा उन्हें बेहतर उपयोग के लिए कहीं और भेजने का प्रस्ताव किया (27 जुलाई 2016)। क्योंकि क्रेनों का विभाग में कम उपयोग किया गया। तदनुसार भाड़े के दो ड्राइवरों की सेवाओं को भी 7 सितम्बर 2016 से बंद कर दिया गया। भा.स. द्वारा (जनवरी/फरवरी 2017) एक क्रेन को राजस्थान तथा एक को त्रिपुरा स्थानांतरित करने की सलाह के बावजूद दोनों क्रेन उत्तर पश्चिम जोन तथा दक्षिणी जोन में अभी तक पड़ी हुई थीं (अगस्त 2017)।

लीगल मैट्रोलोजी (सामान्य) नियम 2011 का नियम 27 तोल सेतुओं के वार्षिक सत्यापन को निर्धारित करता है, हालांकि वर्ष 2012-17 के लिए इन क्रेनों की लॉग बुक्स ने दर्शाया कि विभाग द्वारा 2,857 डब्ल्यूबी (एक वर्ष में 543 से 597 डब्ल्यूबी) में से केवल 173 डब्ल्यूबी (वर्ष में चार डब्ल्यूबी से 74 डब्ल्यूबी) को क्रेनों का उपयोग करते हुए सत्यापित किया गया, जिसने 2012-17 के दौरान क्रेनों के संचालन तथा रखरखाव पर ₹ 21.83 लाख खर्च के बावजूद ₹ 1.77 करोड़ की लागत पर भा.स. द्वारा प्रदत्त इन परीक्षण सुविधाओं (क्रेनों) का उपयोग करने में विभाग की विफलता को दर्शाया।

आगे यह पाया गया कि विभाग ने क्रेनों का उपयोग करने में हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए यूजर्स से (अर्थात् डब्ल्यूबी से) अतिरिक्त शुल्क लेने की कोई पहल नहीं की हालांकि भा.स. ने क्रेनों के उपयोग पर ₹ 2000

की अतिरिक्त वसूली के केरल सरकार के उदाहरण को बताते हुए सलाह दी। विभाग क्रेनों के संचालन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करके तीन क्रेनों का इष्टतम उपयोग कर सकता था।

विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा (अक्टूबर 2017) कि क्रेन सं. डीएल-1जीबी-7047 की मरम्मत जनवरी 2017 से नहीं करवाई जा सकी क्योंकि कोई बोलीदाता निविदा में आगे नहीं आया। इसने यह भी कहा कि जोनल कार्यालयों में कोई छतदार पार्किंग नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भा.स. द्वारा प्रदत्त क्रेनों का उनकी प्राप्ति के समय से ही कम उपयोग किया गया तथा विभाग, खराब योजना के कारण महँगी मशीनों/क्रेनों का उपयोग करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त जुलाई 2016 में दो क्रेनों को अभ्यर्पित करने के निर्णय के बावजूद दोनों क्रेनों जोनल कार्यालयों में अभी तक अप्रयुक्त पड़ी हैं और तीसरी क्रेन प्राप्ति के समय से अप्रयुक्त थी तथा मरम्मत के बिना पड़ी रही।

जहाँ तक अतिरिक्त शुल्क लगाने का संबंध है, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि ऐसा कोई प्रस्ताव प्रारंभ नहीं किया गया क्योंकि गतिशील क्रेनों का दिल्ली में प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा सका तथा विभाग ने भा.स. को दो गतिशील क्रेनें अभ्यर्पित करने का अनुरोध किया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भा.स. ने अक्टूबर 2008 में पहली क्रेन प्रदान करने के पश्चात तत्काल अतिरिक्त शुल्क लगाने का सुझाव दिया था परन्तु विभाग ने उस पर कोई पहल नहीं की।

(vi) ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने हेतु विभागीय कंप्यूटरीकृत एप्लीकेशनों का आधुनिकीकरण

विभाग ने व्यापार संस्थापनों को ऑनलाइन भुगतान सुविधा सहित ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने हेतु सॉफ्टवेयर माइयूल विकसित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी), जीएनसीटीडी के माध्यम से दिल्ली ई-गवर्नेंस सोसायटी (डीजीएस)²⁵ के समक्ष प्रस्ताव रखा (नवम्बर 2014)। कार्य को 31 अगस्त 2015 तक दो चरणों²⁶ में किया जाना था। विभाग ने ₹ 3.93 लाख दिए (जनवरी 2016) तथा सॉफ्टवेयर 16 अप्रैल 2016 को प्रारम्भ किया

²⁵ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जीएनसीटीडी के पैनल में

²⁶ पहले चरण में विद्यमान डाटाबेस का नये सर्वर में अंतरण, डोमेन नेम पंजीकृत करना, विद्यमान लाइसेंस सेवाओं के लिए सर्वर माइयूल विकसित करना, नया बैक-अप बनाना तथा स्थल का रखरखाव। दूसरे चरण में लाइसेंस प्रदान करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल तथा ई- पेमेंट गेटवे विकसित करना, ई- मेल/एसएमएस से पावती तथा लाइसेंस की नवीकरण प्रक्रिया

गया। लेखापरीक्षा ने जोनों द्वारा ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में निम्नलिखित कमियों को पाया:

(क) लाइसेंसों के ऑनलाइन नवीकरण हेतु बनाए गए सॉफ्टवेयर को तकनीकी समस्याओं के कारण शुरू नहीं किया जा सका तथा जोन लाइसेंसों के नवीकरण के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त/तैयार नहीं कर सके।

(ख) सात जोनल कार्यालयों द्वारा प्राप्त 149 ऑनलाइन आवेदनों में से 128 आवेदनों पर ऑनलाइन कार्यवाही की गई, जबकि 21 आवेदनों पर प्रक्रिया मैनुअली की गई। यहाँ तक कि जब ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया नौ जोनल कार्यालयों ने अप्रैल 2016 तथा मार्च 2017 के बीच 52 आवेदन मैनुअली प्राप्त किए तथा उन्हें मैनुअली तैयार किया।

चयनित जोनल कार्यालयों की नमूना जाँच से पता चला कि जोनल कार्यालय नेटवर्क प्राप्त न होने तथा इंटरनेट की कम स्पीड की समस्याओं का सामना कर रहे थे। सचिव (एलएम) ने समस्याओं को सुधारने के लिए डीजीएस के माध्यम से सॉफ्टवेयर में संशोधन करने के निर्देश दिए (जुलाई 2016), परन्तु यह नहीं किया गया। इस प्रकार, डीजीएस को ₹ 3.93 लाख व्यय करके विभागीय कम्प्यूटरीकृत एप्लीकेशनों के आधुनिकीकरण का कार्य सौंपने के बावजूद अभीष्ट लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त जोनल कार्यालयों में उपलब्ध अधिकतर कम्प्यूटर तथा प्रिंटर पुराने प्रकार के तथा अपर्याप्त थे जो संचालनों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे थे।

विभाग ने तथ्यों तथा आकड़ों की पुष्टि की (नवंबर 2017)।

2.3.8 वित्तीय प्रबंधन

2.3.8.1 बजट आवंटन तथा उपयोगिता

विभाग ने केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत जीएनसीटीडी द्वारा आवंटित निधियों तथा भा.स. द्वारा दिए सहायता अनुदानों के जरिए अपनी गतिविधियों को पूरा किया। वर्ष 2012-17 के दौरान आवंटित बजट तथा वास्तविक व्यय का विवरण तालिका 2.3.5 में दर्शाई गया है।

तालिका 2.3.5: 2012-17 के दौरान वर्षवार बजट आवंटन तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	बजट प्रावधान		वास्तविक व्यय		बचत/अधिकता	
	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत
	(1)	(2)	(3)	(4)	5=(1-3)	6=(2-4)
2012-13	0.06	4.60	0.005	4.38	0.055	0.22
2013-14	0.00	4.50	0.002	4.67	(-)0.002	(-)0.17
2014-15	0.00	5.93	0.030	5.17	(-)0.03	0.76
2015-16	1.00	6.94	0.053	4.97	0.947	1.97
2016-17	1.00	10.12	0.032	5.58	0.968	4.54

लेखापरीक्षा ने 2012-17 की अवधि के लिए बजट आवंटन तथा वास्तविक व्यय का विश्लेषण किया, जैसा कि उपरोक्त तालिका 2.3.5 में इंगित है तथा पाया कि 2012-17 के दौरान वार्षिक बचतें गैर-योजनागत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 0.22 करोड़ तथा ₹ 4.54 करोड़ के बीच की रेंज में थी जबकि योजनागत निधियों के लिए यह 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 0.055 करोड़ तथा ₹ 0.968 करोड़ के बीच की सीमान्तर्गत थीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2015-17 के दौरान कुल व्यय (योजनागत तथा गैर-योजनागत) में 36.74 प्रतिशत तथा 49.53 प्रतिशत की सीमान्तर्गत महत्वपूर्ण बचतें थीं। लेखापरीक्षा ने वास्तविक व्यय के साथ संशोधित बजट आवंटन की भी तुलना की तथा पाया कि बचतें 2012-17 के दौरान ₹ 0.09 करोड़ तथा ₹ 1.71 करोड़ के बीच की रेंज में थीं। यह भी पाया गया कि विभाग ने निधियों की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया तथा स्कीमें कुशलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं की गई जैसा नीचे वर्णित है:

(i) रिक्त पदों के संबंध में बजट की माँग

2012-17 के लिए बजट अनुमान एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पड़े पदों पर विचार करने के पश्चात तैयार किए गए जो वित्त विभाग द्वारा दिए गए निर्देश²⁷ का उल्लंघन था। वेतन शीर्ष में ₹ 1.02 करोड़ की बचत थी। विभाग ने आश्वासन दिया (अक्टूबर 2017) कि भविष्य में बजट मांग तैयार करते समय रिक्त पदों के प्रत्येक पहलू पर विचार किया जाएगा।

(ii) कम्प्यूटरों की गैर-खरीद

विभाग ने 2012-17 के दौरान जीएनसीटीडी से “कार्यालय व्यय (सूचना प्रौद्योगिकी)” शीर्ष के अंतर्गत ₹ 171.00 लाख की मांग के प्रति ₹ 37.36 लाख प्राप्त किया। विभाग मार्च 2017 तक केवल ₹ 11.06 लाख का उपयोग कर सका जिसमें 2015-16 के दौरान विभागीय कम्प्यूटरीकृत एप्लीकेशनों के आधुनिकीकरण पर किया गया ₹ 3.93 लाख का व्यय भी शामिल था। विभाग ने 22 डेस्कटॉप/लैपटॉप तथा 22 प्रिंटर की आवश्यकता (फरवरी 2014) के प्रति 2012-17 के दौरान केवल 11 डेस्कटॉप तथा 11 प्रिंटर खरीदे। विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) की आधुनिक कम्प्यूटरीकरण स्थापित करने के लिए सभी जोनल अधिकारियों को तत्काल नए कम्प्यूटरों/प्रिंटरों का निर्धारण करने को कहा गया है।

²⁷ दिनांक 16.09.2014, 12.08.2015 व 3.10.2016 का का. जा. देखिए। एक वर्ष से अधिक के रिक्त पड़े पदों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखे जाने चाहिए।

(iii) लीगल मैट्रोलोजी विंग के सुदृढीकरण हेतु आवंटित बजट का गैर-उपयोग जीएनसीटीडी ने विभाग को 2012-17 के दौरान सीएसएस से योजनागत शीर्ष “लीगल मैट्रोलोजी विंग” के अंतर्गत ₹ 206.00 लाख आवंटित किया, जिसके प्रति 2014 और 2017 के बीच तीन गतिशील क्रेनों के ड्राइवरों के वेतन पर ₹ 11.49 लाख सहित केवल ₹ 12.18 लाख का उपयोग किया गया जो भा.स. के निर्देशों के विरुद्ध था क्योंकि सीएसएस के अंतर्गत भा.स. द्वारा प्रदत्त क्रेनों के संचालन तथा रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का था।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि पीडब्ल्यूडी को दिल्ली के विश्वास नगर में विभाग के भवन के निर्माण का कार्य दिया गया था तथा एए और ईएस को 31 जनवरी 2017 को पीडब्ल्यूडी के पक्ष में जारी किया गया। यह भी कहा कि क्रेन ड्राइवरों के वेतन का भुगतान भा.स. के निर्देशों का उल्लंघन नहीं था और भाड़े के दो ड्राइवरों की सेवाएँ 07 सितम्बर 2016 से बंद कर दी गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग के सुदृढीकरण हेतु प्रदत्त निधियों का उपयोग आज तक नहीं किया गया। भवन का निर्माण बहुत समय से शुरू नहीं किया गया है जबकि जनवरी 2017 में एए तथा ईएस प्रदान कर दिया गया था। ड्राइवर के वेतन में योजनागत निधियों का उपयोग भा.स. द्वारा अनुमत नहीं था इसलिए अगस्त 2016 से विभाग ने इसे गैर-योजनागत निधियों से लेना शुरू किया।


2.3.8.2 गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ

विभाग गैर-कर राजस्व प्राप्तियों को शुल्क के रूप में तोल/माप के सत्यापन तथा मुद्रांकन, उपकरण/तोल के अंश शोधन, कम्पाउंडिंग शुल्क, निर्माताओं/मरम्मतकारों/डीलरों से लाइसेंस शुल्क तथा पैकेज्ड वस्तुओं के पैकर्स/आयातकों के पंजीकरण जुर्माने इत्यादि से एकत्र करता है जिनको राजकोष में जमा कराना आवश्यक होता है। 2012-17 के दौरान विभाग द्वारा एकत्रित ₹ 40.32²⁸ करोड़ की समस्त राजस्व प्राप्तियों का चित्रण चार्ट-1 में दर्शाया गया है:

²⁸ जोन/यूनिटों द्वारा विभिन्न शुल्कों/उद्ग्रहणों के लिए ₹ 33.41 करोड़ तथा मुख्यालय द्वारा कम्पाउंडिंग शुल्क के रूप में ₹ 6.91 करोड़

चार्ट-1: 2012-17 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)



स्त्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना

विभाग का प्रत्येक जोनल कार्यालय तथा यूनिट ग्राहकों से नकद व डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से विभिन्न शुल्क एकत्र करता है हालांकि जनवरी 2017 से शुल्क, पीओएस मशीन (प्वाइंट ऑफ सेल- इलेक्ट्रॉनिक मोड) के माध्यम से भी एकत्र किया जाता है। इसके पश्चात प्राप्तियाँ वेतन एवं लेखा कार्यालय, जीएनसीटीडी द्वारा प्रबंधित तथा संचालित किए बैंक खाते (भारतीय स्टेट बैंक, आई.पी. एस्टेट ब्रांच) में जमा की जाती हैं। लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ निम्नवत हैं:

(i) राजस्व प्राप्तियों का वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ मिलान न करना तथा राजस्व प्राप्तियों एवं उनके बैंक में जमा करने में गैर-सामंजस्य

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने पीएओ के अभिलेखों के साथ डिपोजिटों का मिलान नहीं किया जिसके अभाव में यह निश्चित नहीं किया जा सका कि क्या समस्त एकत्रित राजस्व प्राप्तियों को डिपोजिट किया गया या नहीं। उत्तर पश्चिम जोन, पश्चिम जोन तथा अंश शोधन यूनिट की लेखापरीक्षा नमूना जाँच की गई और पाया गया कि 2012-17 के दौरान प्राप्त राजस्व की तुलना में बैंक में ₹ 6.51 लाख का डिपोजिट कम था (परिशिष्ट 2.3.2)। विभाग द्वारा मामले की जाँच करने, क्योंकि इसमें कपट की सम्भावनाओं को नकारा नहीं जा सकता तथा दोषी जोनल कार्यालयों और यूनिटों से कम डिपोजिटों को वसूल करने की आवश्यकता है।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है तथा जोनल कार्यालयों और सहायक लेखा अधिकारियों को उनके शुल्क तथा डिपोजिट्स को वेतन एवं लेखा कार्यालय तथा बैंक के साथ तत्काल सामंजस्य स्थापित करने के अनुदेश दिए गए हैं।

(ii) राजस्व प्राप्तियों के डिपोजिट में विलंब

प्राप्ति एवं भुगतान नियम 6 में निर्धारित है कि राजस्व अथवा प्राप्तियों अथवा सरकार के बकायों के रूप में सरकारी अधिकारियों को प्राप्त अथवा उनको दी गई सारी धनराशि को विलंब के बिना सरकारी खाते में शामिल करने के लिए अधिकृत बैंक में पूरा भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जोनल कार्यालयों तथा यूनिटों द्वारा एकत्रित रोकड़ को बैंक में तीन दिन के भीतर डिपोजिट किया जाएगा।

छ: चयनित जोनल कार्यालयों तथा यूनिटों की रोकड़ बहियों और अन्य अभिलेखों की नमूना जाँच ने दर्शाया कि 2012-17 के दौरान एकत्रित रोकड़ तथा डिमांड ड्राफ्टों को बैंक में निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं किया गया था। 2012-17 के दौरान 1,995 मामलों में से केवल 163 मामलों में (कुल मामलों के 8.17 प्रतिशत हिस्सा) रोकड़/डीडी तीन दिन के भीतर डिपोजिट किए गए जबकि 1,832 मामलों में डिपोजिट्स को बैंक में 77 दिन तक के विलंब से जमा किया गया (**परिशिष्ट 2.3.3**)। सरकारी प्राप्तियों की वापसी को उचित कारण के बिना, बैंक में विलम्ब से जमा कराना न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन था बल्कि इससे रोकड़ के निजी उपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त चयनित जोनल कार्यालयों तथा यूनिटों में बैंक में प्राप्तियाँ डिपोजिट करने में विलम्ब का परिणाम जोनल कार्यालयों तथा यूनिटों में प्राप्तियों के अधिकतम संचयन की कोई सीमा नियत न होने के कारण 2012-17 के दौरान एक निश्चित समय पर ₹ 1.51 लाख और ₹ 15.06 लाख के बीच की रेंज में संचयन था।

विभाग ने (अक्टूबर 2017) सरकारी प्राप्तियों को बैंकों में समय पर जमा कराने के लिए स्वस्थ तंत्र की स्थापना का आश्वासन दिया। इसने बैंक में रोकड़/डिमांड ड्राफ्ट विलम्ब से जमा कराने के लिए स्टाफ की कमी को तथा आई.टी.ओ. के विकास भवन कॉम्प्लैक्स में संबंधित एस.बी.आई. बैंक ब्रांच जोनल कार्यालयों से बहुत अधिक दूर होने को उत्तरदायी ठहराया।

(iii) **प्रतिभूति बांड की गैर-उपलब्धि:** विभाग ने 2012-17 के दौरान जोनल कार्यालयों तथा यूनिटों में जीएफआर 275 के अनुसार रोकड़िया से प्रतिभूति बांड प्राप्त नहीं किए, जबकि अच्छी मात्रा में रोकड़ प्राप्तियाँ बैंक में डिपोजिट से पूर्व उनकी अभिरक्षा में पड़ी थी। विभाग ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया (अक्टूबर 2017)।

(iv) रोकड़ बहियों तथा अन्य संबद्ध अभिलेखों का अनुचित अनुरक्षण: पश्चिमी तथा पूर्वी जोनल कार्यालयों ने अपनी रोकड़ बहियों/डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रों को न तो माह के अंत में और न ही वर्ष के अंत में बंद किया जो प्राप्ति एवं भुगतान नियम 1983 के नियम 13 का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त बैंक में रोकड़/डीडी के एकत्रण और डिपोजिट के अनुरक्षित अभिलेखों में कमियाँ थी (परिशिष्ट 2.3.4)।

विभाग ने आश्वासन दिया (अक्टूबर 2017) कि भविष्य में ऐसी कमियों से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे और ऐसी कमियाँ संभावित असावधानी से हो गई जैसे एलएमओ को अतिरिक्त कार्य के रूप में कैशियर का कार्य भी सौपा गया तथा कुछ एलएमओ कैशियर के कार्य को किसी पूर्व अनुभव के बिना कर रहे थे।

2.3.9 प्रवर्तन सेवाएं- अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों का अनुपालन

विभाग के मुख्य कार्य लीगल मेट्रोलोजी अधिनियम 2009 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों को लागू करना है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तोल माप का आवधिक सत्यापन, तोल माप के निर्माताओं, डीलरों, मरम्मतकारों को लाइसेंस जारी करना, तोल माप यूसर्स के परिसरों का निरीक्षण करना, लीगल मेट्रोलोजी अधिनियम/नियमों के उल्लंघनकारों का अभियोजन तथा अपराध दोषों की कम्पाउंडिंग शामिल है।

2.3.9.1 तोल एवं माप का सत्यापन


दिल्ली लीगल मेट्रोलोजी (प्रवर्तन) नियम 2011 के नियम 14 में निर्धारित है कि किसी लेन देन में किसी भी तोल अथवा माप का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे तोल अथवा माप को सत्यापन/पुनः सत्यापन के लिए लीगल मेट्रोलोजी अधिकारी के कार्यालय में अथवा किसी अन्य स्थान पर प्रस्तुत करना होगा जैसाकि लीगल मेट्रोलोजी अधिकारी इस आधार पर उस तिथि को अथवा तिथि से पूर्व निर्दिष्ट कर सकता है जब सत्यापन देय है। लीगल मेट्रोलोजी (सामान्य) नियम 2011 के नियम 27 में आगे आवधिक अंतराल²⁹ पर तोल अथवा मापों का सत्यापन निर्धारित है। विभाग द्वारा 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान सत्यापित पुरानी वस्तुओं³⁰ तथा नई वस्तुओं के ब्यौरे चार्ट-2 में दर्शाए गए हैं।

²⁹ (ए) सभी तोल, क्षमता मापक, लम्बाई मापक, टेप, बीम स्केल एवं काउंटर मशीन के लिए चौबीस महीने (बी) स्टोरेज टैंक लिए साठ महीने तथा (सी) ए. एवं बी में वर्णित के अलावा सभी माप एवं तोल जिनमें टैंक लारी भी शामिल है के लिए बारह महीने।

³⁰ वस्तुओं का तात्पर्य तोल माप उपकरणों से है

चार्ट-2: विभाग द्वारा 2012-17 के दौरान वर्षवार सत्यापित वस्तुएँ

(आंकड़े संख्याओं में)



स्त्रोत: विभाग की 2012-13 से 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट

यह देखा जा सकता है कि नई तथा पुरानी वस्तुओं के सत्यापन की संख्या में बहुत तेजी से कमी आई जो 2012-13 में 6.16 लाख से कम होकर 2015-16 में 2.70 लाख हो गई। यह जबकि 2016-17 में नाममात्र बढ़कर 2.81 लाख हो गई। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित को पाया गया:

(i) विभाग के पास तोल माप की संख्या निश्चित करने के लिए तंत्र नहीं था जिससे एक निश्चित अवधि के दौरान बकाया सत्यापन निश्चित हो सके। इस कारण उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य को सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा हेर फेर वाले तोल माप के उपयोग के अवसरों को नकारा नहीं जा सकता।

(ii) विभाग की टैक्सी मीटर यूनिट (टीएमयू) टैक्सी और ऑटोरिक्षा इलेक्ट्रॉनिक किराया मीटर के वार्षिक सत्यापन तथा मुद्रांकन के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि टीएमयू केवल उन टैक्सियों तथा ऑटोरिक्षाओं का सत्यापन तथा मुद्रांकन कर रही थी जो स्वेच्छा से सत्यापन हेतु लाई गई हैं और जीएनसीटीडी के परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु कोई तंत्र नहीं था जिससे सुनिश्चित हो सके कि सड़कों पर चल रही सभी टैक्सियाँ तथा ऑटोरिक्षा सत्यापन और मुद्रांकन के लिए आईं। इसके परिणाम में 2012-17 के दौरान 60,863 टैक्सी तथा ऑटोरिक्षा किराया मीटर असत्यापित रह गये जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का उद्देश्य विफल रहा। टीएमयू ने सूचित किया कि सर्वर में इस जाँच के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि क्या टैक्सी तथा ऑटोरिक्षा किराया मीटरों के सत्यापन प्रमाण पत्र समय पर जारी किए गए थे।

विभाग ने उत्तर में (अक्टूबर 2017) तथ्यों की पुष्टि की कि वह यूजर्स द्वारा स्वेच्छा से लाए गए तोल माप का सत्यापन कर रहा था और आगे कहा कि फील्ड अधिकारी नियमित रूप से दुकानदारों को अपने तोल माप सत्यापित कराने की सूचना देते हैं और उन पर मुकदमा चलाते हैं जिसके तोल माप बाजार में असत्यापित पाये जाते हैं। यह भी कहा कि माप तोल विभाग द्वारा गैर-सत्यापित ऑटो/टैक्सी किराया मीटर की जाँच का कोई आदेशपत्र नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम तथा नियमों में विभाग की सीमा के अंतर्गत किसी प्रकार के माप उपकरण के निरीक्षण से छूट का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि ऑटो/टैक्सियाँ सड़कों पर चलती हैं, इन्हें केवल सड़कों पर ही निरीक्षित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभाग ने खराब किराया मीटरों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु परिवहन विभाग के साथ सामंजस्य नहीं किया।

(क) सीएनजी/एलपीजी डिसपेंसिंग यूनिटों का सत्यापन

सीएनजी/एलपीजी डिसपेंसरों के सत्यापन तथा मुद्रांकन के लिए भा.स. ने विभाग को 2012-13 के दौरान चार सीएनजी/एलपीजी फ्लो मीटर किट्स (दो सीएनजी किट्स तथा दो एलपीजी किट्स) प्रदान किए जो पश्चिम जोन के एसएसएल में रखे गए थे (फोटोग्राफ 4)। जुलाई 2014 में एसएसएल ने अपने स्टाफ को सीएनजी और एलपीजी डिसपेंसरों के सत्यापन तथा मुद्रांकन के लिए सीएनजी तथा एलपीजी फ्लो मीटरों के उपयोग का एक दिन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया और छः महीने बीत जाने के पश्चात (फरवरी 2015) इन सत्यापन किटों को प्रयोग में लाया गया।

फोटोग्राफ-4: सीएनजी/एलपीजी डिसपेंसर हेतु की सत्यापन किटें



चार जोनल कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) 2012-13 में भा.स. द्वारा प्रदत्त सत्यापन किटें जनवरी 2015 तक व्यर्थ पड़ी रहीं तथा सीएनजी और एलपीजी डिसपेंसिंग यूनिटें असत्यापित रहीं जिससे उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा प्रभावित हुई।

(ii) विभाग द्वारा 2012-17 के दौरान सीएनजी तथा एलपीजी डिसपेंसिंग यूनिटों का निरीक्षण नहीं किया गया जिससे सुनिश्चित हो सके कि ये सीएनजी तथा एलपीजी की डिसपेंसिंग उचित मात्रा में कर रहे थे, इसके अभाव में उपभोक्ताओं को सीएनजी/एलपीजी की डिसपेंसिंग में कदाचार को नकारा नहीं जा सकता।

(iii) यद्यपि प्रत्येक तोल एवं माप उपकरण का मानक प्रयोगशाला से आवधिक सत्यापन करवाना आवश्यक है, विभाग द्वारा 2012-13 में सीएनजी तथा एलपीजी फ्लो मीटर किट्स की प्राप्ति के बाद कोई सत्यापन नहीं करवाया गया। विभाग ने सूचित किया कि ये किट्स पहली बार प्राप्त की गई थी तथा अब यह भा.स. के उपभोक्ता मामलों के विभाग के साथ सत्यापन के मामले को आगे बढ़ाएगा।

(iv) जोनल कार्यालयों को इन भारी सीएनजी/एलपीजी किटों को सीएनजी/एलपीजी पंप स्टेशनों में ले जाने तथा सीएनजी/एलपीजी सत्यापन करने हेतु प्रशिक्षित जनशक्ति का अभाव था।

विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा (अक्टूबर 2017) कि ये किट्स भारी होती हैं तथा तकनीकी स्टाफ के अभाव तथा वाहनों की गैर-उपलब्धता के कारण ये किट्स बहुत कम उपयोग में लाई जाती हैं। हालांकि तथ्य यह है कि ये उच्च-तकनीकी/मूल्यवान मशीनें उनकी प्राप्ति से पाँच वर्षों की अवधि से अधिक समय में कम उपयोग की गई हैं।

(ख) अंश शोधन यूनिट द्वारा अपर्याप्त सत्यापन

अंश शोधन यूनिट पेट्रोल तथा डीजल टैंकरों/पेट्रोल पम्प मालिकों/अन्य ठेकेदारों की लॉरियों का अंश शोधन करती है तथा उन्हें सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करती है। इसके अलावा फ्लो मीटरों का सत्यापन तथा तेल कम्पनियों के परीक्षण टैंको का प्रमाणन भी अंश शोधन यूनिट द्वारा किया जाता है। अंश शोधन यूनिट ने 2012-17 के दौरान 4,065 टैंकरों/लॉरियों का अंश शोधन किया तथा ₹ 1.24 करोड़ का राजस्व उत्पन्न किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2012-16 के दौरान 847 से 895 के बीच की रेंज में टैंक/लॉरियों का सत्यापन किया गया जो 2016-17 में कम होकर 596 हो गया जिससे राजस्व 2015-16 में ₹ 29.91 लाख से कम होकर 2016-17 में ₹ 24.79 लाख हो गया। यूनिट के पास यह पता लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि क्या सभी टैंकरों/लॉरियों को नियत तिथि तक सत्यापित कर दिया गया था।

विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा (अक्टूबर 2017) की जनशक्ति की कमी के कारण कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। 2016-17 में टैकरों/लॉरियों के अंश शोधन/सत्यापन में कमी का कारण माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिल्ली में 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा देना था। विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि यह पता लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि क्या सभी टैकरों/लॉरियों को नियत तिथि तक सत्यापित कर दिया गया था। अंशशोधित वाहनों का विवरण रजिस्टर में लिखा जाता है तथा उनको नियत तिथि पर अगले अंशशोधन हेतु बुलाने के लिए सम्भव प्रयास किए जाते हैं।

(ग) कम योग्य एलएमओ के माध्यम से तथा विशेष प्रशिक्षण के बिना प्रवर्तन सेवाएं प्रदान करना

जीएनसीटीडी का सेवा विभाग माप तोल विभाग में डीएसएस कैडर अधिकारियों को स्थानांतरित करता है और विभाग में कार्यग्रहण के पश्चात अधिकारी/कर्मचारी को उप-राज्यपाल द्वारा अनुमोदित लीगल मैट्रोलोजी अधिनियम 2009 के सेक्शन 14(1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करके राराक्षे दिल्ली के लिए एलएमओ के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस संबंध में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित का पता चला:

(i) एलएमओ की योग्यता: लीगल मैट्रोलोजी (सामान्य) नियम 2011 के नियम 28 के उप नियम (1) में निर्धारित है कि कोई व्यक्ति तब तक एलएमओ के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह विज्ञान तकनीक अथवा इंजीनियरिंग में पंजीकृत विश्वविद्यालय से स्नातक न हो अथवा तीन वर्ष के व्यावसायिक अनुभव सहित इंजीनियरिंग में पंजीकृत डिप्लोमा नहीं रखता हो। लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2017) कि विभाग में कुल 33 एलएमओ में से केवल तीन एलएमओ ने निर्धारित शैक्षिक मानदंड को पूरा किया। विभाग ने केन्द्र सरकार से कोई छूट नहीं प्राप्त की थी, जैसाकि उनकी योग्यता के लिए नियम 28(4) में आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने एलएमओ के रूप में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना को जारी करने में भी 19 से 128 दिन तक के बीच का विलम्ब पाया गया।

विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा (अक्टूबर 2017) कि मामले को लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आदेश के अनुपालन हेतु सेवा विभाग के संज्ञान में लाया जाएगा। यह सेवा विभाग के ऊपर निर्भर है कि या तो योग्य अधिकारी को भेजे जो आवश्यक योग्यता रखता है या एलएमओ की योग्यता से संबंधित केन्द्र सरकार से छूट प्राप्त करे, जैसा कि नियम 28(4) के अंतर्गत निर्धारित है। विभाग ने भी भविष्य में समय पर अधिसूचना जारी करने के लिए उचित

ध्यान देने का आश्वासन दिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग स्टाफ की तैनाती तथा केन्द्र सरकार से छूट प्राप्त करने हेतु लीगल मैट्रोलोजी अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमों की सूचना सेवा विभाग को देने के लिए उत्तरदायी था।

(ii) एलएमओ को कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं: लीगल मैट्रोलोजी (सामान्य नियम), 2011 के नियम 28 के उप नियम (3) में निर्धारित है कि एलएमओ को उनकी तैनाती से पहले भारतीय लीगल मैट्रोलोजी संस्थान (आईआईएलएम) राँची में आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना पड़ेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2012-17 के दौरान नियुक्त कोई भी एलएमओ राँची में प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजे गए तथा एलएमओ लीगल मैट्रोलोजी में किसी विशेषज्ञता के बिना फील्ड में प्रवर्तन गतिविधियाँ पूरी कर रहे थे।


विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि वह आईआईएलएम, राँची से विभाग की जनशक्ति को ध्यान में रखते हुए एलएमओ के लिए अल्पावधि कैम्पसूल प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

2.3.9.2 निरीक्षण तथा अभियोजन

लीगल मैट्रोलोजी अधिनियम 2009 का सेक्शन 15 राज्य सरकार को एलएमओ नियुक्त करने तथा लीगल मैट्रोलोजी अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु तोल माप के यूसर्स के परिसरों का निरीक्षण करने का अधिकार देता है। दिल्ली लीगल मैट्रोलोजी (प्रवर्तन) नियम 2011 के नियम 14 (6) में भी निर्धारित है कि एक लीगल मैट्रोलोजी अधिकारी बारंबार जब संभव हो प्रत्येक परिसर का दौरा कर सकता है और किसी लेनदेन में किसी माप तोल जो उपयोग किया जा रहा है अथवा उपयोग करने की संभावना हो, का निरीक्षण तथा जाँच कर सकता है।

वे मामले जहाँ निरीक्षणों के दौरान लीगल मैट्रोलोजी अधिनियम 2009 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के मानदंड स्थापित करने में कोई उल्लंघन पाए गए, अभियोजन के लिए बुक करना आवश्यक थे और कंपाउंडिंग के लिए उत्तरदायी थे। विभाग द्वारा 2012-17 के दौरान वर्ष-वार किए गए समस्त निरीक्षणों की स्थिति अभियोजन हेतु बुक किए गए कदाचार मामलों की संख्या को चार्ट- 3 में चित्रित किया गया है।

चार्ट-3: 2012-17 के दौरान वर्षवार किए गए निरीक्षणों तथा अभियोजनों की संख्या



स्त्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना

यह पता चलता है कि निरीक्षणों की संख्या 2012-13 में 11,650 से कम होकर 2016-17 के दौरान 6,732 हो गई। कदाचार (अभियोजन) के मामले 2012-13 में 3,148 से बढ़कर 2016-17 में 3,425 हो गए। निरीक्षणों की पर्याप्तता से आम जनता के बीच विश्वास बढ़ता है कि उनके हितों की रक्षा की जा रही है जबकि 2012-17 के दौरान निरीक्षणों की कम होती प्रवृत्ति तथा अभियोजन में 23.86 प्रतिशत की वृद्धि क्रमशः तंत्र की विफलता तथा अधिनियम के नियमों तथा प्रावधानों का उल्लंघन प्रदर्शित करती है।

विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की (अक्टूबर 2017) तथा इसके लिए जनशक्ति की कमी और एलएमओ को विभिन्न कार्य सौंपना तथा 2014-17 के दौरान दिल्ली में चुनाव कार्यों के लिए स्टाफ की तैनाती के कारणों को उत्तरदायी ठहराया।

चार जोनल कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच ने निम्नलिखित को दर्शाया:-

(क) पेट्रोल पंपों और एलपीजी आउटलेटों का अपर्याप्त निरीक्षण

पेट्रोल पंपों का निरीक्षण दिल्ली के माप तोल विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि पेट्रोल/डीजल डिस्पेंसर उपभोक्ताओं को पेट्रोल/डीजल की उचित मात्रा प्रदान करते हैं तथा डिसपेंसिंग यूनितों की पलसर यूनित दोषी/खराब नहीं थीं। चयनित जोनल कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच ने दर्शाया कि 2012-17 के दौरान 241 से 245 पेट्रोल पंपों में से केवल 128 से 296 पेट्रोल पंपों को निरीक्षित किया गया और 188 से 191 एलपीजी आउटलेटों में से केवल 56 से 173 आउटलेट निरीक्षित किए गए। इसके अतिरिक्त यह भी पता चला कि कुल निरीक्षणों में से 2012-17 के

दौरान 2.75 प्रतिशत पेट्रोल पंपों तथा 23 प्रतिशत एलपीजी आऊटलैटों पर अभियोजन किया गया।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विभाग ने 2012-17 के दौरान पेट्रोल पंपों तथा एलपीजी आऊटलैटों के निरीक्षण हेतु कोई विशेष अभियान नहीं चलाया और इस प्रकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि एलपीजी आऊटलैटों की जाँच केवल जोनल कार्यालयों द्वारा की जाती है तथा मुख्यालय भी एलपीजी आऊटलैटों के निरीक्षण के लिए समय-समय पर निर्देश जारी करता है तथा बाजार आसूचना के अनुसार विशेष अभियान भी किए जाते हैं। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2012-17 के दौरान पेट्रोल पंपों तथा एलपीजी आऊटलैटों के निरीक्षण हेतु चलाए गए विशेष अभियानों के ब्यौरे अभिलेख में नहीं पाए गए। केवल मई 2017 में भा.स. के निर्देशों पर विभाग द्वारा पेट्रोल पंपों के निरीक्षण हेतु एक विशेष अभियान किया गया।

(ख) निरीक्षणों के दौरान तोलसेतुओं का अपर्याप्त कवरेज

चयनित जोनल कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच ने दर्शाया कि 2012-17 के दौरान 431 से 475 तोलसेतु में से केवल एक से 30 तोलसेतुओं का निरीक्षण किया गया जिसमें से 37 प्रतिशत डब्ल्यूबी पर 2012-17 के दौरान अभियोजन चलाया गया। इसके अतिरिक्त डब्ल्यूबी के निरीक्षण पश्चिम जोन (2012-14), उत्तर पश्चिम जोन (2012-13 तथा 2014-15), पूर्वी जोन (2012-13 तथा 2015-16) तथा दक्षिणी जोन (2013-14) द्वारा नहीं किए गए। तोलसेतुओं के निरीक्षणों की पर्याप्त संख्या के अभाव में दोषपूर्ण तथा हेरफेर किए गए डब्ल्यूबी के उपयोग के जोखिम की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

विभाग ने यह आश्वासन देते हुए (अक्टूबर 2017), कि भविष्य में लेखा परीक्षा सुझाव का ध्यान रखा जाएगा, डब्ल्यूबी के कम निरीक्षण में जनशक्ति में कमी तथा तोल सेतु के निरीक्षण प्रक्रिया में अधिक समय लगने के कारणों को उत्तरदायी ठहराया।

(ग) उचित दर दुकानों का अपर्याप्त निरीक्षण

उचित दर दुकानें (एफपीएस) आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, गेहूँ, चीनी को नियंत्रित कीमतों पर आम जनता में वितरित करने का वितरण माध्यम है तथा इन मदों के वितरण के लिए तोल मशीनें उपयोग की जाती हैं, इसलिए इस विभाग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं।

चयनित जोनल कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि 1,111 से 1,125 एफपीएस में से 2014-17 के दौरान केवल 16 से 143 एफपीएस को निरीक्षित किया गया। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि इन जोनल कार्यालयों द्वारा 2012-14 के दौरान पूर्वी जोन द्वारा किए गए एक एफपीएस के निरीक्षण के अलावा, एफपीएस के कोई अन्य निरीक्षण नहीं किए गए। पश्चिमी जोन तथा उत्तरी पश्चिम जोन ने 2015-16 के दौरान किसी एफपीएस का निरीक्षण नहीं किया जबकि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में क्रमशः 279 तथा 321 एफपीएस थीं। इसके अतिरिक्त आठ सार्वजनिक वितरण (पीडीएस) गोदाम (दो राज्य गोदाम तथा छः एफसीआई गोदाम) जो एफपीएस को खाद्यान्न वितरित करते हैं तथा जिन्होंने अपने परिसरों में तोल मशीनों को अधिष्ठापित किया था, विभाग द्वारा 2012-17 के दौरान निरीक्षित नहीं किए गए।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि इसने एफपीएस की सूचना आंकड़ों को नहीं रखा जबकि इसने भविष्य में आठ पीडीएस गोदामों में डब्ल्यूवी की जाँच करने की कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसने आगे कहा कि एफपीएस के खुलने तथा बंद होने का समय भी निरीक्षण के लिए समस्या है तथा स्टाफ की कमी भी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एफपीएस के उचित डाटाबेस रखने चाहिए तथा किसी कदाचार को रोकने के लिए नियमित रूप से उनका निरीक्षण करना चाहिए।

(घ) निरीक्षणों तथा अभियोजन के लिए अभिलेखों के अनुरक्षण में कमियाँ

विभाग एलएमओ को निरीक्षणों के परिणामों का रिकार्ड रखने के लिए एक प्रिंटिड निरीक्षण रिपोर्ट बुक (आईआरबी) प्रदान करती है। चयनित जोनल कार्यालयों की 17 निरीक्षण बुक की नमूना जाँच ने दर्शाया कि:

(i) एलएमओ द्वारा तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्टों (आईआर) में दो गवाहों की गवाही तथा निरीक्षण का समय दर्ज करने की भी आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि कुल 842 आई आर में से 353 आई आर में कोई गवाह नहीं थे, 419 आई आर में केवल एक गवाह था जबकि केवल 70 आई आर में ही दो गवाह शामिल थे। इसके अतिरिक्त 463 आई आर में विभाग के कर्मचारियों ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे। कुल 842 आई आर में से 762 आई आर में एलएमओ ने निरीक्षण के समय को दर्ज नहीं किया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि आईआर में पूरी सूचना भरने हेतु सहायक नियंत्रक द्वारा जारी विशेष निर्देशों (जुलाई 2014) के बावजूद जोनल कार्यालयों ने निर्देशों का पालन नहीं किया। आई आर में निर्धारित सूचना को न भरना अभियोग मामलों को कमजोर कर सकता है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (अक्टूबर 2017) कि निरीक्षण दलों को फील्ड में स्वतंत्र गवाह नहीं मिलते क्योंकि बाजार में कोई भी व्यक्ति कानूनी जटिलता से बचने के लिए गवाह बनने का इच्छुक नहीं है। इस संबंध में कि निरीक्षण बुक में समय उल्लिखित नहीं है, इसने आगे कहा कि संभवतः पूर्ववर्ती के कारण निरीक्षण जापनों में समय दर्ज नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि विभाग को निरीक्षण को अर्थपूर्ण बनाने के लिए किसी अन्य सरकारी विभाग से निरीक्षण दल के साथ गवाह लेने के लिए तरीका ढूँढने की आवश्यकता है।

(ii) निरीक्षणों में एलएमओ के लिए लक्ष्यों का निर्धारित न होना

निरीक्षणों के लक्ष्यों के गैर-निर्धारण से संबंधित पैरा सं. 1.8.2 जीएनसीटीडी के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन 2006 में प्रिंट किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने अभी तक प्रति एलएमओ/प्रतिदिन/माह/वर्ष निरीक्षणों के लिए लक्ष्य नियत नहीं किए थे। जोनल कार्यालयों में किसी भी क्षेत्र में जोखिम विश्लेषण के आधार पर निरीक्षण की आवश्यकता हेतु कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया। चयनित जोनल कार्यालयों में 17 निरीक्षण बुक की नमूना जाँच ने दर्शाया कि एक क्षेत्र में एलएमओ द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या में कोई एकरूपता नहीं थी जैसा कि तालिका 2.3.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3.6: चयनित जोनल कार्यालयों के लिए प्रतिदिन एलएमओ द्वारा किए गए निरीक्षण

जोन का नाम	किए गए निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण में लिए गए दिनों की कुल संख्या	प्रतिदिन औसत निरीक्षणों की रेंज
दक्षिणी	250	480	0.27 to 1.85
पश्चिम	150	405	0.19 to 1.11
उत्तर पश्चिम	243	428	0.23 to 1.79
पूर्व	199	492	0.23 to 1.32
कुल	842		

जोनल कार्यालयों ने इसके लिए अन्य कारकों जैसे अवकाश, विशेष कार्य, बाजार स्थितियों इत्यादि के अतिरिक्त एलएमओ द्वारा बहुविधि कार्यभार के कारणों को उत्तरदायी ठहराया।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि एलएमओ द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के लक्ष्यों को स्टाफ की कमी के कारण नियत नहीं किया जा सका, एलएमओ ने अन्य कार्यों जैसे न्यायालय कार्य, बैंक में रोकड़ एकत्रण/डिपोजिट, प्रशासनिक कार्य, आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अवकाश अवधि जैसे कार्यों को भी किया। जोनल अधिकारियों/एलएमओ को

जनहित में निरीक्षण तथा अभियोजन की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रभावी प्रवर्तन तथा समान्य जनता में विश्वास सुदृढ़ करने के लिए उपर्युक्त स्थितियों पर विचार करते हुए निरीक्षणों के लक्ष्य नियत नहीं किए गए।

(iii) अभियोजन रजिस्टर का अनुचित अनुरक्षण

अभियोजनों से संबंधित अभिलेखों की उपलब्धता संयोजन के समय तथा इन मामलों को न्यायालय में भेजने के समय अनिवार्य होता है। चार जोनल कार्यालय में 842 निरीक्षणों को कवर करते हुए 17 निरीक्षण बुकों के लिए रखे अभियोग रजिस्ट्रों की नमूना जाँच में निम्नलिखित मुद्दे पाए गए:

(क) 842 निरीक्षणों में से जोनल कार्यालयों ने अभियोगों के लिए 322 मामले बुक किए, परन्तु 40 मामलों की स्थिति को अभियोग रजिस्टर में दर्ज नहीं किया; जिसके अभाव में संयोजन के परिणामों को निश्चित नहीं किया जा सका।

(ख) 17 मामलों में रजिस्टर में कोई प्रविष्टियाँ नहीं थी, जिसके अभाव में लेखापरीक्षा निश्चित नहीं कर सकी कि क्या इन्हें वास्तव में संयोजित, न्यायालय को प्रेषित अथवा निरस्त किया गया था।

(ग) अगस्त 2013 में विभाग द्वारा जारी विशेष दिशानिर्देशों के बावजूद न्यायालय को प्रेषित 102 मामलों में से 76 मामलों में केवल “न्यायालय” शब्द उल्लिखित था, जबकि न्यायालय मामला संख्या, न्यायालय का नाम, न्यायालय में मामला फाइल करने की तिथि, सुनवाई की अगली तिथि तथा मामले का अंतिम परिणाम दर्ज नहीं किए गए थे। बाकी बचे 26 मामलों में न्यायालय को मामला प्रेषित करने की तिथि को ही रजिस्टर में दर्ज किया गया था।

विभाग ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा कहा (अक्टूबर 2017) कि सभी जोनल कार्यालयों को अभियोग रजिस्ट्रों का सुधार करने/ अद्यतन के आवश्यक निर्देश दिए जाएँगे तथा जोनल अधिकारी को समय-समय पर अभियोग रजिस्ट्रों की जाँच का कार्य सौंपा जाएगा।

2.3.9.3 न्यायालय के मामले

तोल माप यूजर के परिसरों के निरीक्षण के दौरान यदि एलएमओ द्वारा किसी अधिनियम और नियम का उल्लंघन पाया जाए तो, दोषी से फीस वसूल की जानी थी तथा जहाँ दोषी ने विभाग के नोटिस का जवाब निर्धारित समय के भीतर नहीं दिया, मामला विधि न्यायालय में फाइल किया जाएगा। 1 अप्रैल 2013 को न्यायालयों में 2,250 अभियोग के मामले लम्बित थे तथा विभाग

ने 2013-17³¹ के दौरान न्यायालय में 2,110 नये मामले फाइल किए जिसका विवरण तालिका 2.3.7 में है।

तालिका 2.3.7: 2012-17 के दौरान फाइल किए तथा निपटान किए मामलों की संख्या की वर्षवार स्थिति

वर्ष	1 अप्रैल को न्यायालय मामलों का अधिशेष	वर्ष के दौरान न्यायालयों में फाइल किए गए मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गए न्यायालय मामले	वर्ष के अंत में न्यायालय मामलों का शेष
2012-13	*जोनल कार्यालयों द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं			
2013-14	2,250	374	381	2,243
2014-15	2,243	696	364	2,575
2015-16	2,575	396	652	2,319
2016-17	2,319	644	376	2,587
कुल		2110	1773	

*दक्षिणी जोन का डाटा सम्मिलित नहीं है क्योंकि जोन ने 2012-15 के न्यायालय मामलों का विवरण प्रदान नहीं किया।

तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2013-17 की अवधि के दौरान 4,360 मामलों (2,250 आरंभिक अधिशेष तथा 2013-17 के दौरान फाइल किए गए 2,110 मामले) में से केवल 1,773 मामलों (40.66 प्रतिशत) का निपटान किया गया। लंबित मामले अप्रैल 2013 में 2,250 से बढ़कर मार्च 2017 में 2,587 हो गए, जिनमें विभाग द्वारा न्यायालय मामले सुलझाने के लिए प्रभावी मॉनीटरिंग तथा नियंत्रण तंत्र होना आवश्यक था।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि शाम के न्यायालय जिनमें विभाग के मामलों की सुनवाई होती है, बैंक धोखाधड़ी तथा ट्रैफिक चालान इत्यादि के मामले भी सुनते हैं तथा विभाग न्यायालय को मामलों का निर्णय समयबद्ध तरीके से लेने के निर्देश नहीं दे सकता। आगे यह कहा कि जोनल कार्यालयों को न्यायालय मामलों को सुलझाने के लिए समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं तथा गृह विभाग को भी पब्लिक अभियोजक को भी नियमित रूप से सुनवाई में उपस्थित होने तथा नियमित रूप से प्रत्येक न्यायालय मामले को ट्रैक करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। विभाग को प्रत्येक न्यायालय मामले में प्रभावी मानीटरिंग तंत्र की स्थापना तथा लंबित मामलों को क्लीयर करने के लिए सशक्त प्रयास करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित भी पाया गया:

³¹ दक्षिण जोन को छोड़कर क्योंकि यह 2012-15 के लिए लम्बित तथा निपटान के न्यायालय मामलों का पूर्ण विवरण प्रदान नहीं कर सका

(i) न्यायालय मामलों के अभिलेखों का अनुचित अनुरक्षण- लेखापरीक्षा में पाया गया कि जोनल कार्यालयों द्वारा न्यायालय मामलों के लिए कोई पृथक रजिस्टर नहीं रखे गए। न्यायालय में भेजे गए मामलों को भी अभियोग रजिस्ट्रों में पर्याप्त विवरण सहित दर्ज नहीं किया गया जिसके अभाव में न्यायालय मामलों की लंबित होने की अवधि को लेखापरीक्षा में निश्चित नहीं किया जा सका। विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि सभी जोनल कार्यालयों को अपने न्यायालय मामले/अभियोग रजिस्टर का नियमित रूप से अद्यतन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे तथा सभी आवश्यक प्रविष्टियों को दर्ज किया जाएगा जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया है।

(ii) पृथक विधि सैल न बनाया जाना- विभाग में न्यायालय मामलों की देखरेख करने के लिए कोई पृथक विधि सैल नहीं था इसलिए मामले संबंधित जोनल कार्यालयों तथा एलएमओ द्वारा किए गए जिससे उनके प्रवर्तन कार्य प्रभावित हुए। स्पष्टतः निरीक्षण 2012-13 में 11,650 से कम होकर 2016-17 में 6,732 हो गए। विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि पृथक विधि सैल पर्याप्त स्टाफ की तैनाती के पश्चात बनाया जाएगा।

2.3.9.4 उपभोक्ता जागरूकता तथा शिकायत सुधार

(क) जागरूकता अभियान तथा विज्ञापन

जागरूकता अभियानों तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन आम जनता को लीगल मैट्रोलोजी अधिनियम 2009 तथा नियमों में निर्दिष्ट उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने में मदद करते हैं तथा माप तोल विभाग की कार्यप्रणाली के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। लेखापरीक्षा ने विभिन्न शेरधारियों के बीच विभाग द्वारा जागरूक अभियानों में निम्नलिखित कमियाँ पाई:

(i) विभाग ने उपभोक्ताओं में जानकारी हेतु अभियान शुरू करने के लिए कोई नीति तथा दिशानिर्देश नहीं बनाए थे।

(ii) पिछले पाँच वर्षों के दौरान केवल अप्रैल 2016 में तीन जोनल कार्यालयों³² ने केवल एक बैठक, चार जोनल कार्यालयों³³ ने दो बैठकें तथा शेष दो जोनल कार्यालयों³⁴ ने बाजार संघों के साथ चार बैठकें की। लेखापरीक्षा ने पाया कि इसके अलावा मुख्यालय कार्यालय अथवा जोनल कार्यालयों ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए अन्य कोई अभियान/कार्यक्रम शुरू नहीं किया यद्यपि मई 2016 में सहायक नियंत्रक

³² सेंट्रल, उत्तर पूर्व तथा उत्तरी जोन

³³ पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी तथा नई दिल्ली जोन

³⁴ दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम जोन

(एलएम) ने जोनल कार्यालयों को लीगल मैट्रोलोजी अधिनियम 2009/ लीगल मैट्रोलोजी (पैकेज्ड वस्तुएं) नियम 2011 के प्रावधानों के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने हेतु बजार संस्थानों से मिलकर प्रयास करने की सलाह दी। विभाग ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2017) कि जागरूक अभियानों के लिए कोई नीति/दिशानिर्देश नहीं बनाए गए हैं और कहा कि जब कभी जागरूकता फैलाना आवश्यक हो जोनल अधिकारियों को बाजार संघों के साथ बैठकें करने के निर्देश दिए हैं। इसने आगे स्टाफ की भारी कमी को उत्तरदायी ठहराया परन्तु भविष्य में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

(iii) समाचार पत्रों में अपर्याप्त विज्ञापन: विभाग ने जागरूकता फैलाने के लिए “कार्यालय व्यय” शीर्ष से विज्ञापनों पर 2012-13 में ₹ 11.18 लाख तथा 2014-15 में ₹ 20.63 लाख का व्यय किया परन्तु 2013-14 तथा 2015-17 के दौरान कोई व्यय नहीं किया जबकि इस शीर्ष के अंतर्गत पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध थीं। इसके अतिरिक्त जीएनसीटीडी के खाद्य एवं सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (एमओ एफसीएस) ने निर्माताओं, मरम्मतकारों, दुकानदारों, संस्थापनों को तथा उपभोक्ताओं को भी विख्यात समाचार पत्रों में होरडिंग/पैम्फलेट्स/विज्ञापनों के माध्यम से उनके अधिकारों के बारे में सूचित करने के लिए “करो” तथा “नहीं करो” विज्ञापन देने के निर्देश दिए (सितम्बर 2016)। हुए निर्देश दिए परन्तु कोई भी विज्ञापन आज तक (जुलाई 2017) समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किए गए।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि वह भविष्य में जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा तथा 2013-14 के दौरान गैर-विज्ञप्ति के लिए दिल्ली विधान सभा चुनावों के लिए “आदर्श आचार संहिता” को उत्तरदायी ठहराया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2013 में आदर्श आचार संहिता 4 अक्टूबर 2013 से 4 दिसम्बर 2013 के दौरान दो महीनों की अवधि के लिए थी परन्तु विभाग ने शेष महीनों के दौरान उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाने के लिए विज्ञापनों को प्रकाशित करने के प्रयास नहीं किए।

(iv) विभाग ने विभागीय गतिविधियों में उपभोक्ताओं की भागीदारी के लिए कोई नीति तथा दिशानिर्देश नहीं बनाए। यह विभाग को अधिक भागीदार तथा आम जनता की पहुँच तक बनाने के लिए जिला उपभोक्ता कल्याण संगठनों, उपभोक्ता सुरक्षा संघों तथा किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) से सहभागी नहीं था। इसके अतिरिक्त वेबसाइट पर प्रदत्त सूचना को समय-समय पर

अद्यतित³⁵ नहीं किया गया। विभाग ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (अक्टूबर 2017) कि विभाग में तैनात सहायक प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट में सूचना को समय-समय पर अद्यतित करने का निर्देश दिया गया।

(ख) शिकायतें तथा शिकायत सुधार तंत्र

विभाग के सिटिजन चार्टर में शिकायत की पावती के लिए सात दिन, अंतरिम उत्तर देने के लिए 15 दिन तथा शिकायतों के अंतिम निपटान के लिए 45 दिन की समय सीमा निर्धारित है। इसके अतिरिक्त निपटान प्रणाली को निष्पादन का मूल्यांकन शिकायतों के निर्धारित समय सीमा के भीतर वास्तविक निपटान को अन्तर्निविष्ट करके किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- (i) विभाग ने कोई आवधिक मूल्यांकन नहीं किए थे जैसाकि सिटिजन चार्टर में निर्धारित था क्योंकि ऐसे कोई अभिलेख विभाग में उपलब्ध नहीं थे।
- (ii) 2012-17 के दौरान आम जनता से प्राप्त शिकायतें तथा मुख्यालय द्वारा निपटान का कोई डाटा नहीं रखा जा रहा था। जबकि केवल पीजीएमएस पोर्टल³⁶ के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को अनुरक्षित तथा मॉनीटर किया जा रहा था। डाटा के अनुरक्षण के अभाव में लेखापरीक्षा प्राप्त शिकायतों कि कुल संख्या तथा विभाग द्वारा उनके समय पर निपटान पर टिप्पणी नहीं कर सका। विभाग ने कहा (अगस्त 2017) कि कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था जहाँ से लेखापरीक्षा को शिकायतों के ठीक आंकड़े प्रदान हो सकते थे परन्तु संबंधित फाइलें उपलब्ध थीं।
- (iii) चयनित जोनल कार्यालयों की नमूना जाँच से पता चला कि पश्चिम जोन को छोड़कर अन्य तीन जोनल कार्यालयों में शिकायत रजिस्ट्रों में शिकायतों की प्राप्ति तथा निपटान के अभिलेख नहीं रखे गए थे। पश्चिम जोन ने यद्यपि शिकायत रजिस्टर तैयार किया परन्तु शिकायतों पर की गई कार्रवाई को सितम्बर 2016 के बाद से की गई प्रविष्टियों में दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार मुख्य कार्यालय द्वारा कार्रवाई के लिए प्रेषित शिकायतें दर्ज करने के लिए जोनल कार्यालयों में शिकायत रजिस्टर का उचित अनुरक्षण नहीं हो रहा था।

³⁵ 21 अगस्त 2017 को "स्टैटिस्टिक" शीर्ष के अंतर्गत सरकारी वेबसाइट पर सभी मर्दे अगस्त 2016 से पहले की थी तथा आंकड़े 16 फरवरी 2017 को अंतिम बार अद्यतित किए गए थे; न्यायालय मामलों को 2015-16 तक अद्यतित किया गया; एलपीजी गैस एजेंसियों की सूची को 8 मार्च 2016 तक अद्यतित किया गया; व्यापारियों/निर्माताओं/मरम्मतकारों की सूची को 03 जनवरी 2014 को अद्यतित किया गया।

³⁶ लोक शिकायत मॉनीटरिंग प्रणाली (पीजीएमएस) पोर्टल जीएनसीटीडी के मुख्यमंत्री कार्यालय के पीजीएमएस द्वारा संस्थापित तथा अनुरक्षित

(iv) लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने उनकी शिकायतों के संतोषजनक निपटान के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया तथा उपभोक्ताओं के संतोष जनक स्तर तक पहुँचने के लिए 2012-17 के दौरान कोई उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि उत्तर पश्चिम जोन से एक एलएमओ (निरीक्षक) को मुख्यालय कार्यालय में शिकायतों को हल करने के लिए वैकल्पिक दिनों के पहले आधे दिन में पार्ट टाइम डीलिंग हैंड के रूप में तैनात किया गया।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि पीजीएमएस के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों को 2014 से वैयक्तिक रूप से डील किया गया है और उत्तर को विभाग द्वारा पीजीएमएस पोर्टल में अद्यतित किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री के कार्यालय द्वारा मॉनीटर किया जाता है। अन्य शिकायतें जो मेल तथा टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं, को भी तत्काल डील किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जोनल कार्यालयों ने शिकायतों तथा उस पर की गई कार्रवाई को दर्ज करने के लिए कोई शिकायत रजिस्टर नहीं बनाया था, इसके अतिरिक्त पीजीएमएस पोर्टल को छोड़कर किसी शिकायत का विवरण विभाग द्वारा नहीं रखा जा रहा था।

2.3.10 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

2.3.10.1 आंतरिक नियंत्रण किसी संगठनात्मक प्रबंधन प्रक्रियाओं का अनिवार्य घटक है जो संचालन की कुशलता, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा लागू कानूनों तथा स्थितियों के साथ अनुपालन का उचित आश्वासन प्रदान करता है ताकि जोखिम की संभावना को कम करके संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र की स्थापना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने विभाग तथा जोनल कार्यालयों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अप्रभावितता को पाया जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

(i) खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सहायक नियंत्रक को जोन में नियमित दौरे के निर्देश दिए (मई 2016) जबकि सितम्बर 2016 के पश्चात सहायक नियंत्रकों ने किसी जोनल कार्यालय/यूनिट का दौरा मार्च 2017 तक नहीं किया जो मुख्यालयों द्वारा अपर्याप्त मॉनीटरिंग को प्रदर्शित करता है। अप्रैल 2012 और मार्च 2016 के बीच नियंत्रक तथा सहायक नियंत्रक ने विभाग के किसी जोन/प्रयोगशाला का निरीक्षण/दौरा नहीं किया जिससे यह निश्चित हो सके कि क्या मुख्य कार्यालय द्वारा जारी अनुदेशों/कार्यालय आदेशों का

अनुपालन किया गया अथवा नहीं। हालांकि सहायक नियंत्रक ने सात अवसरों पर छः जोनल कार्यालयों तथा यूनिटों³⁷ को निरीक्षित किया जबकि नियंत्रक ने जून तथा सितम्बर 2016 के बीच के केवल एक जोनल कार्यालय³⁸ का दौरा किया। विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि यद्यपि नियंत्रक/सहायक नियंत्रक ने जोनल कार्यालयों का दौरा किया परन्तु इसे कागजों में दर्ज नहीं किया गया। हालांकि इसने भविष्य में सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

- (ii) अगस्त 2015 से मार्च 2017 की अवधि के लिए एलएमओ को निरीक्षण रिपोर्ट बुक जारी करने के लिए विभाग के मुख्यालय द्वारा रखे रजिस्टर की नमूना जाँच से पता चला कि निरीक्षण रिपोर्ट बुकों को अनुचित मॉनीटरिंग करते हुए क्रम संख्या किए बिना यादृच्छिक आधार पर जारी किया गया जिससे बुक के दुरुपयोग की संभावना बनी रही। विभाग ने प्राणाली को सरल बनाने का आश्वासन दिया (अक्टूबर 2017) जैसाकि लेखापरीक्षा में सलाह दी गई।
- (iii) विभाग में उसका अपना आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था जिसके अभाव में जोनल कार्यालयों तथा यूनिटों द्वारा जब्त वस्तुओं के लिए रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर, बैंकों में डिपोजिट के लिए समाशोधन, न्यायालय मामलों के रजिस्टर का अनुरक्षण इत्यादि के रखरखाव पर कोई नियंत्रण नहीं था। विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि वहाँ स्टाफ की अत्यधिक कमी के कारण समर्पित आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था, हालांकि इसने भविष्य में सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
- (iv) विभाग ने उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों पर सुधारक कार्रवाई करने के लिए 2012-17 की अवधि के दौरान कोई फ्लाइंग स्कवैड का गठन नहीं किया। विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2017) कि प्रवर्तन जोनल अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अंतर्गत एलएमओ द्वारा तथा कभी कभी मुख्यालय स्तर पर दैनिक/साप्ताहिक/मासिक प्रतिवेदनों के जरिए किया गया। लेखापरीक्षा का विचार है कि फ्लाइंग स्कवैड का गठन अधिनियमों तथा नियमों के कार्यान्वयन में द्वितीय जाँचों को बढ़ावा देता है।
- (v) जोनल कार्यालयों में बैठकों के कार्यवृत्तों के उचित अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण: लेखापरीक्षा ने पाया कि उच्च प्राधिकारियों के साथ की गई

³⁷ उत्तरी, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, टीएमयू, अंश शोधन तथा दक्षिणी जोन

³⁸ दक्षिणी जोन

बैठकों के कार्यवृत्तों से संबंधित अभिलेख 2012-2017 की अवधि के लिए उत्तर पश्चिम, दक्षिणी, अंश शोधन यूनिट तथा टीएमयू द्वारा नहीं रखे गए। जोनल कार्यालयों तथा यूनिटों ने सूचित किया कि मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र तथा कार्यालय आदेश व्हट्स ऐप ग्रुप पर भेजे जा रहे हैं। जब एलएमओ डीएसएस कैडर से विभाग में तैनात हुए उन्हें दो से तीन वर्ष के भीतर अन्य विभागों को स्थानांतरित किया जाता है, ऐसे में अभिलेखों के अनुरक्षण के अभाव में जोनल कार्यालयों में नये तैनात एलएमओ को अपने कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए पहले की गतिविधियों के लिए कोई दिशानिर्देश/परिचय उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। विभाग ने भविष्य के अनुपालन हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकारते हुए कहा (अक्टूबर 2017) कि सभी जोनल अधिकारियों को जोनल कार्यालयों में बैठकों/परिपत्रों/कार्यालय आदेशों के सभी आवश्यक अभिलेखों को रखने के निर्देश दिए गए हैं।

- (vi) कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस का गैर-अद्यतन: विभाग के पास यूजरस को तोल माप का कम्प्यूटरीकृत सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सॉफ्टवेयर है। लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी जोनों के निर्माताओं/डीलरों तथा मरम्मतकारों का डाटा अद्यतित नहीं किया गया, यूनिक आईडी (लाइसेंस संख्या, मशीन क्रम संख्या/मीटर संख्या), एकत्रित शुल्क डाटाबेस में उपलब्ध नहीं थे। पूर्ण डाटाबेस के अभाव में किसी यूजर के एक वर्ष के डाटा का अन्य वर्षों के साथ संबंध तथा एकत्रित शुल्क का विश्लेषण संभव नहीं था। विभाग ने भविष्य के अनुपालन हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकारते हुए कहा (अक्टूबर 2017) कि हमारे सभी प्रयास लेखापरीक्षा में इंगित कमियों को हल करने में किए जाएंगे तथा एक ही प्लेट फार्म पर उपलब्ध सुदृढ़ डाटाबेस को तैयार किया जाएगा जिसे जनता को आसानी से उपलब्ध हो सके।

2.3.10.2 विभाग की गतिविधियों पर प्रभाव मूल्यांकन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2012-17 के दौरान निष्पादन का मूल्यांकन, कार्यान्वयन तंत्र की प्रभाविकता तथा कुशलता तथा अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों का सामयिक प्रभाव तथा उपभोक्ताओं के हित में इसकी प्रभाविकता को सुधारने के उपाय के सुझाव का कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया।

विभाग ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2017) कि स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया तथा भविष्य के अनुपालना हेतु सुझाव को नोट किया गया।

2.3.11 निष्कर्ष

विभाग की अधिदेशाधीन प्रवर्तन गतिविधियों को तदर्थ आधार पर किया गया, यूजर्स का डाटाबेस तैयार करने के लिए न तो कोई सर्वेक्षण किया गया न ही कोई जोखिम आधारित परिप्रेक्ष्य और संतुलित दृष्टिकोण के साथ निरीक्षण करने हेतु वार्षिक योजना बनाई गई। अधिनियम तथा नियमों के प्रवर्तन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी मुख्य अधिकारियों के अंतर्गत जनशक्ति की कमी थी; इसके अतिरिक्त तैनात प्रवर्तन स्टाफ के पास अधिनियम तथा नियमों के अनुसार आवश्यक न्यूनतम योग्यता और लीगल मैट्रोलोजी में विशेष प्रशिक्षण नहीं था। अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए भा.स. द्वारा केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के बावजूद पर्याप्त अवसंरचना निर्माण का अभाव था जिससे केन्द्रीय सहायता अप्रयुक्त रही। भा.स. द्वारा प्रदत्त सत्यापन उपकरणों का इष्टतम उपयोग नहीं किया गया। राजस्व प्राप्तियों पर नियंत्रण तंत्र शिथिल था जिससे बैंक में प्रप्तियों तथा डिपोजिट्स का बेमेल होना तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ राजस्व प्राप्तियों का गैर-समायोजन था। तोल माप का अधिदेशाधीन सत्यापन तथा विभिन्न यूजर्स के परिसरों के निरीक्षणों की कमियों के साथ कम हो गए जिससे उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा का प्रदत्त आश्वासन प्राप्त करना रह गया। लीगल मैट्रोलोजी अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों के लिए कोई लक्ष्य नियत नहीं थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई स्थापित तंत्र नहीं था कि तोल माप के यूजर्स अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों का पालन कर रहे थे। कोई पृथक विधि सैल नहीं बनाया गया तथा कदाचार के अत्यधिक मामले न्यायालय में निर्णय के लिए लंबित थे। हितधारकों के लिए जागरूक अभियानों हेतु नीति तथा दिशानिर्देशों के अभाव में विज्ञापन/पब्लिक मीटिंग के जरिए जनता में अपर्याप्त जागरूकता थी। शिकायत सुधार तंत्र कमजोर था जैसा कि शिकायतों के कोई उचित अभिलेख नहीं रखे गए थे तथा कोई उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण नहीं किए गए। आम जनता को अधिक भागीदार बनाने के लिए पर्याप्त प्रयासों का अभाव था। लीगल मैट्रोलोजी अधिनियम तथा नियमों एवं वित्तीय नियमों के मुख्य प्रावधानों का गैर-अनुपालन के साथ मुख्यालय द्वारा अपर्याप्त मॉनीटरिंग ने कमजोर तथा अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को इंगित किया।

2.3.12 सिफारिशें

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विभाग को चाहिए:

- (i) प्रवर्तन गतिविधियों के लिए परिप्रेक्ष्य/वार्षिक कार्रवाई योजना को सुसाध्य बनाने के लिए बाह्यस्त्रोत सर्वेक्षण कार्रवाई के तरीके से तोल एवं माप के सभी यूजर्स के डाटाबेस को रखने के लिए तंत्र को विकसित करना।
- (ii) लीगल मैट्रोलोजी अवसंरचना को सुदृढ़ करना तथा केन्द्रीय सहायता का कुशलता से उपयोग।
- (iii) वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभाग की संस्वीकृत जनशक्ति संख्या का पुनः निर्धारण तथा रिक्तियों को भरने, योग्य एलएमओ की नियुक्ति तथा एलएमओ के लिए विशेष प्रशिक्षणों की व्यवस्था करने हेतु प्रयास करना
- (iv) आम जनता को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त जन जागरूकता अभियान आरंभ करना।
- (v) अधिनियम तथा नियमों के कड़े प्रवर्तन के लिए आंतरिक नियंत्रण और मॉनीटरिंग तंत्र को सुदृढ़ करना।

अध्याय-III

अनुपालना लेखापरीक्षा

अध्याय - III
अनुपालना लेखापरीक्षा

ग्रामीण विकास विभाग

3.1 ₹ 66.98 करोड़ की भूमि की लागत और भूमि किराया की वसूली न होना

ग्रामीण विकास विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा एमसीडी को भूमि पट्टा आवंटन के नियमों व शर्तों के संचालन में सामयिक और प्रभावी कार्रवाई करने में शिथिल रहने के फलस्वरूप ₹ 66.98 करोड़ की वसूली नहीं हुई जिसमें भूमि की लागत के रूप में ₹ 51.03 करोड़¹ का डाऊन पेमेंट और ₹ 15.95 करोड़² का वार्षिक भूमि किराया (मई 2005 से अक्टूबर 2017) शामिल है जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम से आठ वर्षों से बकाया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को दिल्ली के नगरनिगम क्षेत्रों में संचालित डेयरियों को दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करने के लिए सभी संभव कदम उठाने का निर्देश दिया (दिसंबर 2002)। इस दिशा में जीएनसीटीडी ने निर्णय लिया (मई 2004) कि घोघा, बवाना और सनोथ (जिसे घोघा विकास केंद्र कहा जाता है) की 188.99 एकड़ भूमि जो ग्रामीण विकास विभाग के स्वामित्व में थी, को एमसीडी को दे दिया जाए। परियोजना निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग (विभाग) ने एमसीडी को इस भूमि का हस्तांतरण करने के लिए एक एमओयू निष्पादित करने के लिए अपनी सहमति दी (मई 2004)। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

1. एमसीडी को यह भूमि हस्तांतरित करने की सहमति देने के बाद विभाग ने अगले पांच वर्षों के लिए इस मामले की छानबीन नहीं की। इस बीच में, एमसीडी ने इस भूमि पर स्वयं ही अप्रैल 2005 से विकास कार्य प्रारंभ कर दिए। अक्टूबर 2008 में विभाग ने एमसीडी को इस भूमि के आवंटन का प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा, और अंततः यह भूमि एमसीडी को घोघा डेयरी केंद्र के निर्माण हेतु आवंटित करने के लिए जीएनसीटीडी की कार्योत्तर मंजूरी जारी की (21 जनवरी 2009)।
2. आवंटन के नियमों और शर्तों के अनुसार (जनवरी 2009), यह भूमि पट्टा आधार पर 99 वर्षों के लिए ₹ 27 लाख प्रति एकड़ की दर से हस्तांतरित की गई और इस पर वार्षिक भूमि किराया मई 2005 से प्रीमियम के 2.5 प्रतिशत की दर से वसूल किया जाना था। इसके अतिरिक्त, संपत्ति

¹ 188.99 एकड़ के लिए ₹ 27 लाख प्रति एकड़ की दर से= ₹ 51.03 करोड़

² मई 2005 से अक्टूबर 2017 तक अर्थात् 12 वर्ष 6 माह के लिए भूमि के प्रीमियम के 2.5 प्रतिशत की दर से (188.99 x 27 x 2.5/100 x 150/12) = ₹ 15.95 करोड़

हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक पट्टा बंधपत्र भी निष्पादित किया जाना था। हालांकि, विभाग ने पुनः इस मामले की पाँच वर्षों के लिए कोई जानकारी नहीं रखी और भूमि आवंटन के नियम व शर्तों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एमसीडी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की। विभाग ने 30 अक्टूबर 2013 को ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी, जो उत्तरी दिल्ली क्षेत्र के लिए एमसीडी की उत्तराधिकारी है) को ₹ 51.03 करोड़ की डाउन पेमेंट के बकाया और वार्षिक भूमि किराये का भुगतान करने के लिए पत्र भेजा।

3. विभाग द्वारा फिर से 16 माह तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और लेखापरीक्षा में यह मामला उठाए जाने के बाद मार्च 2015 में पुनः एनडीएमसी को भूमि की लागत और वार्षिक भूमि किराए की वसूली हेतु एक अनुस्मारक जारी किया। एक माह तक इसका अनुसरण सक्रियता से हुआ और फिर मई 2016 तक कुछ नहीं हुआ तथा अंतिम अनुस्मारक एक वर्ष बाद जून 2017 में जारी हुआ। इस प्रकार, जनवरी 2009 में आवंटन पत्र जारी करने के बाद विभाग ने एमसीडी को पट्टा बंधपत्र को निष्पादित करने का अनुरोध नहीं किया जैसा कि आवंटन पत्र के उपबंध 7 के अनुसार तत्काल होना अपेक्षित था।

विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2016 और जून 2017) कि एनडीएमसी द्वारा घोगा डेयरी केंद्र के विकास और आधारभूत अवसंरचना के रखरखाव पर किया गया व्यय आवंटियों से वसूल की गई धनराशि से अधिक है और वह वित्तीय संकट से गुजर रहा है और उसने शहरी विकास विभाग, जीएनसीटीडी से भूमि के भुगतान हेतु आवश्यक निधियां आवंटित करने का अनुरोध किया है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह एमसीडी को भूमि के आवंटन हेतु समय पर कार्रवाई करने में सफल नहीं रहा और फिर आवंटन पत्र जारी करने के बाद पांच वर्ष तक भूमि की लागत और भूमि किराए की मांग नहीं की।

इस प्रकार ग्रामीण विकास विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा एमसीडी को भूमि पट्टा आवंटन के नियमों व शर्तों के संचालन में सामयिक और प्रभावी कार्रवाई करने में शिथिल रवैए के फलस्वरूप ₹ 66.98 करोड़ (₹ 51.03 करोड़ डाउन पेमेंट और ₹ 15.95 करोड़ (मई 2005 से अक्टूबर 2017 तक) का वार्षिक भूमि किराया) की वसूली नहीं हुई जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम से आठ वर्षों से बकाया है।

यह मामला जुलाई 2017 में सरकार को भेजा गया; उनका उत्तर जनवरी 2018 तक प्रतीक्षित था।

शिक्षा विभाग

3.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में खेलकूद सुविधाओं का विकास, रखरखाव और उपयोग तथा खिलाड़ियों को सहयोग।

शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने राष्ट्रीय खेलकूद नीति 2001 का अनुसरण करते हुए दिल्ली की खेलकूद नीति को अंतिम रूप नहीं दिया। शिक्षा निदेशालय ने एनसीटी दिल्ली में खेलकूद सुविधाओं/गतिविधियों के विकास को कम प्राथमिकता दी। डीओई के 13 जिलों में से, तीन जिलों में एक भी खेलकूद सुविधा उपलब्ध नहीं है जबकि छः जिलों में 7.69 लाख विद्यार्थी होने के बावजूद स्वीमिंग पूल के अलावा अन्य कोई खेलकूद सुविधा उपलब्ध नहीं है। 2003 में दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल भूमि अधिग्रहण के बावजूद भी जून 2017 तक स्थापित नहीं किया गया था। निधियां जारी करने में देरी, गतिविधियों का गैर संचालन, खेलकूद कोचों की कमी आदि के कारण नियोजित योजनाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं की गई थी।

3.2.1 प्रस्तावना

शिक्षा निदेशालय (डीओई), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) खेलकूद प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित करता है; स्कूलों में खेलकूद गतिविधियों का समन्वय करता है; तथा “खेलकूद और युवा सेवाएँ” सेक्टर के अधीन नियोजित योजनाओं के माध्यम से युवा और प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेलों में शिक्षित, प्रशिक्षित और उनके मापदंडों को विकसित करने हेतु अवसर तथा सुविधाएँ जैसे कि स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, मैदान आदि प्रदान करता है। सचिव (शिक्षा) खेलकूद गतिविधियों के प्रचार से संबंधित विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी है तथा इसको खेलकूद निदेशक (खेलकूद), विशेष कर्तव्य का एक अधिकारी और दो शिक्षा उप निदेशकों द्वारा सहयोग किया जाता है। “खेलकूद एवं युवा सेवा” खेलकूद विभाग, जीएनसीटीडी पर हमारे लेखापरीक्षा परिणाम वर्ष 2004 के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन में पहले भी शामिल की गई थी।

3.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

मुख्य लेखापरीक्षा उद्देश्यों में निर्धारित करना था कि क्या:

- निधियों की उपयुक्त तथा इसके कुशल उपयोग के विचार से खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु नीतियों, परियोजनाओं तथा योजनाओं को प्रभावी ढंग से तथा कुशलतापूर्वक लागू किया गया है;

- (ii) खेलकूद स्टेडियम/स्थलो की आवश्यकता का अच्छी तरह से मूल्यांकन, निर्माण, रखरखाव और उपयोग किया गया;
- (iii) निरीक्षण और निगरानी तंत्र सभी स्तरों पर था और प्रभावी था।

3.2.3 लेखापरीक्षा कवरेज

डीओई के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत खेलकूद शाखा, योजना शाखा, 13 जिला कार्यालयों में से तीन³, पाँच स्टेडियम/खेलकूद कम्प्लेक्स⁴ और पाँच स्विमिंग पूल⁵ के अभिलेखों की जाँच अप्रैल 2014 से मार्च 2017 तक की अवधि कवर करते हुए अप्रैल-जून 2017 के दौरान लेखापरीक्षा में की गई थी।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.2.4 खेलकूद नीति का गैर-नियमन

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद का “व्यापक आधार” तथा खेलकूद में “उत्कृष्टता प्राप्त करने” के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा ओलंपिक एसोसिएशन एवं राष्ट्रीय खेलकूद संघ के साथ संयोजक के रूप में, राष्ट्रीय खेलकूद नीति 2001 बनायी। खेलकूद का व्यापक आधार राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी थी तथा केन्द्र सरकार को इस दिशा में अपने प्रयासों को पूरा करना था। जैसा कि राष्ट्रीय खेलकूद नीति 2001 के अनुसरण में, डीओई ने दिसम्बर 2004 में दिल्ली खेलकूद नीति मसौदा बनाया जिसमें जीएनसीटीडी के विभिन्न स्तरों पर कई बदलाव आये। खेलकूद नीति मसौदा सितम्बर 2008 में शिक्षा मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा उसकी स्वीकृति हेतु माननीय मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, जनवरी 2009 में माननीय मुख्यमंत्री के विशेष सचिव ने खेलकूद नीति मसौदा में कुछ संशोधन की सलाह दी। तदनुसार, संशोधित खेलकूद नीति मसौदा, खेलकूद शाखा द्वारा तैयार किया गया था तथा फरवरी 2011 में निदेशक को प्रस्तुत किया गया तथा निदेशालय को जुलाई 2011 में पुनः प्रस्तुत किया गया, परन्तु खेलकूद नीति मसौदा के अनुमोदन हेतु उच्चतर प्राधिकारियों को फाईल नहीं भेजी गई थी। इस प्रकार निदेशालय की ओर से देरी के कारण, जुलाई 2017 तक खेलकूद नीति को क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित नहीं किया गया।

³ दक्षिण, पश्चिम-क तथा पूर्व

⁴ छत्रसाल स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम, लुडलो केस्टल खेल परिसर, राजीव गांधी स्टेडियम बवाना तथा राजीव गांधी खेल परिसर सिंधु

⁵ जी.बी.एस.एस.एस., ए ब्लॉक डिफेंस कॉलोनी, एस.बी.वी. सं. 2 पश्चिम पटेल नगर, एस के वी. न. 2 सी ब्लॉक, जनकपुरी, सरकारी सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय, डिचाऊं कला तथा जी.बी.एस.एस.एस. न.1 राजौरी गार्डन,

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2017) कि यद्यपि 'दिल्ली खेलकूद नीति' नामित दस्तावेज नहीं हो सका है, फिर भी इसने खेलकूद का व्यापक आधार तथा खेलकूद में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु नीतिगत दिशानिर्देश और योजनाएं बनाई है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एक अच्छी सोच वाली खेलकूद नीति को योजनाओं और दिशा-निर्देशों के संग्रह से नहीं बदला जा सकता है। सरकार ने यह भी कहा कि यह 'मिशन 100' शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों और प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के परामर्श के साथ खेलकूद नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

3.2.5 वित्तीय परिव्यय

जीएनसीटीडी खेलकूद एवं युवा सेवा के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए डीओई को निधि प्रदान करता है। वर्ष 2014-17 अवधि के लिए नियोजित और गैर नियोजित योजनाओं पर वर्षवार बजट प्रावधान और व्यय तालिका 3.2.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2.1: बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान		वास्तविक व्यय		बचत	
	नियोजित	गैर नियोजित	नियोजित	गैर नियोजित	नियोजित	गैर नियोजित
2014-15	38.25	15.55	35.42	15.38	2.83	0.17
2015-16	47.65	22.90	43.24	22.26	4.41	0.64
2016-17	50.49	20.92	44.51	20.13	5.98	0.79
कुल	136.39	59.37	123.17	57.77	13.22	1.60

स्त्रोत: डीओई द्वारा प्रदत्त आंकड़े

तालिका से यह पाया गया कि 2014-17 के दौरान नियोजित बजट के ₹ 13.22 करोड़ खर्च नहीं किए गए। डीओई ने साथ ही अव्ययित बजट वित्त विभाग, जीएनसीटीडी को वापस नहीं किया जो वर्ष के अंत में रद्द हो गये।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2017) कि खेलकूद अवसंरचना के विकास हेतु परियोजनाओं का विभिन्न कारणों की वजह से क्रियान्वयन एजेंसी अर्थात् लोक निर्माण विभाग द्वारा समय से पूरा नहीं किया गया था तथा एक समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है तथा 2017-18 से आवंटित निधियों का पूर्ण उपयोग करने के लिए स्कूलों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

3.2.6 खेलकूद अवसंरचना

3.2.6.1 खेलकूद अवसंरचना का भौगोलिक वितरण

मार्च 2017 तक, डीओई के 13 जिलों में चार खेलकूद स्टेडियम, 12 खेलकूद काम्प्लेक्स, दो क्रिकेट काम्प्लेक्स, एक हाकी खेलकूद काम्प्लेक्स और 15 स्विमिंग पूल थे। डीओई के स्कूलों में छात्रों की संख्या के साथ-साथ खेलकूद सुविधाओं की जिला-वार उपलब्धता तालिका 3.2.2. में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.2.2: छात्रों की संख्या के साथ-साथ खेलकूद सुविधाओं की जिला-वार उपलब्धता

डीओई के जिलों का नाम	डीओई के स्कूलों की संख्या	छात्रों की संख्या	स्टेडियम की संख्या	खेलकूद काम्प्लेक्स	क्रिकेट काम्प्लेक्स	हॉकी खेलकूद काम्प्लेक्स	स्विमिंग पूल
उत्तर	107	64,795		1			1
दक्षिण	90	97,984					3
पूर्व	129	1,61,411		1			2
पश्चिम-क	72	78,877		2	1	1	4
मध्य	101	24,181					1
दक्षिण-पश्चिम ख	91	96,425	1	1			1
उत्तर-पश्चिम ख	129	1,93,379		4			3
उत्तर-पश्चिम क	118	1,54,464	2	2	1		-
पश्चिम-ख	88	1,50,797		1			-
उत्तर-पूर्व	136	2,56,530					-
दक्षिण-पश्चिम क	57	47,858					-
नई दिल्ली	24	2,738					-
दक्षिण-पूर्व	93	1,56,522	1				-
कुल	1235	14,85,961	4	12	2	1	15

उपरोक्त आंकड़ों के आकलन से पता चलता है कि

- सभी जिलों में खेलकूद की सुविधाएं समान रूप से वितरित नहीं की गई थी। तीन जिलों (उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम-क तथा नई दिल्ली) में शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्मित एक भी खेल कूद सुविधा उपलब्ध नहीं थी। पश्चिम-क जिला में चार तथा दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम - ख जिलों में तीन स्विमिंग पूल थे जबकि 7.69 लाख छात्रों वाले छः जिलों में एक भी स्विमिंग पूल नहीं थे।
- डीओई के अंतर्गत उत्तर पश्चिम-ख जिला में चार खेलकूद काम्प्लेक्स है जबकि 1.22 लाख छात्रों वाले दक्षिण और मध्य जिलों में स्विमिंग पूल को छोड़कर कोई भी अन्य खेलकूद सुविधा नहीं थी।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2017) कि शुरुआत में डीओई ने प्रत्येक जिले में कम से कम एक जिला खेलकूद केन्द्र विकसित करने के लिए कदम उठाए थे,

लेकिन उन इलाकों में जमीन की कमी के कारण सफल नहीं हो पाए और अब ये उन स्कूलों में खेलकूद सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं जहाँ जमीन उपलब्ध है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सरकार ने एनसीटी दिल्ली में खेलकूद सुविधाओं को समान रूप से उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किए।

3.2.6.2 दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल की गैर-स्थापना

नि. एवं म.ले.प. के 2004 प्रतिवेदन में यह दर्शाया गया था कि डीओई ने 22 खेलकूद विषयों/खेलों के लिए सुविधाओं के साथ दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना के लिए ₹ 11.70 करोड़ की लागत पर नवम्बर 1997 से मार्च 2003 के दौरान घेवरा मोड़ पर 90 एकड़ भूमि अधिग्रहित की। लेकिन जून 2003 तक स्कूल स्थापित नहीं हुआ था परिणाम-स्वरूप भूमि अधिग्रहण पर खर्च की गई राशि अवरुद्ध हुई। अगस्त 2005 के कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) में, डीओई ने कहा क्योंकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भूमि को यथास्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया है इसलिए स्कूल स्थापित नहीं किया जा सका। साथ ही यह भी कहा गया था कि न्यायालय का आदेश 89.37 एकड़ की कुल भूमि में से केवल 19.50 एकड़ की भूमि के एक हिस्से के लिए था तथा वे शेष भूमि पर स्कूल की स्थापना की प्रक्रिया में है। एटीएन में आश्वासन देने के बावजूद, जून 2017 तक स्कूल को अब भी स्थापित किया जाना शेष है।

आगे यह पाया गया कि अतिक्रमण से भूमि की सुरक्षा हेतु बिना कोई वास्तविक आकलन के 2011-17 के दौरान 30 सुरक्षा गार्ड (प्रत्येक शिफ्ट के लिए 10 सुरक्षा गार्ड) की तैनाती द्वारा भूमि की निगरानी और संरक्षण पर ₹ 2.24 करोड़ खर्च किये गए थे। यदि निदेशालय समय पर खेलकूद स्कूलों को स्थापित कर देता, तो निगरानी और संरक्षण पर किए गए व्यय को बचाया जा सकता था। डीओई ने कहा कि जोरदार प्रयासों के बावजूद खेलकूद स्कूलों को स्थापित नहीं किया जा सका।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2017) कि जनवरी 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को भूमि (भूमि के उस हिस्से को छोड़कर जो मुकदमों के अधीन है) के उपयोग की अनुमति दी तथा सरकार इस भूमि पर दिल्ली के खेलकूद विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए तैयार मसौदा परियोजना रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बावजूद इस संदर्भ में कोई प्रगति नहीं की

गई। आगे यह कहा गया कि 1 अगस्त 2017 से सुरक्षा गार्ड 30 से घटाकर 18 कर दिए गए।

3.2.7 योजनाओं का क्रियान्वयन

डीओई विभिन्न नियोजित योजनाएं क्रियान्वित करता है अर्थात् खेल के मैदानों, खेलकूद स्टेडियम/काम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और व्यायामशाला हॉल, खेलकूद और खेलकूद गतिविधियों का विकास, युवा कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), स्कूलों में स्काउट और गाइड गतिविधियों को बढ़ावा आदि। विभिन्न नियोजित योजनाओं के अभिलेखों की संवीक्षा निम्नलिखित को दर्शाता है:

3.2.7.1 खेलकूद काम्प्लेक्स, खेलकूद का मैदान और स्विमिंग पूलों का विकास

उच्च गुणवत्ता वाले खेलकूद अवसंरचना का निर्माण और रख-रखाव अनिवार्य है तथा खेलकूद में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उनके सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करना। जीएनसीटीडी का लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) समय समय पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक अनुमोदन और संस्वीकृत व्यय (ए एण्ड ईएस) के आधार पर खेलकूद स्टेडियम/काम्प्लेक्स/स्विमिंग पूल आदि का निर्माण, नवीनीकरण और रख-रखाव करता है। 2014-17 के दौरान डीओई ने निर्माण, नवीनीकरण और रखरखाव हेतु ₹ 65.95 करोड़ के 133 ए एण्ड ईएस जारी की। स्टेडियम/खेलकूद काम्प्लेक्स/वेन्यु और स्विमिंग पूल (अप्रैल 2014 के पूर्व एक लेकर) के सुदृढ़ निर्माण के नौ कार्य जिसके लिए ए एण्ड ईएस ने ₹ 23.29 करोड़ जारी किए थे, मई 2017 तक या तो हाथ में नहीं लिए गए या प्रगति में था/शुरू नहीं हुआ था। दो प्रमुख अपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नलिखित है:

(क) **आनन्द वास में खेलकूद काम्प्लेक्स:** डीडीए ने डीओई को स्पेशिलिटी स्पोर्ट्स स्कूल के साथ एक खेलकूद काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु ₹ 11 लाख की लागत पर मार्च और दिसम्बर 2001 के दौरान आनन्द वास में 2 एकड़ और 1.35 एकड़ माप के दो प्लॉट आवंटित किए। यद्यपि डीओई ने प्लॉटों को जून 2003 में कब्जा ले लिया, फिर भी खेलकूद काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु पीडब्ल्यूडी को ₹ 91.11 लाख के ए एण्ड ईएस जारी करने में इसने चार वर्ष से अधिक (अक्टूबर 2007) समय ले लिया। क्योंकि पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं पाया गया था, इस लिए बाद में यह कार्य दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) को सौंप दी तथा डीओई ने सितम्बर 2008 में डीएसआईआईडीसी को ₹ 91.11 लाख की स्वीकृति दी। नींव पत्थर बिछाने की विधि, ग्राफिकल सर्वेक्षण तथा भरण

आदि पर ₹ 28.13 लाख खर्च उठाने के बाद डीएसआईआईडीसी ने संशोधनों/परिवर्तनों के बाद कार्य हेतु ₹ 5.63 करोड़ की संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया (जुलाई 2011) जिसे योजना विभाग द्वारा ₹ 4.48 करोड़ कर दी गई थी। कार्य हेतु ₹ 3.57 करोड़ की अतिरिक्त लागत की मंजूरी देते हुए (नवंबर 2011), वित्त विभाग, जीएनसीटीडी ने अनुरोध किया कि पीडब्ल्यूडी को पुनः कार्य सौंपा जाए ताकि पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों का उपयोग किया जा सके। पीडब्ल्यूडी ने अप्रैल 2012 में ड्राईंग सौंप दिया था जो डीओई द्वारा अनुमोदित था। हालांकि जून 2017 तक इस परियोजना में कोई प्रगति नहीं की गई। इस प्रकार, भूमि आवंटन की तिथि से 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी, कार्य हेतु प्रारम्भिक अनुमान अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, आनन्द वास के आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले निवासी खेलकूद की सुविधाओं से वंचित थे। इस प्रकार, भूमि की लागत (₹ 11 लाख) और नींव पत्थर बिछाने की विधि, प्लॉट का ग्राफिकल सर्वेक्षण और प्लॉट के भरण (₹ 28.13 लाख) पर किए गए ₹ 39.13 लाख का व्यय व्यर्थ रह गया।

डीओई ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के साथ इस मामले को कई बार चलाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने पाया कि जनवरी 2013 के बाद पीडब्ल्यूडी के साथ डीओई द्वारा मामला नहीं चलाया गया था। डीओई तथा दो कार्यकारी एजेंसियां अर्थात् पीडब्ल्यूडी और डीएसआईआईडीसी एक ही सरकार के अन्तर्गत निधियों की उपलब्धता के बावजूद खेलकूद की सुविधा का निर्माण करने में विफल रही।

इसके जवाब में, सरकार ने कहा (अक्टूबर 2017) कि वर्तमान परिदृश्य में परियोजना की जरूरत का आकलन किया जा रहा है और कार्य के प्रारम्भिक क्रियान्वयन के लिए पीडब्ल्यूडी के साथ शीघ्र ही मामला उठाया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भूमि के अधिग्रहण से लेकर लगभग 14 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी कोई प्रगति नहीं की गई है।

(ख) पूर्व विनोद नगर में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण कार्य पूरा होने में देरी: डीओई ने मई 2013 में इस सुविधा के निर्माण का निर्णय लिया तथा दिसम्बर 2015 में कार्य के विवरण निर्धारण तथा एए एण्ड ईएस जारी करने हेतु 31 माह ले लिया। पीडब्ल्यूडी ने कार्य को सौंपने में 11 माह (नवम्बर 2016) लिया। इस प्रकार, डीओई और पीडब्ल्यूडी की ओर से देरी के कारण, मई 2013 में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का विचार जून 2017 तक पूरा नहीं किया जा सका जिससे सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक के लाभ से पूर्व विनोद नगर के पास रहने वाले ऐथलीटों/खिलाड़ियों/छात्रों/निवासियों को वंचित

रहना पड़ा। डीओई ने एए एण्ड ईएस को सूचित करने में देरी को स्वीकार किया तथा कहा कि 50 प्रतिशत भौतिक कार्य पूरा हो गया है तथा मार्च 2017 तक ₹ 1.90 करोड़ की राशि खर्च की गई है।

इसके जवाब में, सरकार ने कहा (अक्टूबर 2017) कि परियोजना पूरी हो गयी है तथा ट्रेक इस महीने से उपयोग में लाया जायेगा।

3.2.7.2 खेलकूद संघों को सहायता अनुदान

डीओई कोचिंग शिविर आयोजनो, भागीदारी पर व्यय और अधिकारिक राष्ट्रीय और राज्य चैंपियनशिप के आयोजन और खेलकूद उपकरणों/सामग्री के खरीद के लिए दिल्ली राज्य खेलकूद संघों को सहायता अनुदान जारी करती है। मानदंड के अनुसार

- (i) प्रारम्भिक अनुदान के संदर्भ में संस्था द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.)के प्रस्तुतीकरण के बाद ही नया अनुदान जारी किया जाएगा।
- (ii) अनुदान की अधिकतम राशि ₹ 25 लाख वार्षिक होगी, तथा
- (iii) संघ के लेखों की लेखापरीक्षा जीएनसीटीडी की आंतरिक लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि:-

(क) डीओई ने 2016-17 में कोई सहायता अनुदान जारी नहीं किया क्योंकि इसने अनुदान जारी करने हेतु खेलकूद संघों के चयन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया तथा एक करोड़ रुपये का सम्पूर्ण बजट प्रावधान अव्ययित रह गया था।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2017) कि खेलकूद संघों को सहायता अनुदान जारी करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जा सका था और इसलिये अनुदान जारी नहीं किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीओई को प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए समय पर कार्रवाई करनी चाहिए।

(ख) 30 और 31 मार्च 2015 को 18 खेलकूद संघों को ₹ 63.73 लाख सहायता अनुदान जारी किया गया था तथा 30 और 31 मार्च 2016 को 16 खेलकूद संघों को ₹ 90 लाख जारी किया गया था। चूंकि निधियां वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन जारी की गई थी इसलिए ये संघ खेलकूद गतिविधियों के संचालन के लिए निधियों का उपयोग करने की स्थिति में नहीं थे। डीओई ने कहा कि फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में संघों की गतिविधियां जारी रहती है तथा संघ अपने स्तर पर अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं। उत्तर

तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इसका अर्थ यह है कि खेलकूद संघों को डीओई से निधियों के जारी होने में देरी के कारण अपनी निजी निधियों को खर्च करने के लिए जोर दिया गया था तथा वहां एक जोखिम यह भी हो सकता था कि जहां सरकारी निधियों के जारी करने की अनिश्चितताओं के कारण कुछ संघ खेलकूद स्पर्धाएं आयोजित नहीं कर सके होंगे।

इसके जवाब में, सरकार ने कहा (अक्टूबर 2017) कि अनुमोदित मानदंडों के अनुसार, खेलकूद शाखा तत्काल जरूरतों जैसे रेल आरक्षण, बस किराया आदि के लिए सहायता अनुदान की प्रथम किश्त (25 प्रतिशत) जारी करती है तथा क्रेडिट भुगतान के माध्यम से स्पोर्ट्स किट्स और सामग्री की खरीद पर संघों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय पर आधारित दूसरी किश्त (75 प्रतिशत) जारी करती है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि खेलकूद शाखा ने 2015-16 के दौरान अनुमोदित मानदंडों का पालन नहीं किया क्योंकि पात्र खेलकूद संघ की सूची को 11 मार्च 2016 में डीओई द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया था तथा केवल प्रथम किश्त खेलकूद संघों को जारी की गयी थी और वो भी 30 और 31 मार्च 2016 को।

(ग) दिल्ली ओलंपिक एसोसियेशन ने अक्टूबर 2015 में पहली बार 23 खेलों/विषयों को शामिल करने वाले दिल्ली ओलंपिक खेलों का आयोजन किया। निदेशालय ने खेलों के संचालन के बाद संघ को 31 मार्च 2016 को ₹ 1.65 करोड़ (₹ 90 लाख पुरस्कार राशि के लिए तथा ₹ 75 लाख स्पोर्ट्स किट्स के लिए) जारी किया। परिणामस्वरूप, पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार के भुगतानों में एक वर्ष से अधिक की देरी हुई थी क्योंकि पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार के चेक 15 नवम्बर 2016 से 9 जून 2017 के दौरान बनाये गये थे। आगे, ₹ 25 लाख की निर्धारित सीमा से छः गुणा अधिक निधियाँ जारी की गईं।

(घ) जीएनसीटीडी द्वारा निधि प्राप्त करने वाले खेलकूद संघों की आंतरिक लेखा परीक्षा का संचालन नहीं किया गया था, जिससे सहायता अनुदान के उपयोग पर अनियमितताओं का संदेह पैदा करता है। सरकार ने कहा (अक्टूबर 2017) कि अनुदान जारी होने के तुरंत बाद, डीओई ने इन संघों के आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए जीएनसीटीडी के लेखापरीक्षा निदेशालय के साथ अनुकरण किया, हालांकि, निदेशालय केवल कुछ संघों का ही लेखापरीक्षा कर सका।

3.2.7.3 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नकद प्रोत्साहन

“उत्कृष्ट खिलाड़ियों/खिलाड़ियों को नकद प्रोत्साहन” योजना के अंतर्गत, डीओई उन खिलाड़ियों को नकद प्रोत्साहन देता है जिन्होंने विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया तथा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य के लिए ख्याति प्राप्त की। डीओई ने 2015-16 तक सम्मान समारोह में विगत वित्तीय वर्ष के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को चेक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि प्रदान की तथा उसके बाद ईसीएस/आरटीजीएस के माध्यम से प्रदान किया। जून 2017 तक, खिलाड़ियों द्वारा दावा नहीं करने पर वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 9.66 लाख के 39 चेक तथा वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 18.27 लाख के 53 चेक डीओई के पास पड़े थे। चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने में असमर्थता उत्कृष्ट खिलाड़ियों/खिलाड़ियों के साथ-साथ नकद प्रोत्साहन योजना के प्रति स्वतः ही डीओई की ओर से अल्प ध्यान को दर्शाती है।

इसके जवाब में, सरकार ने कहा (अक्टूबर 2017) कि सम्बंधित खिलाड़ियों को उनके द्वारा दिए गए नम्बर पर टेलीफोन के माध्यम से सम्पर्क द्वारा इन चेकों को भेजने के प्रयास किए गए थे, लेकिन उनके पास से कोई जवाब नहीं मिला। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सम्मान समारोह के समय पर ही उनको चेक दिए जाने चाहिए थे।

3.2.7.4 राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के अंतर्गत, छात्र गोद लिए गावों, महाविद्यालयों/स्कूल परिसरों और शहरी झुग्गियों में विभिन्न कार्यक्रम शुरु करते हैं तथा स्थानीय समुदायों से संबंधित विशेष शिविर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इस योजना में 2015-16 तक केन्द्रीय और राज्य व्यय की अनुमानितता 7:5 है। वर्ष 2016-17 से यह योजना पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। हालांकि, 2016-17 के दौरान निधियां जारी नहीं की जा सकी क्योंकि डीओई समय पर अलग बैंक खाता नहीं खोल सकी, जो कि केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए पहले से आवश्यक था। हालांकि डीओई ने सूचित किया कि कुछ एनएसएस गतिविधियां अपने निजी संसाधनों से 2016-17 के दौरान डीओई के 460 सरकारी स्कूलों में शुरु कर दिए गए थे जिसे भा.स. से प्राप्त निधियों से प्रतिपूर्ति किया जाएगा।

तालिका 3.2.3 में 2014-16 के दौरान बजट आवंटन और वास्तविक व्यय को दर्शाया गया है:

तालिका 3.2.3: वर्ष 2014-16 के दौरान बजट आवंटन और वास्तविक व्यय
(₹ लाख में)

वर्ष	आवंटित निधियां			स्कूलों और संस्थानों को जारी निधिया	कुल व्यय	आवंटन के % के रूप में व्यय
	केन्द्र	राज्य	कुल			
2014-15	83.87	60.00	143.87	127.00	89.97	62.53
2015-16	53.71	45.00	98.71	83.36	54.30	55.01
कुल	137.58	105.00	242.58	210.36	144.27	59.47

तालिका से यह पाया गया कि ₹ 242.58 लाख के आवंटित बजट के प्रति, डीओई ने केवल ₹ 210.36 लाख स्कूलों/संस्थानों को जारी किया तथा स्कूलों/संस्थानों द्वारा वास्तविक व्यय केवल ₹ 144.27 लाख का हुआ जो यह दर्शाता है कि आवंटन का 40 प्रतिशत से अधिक अव्ययित रह गया था। न्यून उपयोग का मुख्य कारण डीओई द्वारा स्कूलों/संस्थानों को निधियां विलम्ब से जारी करना था। डीओई ने 2014-15 के लिए निधियां फरवरी 2015 में तथा 2015-16 के लिए 30 मार्च 2016 को संवितरित किया।

डीओई ने कहा कि वित्तीय विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए तथा संवितरण के लिए स्कूलों और संस्थानों के निर्धारण में लिए गए समय के कारण विलम्ब हुआ था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह एक वार्षिक प्रक्रिया है तथा डीओई को इस संदर्भ में समय से कार्रवाई करनी चाहिए।

इसके जवाब में, सरकार ने कहा (अक्टूबर 2017) कि 2017-18 से, सहायता अनुदान पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सीधे तौर पर स्कूलों को जारी किया जाएगा ताकि स्कूल एनएसएस गतिविधियों पर राशि का उपयोग कर सके।

3.2.7.5 प्रशिक्षण हेतु निजी खेलकूद अकादमी/व्यक्तिगत प्रशिक्षकों की भागीदारी

जीएनसीटीडी ने (दिसम्बर 2015) प्रशिक्षण में निजी खेलकूद अकादमी/क्लबों/व्यक्तिगत प्रशिक्षकों की भागीदारी तथा 50:50 के अनुपात में सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों के छात्रों/खिलाड़ियों के कोचिंग के लिए एक योजना अनुमोदित की। सरकारी स्कूलों को ऐसे प्रशिक्षण/कोचिंग के लिए स्थल बनाया था। प्रशिक्षक को गैर-सरकारी स्कूलों के छात्रों से उचित राशि चार्ज करनी थी जबकि सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए प्रशिक्षण मुफ्त होना था। डीओई जून 2016 से इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। लेखापरीक्षा ने इस योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित अपर्याप्तता पाई:-

(क) डीओई ने (जून 2016) 11 खेलों/विषयों के लिए 29 अकादमी/क्लबों/व्यक्तिगत प्रशिक्षकों को 120 स्कूलों का आवंटन किया। हालांकि, 18 अकादमी/क्लबों/व्यक्तिगत प्रशिक्षकों द्वारा केवल 31 स्कूलों में प्रशिक्षण और कोचिंग दिया जा रहा था। डीओई ने दिल्ली के तायक्वोन-डो फेडरेशन को 54 स्कूल आवंटित (जून 2016) किये लेकिन किसी भी आवंटित स्कूल में प्रशिक्षण शुरू नहीं हुआ।

(ख) योजना के अनुसार, इच्छुक अकादमी/क्लबों/व्यक्तियों को क्रमशः उस विशेष स्कूल या आस-पास के सरकारी स्कूल के 50 प्रतिशत छात्र/खिलाड़ियों को मुफ्त में तथा 50 प्रतिशत गैर सरकारी छात्रों को उचित शुल्क पर प्रशिक्षण और कोचिंग देनी चाहिए थी। हालांकि, डीओई ने इस योजना से लाभान्वित छात्रों की संख्या को सत्यापित नहीं किया तथा यह भी नहीं देखा कि क्या अकादमी द्वारा सरकारी स्कूल के 50 प्रतिशत छात्रों को मुफ्त कोचिंग को प्रदान करने का मानदंड अनुसरण किए जा रहे थे। साथ ही यह भी नहीं जांच किया गया कि क्या गैर सरकारी छात्रों द्वारा वसूल किया गया शुल्क उचित था।

(ग) योजना के अनुसार, समय समय पर कार्यों के निष्पादन की समीक्षा के लिए अकादमियों को त्रैमासिक आधार पर अपने प्रदर्शन रिपोर्ट डीओई को प्रस्तुत करना आवश्यक था। हालांकि, अभिलेखों में ऐसी कोई निष्पादन रिपोर्ट नहीं पाई गई थी।

डीओई ने कहा कि अकादमी/आस-पास के छात्रों से गैर प्रतिक्रिया तथा आवंटित स्कूलों में जगह/खेलकूद के मैदानों की गैर-उपलब्धता के कारण कोचिंग संचालित नहीं किया जा सका तथा समय समय पर निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त किया गया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इस योजना के गैर प्रतिक्रिया का मतलब यह हो सकता है कि अकादमियों के चयन और खेलकूद की शाखा में अपर्याप्तता थी। लेखापरीक्षा में भी उत्तरदायी रूप से प्रासंगिक निष्पादन रिपोर्ट/दस्तावेज नहीं मिली। डीओई ने इस योजना कमी हेतु कारणों का आकलन नहीं किया। परिणामस्वरूप, सरकारी स्कूलों के छात्रों/खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण और कोचिंग देने का लक्षित उद्देश्य नहीं प्राप्त किया जा सका।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2017) कि सितम्बर 2017 में दिल्ली के तायक्वोन-डो फेडरेशन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा उत्तर की प्राप्ति के पश्चात् फेडरेशन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह भी कहा गया कि गतिविधियों की वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सभी आवंटित निजी

खेलकूद अकादमियों/व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण संचालित किया गया है तथा रिपोर्टों को देखने के पश्चात् यह पाया गया था कि 50 प्रतिशत छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के मानदंडों के अनुसरण किये जा रहे थे। हालांकि, उत्तर संबंधित निरीक्षणों तथा योजना के प्रावधानों का उचित पालन से संबंधित दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं था। आगे सरकार ने कहा कि सभी अकादमियों के निष्पादन रिपोर्ट संग्रहित कर लिए गए हैं तथा अकादमियों के निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर गैर-क्रियान्वित अकादमियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

3.2.7.6 स्कूलों में स्काउट और गाइड गतिविधियां

डीओई भारत स्काउट और गाइड तथा हिन्दुस्तान स्काउट और गाइड के माध्यम से स्काउट और गाइड गतिविधियों को बढ़ावा देता है तथा इस उद्देश्य के लिए स्कूलों को निधियाँ प्रदान करता है। इस योजना के अन्तर्गत 2014-17 के दौरान बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय तालिका 3.2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.4: 2014-17 के दौरान बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट परिव्यय	वास्तविक व्यय	बचत (%)
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	40	16.75	23.25(58)
2016-17	50	43.94	6.06(12)
कुल	90	60.69	29.31(33)

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि 2014-17 के दौरान आवंटित बजट का 33 प्रतिशत अव्ययित रह गया। लेखापरीक्षा ने हालांकि पाया कि:

(क) वर्ष 2014-15 के दौरान कोई स्काउट और गाइड गतिविधि संचालित नहीं की गई क्योंकि निदेशालय युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय भा.स. से भारत स्काउट और गाइड तथा हिन्दुस्तान स्काउट और गाइड के मान्यता के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण (मई 2014 में मांगी) प्राप्त नहीं कर सका। यद्यपि मंत्रालय ने स्पष्ट किया (दिसम्बर 2014) कि दोनों संगठन मान्यता प्राप्त हैं; फिर भी निदेशालय ने इस आधार पर कि शैक्षणिक वर्ष 2014-15 का 10 माह बीत चुका था तथा स्काउट और गाइड सेवा कार्यान्वित करने के लिए शेष समय नहीं था इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया।

(ख) 2015-16 के दौरान निधियों की आवश्यकता का कोई आकलन किए बिना बजट आवंटन में परिवर्तन ₹ 17.00 लाख से ₹ 40.00 लाख कर दिया

था। परिणामस्वरूप निधियों का अल्प उपयोग हुआ। सरकार ने कहा (अक्तूबर 2017) कि परिवर्तित/संशोधित आकलन फरवरी 2016 में अनुमोदित कर दिए गए थे तथा छात्रों के वार्षिक परीक्षा के कारण इन गतिविधियों के संचालन हेतु समय शेष नहीं था।

(ग) डीओई ने (अप्रैल 2015) क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों और स्कूलों को दोनों संगठनों द्वारा सौंपे गए 2015-16 और 2016-17 हेतु गतिविधियों का कैलेंडर संचारित किया। हालांकि, हिन्दुस्तान स्काउट और गाइड तथा भारत स्काउट और गाइड (परिशिष्ट - 3.2.1 और 3.2.2) ने वर्ष 2015-16 के दौरान 50 स्वीकृत गतिविधियों में से 23 तथा वर्ष 2016-17 में 58 में से 10 को संचालित नहीं किया। स्वीकृत गतिविधियों के गैर-क्रियान्वयन हेतु संगठनों द्वारा जिम्मेदार ठहराए गए कारण थे, गतिविधियों में भागीदारी के लिए स्कूलों से गैर-प्रतिक्रिया, गृह/वार्षिक परीक्षाएं, स्कूलों को बजट आवंटन में देरी आदि। डीओई ने कहा (सितम्बर 2017) कि दोनों संगठनों को संचारित कैलेंडर के अनुसार गतिविधियों का सख्ती से संचालन करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिया जाएगा।

(घ) 2015-16 के दौरान, दिल्ली राज्य भारत स्काउट और गाइड ने सात जिलों के सभी 544 स्कूलों को कवर करने के बजाय केवल 48 स्कूलों में गतिविधियों को संचालित किया। इसी प्रकार हिन्दुस्तान स्काउट और गाइड ने छः जिलों के 691 स्कूलों में से केवल 80 स्कूलों में गतिविधियों को संचालित किया। 2016-17 के बारे में जानकारी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि दिल्ली राज्य भारत स्काउट तथा गाइड के माध्यम से 48 स्कूलों में गतिविधियों की संख्या एक से लेकर छः के बीच ही संचालित की गई तथा अभिलेख में कोई भी कसौटी/मानदंड नहीं थे कि कैसे स्कूलों और गतिविधियों को चयनित किए गए थे। इसके जवाब में, डीओई ने कहा (सितम्बर 2017) कि स्कूलों की संख्या में वृद्धि के लिए प्रयास किया जाएगा।

(ङ) डीओई ने वर्ष 2015-17 के दौरान आरंभ किए गए गतिविधियों के संदर्भ में प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त नहीं किया। प्रतिक्रिया के अभाव में, डीओई यह आंकलित करने की स्थिति में नहीं था कि क्या गतिविधियां संतोषजनक ढंग से संचालित की गई थी तथा परिणाम प्रतिभागियों के लिए उपयोगी और लाभदायक थी। डीओई ने कहा (सितम्बर 2017) कि कार्यक्रम के समापन पर, संगठनों द्वारा मौखिक रूप से फीडबैक प्राप्त किया गया था; हालांकि, फीडबैक का उचित रिकॉर्ड नियत समय में अनुरक्षित रखा जाएगा।

3.2.7.7 नियोजित योजनाओं के अंतर्गत गतिविधियों का गैर-क्रियान्वयन

डीओई के वार्षिक योजना की संवीक्षा दर्शाता है कि तीन नियोजित योजनाओं के अंतर्गत कुछ गतिविधियाँ संचालित नहीं की गई थी जो नीचे उल्लेखित है:

(क) “खेलकूद और खेलों की गतिविधियों को प्रोत्साहन” योजना के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स, मासिक क्रॉस-कंट्री रेस और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों/व्याख्याताओं/योगा शिक्षकों और पर्यवेक्षकों के लिए संगोष्ठी/रिफरेशर पाठ्यक्रम 2015-17 के दौरान संचालित नहीं किए गए थे तथा 2016-17 के दौरान दिल्ली राज्य महिला खेलकूद प्रतियोगिता संचालित नहीं किया गया था। डीओई ने कहा कि जीएनसीटीडी के वित्तीय विभाग से समर्पित व्यय अनुमोदन प्राप्त करने में देरी के कारण ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता और मासिक क्रॉस-कंट्री रेस संचालित नहीं किया जा सका। शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण राज्य परिषद ने शारीरिक शिक्षा शिक्षकों/व्याख्याताओं/योगा शिक्षकों और पर्यवेक्षकों के लिए रिफरेशर पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई थी लेकिन यह संचालित नहीं किए गए थे।

(ख) “उत्कृष्ट खिलाड़ियों/खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार तथा राजीव गाँधी राज्य खेलकूद पुरस्कार” योजना के अंतर्गत, 2016-17 के दौरान राजीव गाँधी राज्य खेलकूद पुरस्कार को प्रदान करने की गतिविधि संचालित नहीं की गई थी। डीओई ने कहा कि पुरस्कार के लिए नियमों में प्रस्तावित परिवर्तन निर्धारित नहीं किया जा सका इसलिये गतिविधि संचालित नहीं की गई थी।

(ग) 2014-17 के दौरान, डीओई ने “युवा कल्याण कार्यक्रम” योजना के छः गतिविधियों में से तीन⁶ को संचालित नहीं किया। इन गतिविधियों के गैर-संचालन के कारण, योजना के अंतर्गत प्रदत्त ₹ 107.00 लाख में से ₹ 30.16 लाख राशि का उपयोग नहीं किया गया। डीओई ने स्वीकार किया कि गतिविधियां संचालित नहीं किए गए थे तथा पिछले नौ वर्षों के लिए लंबे ट्रेकिंग कार्यक्रम नहीं किए गए हैं।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2017) कि ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं, छोटी ट्रेकिंग कार्यक्रम आदि जैसी गतिविधियां वर्ष 2017 के दौरान शुरू किए जा रहे हैं।

⁶ लंबी ट्रेकिंग कार्यक्रम, युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम

3.2.7.8 सामान्य व्यक्तियों के लिए सामूहिक भागीदारी हेतु योजना

डीओई ने (जनवरी 2011) एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रमंडल खेलों 2010 के लिए तीन जगहों⁷ पर निर्मित खेलकूद बुनियादी ढांचा का आम लोगों से सदस्यता शुल्क लेकर जबकि छात्र खिलाड़ियों को सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। लेखापरीक्षा ने हालांकि पाया कि डीओई ने दो जगह त्यागराज स्टेडियम और छत्रसाल स्टेडियम पर केवल छात्रों को ऐसी सुविधाएं देने का निर्णय किया तथा लूडलो कैसल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर, सात खेलों/विषयों में से केवल दो अर्थात् बैडमिंटन और व्यायामशाला/फिटनेस, सामान्य जन के लिए खोले गए थे। इसका अर्थ यह है कि सामान्य जन को इन सुविधाओं से वंचित रखा गया।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2017) कि सामान्य जन वंचित नहीं था क्योंकि यह 2015 में निर्णय लिया गया था कि केवल चयनित सुविधाओं को ही सामान्य जन के लिए खोला जा सकता है जिसमें उपयोग की संभावना अधिक थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इस योजना की विफलता के बाद, जून 2015 में आंशिक रूप से प्रस्तावित एक नई योजना “भुगतान करो और खेलो” क्रियान्वित की गई।

3.2.8 स्विमिंग पूल का संचालन और रखरखाव

डीओई अपने स्कूलों में स्थापित 15 स्विमिंग पूल में स्विमिंग की सुविधा प्रदान करता है। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियां पाई:

(क) वर्ष 2014-17 के दौरान, स्विमिंग सुविधाएं 2014-15 में तीन, 2015-16 में दो और 2016-17 के दौरान दो में ही अप्रैल में खुल सकी। अन्य सभी स्विमिंग सुविधाओं की शुरुआत 1 से 5 महीने की अवधि की देरी से हुई थी। समय पर स्विमिंग पूल के गैर-संचालन कोचों और लाइफगार्ड के गैर-नियुक्ति तथा एक मामले में (सर्वोदय सह-शिक्षा विद्यालय, हरी नगर) पीडब्ल्यूडी द्वारा स्विमिंग पूल के रखरखाव के लिए निविदा प्रदान करने में देरी, जैसे परिहार्य कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया था।

(ख) पूल के संचालन हेतु दिल्ली पुलिस से लाइसेंस प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्कूल के प्रधान पर टिकी हुई है। स्विमिंग पूल के संचालन हेतु लाइसेंस जारीकर्ता प्राधिकारी के शर्तों के अनुसार, अर्थात् अपर आयुक्त पुलिस (लाइसेंस), जीवनरक्षक उपकरण, अग्निशमन उपकरणों, उचित प्रकाश व्यवस्था

⁷ छत्रसाल स्टेडियम में 13 खेल/विषय, त्यागराज स्टेडियम में 14 खेल/विषय तथा लूडलो कैसल खेल परिसर में 7 इंडोर खेल/विषय।

और उत्तम गुणवत्ता वाले जल सुनिश्चित करने के लिए जल निरीक्षण रिपोर्ट होना चाहिए। 2016-17 के दौरान, चार स्विमिंग पूल⁸ अगस्त से नवम्बर 2016 के बीच अपने लाइसेंस को नवीनीकृत किया तथा एक स्विमिंग पूल (जीबीएसएसएस, भरत नगर) ने जुलाई 2016 में लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया, लेकिन यह नवीनीकृत नहीं हुआ था। हालांकि, ये स्विमिंग पूल डीओई के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध जून के बाद से बिना वैध लाइसेंस के चल रहे थे। डीओई ने बताया कि विलंब प्रक्रियात्मक था तथा भविष्य में सावधानी बरती जाएगी। इस प्रकार, लाइसेंस की अनुपलब्धता में, स्विमिंग पूल इसके उपयोगकर्ता के सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना संचालित थे।

3.2.9 खेलकूद कोचों की गैर-उपलब्धता

नियमित और प्रभावी कोचिंग खिलाड़ियों के वैज्ञानिक और सर्वांगीण विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे, स्विमिंग पूल का उपयोग करते समय लाइफगार्ड प्रशिक्षुओं की सुरक्षा और बचाव के लिए जिम्मेदार है। डीओई ने अक्टूबर 2011 में प्रशासनिक सुधार विभाग (एआरडी) को विभिन्न खेल विषयों के लिए कोच के 210 पदों के सृजन हेतु एक प्रस्ताव भेजा। कोच के 108 पदों के निर्णय (मई 2013) में एआरडी ने 18 महीने लगा दिए जो तब से अनुमोदन प्रक्रिया के अधीन हैं। 161 पदों (101 खेलकूद कोचों, 30 स्विमिंग कोचों और 30 लाइफगार्ड के भर्ती के विरुद्ध, डीओई ने 31 मार्च 2017 तक संविदात्मक आधार पर केवल 94 कार्मिकों (49 खेलकूद कोचों, 17 स्विमिंग कोचों और 28 लाइफगार्ड) को तैनात किया। खेलकूद कोचों की कमी के कारण, पांच परीक्षण जांच स्टेडियम/परिसरों में उपलब्ध 58 खेलों/विषयों में से 21 संचालित नहीं किए गए थे। आगे, पर्याप्त कोचों और लाइफगार्ड की कमी के कारण खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास तथा तैराकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकी। डीओई ने कहा कि कोचों के पदों की भर्ती से संबंधित मामले को उच्चतम स्तर तक ले जाया जाएगा।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2017) कि खेलकूद कोचों के भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है तथा खेलकूद कोचों के 109 पदों तथा सहायक कोचों के 400 पदों के सृजन हेतु एक प्रस्ताव प्रशासनिक सुधार विभाग को भेज दिया गया है।

⁸ (i) सर्वोदया (सह-शिक्षा) एस.एस.वी., सी-ब्लॉक मंगोलपुरी (ii) एस.बी.वी. सं. 2, पश्चिम पटेल नगर (iii) एस.के.वी. सं.2, सी. ब्लॉक, जनकपुरी, तथा (iv) सरकारी सह-शिक्षा माध्यमिक विद्यालय, डिचाऊ कलां।

3.2.10 निगरानी और मूल्यांकन

निगरानी और मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निष्पादन को विकसित और लक्षित परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करता है। लेखापरीक्षा ने निगरानी और मूल्यांकन में निम्नलिखित कमियां पाईं:

3.2.10.1 पूँजीगत/रखरखाव कार्यों की समय पर समाप्ति सुनिश्चित करने में तंत्र की कमी।

डीओई खेलकूद अवसंरचना से संबंधित पूँजीगत/रखरखाव कार्यों के लिए पीडब्ल्यूडी को एए एण्ड ईएस जारी करता है। एए एण्ड ईएस की एक शर्त यह थी कि पीडब्ल्यूडी नियमित आधार पर आवधिक प्रगति रिपोर्ट/कार्य समाप्ति रिपोर्ट प्रदान करेगा। डीओई के पास हालांकि, ऐसी प्रगति रिपोर्टों की प्राप्ति और उनकी जाँच के लिए तंत्र नहीं है ताकि कार्यों की समय पर समाप्ति को सुनिश्चित किया जा सके। परिणामस्वरूप, डीओई किए गए कार्य की प्रगति या स्वीकृत व्यय के प्रति किए गए खर्च की निगरानी की स्थिति में नहीं था। यद्यपि मई 2017 तक अप्रैल 2014 से पहले शामिल एक कार्य सहित नौ कार्य पूर्ण नहीं हुए थे, डीओई को इन कार्यों के भौतिक या वित्तीय प्रगति के बारे में पता नहीं था। डीओई ने कहा कि कार्यों/परियोजनाओं हेतु जारी संस्वीकृतियों के प्रति कोई प्रगति रिपोर्ट और खर्च किए गए वास्तविक व्यय पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना तथा क्रियान्वयन एजेंसी को सौंपे गए कार्य की निगरानी के लिए स्पॉट निरीक्षण करवाना डीओई का कार्य है।

इसके जवाब में, सरकार ने कहा (अक्टूबर 2017) कि शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के दौरान स्पॉट निरीक्षण किये जा रहे हैं तथा भौतिक प्रगति का मूल्यांकन किया जा रहा है।

3.2.10.2 स्टेडियम/खेलकूद परिसरों/केन्द्रों की निरीक्षण हेतु मानदंड/नीतियों का गैर-निर्धारण

यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्टेडियमों/खेलकूद परिसरों/केन्द्रों का उचित रूप से रखरखाव किया गया है, कमियों को पहचानने तथा दूर करने के लिए खेलकूद सुविधाओं का नियमित निरीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा ने पाया कि डीओई ने वेन्यु के निरीक्षण हेतु कोई मानदंड/लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। डीओई ने पुष्टि किया कि स्टेडियम/वेन्यु के निरीक्षणों के लिए मानदंड/नीति निर्धारित नहीं किया था। आगे यह कहा गया कि खेलकूद शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों, क्षेत्र के पर्यवेक्षकों के साथ साथ

मुख्यालय के जांच दल ने समय समय पर वेन्यु का निरीक्षण किया है। हालांकि, इस संदर्भ में कोई भी अभिलेखों/रिपोर्ट लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

इसके जवाब में, सरकार ने कहा (अक्टूबर 2017) कि नियमित अंतरालों पर निरीक्षण (2017-18) किए जा रहे थे तथा क्रियान्वयन एजेंसी के साथ सुधारात्मक उपाय लिए जा रहे थे।

3.2.11 निष्कर्ष

डीओई राष्ट्रीय खेलकूद नीति 2001 के अनुसरण के रूप में दिल्ली खेलकूद नीति निर्धारित नहीं कर सका। एनसीटी दिल्ली में खेलकूद सुविधाओं/गतिविधियों के विकास के प्रति जीएनसीटीडी द्वारा निम्न प्राथमिकता देना दर्शाता है। विभिन्न खेलकूद गतिविधियों हेतु निधियों के जारी करने में विलम्ब थे। डीओई के 13 जिलों में खेलकूद अवसंरचना जैसे खेलकूद स्टेडियम, परिसरों, खेलकूद के मैदान और स्विमिंग पूल समान रूप से वितरित नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, तीन जिलों में एक भी खेलकूद सुविधा नहीं थी। अवसंरचना के निर्माण में विलंब थे। नियोजित योजनाएं जैसे खेलकूद संघों को सहायता अनुदान, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट और गाइड गतिविधियों को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण में निजी खेलकूद अकादमियों/व्यक्तिगत प्रशिक्षकों की भागीदारी तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नकद प्रोत्साहन आदि प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं किए गए थे। डीओई ने पर्याप्त संख्या में खेलकूद कोच तथा स्विमिंग पूल हेतु जीवन-रक्षक प्रदान नहीं किये। पूँजीगत/रख-रखाव कार्यों के निरीक्षण, खेलकूद सुविधाओं के रख-रखाव तथा खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सहयोग के संदर्भ में डीओई में निगरानी तंत्र की कमी थी।

खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

3.3 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन लाभार्थियों के पंजीकरण और अंकुरण के कार्यान्वयन में कमियाँ

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन लाभार्थियों के पंजीकरण और अंकुरण के कार्यान्वयन में कमियाँ थीं। विभाग ने एनएफएस कार्ड के आवेदकों की पात्रता को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया और उनकी घोषणा पर भरोसा कर लिया कि उनके परिवार के सदस्यों में से कोई सदस्य गैर-पात्र श्रेणियों से संबंधित नहीं है। आवेदक, जिनके पास अन्य राज्यों द्वारा जारी आधार कार्ड थे, उनकी अपने गृह राज्य में एनएफएस लाभार्थी के रूप में स्थिति के यथोचित सत्यापन के बिना, दिल्ली में एनएफएस लाभार्थी बन गए। उचित दर दुकान लाइसेंस धारक और परिवार जो नौकरों को रखने की वित्तीय क्षमता रखते थे, उन्हें एनएफएस के लाभ दिये गये। एसएफए के परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले वाहनों में बसें, स्कूटर/मोटर साईकिल और तिपहिया वाहनों के रूप में पंजीकृत वाहन शामिल थे जो कथित ढुलाई की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करती हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था तथा इसे सितम्बर 2013 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले खाद्य सामग्री की सुलभता सुनिश्चित करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से लागू किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के सुधारों में लाभों के उचित लक्ष्यीकरण को सुनिश्चित करने एवं पथांतरण को रोकने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा अधिकृत लाभार्थियों की बायोमेट्रिक सूचना के साथ आधार लीवरेजिंग शामिल है। खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग (विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी), दिल्ली में टीपीडीएस का प्रबंधन करती है। विभाग ने योजना के घटक-1 का कार्यान्वयन किया जिसमें लाभार्थियों के अंकुरण, आपूर्ति-श्रृंखला का कंप्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टल⁹ की स्थापना एवं शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं। 31 मार्च 2017 तक विभाग ने

⁹ पारदर्शिता पोर्टल का अवलोकन जनता द्वारा एनएफएस कार्डों की जानकारी, एसएफए के आवंटन तथा ढुलाई और एफपीएस तथा सर्किल कार्यालयों के विवरण इत्यादि देखने के लिए किया जा सकता है।

72,48,385 लाभार्थियों को शामिल करते हुए 19,40,159 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएस) कार्ड जारी किये थे।

70 सर्किल में से सात¹⁰ सर्किलों के 3,10,493 राशन कार्डों को शामिल करते हुए अप्रैल 2013 से मार्च 2017 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। तीन श्रेणियों¹¹ में लाभार्थियों की अधिकतम संख्या के आधार पर प्रत्येक श्रेणी से दो सर्किल का चयन किया गया तथा एक अतिरिक्त सर्किल अर्थात् मटियाला का चयन श्रेणी निरपेक्ष लाभार्थियों की श्रेणी निरपेक्ष कुल संख्या के आधार पर किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनएफएस कार्ड जारी करने के ऊपर डाटा इनपुट नियंत्रण और वैधता जाँच अपर्याप्त थीं। लाभार्थियों के डाटा के अंकरूपण में विसंगतियाँ मात्र डाटा प्रविष्टि की गलतियाँ अथवा जानबूझकर प्रणाली को निष्प्रभावी करने के लिए हो सकती थीं। मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत हैं:

1. एक परिवार एनएफएस लाभार्थी के लिए पात्र नहीं है यदि इसके किसी भी सदस्य के पास (i) हल्का (चार-पहिया) या भारी वाहन (जीविकोपार्जन हेतु एक व्यावसायिक वाहन को छोड़कर) हो (ii) दिल्ली के ए से इ श्रेणी¹² कॉलोनियों में से किसी में एक भवन/भूमि हो (iii) किसी अन्य योजना के अधीन राशन/खाद्य सब्सिडी प्राप्त कर रहा हो (iv) आय करदाता हो (v) केन्द्र/राज्य सरकार का कर्मचारी हो (vi) 2 किलोवाट से अधिक का बिजली कनेक्शन हो। विभाग ने आवेदकों की पात्रता का सत्यापन स्वतंत्र रूप से नहीं किया तथा उनकी घोषणा पर भरोसा किया कि उनके परिवार का कोई सदस्य इन छः गैर-पात्रता श्रेणियों में नहीं आता है। विभाग ने यह भी सत्यापित नहीं किया कि एनएफएस कार्डधारक एनएफएस मानदंडों को लगातार पूरा कर रहे हैं या वे एनएफएस कार्ड जारी होने के बाद से छः गैर-पात्रता मानदंडों में से किसी में स्थानांतरित हो गए हैं। इस प्रकार आशंका है कि अपात्र परिवार एनएफएस लाभों के लिए पंजीकृत किए जा सकते हैं।

विभाग ने उत्तर दिया कि खाद्य आपूर्ति निरीक्षक (एफएसआई) ने आवेदकों द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन हेतु उनके पतों पर दौरा किया परन्तु 100 प्रतिशत प्रामाणिक सत्यापन संभव नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है

¹⁰ आदर्श नगर, बदरपुर, बादली, बवाना, किरारी, वजीरपुर तथा मटियाला

¹¹ (i) अंत्योदया अन्न योजना, (ii) केवल गेहूँ व चावल के लिए अधिकृत प्राथमिकता परिवार (नये एनएफएस कार्ड), पूर्व के झुग्गी राशन कार्ड तथा पुनर्वास कॉलोनियों के राशन कार्ड तथा, (iii) चीनी, गेहूँ तथा चावल के लिए अधिकृत प्राथमिकता परिवार-एस (पूर्व के गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्ड)

¹² एमसीडी द्वारा किए संपत्ति के मूल्यांकन के लिए कॉलोनियों का श्रेणीकरण (एसएच) भूमि की कीमतों, बसावट का तरीका, नगरीय व सामाजिक अवसंरचना की उपलब्धता तथा सड़कों इत्यादि तक पहुँच के आधार पर किया गया। दिल्ली की ए से इ श्रेणी में भवन/भूमि के मालिकों को आर्थिक रूप से समृद्ध माना गया

क्योंकि विभाग ने अन्य सरकारी विभागों से लाभार्थियों के विवरण जैसे आयकर विभाग से आय का विवरण, परिवहन विभाग से वाहन के स्वामित्व विवरण, डिस्कोम से विद्युत कनेक्शन तथा लोड विवरण, राजस्व विभाग से भवन/भूमि के स्वामित्व विवरण इत्यादि आवधिक रूप से प्राप्त करने तथा सत्यापित करने का कोई तंत्र विकसित नहीं किया।

2. एनएफएस अधिनियम, 2013 की धारा 12(2) (ग) लाभों के समुचित लक्ष्यीकरण हेतु लाभार्थियों की अनन्य पहचान और बायोमेट्रिक जानकारी के साथ आधार का लाभ उठाने की परिकल्पना करता है। विभागों ने ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास अन्य राज्यों द्वारा जारी किया गया आधार है, उनके अपने राज्य में उनकी एनएफएस स्थिति का सत्यापन किए बिना दिल्ली में एनएफएस लाभार्थी बनने की अनुमति दी। आशंका है कि उसी आधार कार्ड पर एक से अधिक एनएफएस कार्ड जारी हो सकते थे। परिणामतः वही लाभार्थी दो राज्यों में एनएफएस का लाभ उठा सकते थे। इसका यह भी परिणाम हो सकता है कि जहाँ एसएफए नहीं लिया जाता है वहाँ उचित दर दुकान लाइसेंस धारकों द्वारा निर्दिष्ट खाद्य सामग्रियों (एसएफए) का पथांतरण किया जा रहा हो। विभाग ने उत्तर दिया कि जब तक पीडीएस लाभार्थी डाटा राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत नहीं होता, अन्य राज्यों में लाभार्थियों की स्थिति को सत्यापित करना कठिन है।

3. 1,009 एनएफएस कार्डों के लाभार्थियों में नौकरों को शामिल कर लिया था। ऐसे कुल लाभार्थी 1,051 थे। विभाग ने जाँच नहीं की कि एक परिवार जिसके पास नौकर रखने की आर्थिक क्षमता है उसे एनएफएस लाभों के लिए कैसे अनुमति दी जा सकती है। ऐसे 1,051 लाभार्थियों में से 161, 14 वर्ष से कम उम्र के थे इस प्रकार रोजगार योग्यता के लिए कानूनी आयु का उल्लंघन किया गया। विभाग ने उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा अभियुक्त को ध्यान में रखकर इन मामलों के सत्यापन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

4. केवल अच्छी वित्तीय स्थिति एवं व्यावसायिक परिसर के स्वामित्व वाले व्यक्ति एफपीएस लाइसेंस के लिए पात्र हैं। कुल 792 एफपीएस लाइसेंस धारक एनएफएस लाभार्थी भी थे और एसएफए प्राप्त कर रहे थे। विभाग ने जाँच नहीं की कि अनुमानतः अच्छी वित्तीय स्थिति वाले एफपीएस लाइसेंस धारकों को एनएफएस लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत कैसे किया जा सकता था। विभाग ने उत्तर दिया कि क्षेत्रीय कार्यालय इन एनएफएस कार्डों की पात्रता का सत्यापन करेगा और आवश्यक कदम उठाएगा।

5. महिलाओं के सशक्तिकरण के एक उपाय के रूप में, एनएफएसए के सेक्शन 13 में यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक पात्र परिवार में सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य, जो 18 वर्ष से कम आयु की न हो, राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से उस परिवार की मुखिया होगी। जहाँ एक परिवार में अठारह वर्ष या उससे अधिक की महिला नहीं है, उस परिवार को एनएफएस कार्ड जारी करने के लिए सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य मुखिया होगा और महिला सदस्य 18 वर्ष की आयु की हो जाने पर पुरुष सदस्य के स्थान पर ऐसे राशन कार्ड के लिए मुखिया हो जायेगी। इस नियम के उल्लंघन में लाभार्थियों के बीच वयस्क महिला सदस्य (सदस्यों) की उपस्थिति के बावजूद 12,852 एनएफएस कार्डों में पुरुष सदस्य मुखिया पाए गए। विभाग ने उत्तर दिया कि क्षेत्रीय स्टाफ इन मामलों का सत्यापन करेगा और सुधारात्मक कदम उठाएगा।

6. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों से एफपीएस तक एसएफए की ढुलाई हेतु उपयोग किये जाने वाले 207 वाहनों की नमूना जाँच दर्शाती है कि दस वाहन अन्य सरकारी विभागों में पंजीकृत थे; 42 वाहन परिवहन विभाग में पंजीकृत नहीं थे; आठ वाहन जिन्होंने 1589.92 क्विंटल एसएफए, एफपीएस तक पहुँचाया, में बसों, दुपहिया (स्कूटर, मोटरसाईकिल) और तिपहिया वाहनों की पंजीकरण संख्या थी। यह संदेह पैदा करता है कि क्या एसएफए की कथित ढुलाई वास्तव में हुई थी तथा चोरी की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। विभाग ने कहा कि यह टाइपोग्राफिक डेटा एंट्री त्रुटियों के कारण हो सकता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वाहन संख्याओं को गलत दर्ज करने की संभावना जिसका अन्य वाहनों के साथ पूरी तरह मिलान हो बहुत कम है तथा विभाग को मामले की जांच करनी चाहिए थी।

7. विभाग एनएफएस पोर्टल पर मानकीकृत एमआईएस प्रतिवेदनों को तैयार करने में सक्षम है परन्तु तदनुकूल प्रतिवेदनों के लिए एनआईसी (एक तकनीकी सहभागी) पर निर्भर है। आगे, विभाग एफपीएस को एसएफए का आवंटन करने हेतु ई-पीडीएस और लाभार्थी आंकड़ों के लिए एनएफएस प्लेटफॉर्म का अनुरक्षण करता है परन्तु ई-पीडीएस की कार्यात्मकता तथा डाटाबेस एवं एनएफएस प्लेटफॉर्म इन्टरफेस के माध्यम से एकीकृत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप निरीक्षण एवं निगरानी के उद्देश्य से सार्थक आंकड़ा विश्लेषण संभव नहीं है, उदाहरणार्थ एफपीएस का कार्य आरंभ अथवा समाप्त होने की स्थिति, परिवाहक द्वारा एफपीएस पर एसएफए की कम सुपुर्दगी करना, एफपीएस पर कीट व सड़ने की वजह से एसएफए की (एफपीएस से

मैनुअली संग्रह किया जाना) हानि। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार करते हुए उत्तर दिया है कि एफपीएस स्वचालन के बाद ये मुद्दे हल होंगे।

8. जब एफसीआई गोदाम से एसएफए भेज दिया जाता है तब कार्ड धारकों को एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं। 2,453 मामलों में लाभार्थियों के मोबाईल नम्बर वास्तव में एफपीएस लाइसेंस धारकों का था और जो एनएफएस योजना के लाभार्थी नहीं थे इससे संकेत मिलता है कि एसएमएस हमेशा वास्तविक लाभार्थियों को नहीं भेजे जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, विभाग एफपीएस पर सूचना प्रसारित करने, एफपीएस को एसएफए आवंटन/वितरण इत्यादि के लिए एक पोर्टल (nfs.delhi.gov.in) का अनुरक्षण करता है। तथापि, वेबसाइट पोर्टल पर एसएफए का आवंटन पूरी तरह नहीं दर्शाया गया था, जैसे एसएफए माह के लिए 'शून्य' आवंटन के विरुद्ध वितरित दिखाया गया, बेमेल आवंटित और वितरित मात्रा इत्यादि।

9. एनएफएसए शिकायत निवारण तंत्र भी प्रदान करता है जिसमें टॉल फ्री कॉल सेंटर सम्मिलित है। अगस्त 2013 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान कुल प्राप्त कॉल 15,81,542 थीं तथा केवल 6,61,523 कॉल के ही उत्तर दिए गए (41.8 प्रतिशत)। यह कॉल के निपटान हेतु जनशक्ति की कमी के कारण था।

10. दिनांक 20 मार्च 2015 के टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खण्ड 11(i) के अनुसार, राज्य सरकार एफपीएस का नियमित निरीक्षण नामित प्राधिकारी द्वारा तीन महीने में कम से कम एक बार सुनिश्चित करेगी। विभाग ने तदनुसार जून 2015 में निर्देश दिया कि क्षेत्र निरीक्षक, एफएसओ, सहायक आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त क्रमशः 10,07,05 और 02 निरीक्षण प्रतिमाह करेगा। यद्यपि विभाग ने आवधिक रूप से निरीक्षण करने का दावा किया, लेखापरीक्षा को अभिलेखों के रूप में ऐसे निरीक्षण का साक्ष्य नहीं मिला। ई-पीडीएस/एनएफएस में निरीक्षण विवरणों को दर्ज करने का प्रावधान नहीं है।

11. लाभार्थियों के आंकड़ों एवं एसएफए में कमियाँ थीं। माता और पिता के नाम के कॉलम खाली थे अथवा अमान्य नाम जैसे एबीसीडी लिखे गए थे; अमान्य मोबाईल नम्बर लिखे गये थे; एसएफए के प्रेषण/प्राप्ति के विवरण त्रुटिपूर्ण थे; तथा 412 एनएफएस कार्डों में लाभार्थियों के नाम दोहराए गए थे। विभाग ने उत्तर दिया कि आँकड़ों की सटीकता का सत्यापन किया जाएगा।

इस प्रकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन लाभार्थियों के पंजीकरण एवं अंकुरण का कार्यान्वयन अपर्याप्त था। विभाग ने स्वतंत्र रूप

से एनएफएस कार्ड आवेदकों की पात्रता को सत्यापित नहीं किया और उनकी घोषणा पर भरोसा कर लिया कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य छः गैर-पात्र श्रेणियों में नहीं आते हैं। अन्य राज्यों द्वारा जारी आधार कार्ड वाले आवेदक उनकी अपने गृह राज्य में एनएफएस लाभार्थी के रूप में स्थिति का सत्यापन किए बिना दिल्ली में एनएफएस लाभार्थी बन गए। एफपीएस लाईसेंस धारक एनएफएस लाभार्थी भी थे। परिवार जिनके पास नौकरों को रखने की वित्तीय क्षमता थी, उन्हें एनएफएस का लाभ दिया गया। एसएफए के परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले वाहनों में वे वाहन शामिल थे जो बसों, स्कूटर/मोटर साईकिल और तिपहिया वाहनों के रूप में पंजीकृत थे जो कथित दुलाई की प्रमाणिकता पर संदेह पैदा करती है।

वन एवं वन्य जीव विभाग

3.4 हरित दिल्ली हेतु वन एवं वन्य जीव विभाग, जीएनसीटीडी की पहल

वन विभाग एवं अन्य हरितकरण एजेंसियों ने 2014-17 के दौरान 28.12 लाख वृक्ष लगाए, वृक्षारोपण का लक्ष्य 36.57 लाख वृक्ष था, जिससे वृक्षारोपण में 23 प्रतिशत (8.45 लाख) वृक्षों की कमी हुई। 2014-17 के दौरान कथित रूप से 28.12 लाख वृक्ष लगाने से वन एवं वृक्षाच्छादित क्षेत्र में इसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई, जो जीएनसीटीडी के वृक्षारोपण कार्यक्रम की कार्यक्षमता और निष्पादन पर सवाल खड़े करता है। जीएनसीटीडी के पास अपनी दिल्ली वन नीति और रोड मैप या भावी योजना नहीं थी जो वन क्षेत्र में वृद्धि की रणनीति दर्शाता हो। दिल्ली हरितकरण कार्य योजना 2007-08 के बाद तैयार नहीं की गई। दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत गठित हुए वृक्ष प्राधिकरण की बैठक 2014-17 के दौरान एक ही बार हुई, जबकि बैठकों की अधिदिष्ट संख्या 12 है। परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए वृक्षों की काट-छाँट/गिरने से निकलने वाली लकड़ी को सार्वजनिक श्मशानगृह को निःशुल्क प्रदान नहीं किया गया।

3.4.1 भूमिका

वन एवं वन्य जीव विभाग (वन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) वृक्षारोपण एवं पुनरोद्धार द्वारा अधिसूचित वनों के सुधार और वन के बाहर के वृक्षों की सुरक्षा करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (डीपीटीए) के प्रावधानों के अनुपालन में वृक्षों को गिराने और उनकी काट-छाँट की अनुमति देता है। सचिव (पर्यावरण एवं वन) की सहायता हेतु अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एपीसीसीएफ), मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) और वन संरक्षक (सीओएफ) होते हैं। वन उप संरक्षक (डीसीएफ) क्षेत्रीय विभागों के प्रभारी होते हैं जिनकी सहायता हेतु उप रेंज अधिकारी (डीआरओ) होते हैं।

दिल्ली का कुल भौगोलिक क्षेत्र 1,483 वर्ग किमी है और 2017 में कुल वन एवं वृक्षाच्छादित क्षेत्र 305.41 वर्ग किमी (20.59%) था जिसमें 192.41 वर्ग किमी (63%) वन क्षेत्र है, जो मुख्यतः दक्षिण व दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में अवस्थित हैं और 113 वर्ग किमी में वृक्षों से ढँके छोटे-छोटे क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 यह प्रावधान करती है कि देश के कुल भूक्षेत्र कम से कम एक तिहाई वन या वृक्षों से आच्छादित होना चाहिए। जीएनसीटीडी की तत्काल योजना हरित क्षेत्र का विस्तार 25 प्रतिशत तक करना रहा है जिसके लिए

वृक्षों का पोषण और उनका रखरखाव किया जाता है। 2009-2017 की अवधि के दौरान वन तथा वृक्षाच्छादित क्षेत्र तालिका 3.4.1 में दिए गए हैं:

तालिका 3.4.1: 2009 और 2017 के दौरान वन तथा वृक्षाच्छादित क्षेत्र में परिवर्तन

भारत राज्य वन रिपोर्ट	दिल्ली में वन तथा वृक्षाच्छादित क्षेत्र			
	वर्ग कि.मी			कुल भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशतता के रूप में
	वन	वृक्ष	कुल	
2009	176.58	123.00	299.58	20.20
2011	176.20	120.00	296.20	19.97
2013	179.81	118.00	297.81	20.08
2015	188.77	111.00	299.77	20.22
2017	192.41	113.00	305.41	20.59

स्रोत: वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून

यह विषयक लेखापरीक्षा 2014-15 से 2016-17 की अवधि को शामिल करते हुए अप्रैल से अगस्त 2017 के दौरान यह निर्धारित करने हेतु की गयी कि दिल्ली के वन क्षेत्र को वृक्षारोपण एवं वनोद्धार द्वारा विकसित और व्यवस्थित करने हेतु पर्याप्त एवं प्रभावी कार्रवाई की गई।

दिल्ली हाई कोर्ट आदेश सं. 7798- डब्ल्यू/डीएचसी/रिट/डी-3/2017 दिनांक 1 अप्रैल 2017 के अनुपालन में लेखापरीक्षा में वन विभाग और 13¹³ प्रमुख सांस्थानिक एजेंसियों के 2014-15 से 2016-17 के दौरान वृक्षों के काटने और इससे संबंधित प्रतिपूरक वृक्षारोपण और वृक्षों को काटने से उत्पन्न लकड़ी के उपयोग से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई। वन विभाग द्वारा जारी 750 अनुमति आदेशों में से लेखापरीक्षा में 2014-17 के दौरान काटे गए कुल 13,018 वृक्षों के 70.51 प्रतिशत, 9,178 वृक्षों को काटने के लिए दिए गए 42 अनुमति आदेशों की जाँच की गयी (परिशिष्ट 3.4.1)। सचिव (पर्यावरण एवं वन), मुख्य अभियंता (पीडब्ल्यूडी), अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक और सांस्थानिक एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रवेश सम्मेलन किया गया (अगस्त 2017)। वन विभाग के दिनांक 15 नवम्बर 2017 के उत्तर को इस रिपोर्ट में यथास्थान शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.4.2 योजना में कमियाँ

3.4.2.1 दिल्ली हरितकरण कार्य योजना तैयार नहीं की गई

पहली हरित दिल्ली कार्य योजना (जीडीएपी) वर्ष 1997-98 में दिल्ली की हरितकरण गतिविधियों की गति में वृद्धि हेतु एक समन्वित हल के लिए

¹³ लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.), दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना निर्माण (डीएसआईआईसी), पूर्वी, उत्तरी व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (डीएमसी), उत्तर रेलवे, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी), दिल्ली पुलिस (दि.पु.), दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड

विभिन्न एजेंसियों को साथ लाने हेतु प्रभावी हुई। जीडीएपी के प्रमुख घटकों में वन क्षेत्र का सुधार, प्रमुख नागरिक एवं अवसंरचना विकास एजेंसियों द्वारा वार्षिक वृक्षारोपण, प्रचार एवं विस्तार गतिविधियाँ तथा खनन क्षेत्रों का उद्धार शामिल हैं। हालाँकि, जीएनसीटीडी ने 2007-08 के बाद जीडीएपी तैयार नहीं किया। इसने दिल्ली वन नीति और कार्य नक्शा या भावी योजना तैयार नहीं की, जिसमें राज्य के 25 प्रतिशत हरित क्षेत्र के तत्काल राज्य लक्ष्य के लिए या राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में प्रदत्त 33 प्रतिशत हरित क्षेत्र की प्राप्ति के प्रावधानानुसार वन क्षेत्र के विकास की रणनीति बताई गई हो। किसी नीति संबंधी दस्तावेज या रणनीति के न होने के फलस्वरूप हरित क्षेत्र के विस्तार में बाधा आ सकती थी, क्योंकि 2009-17 के दौरान वन एवं वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई थी, जैसा कि तालिका 3.4.1 से स्पष्ट है।

2008-09 से जीडीएपी की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हुए वन विभाग ने यह उत्तर दिया (नवंबर 2017) कि जीडीएपी की तैयारी फिर से शुरू की जाएगी। हरितकरण एजेंसियों को प्रतिवर्ष वार्षिक लक्ष्य आवंटित किए गए। उनके उत्तरों पर विचार करते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि वन विभाग व हरितकरण एजेंसियाँ 2014-17 के दौरान स्वयं अपने वृक्षारोपण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके और वन विभाग और अन्य एजेंसियों के मामले में क्रमशः 26.61 और 20.98 प्रतिशत की कमी रही, जैसाकि तालिका 3.4.2 और पैराग्राफ 3.4.3 में टिप्पणी में बताया गया है।

3.4.2.2 वृक्ष प्राधिकरणों के कार्य की अपर्याप्तता

दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत गठित वृक्ष प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष वन विभाग के सचिव होते हैं, सभी वृक्षों के संरक्षण, विद्यमान वृक्षों की गणना, नर्सरी का निर्माण व रखरखाव, तथा जहाँ भी संभव हो, भवन, सड़क, कारखाने और सिंचाई कार्य के निर्माण हेतु विभिन्न सरकारी विभागों और निजी निकायों के प्रस्तावों का विद्यमान वृक्षों और अधिक वृक्षारोपण के संदर्भ में आलोचनात्मक अध्ययन करने हेतु उत्तरदायी है। इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार इस प्राधिकरण की बैठक तीन माह में न्यूनतम एक बार होना अनिवार्य है, लेकिन जुलाई 2013 में बैठक करने के बाद वृक्ष प्राधिकरण ने दूसरी बैठक दिसंबर 2016 में की। 12 अधिदिष्ट बैठकों के विपरीत लेखापरीक्षा में शामिल 2014-17 की अवधि के दौरान मात्र एक बैठक हुई। नियमित बैठक न होना वृक्षों के संरक्षण और वनीकरण के प्रति इसके लापरवाह रवैये को दर्शाता है। वन विभाग ने वृक्ष प्राधिकरण की बैठकें न करने के लिए प्रशासकीय कारणों को जिम्मेवार ठहराया और आश्वासन दिया कि आगे बैठकें नियमित रूप से होंगी।

3.4.3 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्य प्राप्त न होना

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार (भा.स.) विभिन्न राज्यों/सं.रा.क्षे. के वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्य निर्धारित करती है। दिल्ली वन विभाग अन्य सिविक एवं अवसंरचना एजेंसियों (हरितकरण एजेंसियों) के साथ परामर्शी बैठकें करने के बाद अपने और इन एजेंसियों के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है। पिछले तीन वर्षों के वन विभाग द्वारा संकलित लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ तालिका 3.4.2 में दी गई हैं:

तालिका 3.4.2: दिल्ली में वृक्षारोपण के वार्षिक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

(लाख में)

मार्च में समाप्त वर्ष	वृक्षारोपण का लक्ष्य				वास्तविक वृक्षारोपण				कमी		
	भा. स.*		जीएनसीटीडी		कुल	वन विभाग	अन्य	कुल	वन विभाग	अन्य	कुल
	वर्गकिमीक्षेत्र	वृक्ष	वन	अन्य							
2015	13.80	8.97	5.75	7.09	12.84	3.65	6.01	9.66	2.10	1.08	3.18
2016	8.50	5.53	4.33	8.84	13.17	3.54	6.20	9.74	0.79	2.64	3.43
2017	8.48	5.51	3.75	6.81	10.56	2.96	5.76	8.72	0.79	1.05	1.84
कुल	30.78	20.01	13.83	22.74	36.57	10.15	17.97	28.12	3.68	4.77	8.45

(स्रोत: जीएनसीटीडी का वन विभाग * बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भा.स. द्वारा प्रदत्त लक्ष्य) वन एवं वृक्षाच्छादित क्षेत्र में हरितकरण द्वारा वृद्धि का लक्ष्य एक वर्ग किमी वन एवं वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हेतु 65,000 वृक्ष लगाया जाना होता है।

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि अन्य हरितकरण एजेंसियों के साथ-साथ वन विभाग 2014-17 के दौरान अपने वृक्षारोपण के लक्ष्य स्वयं प्राप्त नहीं कर सका। इन्होंने 2014-17 के दौरान 36.57 लाख वृक्षों के लक्ष्य के विपरीत 28.12 लाख वृक्ष लगाए अर्थात् वृक्षारोपण में 8.45 लाख की कमी हुई। वन विभाग ने 2014-15 में 5.75 लाख वृक्ष लगाने के लक्ष्य को कम कर 2015-16 में 4.33 लाख और 2016-17 में 3.75 लाख कर दिया, लेकिन वे इतने घटे हुए लक्ष्यों की प्राप्ति करने में भी असफल रहे। लेखापरीक्षा में कवर किये गये तीन वर्षों में भा.स. द्वारा नियत किये गये वृक्षारोपण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया था।

हालाँकि, कार्यालय वन विभाग की फाईलों में वास्तव में रोपित/जीवित रहने वाले वृक्षों की संख्या का निर्धारण करने हेतु वृक्षों की गणना या भौतिक सत्यापन के पर्याप्त आंतरिक अभिलेख/साक्ष्य नहीं थे। उदाहरणार्थ डीआरओ (दक्षिण) द्वारा डीसीएफ को प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2015 और अगस्त 2016 में एक संस्थान में क्रमशः 90,000 और 60,000 वृक्ष लगाए, परन्तु डीआरओ के अभिलेख में संस्थान का नाम, वृक्षारोपण का क्षेत्र,

व्यय एवं रखरखाव का विवरण नहीं है। दक्षिण विभाग में एक डीआरओ ने डीसीएफ (दक्षिण) को दी गई प्रगति रिपोर्ट में असोला और तुगलकाबाद क्षेत्रों में अगस्त 2014 में 51,680 वृक्षों का रोपण दर्शाया जबकि वन विभाग को भेजी गई प्रगति रिपोर्ट में इसी अवधि में 80,075 वृक्षों का रोपण दर्शाया गया। वृक्षारोपण में वृक्षों की संख्या में गड़बड़ी 2009-10 से 2015-16 के दौरान 'तीन डीसीएफ द्वारा वृक्षारोपण की त्रिपक्षीय निगरानी और मूल्यांकन की रिपोर्ट' में भी सूचित की गई। उन्होंने यह भी सूचित किया कि 1,35,315 वृक्षों के रोपण को शामिल करने वाले क्षेत्रीय सर्वेक्षण में 24 स्थलों को यादृच्छिक रूप से चुना गया, जिनमें उन्होंने छः स्थलों में 37,915 वृक्षों (28 प्रतिशत) के वृक्षारोपण की गुणवत्ता खराब या औसत दर्ज की, जिनमें से 14,450 वृक्ष पूर्णतः नष्ट हो चुके थे।

विभाग ने बताया कि उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी थे। वर्षाकाल के दौरान व्यापक वृक्षारोपण स्थानीय लोगों द्वारा श्रमदान में नियमित स्टाफ की निगरानी में किया जाता है और इसके बाद नियमित विभागीय स्टाफ और श्रमिकों द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है और इस व्यापक वृक्षारोपण का प्रमाण फोटोग्राफ और विडियो रिकार्डिंग्स के रूप में रखा जाता है।

विभाग के उत्तर को निम्नांकित तथ्यों के आलोक में देखा जाना चाहिए:

(क) तालिका 3.4.2 दर्शाती है कि 65,000 वृक्षों के रोपण से वन तथा वृक्षाच्छादित क्षेत्र में एक वर्ग किमी वृद्धि होती है। औसतन, एनसीटी दिल्ली में लगभग नौ लाख वृक्ष वर्षभर में लगाए जाते हैं तथा इसीलिए वन तथा वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि लगभग 13.84 वर्ग किमी होनी चाहिए। हालांकि, वर्षभर में इतने सारे वृक्षों को लगाने से एनसीटी दिल्ली में वन तथा वृक्षाच्छादित क्षेत्र में आनुपातिक रूप से वृद्धि नहीं हुई। वन रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार (तालिका 3.4.1 को देखें), एनसीटी दिल्ली वन तथा वृक्षाच्छादित क्षेत्र को 2009 तथा 2017 रिपोर्ट के आठ सालों के मध्य 5.83 वर्ग किमी बढ़ सकती थी अर्थात् 2009 रिपोर्ट में 299.58 वर्ग किमी (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.20 प्रतिशत) से 2015 रिपोर्ट में 299.77 वर्ग किमी (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.22 प्रतिशत) 2017 रिपोर्ट में 305.41 वर्ग किमी (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.59 प्रतिशत)।

(ख) यद्यपि वन क्षेत्र 2009 में 176.58 वर्ग किमी से 2017 में 192.41 वर्ग किमी बढ़ा किंतु वृक्षाच्छादित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमी आई और यह 2009 में 123 वर्ग किमी से 2017 में 113 वर्ग किमी रह गया।

(ग) इस प्रकार सूचित वृक्षारोपण से वन तथा वृक्षाच्छादित क्षेत्र में आनुपातिक वृद्धि नहीं होना जीएनसीटीडी के वृक्षारोपण कार्यक्रम के निष्पादन तथा प्रभाविता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। जीएनसीटीडी को पड़ताल करना चाहिए कि उनके वार्षिक वृक्षारोपण प्रयासों से वन तथा वृक्षाच्छादित क्षेत्र में आनुपातिक वृद्धि क्यों नहीं हो रही।

3.4.4 प्रतिपूरक वृक्षारोपण

डीपीटीए की धारा 10 एवं सरकारी निर्देश (फरवरी 2010) बताते हैं कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण प्रत्येक काटे गए वृक्ष का दस गुना होगा। प्रत्येक वृक्ष के काटने के एवज में वन विभाग व्यक्ति/ प्रयोक्ता एजेंसी की ओर से वन विभाग को उपलब्ध कराई गई भूमि पर पाँच पौधे लगाएगा और शेष पाँच पौधे किंचित नियमों व शर्तों के अधीन परमिटधारक द्वारा लगाए जाएँगे। कुछ मामलों में, प्रतिपूरक वृक्षारोपण के दायित्व पूर्ण रूप से वन विभाग/ परमिटधारक द्वारा धारण किए जाएँगे, जैसा कि अनुमति आदेश में उल्लेख किया गया हो। प्रत्येक परमिटधारक को एक प्रतिभूति सुरक्षा जमा करनी होगी, जिसके दो घटक होते हैं। नॉन-रिफंडेबल घटक का प्रयोग वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण के कर्तव्य की पूर्ति हेतु प्रयोग होना था जबकि रिफंडेबल घटक को परमिटधारक द्वारा निर्धारित अवधि में प्रतिपूरक वृक्षारोपणों का दायित्व पूर्ण करने और 5 से 7 वर्ष तक वृक्षारोपणों का सफलतापूर्वक रखरखाव करने पर जारी किया जाएगा। परमिटधारक द्वारा वृक्ष न लगाने के मामले में, वृक्ष अधिकारी स्वयं वृक्ष लगाएगा और इसकी लागत रिफंडेबल सुरक्षा जमा से वसूल करेगा। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत हैं:

3.4.4.1 पर्याप्त अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया

तीन डीसीएफ कार्यालयों ने 2014-17 की अवधि के दौरान प्रदत्त 750 अनुमतियों से सुरक्षा जमा के रूप में ₹ 81.78 करोड़ प्राप्त किए, लेकिन इस अवधि के दौरान सुरक्षा जमा की वापसी नहीं हुई। निधि का सार्थक उपयोग, प्रभावी निगरानी और प्रतिपूरक वृक्षारोपण का सत्यापन आदि सुनिश्चित करने हेतु मंत्री परिषद ने कुछ दिशानिर्देशों का अनुमोदन किया (24 फरवरी 2010) जिसमें विभाग और परमिटधारकों के वृक्षारोपण के दायित्व की परमिट के क्रम में प्रविष्टियाँ और उनकी वास्तविकता में की गई पूर्ति; सुरक्षा जमा (रिफंडेबल व नॉन-रिफंडेबल) की प्राप्ति और पौधों के रोपण व रखरखाव पर घटकों के क्रम में व्यय, और इससे प्राप्त रिफंड को दर्ज करने के लिए 'डीपीटीए के अंतर्गत सुरक्षा जमा' शीर्षक एक पृथक पंजिका का अनुरक्षण करना शामिल है। डीसीएफ द्वारा तिथि के साथ अपनी मुहर और हस्ताक्षर के अधीन सुरक्षा धनराशि की प्राप्ति/ जारी होने को प्रमाणित करना अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त पंजिकाओं का अनुरक्षण सभी तीन डीसीएफ कार्यालयों में नहीं हो रहा था। इन दिशानिर्देशों के अनुसार डीसीएफ द्वारा विभाग द्वारा पहचानी गई भूमि में वृक्षारोपण व रखरखाव करना अनिवार्य है, यह रखरखाव नहीं किया जा रहा है। डीसीएफ द्वारा सी एफ को भेजी जाने वाली निर्धारित तिमाही रिपोर्ट, जिसमें प्राप्त सुरक्षा जमा और व्यय का घटकों में विभाजन के साथ-साथ अथशेष व अंतशेष दर्शाया जाता है और जिसे सचिव (ई एंड एफ) को अग्रेषित किया जाता है की प्रस्तुति का भी पालन नहीं किया जा रहा था।

अपेक्षित पंजिकाओं व अभिलेखों का रखरखाव स्टाफ की कमी के कारण न करने का तथ्य स्वीकार करते हुए वन विभाग ने उत्तर दिया कि भविष्य में इनका रखरखाव किया जाएगा। इन उत्तरों पर विचार करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि निर्धारित अभिलेखों और प्रबंधन सूचना रिपोर्टिंग न होने के कारण निधि के प्रभावी उपयोग और प्रतिपूरक वृक्षारोपण के सत्यापन की निगरानी में कमियाँ थीं। सुरक्षा जमा का संचय और/ या वापसी न होना और संबंधित प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त प्रमाणों का अभाव होने का अर्थ यह है कि परमिटधारक और वन विभाग ने प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दायित्वों का निर्वाह नहीं किया हो, जैसा कि पैराग्राफ 3.4.4.2 में टिप्पणी भी की गई है।

3.4.4.2 प्रतिपूरक वृक्षारोपण में कमी

2014-15 से 2016-17 के दौरान सभी तीन डीसीएफ ने मिलकर 13,018 वृक्षों के कटाव हेतु 750 अनुमतियाँ (उत्तर-89, पश्चिम-346 और दक्षिण-315) प्रदान की। वन विभाग और परमिट-धारक की प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने में असफलता पर नीचे टिप्पणी की गई है:

(क) वन विभाग

काटे गए वृक्ष हेतु वृक्षारोपण का दायित्व और वास्तव में रोपित वृक्षों का विवरण तालिका 3.4.3 में प्रस्तुत है:

तालिका 3.4.3: वन विभाग द्वारा किया गया प्रतिपूरक वृक्षारोपण

मार्च में समाप्त वर्ष	काटे गए वृक्षों की सं. उ-उत्तर, द-दक्षिण और प-पश्चिम				वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण							
					दायित्व				वास्तविक वृक्षारोपण			
	उ	प	द	कुल	उ	प	द	कुल	उ	प	द	कुल
2015	1,035	2,486	940	4,461	5,175	12,430	4,700	22,305	2,905	13,813	0	16,718
2016	712	2,237	984	3,933	3,560	11,185	4,920	19,665	30	1,750	0	1,780
2017	2,248	576	1,800	4,624	11,240	2,880	9,000	23,120	0	2,550	0	2,550
कुल	3,995	5,299	3,724	13,018	19,975	26,495	18,620	65,090	2,935	18,113	0	21,048

जैसा कि तालिका 3.4.3 से स्पष्ट है, 2014-17 के दौरान 65,090 (13018x5) वृक्षों के प्रतिपूरक वृक्षारोपण के दायित्व के प्रति वन विभाग ने मात्र 21,048 पौधे लगाए, जिससे 44,042 वृक्षों (67 प्रतिशत) की कमी होती है। डीसीएफ दक्षिण को 18,620 वृक्ष लगाने थे, जो नहीं लगाए गए। वन विभाग ने उत्तर दिया कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए भूमि हासिल करना एक सतत प्रक्रिया है और वे तदनुसार ही वृक्षारोपण करते हैं। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने स्वयं यह बताया कि वन क्षेत्र उपलब्ध न होने पर सांस्थानिक एजेंसियों से 100 प्रतिशत प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र प्रदान करने के लिए कहा जाता है और इसलिए वृक्ष काटने की अनुमति देने के पहले भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए थी।

(ख) सांस्थानिक एजेंसियाँ

लेखापरीक्षा में 11 प्रमुख सांस्थानिक एजेंसियों द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण की पूर्ति की नमूना जाँच की, जिन्हें 2014-17 के दौरान डीपीटीए के अंतर्गत पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की गई। नौ सांस्थानिक परमिटधारकों द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण का विवरण तालिका 3.4.4 में दिया जा रहा है।

तालिका 3.4.4 सांस्थानिक परमिटधारकों द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण का विवरण

(संख्या में)

परमिटधारक	2014-17 के दौरान काटे गए वृक्ष		वृक्षारोपण का दायित्व		वास्तविक वृक्षारोपण	
			वन विभाग	परमिटधारक	वन विभाग	परमिटधारक ⁵
एनएचएआई	3,261		0	40,000	*	2,000
डीएमआरसी	1,162		11,620	0	*	0
एनबीसीसी	1,123		5,835	8,165	*	1354
डीएसआईआईडीसी	457		2,220	2,910	*	0
सीपीडब्ल्यूडी	337		1,385	1,985	*	877
डीडीए	145		25	1,425	*	375
दि.पु.	388		1,940	1,940	*	50
पीडब्ल्यूडी	3,978		13,918	24,758	*	33,222
	नमूना जाँच किए गए	2,220	8,828	15,688	*	158
दि.न.नि.	1,119		5,110	6,120	*	3,160
	नमूना जाँच किए गए	409	2,915	4,335	*	1,760

* संबंधित डीसीएफ कार्यालय में पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि वहाँ प्रविष्टि करने हेतु अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया जाता है।

⁵ परमिटधारकों के अभिलेखों के अनुसार

तालिका 3.4.4 यह दर्शाती है कि वन विभाग ने अपने वृक्षारोपण दायित्वों की पूर्ति हेतु वृक्षों के संबंध में पर्याप्त अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया था। सांस्थानिक परमिटधारक अपने परमिट के दायित्वों के अनुसार वृक्षों के कटाव की क्षतिपूर्ति नहीं कर सके। परिणामस्वरूप, विभाग दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम के प्रावधान को लागू करने में असफल रहा, जिसमें उस क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने की आवश्यकता थी जहां इनका कटाव हुआ था। लेखापरीक्षा में विशिष्ट रूप से तीन डीसीएफ के 42 मामलों की फाईलों की नमूना जाँच हुई और इस तथ्य को दर्शाने हेतु पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले कि उन्होंने अपने दायित्व की पूर्ति की या नहीं क्योंकि उनके द्वारा किए गए प्रतिपूरक वृक्षारोपण का परमिट के आधार पर विवरण नहीं रखा जाता है। वन विभाग और सांस्थानिक परमिटधारक दोनों ही यह निगरानी/सुनिश्चित किए बिना सुरक्षा जमा प्राप्त/भुगतान करते रहे कि काटे गए वृक्षों की क्षतिपूर्ति के दायित्व को पूर्ण किया गया है या नहीं। परमिटधारकों व वन विभाग के अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- एनएचएआई ने एनएच-24 दिल्ली-मैरठ हाईवे को चौड़ा करने हेतु 3,261 वृक्षों को काटने हेतु ₹ 22.80 करोड़ प्रतिभूति सुरक्षा जमा किया। इसके अतिरिक्त एनएचएआई ने डीडीए को तुगलकाबाद बायोडायवर्सिटी पार्क में डीडीए की भूमि पर 40,000 वृक्ष लगाने हेतु ₹ 24.83 करोड़ का भुगतान किया, जबकि डी डी ए द्वारा नौ माह की निर्धारित अवधि अर्थात् अगस्त 2017 तक मात्र 2,000 वृक्ष (5 प्रतिशत) लगाए गए। डीडीए को वृक्षारोपण का दायित्व सौंपने के बाद एनएचएआई ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निगरानी नहीं की कि क्या डीडीए द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया गया, या नहीं। वन विभाग ने उत्तर दिया कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उसका रखरखाव सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसकी समाप्ति अगस्त 2017 तक होनी चाहिए थी।
- वन विभाग ने डीएमआरसी को 1,162 वृक्षों को काटने/प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की और वन भूमि और/या डीएमआरसी द्वारा आवंटित भूमि पर काटे गए वृक्षों की संख्या के दस गुना 11,620 पौधों (दक्षिण-2,950, उत्तर-7,040, और पश्चिम-1,630) को लगाने के दायित्व को पूर्ण रूप से ग्रहण किया। डीसीएफ दक्षिण ने सुरक्षा जमा

की प्राप्ति के बाद 2014-17 के दौरान प्रतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किया। डीएमआरसी ने भी सुरक्षा जमा के भुगतान के बाद यह देखने के लिए निगरानी नहीं की कि वन विभाग ने वास्तव में उनकी ओर से प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया या नहीं। वन विभाग ने उत्तर दिया कि उन्होंने पाँच लाख पौधे लगाए और यह स्थिति हाई कोर्ट, दिल्ली को शपथपत्र पर प्रस्तुत की गई। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है। उक्त शपथपत्र के अनुसार वन विभाग ने 2000-2015 की अवधि के दौरान पाँच लाख पौधे लगाए जिसमें 2014-15 के दौरान लगाए गये 21,000 पौधे भी शामिल हैं। हालाँकि तीनों डीसीएफ द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए विवरण के अनुसार 2014-15 में केवल 16,718 वृक्ष लगाए गए। जिसमें डीएमआरसी के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों को भी दी गयी अनुमति के संदर्भ में प्रतिपूरक वृक्षारोपण शामिल है। आगे वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण के परमिट आधार पर विवरण नहीं रखे गए जिससे लेखापरीक्षा द्वारा डीएमआरसी को दी गई अनुमति के प्रति वास्तव में लगाए गए वृक्षों की संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

- एनबीसीसी ने ₹ 4.51 करोड़ की सुरक्षा जमा पर पूर्वी किदवई नगर परियोजना हेतु 2014-17 के दौरान 1,123 वृक्ष काटने की अनुमति प्राप्त की। डीसीएफ (दक्षिण) ने यह अनुमति प्रदान की लेकिन इस विभाग ने 2014-17 के दौरान प्रतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किया। जबकि एनबीसीसी ने 8,165 वृक्षों की आवश्यकता के प्रति 1,354 वृक्ष आरोपित किए थे। वन विभाग की फाइलों में एनबीसीसी द्वारा वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित करने का कोई प्रमाण नहीं था।

वन विभाग ने उत्तर दिया कि स्टाफ की कमी के कारण प्रतिपूरक वृक्षारोपण की निगरानी हेतु पर्याप्त विस्तृत अभिलेखों का रखरखाव संभव नहीं था। यदि सांस्थानिक परमिटधारक सात वर्ष की अवधि की समाप्ति पर रोपित वृक्ष का प्रमाण नहीं देते हैं, तो उक्त एजेंसी का संपूर्ण सुरक्षा जमा पर दावा समाप्त हो जाएगा और वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। परमिटधारकों द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण परमिट जारी होने से नौ महीनों की अवधि के भीतर या अगले वृक्षारोपण सत्र की समाप्ति तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। वन विभाग के पास यह सुनिश्चित करने

हेतु पर्यवेक्षकीय उत्तरदायित्व था। परमिटधारकों द्वारा वृक्षारोपण और रिफंड प्राप्त करने के समय वृक्षों के जीवित बचने का प्रमाण देने की प्रतीक्षा परमिटधारक द्वारा वृक्षारोपण न होने की स्थिति में करने का अर्थ था प्रतिपूरक वृक्षारोपण को सात वर्ष तक रोके रखना। इसके अतिरिक्त प्रतिपूरक वृक्षारोपण के दायित्व की पूर्ति न होने का पता नहीं चल सकेगा, यदि एजेंसी द्वारा परमिट की शर्तों का अनुपालन न होने पर रिफंड की माँग न की जाए, जैसा कि पैराग्राफ 3.4.4.1 में लेखापरीक्षा टिप्पणी दी गई है कि वन विभाग ने 2014-17 के दौरान सुरक्षा जमा की वापसी नहीं की।

3.4.5 काटे गए वृक्षों से प्राप्त लकड़ी का हटाना और निपटारा

अनुमति आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि (क) परमिटधारकों द्वारा डीसीएफ को निगरानी हेतु तीन दिन पहले वृक्षों के कटने की सूचना देना अनिवार्य है, (ख) काटे गए वृक्षों से उत्पन्न सामग्री को परमिट-धारक द्वारा वृक्ष अधिकारी या डीसीएफ कार्यालय की अनुमति के बिना हटाया या निपटान नहीं किया जाएगा। (ग) परमिट-धारक को वृक्षों के कटने से उत्पन्न वन उत्पाद/ लकड़ी और वृक्षों की काट-छाँट से उत्पन्न शाखा-टहनियों को एमसीडी/एनडीएमसी द्वारा प्रबंधित निकटतम सार्वजनिक शवदाहगृह तक अपने व्यय पर ढोया जाएगा जिससे शवदाहगृह को निःशुल्क लकड़ी प्राप्त हो और इसकी प्राप्ति की रसीद शवदाहगृह से प्राप्त कर इसकी एक प्रति वन विभाग को प्रस्तुत की जाए (घ) परमिटधारक को वृक्ष काटने और परिवहन की प्रगति रिपोर्ट संबंधित रेंज अधिकारी के माध्यम से डीसीएफ को प्रस्तुत करना होता है, और (ङ) वृक्ष कटने से उत्पन्न शाखा-टहनियों को छोड़कर वृक्ष के तने और ठूठ को बेचा/ नीलाम किया जाएगा और बिक्री से आय डीसीएफ कार्यालयों के माध्यम से सरकार को जमा की जाएगी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

(1) काटे गए वृक्षों की लकड़ी को हटाने व निपटान के लिए वन विभाग के नियमों व शर्तों के अनुपालन का सत्यापन करने हेतु सांस्थानिक परमिट धारकों को जारी किए गए 42 अनुमति आदेशों के संबंध में वन विभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच में शामिल वन विभाग की 42 मामलों की फाईलों में वृक्ष अधिकारियों/ रेंज अधिकारियों द्वारा उनकी अनुमति से काटे गए वृक्षों से उत्पन्न सामग्री को हटाने और निपटान की निगरानी को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं थे। लेखापरीक्षा में शामिल 9,178 काटे गए वृक्षों में से 8,832 वृक्षों के संबंध में शवदाहगृहों को भेजी गई लकड़ी की प्रमात्रा की प्राप्ति का कोई अभिलेख नहीं था।

(2) यह देखने के लिए कि काटे गए पेड़ों से प्राप्त शाखा तथा टहनियों की प्राप्ति तथा निपटान का ठीक से हिसाब रखा गया, 13 प्रयोक्ता एजेंसियों के रिकार्ड की जाँच की गई। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अतिरिक्त किसी भी प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वृक्षों के काटने से प्राप्त हुई लकड़ी/लकड़ी की मात्रा तथा उसकी बोली और/अथवा शवदाहगृह को पूर्ति के द्वारा निपटान से संबंधित स्टॉक रजिस्टर अथवा अन्य कोई भी रिकार्ड नहीं रखा गया था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(क) एनएचएआई और डीएमआरसी की फाईलों में क्रमशः 3,261 वृक्षों और 1,162 वृक्षों को काटने से प्राप्त लकड़ी और उनके उपयोग के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) दो मामलों में डीडीए ने उत्तरी एमसीडी के अधीन श्री हनुमान सेवा संघ को 10.25 क्विंटल (एस डी-2) लकड़ी मई 2015 में और 19.10 क्विंटल लकड़ी (एम पी आर मंडल) दक्षिणी एमसीडी के अधीन पंजाबी बाग शवदाहगृह को भेजी, जबकि इन दोनों एमसीडी से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि इन दो शवदाहगृहों को इस अवधि के दौरान किसी सरकारी एजेंसी से निःशुल्क लकड़ी प्राप्त नहीं हुई। अन्य मामलों के संबंध में डीडीए के पास कोई सूचना नहीं थी। लकड़ी हटाने या निपटान के पूर्व वृक्ष अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की गई।

(ग) एनबीसीसी ने वृक्ष काटने का कार्य ठेकेदारों को सौंपा जिन्होंने लकड़ी की प्राप्ति नीलामी और शवदाहगृहों को प्रेषित लकड़ी के लेखा-जोखा के संबंध में अपने कार्य को एनबीसीसी और/या वन विभाग की पर्याप्त निगरानी में निष्पादित नहीं किया। ठेकेदार द्वारा साईट पर किए गए तोल के विपरीत निगमबोध घाट पर जारी किए गए गेट पास के निरीक्षण से पता चला कि 281 वृक्षों के कटने के विपरीत शवदाहगृह में 5,155 कि.ग्रा. कम लकड़ी की आपूर्ति हुई। इसके अतिरिक्त यह लकड़ी शवदाहगृह को निःशुल्क प्रदान नहीं की गई क्योंकि निगम बोध घाट शवदाहगृह ने बताया कि उन्हें 2014-17 के दौरान किसी सरकारी एजेंसी से निःशुल्क लकड़ी प्राप्त नहीं हुई।

(घ) डीएसआईआईडीसी को 2014-17 के दौरान 457 वृक्ष काटने की अनुमति प्रदान की गई, जिसने अनुमति आदेश का उल्लंघन करते हुए न लाभ न हानि के आधार पर 13 वृक्ष काटने के लिए एक ठेकेदार नियुक्त किया। बाकी 444 वृक्षों के कटने के फलस्वरूप 250 क्विंटल लकड़ी की नीलामी की गई और 147.30 क्विंटल शवदाहगृह को भेजी गई। हालाँकि शवदाहगृह से

प्राप्ति की रसीद न होने के कारण लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं हो सका कि लकड़ी वास्तव में शवदाहगृह में भेज दी गई तथा क्या वह निःशुल्क दी गई।

(ड) सीपीडब्ल्यूडी को 337 वृक्षों के कटने से 2,045 क्विंटल लकड़ी प्राप्त हुई जिसे बेचा गया। शवदाहगृहों को कोई लकड़ी प्रदान नहीं की गई, जो वन विभाग के अनुमति आदेश का उल्लंघन था। एक मामले में अनुमति की शर्तों में यह निर्धारित किया गया कि वृक्षों के ठूठों (भूमितल से 1.2 मीटर) को आईटीओ नर्सरी/ असोला भट्टी अभयारण्य, नई दिल्ली को सौंपा जाएगा, जो नहीं हुआ।

(च) जुलाई 2014 में दिल्ली पुलिस ने एक शवदाहगृह को 49.40 क्विंटल लकड़ी भेजी। हालाँकि लकड़ी की प्राप्ति का शवदाहगृह के अभिलेखों से मिलान करने पर यह पाया गया कि लकड़ी निःशुल्क नहीं दी गई, बल्कि शवदाहगृह द्वारा इसे क्रय किया हुआ दर्शाया गया। आठ वृक्षों के कटने पर दिल्ली पुलिस ने बताया कि वन विभाग द्वारा तैनात किए वेंडर ने कटने के बाद लकड़ी रख ली, जबकि वन विभाग ने बताया कि उन्होंने कोई वेंडर नहीं लगाया था।

(छ) 2014-15 से 2016-17 के दौरान 3,978 वृक्षों को काटने हेतु पीडब्ल्यूडी को प्राप्त 70 अनुमतियों में से 2,220 वृक्षों के लिए 14 अनुमतियों की नमूना जाँच की गई। पीडब्ल्यूडी के पास 780 वृक्षों को काटने से प्राप्त लकड़ी के निपटान के अभिलेख नहीं थे और उन्होंने शवदाहगृहों को लकड़ी निःशुल्क प्रदान नहीं की। पीडब्ल्यूडी को प्रदान की गई 207 वृक्ष काटने की दो अनुमतियों में, वृक्षों के ठूठों (भूमितल से 1.2 मीटर) को पीडब्ल्यूडी द्वारा अपनी लागत पर असोला भट्टी अभयारण्य तक पहुँचाना/ सौंपा जाना था। हालाँकि असोला भट्टी अभयारण्य तक ठूठों के ढोए जाने/ सुपुर्दगी का प्रमाण और प्राप्ति रसीद फाईल में उपलब्ध नहीं थे।

(ज) एमसीडी को 409 वृक्ष काटने हेतु दी गई पाँच अनुमतियों की नमूना जाँच की गई। एमसीडी द्वारा सौंपे गए कार्यादेश के अनुसार काट-छाँट/ कटाई से उत्पन्न शाखाएँ-टहनियाँ ठेकेदार अपने खर्च पर एमसीडी द्वारा प्रबंधित निकटतम सार्वजनिक शवदाहगृह को भेजेगा तथा शवदाहगृह से प्राप्ति रसीद की प्रतियाँ एमसीडी को प्रस्तुत की जाएँगी, जो फाईलों में नहीं पाई गई। इसके अतिरिक्त शवदाहगृहों ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि 2014-15 से 2016-17 की अवधि में सत नगर, सुभाष नगर और पंचकुंड्रया रोड के शवदाहगृह को छोड़ कर, जहाँ कुल 794.45 क्विंटल लकड़ी निःशुल्क प्राप्त

हुई, एमसीडी के किसी भी अन्य शवदाहगृह में निःशुल्क लकड़ी प्राप्त नहीं हुई।

वन विभाग ने उत्तर दिया कि स्टाफ की कमी के कारण कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और निर्धारित शर्तों का पालन करना सांस्थानिक परमिटधारक का उत्तरदायित्व है। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है और इस पर निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए:

(i) वन विभाग को अपने अनुमति आदेशों के नियमों व शर्तों के पालन की निगरानी करनी चाहिए थी, जो सभी चयनित मामलों में नहीं हुआ। इसे यह नहीं मान लेना चाहिए कि अनुमति प्राप्त एजेंसियों द्वारा अनुमति के नियमों और शर्तों का पालन किया जाएगा। जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, सांस्थानिक परमिटधारकों ने वृक्ष काटने की अनुमति के नियमों व शर्तों का पालन नहीं किया।

(ii) लेखापरीक्षा में एमसीडी के सार्वजनिक शवदाहगृहों को शाखा-टहनियों की निःशुल्क आपूर्ति को पुर्नपरीक्षण किया और सभी तीन एमसीडी ने यह उत्तर दिया कि एमसीडी के 18 सार्वजनिक शवदाहगृहों में से, 15 शवदाहगृहों में 2014-17 के दौरान किसी सरकारी एजेंसी से कोई लकड़ी निःशुल्क प्राप्त नहीं हुई और उनकी आवश्यकता की पूर्ति क्रय द्वारा की गई (उत्तरी एमसीडी - ₹ 16.15 करोड़, दक्षिणी एमसीडी - ₹ 6.05 करोड़ और पूर्वी एमसीडी - ₹ 0.93 करोड़)। तीन सार्वजनिक शवदाहगृहों- सत नगर, सुभाष नगर और पंचकुड़िया रोड को 2014-17 के दौरान कुल 794.45 क्विंटल लकड़ी निःशुल्क प्राप्त हुई। इसका अर्थ यह है कि वन विभाग द्वारा अनुमत वृक्षों की काट-छाँट/कटाई से उत्पन्न शाखाओं-टहनियों को सार्वजनिक शवदाहगृहों को नहीं सौंपा गया और/या सशुल्क सौंपा गया। परमिटधारकों और वन विभाग द्वारा पर्याप्त अभिलेखों के रखरखाव के अभाव में वृक्षों की कटाई से उत्पन्न लकड़ी की मात्रा की नीलामी और/ या निःशुल्क सार्वजनिक शवदाहगृहों को सौंपे जाने में कम आकलन और दुर्विनियोजन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

3.4.6 वृक्षों की अवैध कटाई के कारण ₹ 4.60 लाख के हर्जाने की वसूली न होना

दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अनुसार कोई भी वृक्ष, वृक्ष अधिकारी (डीसीएफ) से अनुमति प्राप्त किए बिना काटा या छाँटा नहीं जाना चाहिए। इस अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का पालन ना करने के फलस्वरूप लकड़ी और अन्य उत्पादों के मूल्य की जब्ती के अलावा ₹ 10,000

प्रति वृक्ष का अधिकतम दंड लगाया जाएगा। 2014-15 से 2016-17 की अवधि हेतु अनुरक्षित अपराध पंजिका में देखा जा सकता है कि कुल 285 उल्लंघनों के मामले दर्ज हुए और सात मामलों में लगाया गया ₹ 4.60 लाख का हर्जाना अगस्त 2017 तक वसूल नहीं हुआ था। वन विभाग ने उत्तर दिया कि हर्जाने की वसूली के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि 2014-16 से संबंधित होने के बावजूद डीसीएफ द्वारा अब तक वसूली की कार्रवाई नहीं की गई है।

3.4.7 निष्कर्ष

जीएनसीटीडी के पास अपनी दिल्ली वन नीति और वन क्षेत्र में वृद्धि के लिए रणनीति निर्धारित करने हेतु कोई रोड मैप या भावी योजना नहीं थी। 2007-08 के बाद दिल्ली हरितकरण कार्य योजना तैयार नहीं की गई। दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत गठित वृक्ष प्राधिकरण ने 2014-17 के दौरान एक ही बैठक की, जबकि अधिदिष्ट बैठकें 12 हैं। वृक्षों के काटे जाने, फिर प्रतिपूरक वृक्षारोपण, पौधों के जीवित रहने और सुरक्षा जमा के उपयोग की निगरानी हेतु निर्धारित अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया।

वन विभाग और अन्य हरितकरण एजेंसियों ने 2014-17 के दौरान 36.57 लाख वृक्ष लगाने के लक्ष्य के विपरीत 23 प्रतिशत (8.45 लाख वृक्षों) की कमी कर 28.12 लाख वृक्ष लगाए। हालाँकि 2014-17 के दौरान 28.12 लाख वृक्ष लगाने के फलस्वरूप वन एवं वृक्षाच्छादित क्षेत्र में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई तथा इससे जीएनसीटीडी के वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रभावशीलता एवं निष्पादन पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। एनसीटी दिल्ली में 2009-2017 के दौरान वन एवं वृक्षाच्छादित क्षेत्र 2009 में 299.58 वर्ग किमी (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.20 प्रतिशत) से 2017 में 305.41 वर्ग किमी (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.59 प्रतिशत) तक की नाममात्र की ही वृद्धि हो पाई। इस गति से विभाग निकट भविष्य में अपने 25 प्रतिशत या 33 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करता हुआ दिखाई नहीं देता।

प्रतिपूरक वृक्षारोपण के दायित्व की पूर्ति करने में एवं पर्याप्त निगरानी करने में वन विभाग और सांस्थानिक परमिटधारक असफल रहे। परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए वृक्षों के कंटाई-छँटाई से उत्पन्न शाखा-टहनियाँ सार्वजनिक शवदाहगृहों को निःशुल्क प्रदान नहीं की गई।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.5 रक्त कोषों की कार्यप्रणाली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों में प्रसंस्करण में देरी के कारण 68 रक्त कोषों में से बत्तीस बिना वैध लाइसेंस के कार्य कर रहे थे। रक्त कोषों के प्रबंधन में बहुत सारी कमियां थी। 32 रक्त कोषों द्वारा रक्त/रक्त अवयव से संबंधित प्रामाणिक जानकारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल पर अद्यतित नहीं किया जा रहा था जिसके कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आम जनता रक्त कोषों में रक्त एवं रक्त अवयव की उपलब्धता से संबंधित जानकारी प्राप्त करने से वंचित रही। स्वैच्छिक रक्त संग्रहण 2014-15 के दौरान 54.55 प्रतिशत से घटकर 2016-17 के दौरान 45.20 प्रतिशत हो गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा दिल्ली नगर निगम का कोई भी रक्त कोष एनएटी जांच नहीं कर रहा था जो कि रक्त की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा था। रक्त कोषों की कार्यप्रणाली पर निरीक्षण एवं निगरानी अपर्याप्त थी।

3.5.1 प्रस्तावना

भारत सरकार (भा.स.) ने सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण रक्त एवं रक्त अवयव की पर्याप्त आपूर्ति तथा आसानी से पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2002 में राष्ट्रीय रक्त नीति (एनबीपी) को अंगीकृत किया। राष्ट्रीय रक्त आधान संस्थान (एनबीटीसी) रक्त कोषों के प्रचालन से संबंधित सभी मामलों के संबंध में नीति निर्धारक सर्वोच्च निकाय है। राज्य रक्त आधान संस्थान (एसबीटीसी) एनबीटीसी के सिफारिशों के अनुसार राज्य स्तर पर रक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। एसबीटीसी सरकार, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा चालित रक्त कोषों के नेटवर्क के माध्यम से रक्त आधान सेवा आयोजित करता है।

मार्च 2017 तक, दिल्ली में रक्त की उपलब्धता 68 रक्त कोषों के नेटवर्क के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है जिनमें से 11 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी), नौ भा.स., तीन दिल्ली नगर निगमों (एमसीडी), छः स्वैच्छिक संगठनों, निजी अस्पतालों द्वारा चालित 35 रक्त कोषों सहित 39 निजी रक्त कोषों द्वारा प्रबंधित हैं। इन 68 रक्त कोषों में से, 20 रक्त कोष¹⁴ रक्त दान शिविरों के आयोजन हेतु अतिरिक्त श्रमशक्ति

¹⁴ भा.स. के अंतर्गत छः, जीएनसीटीडी के अंतर्गत नौ, एमसीडी के अंतर्गत तीन तथा स्वैच्छिक संगठनों के अंतर्गत दो

और वित्तीय सहायता के रूप में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, (एनएसीओ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भा.स. से सहायता प्राप्त करते हैं। वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि को कवर करते हुए रक्त कोषों के कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा अप्रैल से जून 2017 तक संचालित की गयी थी। मुख्य लेखापरीक्षा उद्देश्यों में निम्नलिखित की पर्याप्तता और प्रभाव का आकलन करना था:

- (i) रक्त कोषों की लाइसेंसिंग, नवीकरण, निरीक्षण और निगरानी की प्रणाली;
- (ii) सर्वोत्तम उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण रक्त के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्यकर स्थिति में रक्त की निकासी, परीक्षण और भंडारण की व्यवस्था; तथा
- (iii) रक्त कोष सेवाएं प्रदान करने के लिए श्रमशक्ति और अवसंरचना।

लेखापरीक्षा ने ड्रग्स नियंत्रण विभाग (डीसीडी), राज्य रक्त आधान संस्थान, दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (डीएसएसीएस)¹⁵ और 14 रक्त कोषों (जीएनसीटीडी के 11 और डीएमसी. के तीन) के प्रतिस्थापन के बिना साधारण यादृच्छिक नमूने के माध्यम से चयनित पांच¹⁶ रक्त कोषों के अभिलेखों की नमूना जांच की।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.5.2 लाइसेंस को जारी/नवीकरण न करना

रक्त कोषों को “ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940” और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत विनियमित किया जाता है तथा कार्यप्रणाली के लिए राज्य और केन्द्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरणों से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। निर्धारित अवसंरचना और श्रमशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद लाइसेंस जारी किया गया है तथा लाइसेंसधारकों द्वारा आवेदन करने पर नये निरीक्षण के आधार पर पांच वर्षों के पश्चात् नवीकरण की आवश्यकता होती है।

68 रक्त कोषों को लाइसेंस जारी/नवीकरण करने से संबंधित ड्रग्स नियंत्रण विभाग (डीसीडी) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा दर्शाती है कि मार्च 2017 तक, 68 रक्त कोषों में से 32 (10 सरकारी रक्त कोष, 16 निजी अस्पतालों, तीन

¹⁵ डीएसएसीएस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें रक्त सुरक्षा कार्यक्रम शामिल हैं, जो स्वैच्छिक रक्तदान और रक्त के तर्कसंगत उपयोग के माध्यम से राज्य में सुरक्षित रक्त की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

¹⁶ गुरु तेग बहादुर अस्पताल (जीटीबीएच), लोक नायक अस्पताल (एलएनएच), संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल (एसजीएमएच), दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल (डीडीयूएच) एवं स्वामी दयानंद अस्पताल (एसडीएनएच)

निजी और तीन स्वैच्छिक संगठन) बिना अपने लाइसेंस नवीकरण के कार्य कर रहे थे। इनमें से, दो¹⁷ रक्त कोष चार वर्ष से अधिक, तीन¹⁸ छः महीने से एक वर्ष के बीच तथा शेष 27 रक्त कोष 25 दिन से छः महीने की अवधि से बिना लाइसेंस नवीकरण के कार्य कर रहे थे। आगे यह देखा गया था कि दो¹⁹ रक्त कोषों के लाइसेंस की समाप्ति के छः वर्ष के बाद तथा एक²⁰ रक्त कोष में दस वर्षों के बाद नवीकरण किए गए थे।

लाइसेंसों के गैर-नवीकरण/नवीकरण में विलंब का कारण रक्त कोषों द्वारा कमियों का गैर-अनुपालन, निरीक्षण/पुनः निरीक्षण में विलंब तथा संतोषजनक निरीक्षणों के पश्चात नवीकरण जारी करने में विलंब थे। वैध लाइसेंसों की अनुपलब्धता में, लेखापरीक्षा यह आश्वासन नहीं पा सका कि इन रक्त कोषों के पास उनके कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक श्रमशक्ति और अवसंरचना थी। डीसीडी ने बताया (जून 2017) कि सभी रक्त कोषों ने निर्धारित अवधि के भीतर लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन किया तथा रक्त कोषों को उनके आवेदन पर आदेशों को सूचित करने तक कार्य जारी रखने की अनुमति है जैसाकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 के नियम 122-एफ के अंतर्गत प्रदत्त है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लाइसेंसिंग का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण रक्त की आपूर्ति हेतु पर्याप्त अवसंरचना और श्रमशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना है तथा रक्त कोषों द्वारा निरीक्षण और कमियों के अनुपालन करने में विलंब, गुणवत्तापूर्ण रक्त से समझौता कर सकता है। नियम 122-एफ के प्रावधान केवल रक्त की आपूर्ति को जारी रखने की सुविधा के लिए है तथा डीसीडी को रक्त कोषों से आवेदन प्राप्त होने के बाद निरीक्षण पूरा करने तथा लाइसेंस का नवीकरण हेतु समयसीमा स्थापित करनी चाहिए।

3.5.3 मेट्रो रक्त कोष की गैर-स्थापना

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) ने एनसीटी दिल्ली सहित चार मेट्रो शहरों में रक्तस्त्राव चिकित्सा²¹ में चार मेट्रो रक्त कोषों-उत्कृष्टता केन्द्र (एमबीबी-सीओई) स्थापित करने की परिकल्पना की (दिसम्बर 2010) थी। एमबीबी-सीओई की स्थापना का उद्देश्य अत्याधुनिक उपकरण और कुशल

¹⁷ 1. सेंट्रल पॉलीक्लिनिक 2. सुश्रुत ट्रामा सेंटर; इन दोनों रक्त कोषों के लाइसेंस की वैधता क्रमशः 05.11.2011 तथा 31.12.2012 थी

¹⁸ 1. भगत चंद्र अस्पताल, 2. लायंस रक्त कोष, शालीमार बाग तथा 3. फोर्टिस अस्पताल, शालीमार बाग

¹⁹ हिंदू राव अस्पताल तथा रक्त कोष संगठन

²⁰ स्वामी दयानंद अस्पताल

²¹ रक्तस्त्राव चिकित्सा, चिकित्सा की वह शाखा है जो रक्त एवं रक्त अवयवों के संक्रमण से संबंधित है। इसमें रक्तदान, इम्यून-हेमटोलॉजी और अन्य प्रयोगशाला परीक्षण, रक्तस्त्राव अभ्यास, चिकित्सीय अपैरेसीस, स्टेम सेल संग्रह, सेलुलर थेरेपी एवं जमावट के मामले शामिल हैं

श्रमशक्ति के माध्यम से स्वैच्छिक दान और दान किए गए रक्त के स्वचालित जांच के माध्यम से सदा रक्त की मांग को पूरा करने के साथ-साथ 100 प्रतिशत संग्रहण को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र के लिये अत्याधुनिक रक्ताधान केंद्र का निर्माण, आपदाओं के दौरान राज्य व क्षेत्र को रक्ताधान सेवाओं हेतु तैयार करना शामिल है। रक्तस्त्राव चिकित्सा में शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु एमबीबी-सीओई को मेडिकल कॉलेज से जोड़ा गया था। परियोजना को भवन, श्रमशक्ति, उपकरण, उपभोग्य वस्तुएं और पांच वर्षों के लिए वार्षिक आवर्ती अनुदान हेतु लागत के प्रावधान के माध्यम से भा.स. द्वारा समर्थित किया गया था। यह अनुमान लगाया गया था कि सुविधा का निर्माण लगभग दो वर्षों में पूरा हो जाएगा और बाद में, केन्द्र सरकार पांच वर्षों की अवधि के लिए सुविधाएं संचालित करेगी।

मई 2013 में, एनएसीओ ने दिल्ली स्वास्थ्य सचिव को एमबीबी-सीओई पर एक अवधारणा नोट अग्रेषित किया। मंत्रिमंडल, जीएनसीटीडी ने जुलाई 2016 में द्वारका अस्पताल में मेट्रो रक्त कोष की स्थापना की स्वीकृति दी। लेकिन अप्रैल 2017 तक एनएसीओ के साथ एमओयू हस्ताक्षर के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी तब एनएसीओ ने परियोजना को अगले चरण तक स्थगित करने के लिए निर्णय लिया और परियोजना को कोलकाता स्थानांतरित कर दिया (10 अप्रैल 2017) क्योंकि जीएनसीटीडी ने स्थान के चयन, मंत्रिमंडल अनुमोदन तथा उप राज्यपाल के अनुमोदन हेतु चार वर्ष ले लिये। इस प्रकार, जीएनसीटीडी द्वारा निर्णय लेने में विलंब के परिणामस्वरूप परियोजना को स्थानांतरित कर दिया गया जिससे एमबीबी-सीओई के लाभों से एनसीटी दिल्ली के लोग वंचित रह गए। इसके अतिरिक्त जीएनसीटीडी पांच वर्षों की अवधि के लिए संचालन और रखरखाव के साथ एमबीबी-सीओई की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने में असफल रहे।

3.5.4 मानव संसाधन प्रबंधन

3.5.4.1 राज्य रक्त आधान संस्थान में कर्मचारियों की कमी

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण बोर्ड ने 34 राज्य रक्त आधान संस्थान (एसबीटीएस) में प्रत्येक के लिए एक निदेशक, दो उप सहायक निदेशक और एक अनुभाग अधिकारी/अधीक्षक समेत 12 पदों की स्वीकृति (मई 2009) दी तथा ये सभी पद संबंधित राज्य सरकार द्वारा सृजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, एसबीटीसी एक कार्यालय सहायक और एक कनिष्ठ सहायक संविदात्मक आधार पर भर्ती करने के लिए प्राधिकृत थे, जब तक राज्य सरकार द्वारा नियमित पद नहीं भरा जाता। लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2017 तक,

एसबीटीसी, दिल्ली का स्थानापन्न आधार पर जीटीबी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा देखभाल किया जा रहा था और केवल एक कार्यालय सहायक और एक कनिष्ठ सहायक एसबीटीसी में संविदात्मक आधार पर मई 2012 से दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (डीएसएसीएस) द्वारा तैनात किए गए थे।

एसबीटीसी ने अतिरिक्त श्रमशक्ति प्रदान करने के लिए डीएसएसीएस को एक प्रस्ताव पेश किया था (मार्च 2015) जिसे यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि डीएसएसीएस के रक्त सुरक्षा डिवीजन के साथ एसबीटीसी के विलय के द्वारा दिल्ली राज्य रक्त सेवाओं की स्थापना के प्रस्ताव को पहले से ही योजना विभाग, जीएनसीटीडी को अनुमोदन हेतु भेज दिया गया था। जून 2017 तक मामला प्रक्रियाधीन था।

3.5.4.2 रक्त कोषों में कर्मचारियों की कमी

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों से प्रदत्त है कि रक्त कोषों का संचालन सक्रिय दिशा-निर्देश के अंतर्गत किया जाएगा तथा कम से कम एक पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी, रक्त कोष तकनीशियन और पंजीकृत नर्सों के साथ सक्षम तकनीकी कर्मचारियों की व्यक्तिगत निगरानी होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित जीएनसीटीडी/डीएमसी द्वारा चालित रक्त कोष पर्याप्त कार्मिकों के बिना कार्य कर रहे थे जो निम्नलिखित हैं:

- (i) वर्ष 2014-17 के दौरान स्वामी दयानंद अस्पताल (एसडीएनएच) और लोक नायक अस्पताल (एलएनएच) में पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी नहीं थे। नियमित आधार पर एसडीएनएच के रक्त कोष में तैनात चिकित्सा अधिकारी पैथोलॉजी और कीटाणु-विज्ञान के प्रशासनिक कार्य भी देख रहा था।
- (ii) मार्च 2017 तक स्वीकृत पदों के प्रति दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल (डीडीयूएच) में छः और एसडीएनएच में एक तकनीशियन की कमी थी।
- (iii) वर्ष 2014-17 के दौरान एसडीएनएच और जीटीबीएच के रक्त कोषों में नर्स कर्मचारी के स्वीकृत पद नहीं थे। हालांकि एसडीएनएच में एक और गुरु तेग बहादुर अस्पताल के रक्त कोषों में नौ नर्स कर्मचारी तैनात थीं। इसके अतिरिक्त, एलएनएच में नर्स कर्मचारी और तकनीशियन के स्वीकृत पदों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं थी।

3.5.5 रक्त संग्रहण और प्रसंस्करण में कमी

राष्ट्रीय रक्त नीति (एनबीपी) रक्त और रक्त उत्पादों के उपयुक्त चिकित्सीय उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए रक्त की सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा, रक्त अवयवों और रक्त उत्पादों को प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दोहराती है। लेखापरीक्षा ने रक्त के संग्रहण और प्रसंस्करण से संबंधित ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 और एनबीपी में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की जांच की और विचलन के कई मामलों को पाया जो आगे के पैराग्राफों में उल्लेखित हैं।

3.5.5.1 स्वैच्छिक रक्त संग्रहण

एनबीपी का लक्ष्य 1.2.1 प्रदान करता है कि 100 प्रतिशत स्वैच्छिक अवैतनिक रक्त संग्रहण कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम में प्रतिस्थापन दाताओं²² की प्रथा को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। इसके अतिरिक्त एनएसीओ ने वर्ष 2014-17 के लिए स्वैच्छिक रक्त संग्रहण (वीबीसी) के लिए 90 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया लेकिन जीएनसीटीडी के 68 रक्त कोषों द्वारा संग्रहित वीबीसी की प्रतिशतता वर्ष 2014-15, 2015-16, और 2016-17 के दौरान क्रमशः 54.55, 46.60 और 45.20 प्रतिशत थी। तालिका 3.5.1 में चयनित पांच रक्त कोषों द्वारा संग्रहित वीबीसी का विवरण दिया गया है।

तालिका 3.5.1: वर्षवार रक्त संग्रहण

(इकाईयों की संख्या में)

रक्त कोषों के नाम	2014-15 के दौरान संग्रहित रक्त			2015-16 के दौरान संग्रहित रक्त			2016-17 के दौरान संग्रहित रक्त		
	वीबीसी	टीबीसी	वीबीसी (प्रतिशत)	वीबीसी	टीबीसी	वीबीसी (प्रतिशत)	वीबीसी	टीबीसी	वीबीसी (प्रतिशत)
एलएनएच	1,872	18,945	9.74	1,326	19,541	6.79	348	17,939	1.94
एसजीएमएच	675	4,166	16.20	452	4,268	10.59	643	3,840	16.75
एसडीएनएच	1,372	2,046	67.06	1,418	2,255	62.88	1,632	2,666	61.22
डीडीयूएच	11,626	19,582	59.37	10,347	20,044	51.62	9,887	18,079	54.69
जीटीबीएच	24,454	30,928	79.07	23,334	30,560	76.35	17,117	28,605	59.84
कुल	39,999	75,667	52.86	36,877	76,668	48.10	29,627	71,129	41.65

वीबीसी - स्वैच्छिक रक्त संग्रहण, टीबीसी - कुल रक्त संग्रहण, एलएनएच - लोक नायक अस्पताल, एसजीएमएच - संजय गाँधी मेमोरियल अस्पताल, एसडीएनएच-स्वामी दयानंद अस्पताल, डीडीयूएच - दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, जीटीबीएच - गुरु तेग बहादुर अस्पताल

यह देखा जा सकता है कि पांच चयनित रक्त कोषों में से किसी ने वीबीसी के 90 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया था। एलएनएच और एसजीएमएच के रक्त कोष में वीबीसी का संग्रहण महत्वहीन था और वे मुख्य रूप से प्रतिस्थापन रक्त संग्रहण पर निर्भर थे।

²² "प्रतिस्थापन दाता" का अर्थ होता है एक दाता जो प्राप्तकर्ता-रोगी के परिवार का दोस्त या रिश्तेदार होता है।

डीडीयूएच ने कहा (जून 2017) कि वीबीसी में कमी का कारण लोगों में शिक्षा, जागरूकता की कमी और धार्मिक/स्वास्थ्य मामले थे। जीटीबीएच ने कहा (जून 2017) कि वीबीसी में कमी का कारण श्रमशक्ति, उपकरण, सलाहकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी थी। एलएनएच ने कहा (जून 2017) कि रक्त कोष वाहन डेढ़ साल पहले खराब हो गयी थी और कोई भी वाहन उपलब्ध न होने के कारण रक्तदान शिविर आयोजित नहीं किया जा सका। दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने कहा (नवम्बर 2017) कि कुल स्वैच्छिक रक्त संग्रहण राष्ट्रीय रक्त नीति के लक्ष्यों में से एक है लेकिन यह जागरूकता, प्रासंगिक/सामयिक आवश्यकता, स्रोतों की उपलब्धता के साथ-साथ अन्य राज्यों से अपने इलाज हेतु दिल्ली आने वाले मरीजों की संख्या जैसे विभिन्न कारकों से बाधित हो रहे हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उठाए गए मामलों का समाधान अस्पताल प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसे संबोधित किया जाना चाहिए था। इसके बजाय प्रतिस्थापन रक्त संग्रहण पर निर्भरता बढ़ी क्योंकि वीबीसी संग्रहण 2014-15 में 52.86 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 48.10 प्रतिशत और 2016-17 में 41.65 प्रतिशत हुई।

3.5.5.2 रक्त की जांच

रक्त कोष विभिन्न विधियों के उपयोग द्वारा सिफिलिस, मलेरिया, एचआईवी (I और II), हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हेतु रक्त जांच कर रहे हैं। इनमें से, एचआईवी और हेपेटाइटिस बी और सी जांच न्यूक्लिक एसिड एम्प्लिफिकेशन टेस्ट (एनएटी), एलिसा-IV और एलिसा-III आदि के माध्यम से की जा रही है। इन सभी परीक्षणों में संक्रमण का पता लगाने के लिए संवेदनशीलता भिन्न होती है, कुछ दाता के संक्रमित होने के अल्प अवधि के भीतर ही संक्रमण का पता लग सकता है (विंडो अवधि)। न्यूनतम विंडो अवधि के साथ एनएटी सबसे अच्छी विधि है। एलिसा-IV एलिसा-III से अच्छा है क्योंकि यह प्रभावी रूप से 14 दिनों की औसत से विंडो अवधि को कम करता है तथा एक बार में बड़ी संख्या पर निष्पादित किया जा सकता है।

(i) **एनएटी जांच:** एनएटी उत्तम विधि है क्योंकि यह प्रारंभिक अवस्था में ही सेरो रिएक्टिव रक्त दाताओं की पहचान और रक्तस्त्राव प्रेषित संक्रमण के जोखिम कम करने में सक्षम है। नवम्बर 2009 में, जीएनसीटीडी ने शुरुआत में चार प्रमुख रक्त कोषों²³ में सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से जीएनसीटीडी के रक्त कोषों में रक्त की एनएटी जांच करने का निर्णय किया

²³ गुरु तेग बहादुर अस्पताल, लोक नायक अस्पताल, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल तथा यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस)

और अन्य छोटे रक्त कोषों को इन चार रक्त कोषों से संलग्न कर दिया। हालांकि, इसका पर्याप्त रूप से पालन नहीं किया गया था तथा जीएनसीटीडी एवं डीएमसी के किसी भी रक्त कोष में मार्च 2017 तक एनएटी जांच की सुविधा नहीं है जबकि भा.स. के अधीन नौ रक्त कोषों में से पांच और 39 निजी रक्त कोषों में से 17 रक्त जांच हेतु एनएटी का उपयोग कर रहे थे।

(ii) **एलिसा-IV किट्स:** जीएनसीटीडी ने दिशानिर्देश जारी किया कि 15 मई 2011 से एनसीटी दिल्ली के भीतर स्थित सभी रक्त कोषों को एचआईवी (I और II), हेपेटाइटिस बी और सी हेतु रक्त की जांच का लिए या तो चौथी पीढ़ी एलिसा किट्स या एनएटी जांच का उपयोग करवाना आवश्यक थे। लेखापरीक्षा हेतु चयनित सभी पांच रक्त कोषों में यह मई 2011- जून 2015 के दौरान उत्तरोत्तर क्रियान्वित किए गए, हालांकि, स्वामी दयानंद अस्पताल का रक्त कोष मार्च 2017 तक हेपेटाइटिस सी हेतु रक्त जांच के लिए एलिसा-III जेनेरेशन टेस्ट किट्स का ही उपयोग कर रहा है। जीएनसीटीडी के निर्देशों के अनुपालन में विलंब ने रक्त ग्राहक को संक्रमण के लिए अतिसंवेदनशील बना दिया।

3.5.5.3 रक्त का इनके अवयवों में पृथक्करण

राष्ट्रीय रक्त नीति का लक्ष्य 5.6 दर्शाता है कि रक्त अवयवों की उपलब्धता (बीसीएसयू) रक्त अवयव पृथक्करण इकाईयों की पर्याप्त संख्या में सृजन द्वारा रक्त कोषों के नेटवर्क के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसी सुविधाएं संपूर्ण रक्त को इनके संघटक अवयवों जैसे पैकड लाल रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट्स कणिका और प्लाज्मा में पृथक्करण हेतु आवश्यक है, उन मामलों में उपयोग के लिए जहाँ इन अवयवों में से केवल एक आवश्यक है। दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के अभिलेखों की संवीक्षा दर्शाता है कि दिल्ली में 60 रक्त कोषों (17 एनएसीओ समर्थित और 43 अन्य) के पास रक्त अवयव पृथक्करण इकाईयां (बीसीएसयू) थे। एनसीटी दिल्ली के तीन अस्पताल और दो डीएमसी अस्पतालों के पास बीसीएस इकाई नहीं है। बीसीएसयू के संचालनों का नीचे विश्लेषण किया गया है।

(i) **पृथक्करण हेतु लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति:** राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) ने एनएसीओ समर्थित रक्त कोषों के लिए संपूर्ण मानव रक्त के अवयवों में पृथक्करण हेतु 80 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-17 के दौरान इन रक्त कोषों द्वारा अवयवों में पृथक्करण रक्त की प्रतिशतता 64.12 प्रतिशत से 75.81 प्रतिशत के बीच थी। संपूर्ण मानव रक्त के अवयव पृथक्करण में जीएनसीटी दिल्ली के चार चयनित रक्त

कोषों (स्वामी दयानंद अस्पताल के पास बीसीएसयू संचालन हेतु अनुमति नहीं है) का प्रदर्शन तालिका 3.5.2 में दिया गया है।

तालिका 3.5.2: रक्त कोषों द्वारा संपूर्ण मानव रक्त का रक्त अवयवों में पृथक्करण

(इकाईयों में)

रक्त कोष का नाम	2014-15			2015-16			2016-17		
	संग्रहित रक्त	पृथक किए गए रक्त	प्रतिशत	संग्रहित रक्त	पृथक किए गए रक्त	प्रतिशत	संग्रहित रक्त	पृथक किए गए रक्त	प्रतिशत
एलएनएच	18,945	9,098	48.10	19,541	10,043	51.40	17939	10,300	57.41
एसजीएमएच	4,166	3,259	78.23	4,268	3,869	90.65	3840	3,510	91.41
डीडीयूएच	19,582	17,226	87.97	20,044	17,607	87.84	18079	16,042	88.73
जीटीबीएच	30,928	13,198	42.67	30,560	17,880	58.51	28605	13,404	46.86

दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल (डीडीयूएच) और संजय गांधी मेंमोरियल अस्पताल (एसजीएमएच) का प्रदर्शन प्रशंसनीय था, जबकि लोक नायक अस्पताल (एलएनएच) और गुरु तेग बहादुर अस्पताल (जीटीबीएच) द्वारा अवयवों में रक्त का पृथक्करण 42.67 और 58.51 प्रतिशत के बीच था जो एनएसीओ द्वारा निर्धारित लक्ष्य के नीचे था। एलएनएच ने कहा (जून 2017) कि अवयव पृथक्करण कार्य हेतु रक्त कोष में प्रशिक्षित, अनुभवी और समर्पित कर्मचारियों की गैर-उपलब्धता के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका जबकि जीटीबीएच ने कहा (जून 2017) कि संपूर्ण मानव रक्त पृथक्करण में भंडारण स्थान की कमी, अल्प मांग तथा प्लाज्मा पृथक्करण के लिए सुविधा नहीं होने के कारण 80 प्रतिशत तक वृद्धि नहीं की जा सकी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उनके उत्तर में उठाए गए मामलों का समाधान अस्पताल प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसे संबोधित किया जाना चाहिए था। इन अस्पतालों के पास इन लक्ष्यों को उत्तरोत्तर प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई योजना नहीं है।

(ii) **बीसीएसयू का अनुमति के बिना संचालन:** ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 के प्रावधानों के अनुसार रक्त अवयवों के पृथक्करण हेतु रक्त कोषों को ड्रग्स नियंत्रण विभाग (डीसीडी) से अनुमति लेना आवश्यक है। यह पाया गया था कि स्वामी दयानंद अस्पताल (एसडीएनएच) के रक्त कोष के पास एक बीसीएसयू था जो डीसीडी से बगैर अनुमति के सितम्बर 2014 से कार्य कर रही थी क्योंकि इनके पास अक्टूबर 2012 में निरीक्षण के समय प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं था। यद्यपि, जनवरी 2014 में इस उद्देश्य हेतु रक्त कोष ने एक तकनीशियन को प्रशिक्षित किया, इसने दिसम्बर 2016 तक अनुमति हेतु आवेदन नहीं किया तथा जून 2017 तक डीसीडी द्वारा स्वीकृति दिया जाना अभी भी बाकी था। एसडीएनएच के रक्त कोष ने कहा (जून 2017) कि रक्त अवयवों के पृथक्करण की विधि जनहित में शुरू की

गयी थी। ड्रग्स नियंत्रण विभाग ने कहा (सितम्बर 2017) कि फरवरी 2017 में केन्द्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने एसडीएनएच के रक्त कोष का निरीक्षण किया तथा कमियों को उजागर किया जिसका रक्त कोष द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया था।

एसडीएनएच का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीसीडी प्रक्रियाओं, उपकरण और श्रमशक्ति के लिए निर्धारित मानक सुनिश्चित करने के बाद बीसीएसयू संचालित करने का अनुमोदन प्रदान करता है। डीसीडी के अनुमोदन के बिना बीसीएसयू का संचालन अनियमित है और साथ ही रक्त अवयवों के पृथक्करण से प्राप्त परिणामों हेतु वैध मामले हो सकते हैं।

3.5.5.4 रक्त और इनके अवयवों को नष्ट करना

वर्ष 2014-17 के दौरान, चयनित पांच रक्त कोषों ने 4,47,279²⁴ इकाईयां रक्त और उनके अवयव तैयार किए जिनमें से 66,368²⁵ इकाईयां (14.84 प्रतिशत) को नष्ट कर दिया गया था। ये रक्त की वैधता की समाप्ति (19,882 इकाईयां), सेरो रिएक्टिव मामले (8,572 इकाईयां) भंडारण सुविधा की कमी (16,812 इकाईयां), रिसाव (9,409 इकाईयां) और अन्य कारणों जैसे थक्के जमना, हिमोलाइज्ड, लिपेमिक/अलगाव, कीटाणु-विज्ञान, आरटीएस आदि (11,693 इकाईयां) के आधार पर नष्ट कर दिए गए थे। रक्त और इनके अवयवों को नष्ट करने में संग्रहण, जांच और रक्त पृथक्करण पर परिहार्य व्यय उठाना पड़ता है, क्योंकि सेरो-रिएक्टिव मामलों का मामला छोड़कर इस मामले में सकारात्मक पाये जाने पर रक्त इकाईयां को नष्ट करने के लिए रक्त कोष बाध्य थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन अस्पतालों ने रक्त और रक्त अवयवों को रखने हेतु मात्रात्मक मानदंड नहीं बनाया जिससे मानदंडों के ऊपर अतिरिक्त रक्त और रक्त अवयवों को रक्त के वैधता की समाप्ति और अपर्याप्त भंडारण सुविधा के कारण नष्ट/व्यर्थ को कम करने के लिए अन्य रक्त कोषों को समय से भेजा जा सके।

3.5.5.5 प्लेटलेटफेरेसिस

“प्लेटलेटफेरेसिस” वह विधि है जिसमें रक्त दाता से निकाले गए रक्त से प्लेटलेट्स कणिकाओं को निकालने के बाद वापस चढ़ा दिया जाता है। यह पाया गया था कि स्वामी दयानंद अस्पताल ने फरवरी 2015 में ₹ 27.82 लाख की लागत पर प्लेटलेटफेरेसिस हेतु उपकरण खरीदा तथा इसे मार्च

²⁴ 4,47,279 (संपूर्ण मानव रक्त 78,451 इकाई, पैकड लाल रक्त कोशिकाएं-1,35,142 इकाई, प्लाज्मा - 1,34,585 इकाई तथा प्लेटलेट्स - 99,101 इकाई)

²⁵ 66,368 (संपूर्ण मानव रक्त - 7,169 इकाई, पैकड लाल रक्त कोशिकाएं - 4,874 इकाई प्लाज्मा - 32,750 इकाई तथा प्लेटलेट्स - 21,575 इकाई)

2015 में स्थापित किया। उपकरण सितम्बर 2015 से परिचालित कर दिया गया था एवं मई 2017 तक, ड्रग्स नियंत्रण विभाग को अनुमति हेतु आवेदन के बगैर, जो कि ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 के अधीन आवश्यक था, मार्च 2017 तक प्लेटलेटफेरेसिस 39 रक्त दाताओं के ऊपर निष्पादित किया था। स्वामी दयानंद अस्पताल ने तथ्यों और आंकड़े को स्वीकारते समय कहा (जून 2017) कि रक्त कोष डीसीडी द्वारा रक्त अवयव के पृथक्करण हेतु अनुमति प्राप्त करने के बाद प्लेटलेटफेरेसिस की अनुमति हेतु आवेदन करेगा। डीसीडी अनुमोदन के बिना प्लेटलेटफेरेसिस के लिए उपकरण संचालित करना अनियमित है तथा साथ ही प्लेटलेटफेरेसिस विधि से प्राप्त परिणामों के वैधता संबंधी मामले हो सकते हैं। डीसीडी ने कहा (सितम्बर 2017) कि रक्त कोष को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक जापन जारी किया गया था।

3.5.5.6 अभिलेखों के रखरखाव में अपर्याप्तता

ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 (डीसीआर) रक्त संग्रहण, पृथक्करण आदि से संबंधित रक्त बैंको में विभिन्न अभिलेखों के रखरखाव हेतु प्रावधान है। लेखापरीक्षा ने चयनित रक्त कोषों में अभिलेखों के रखरखाव में निम्नलिखित कमियां पाईं:

(क) डीसीआर ने रक्त और रक्त अवयवों के लिए एक मास्टर अभिलेख निर्धारित किया जो रक्त कोषों द्वारा अनुरक्षित किया जाना चाहिए। मास्टर अभिलेखों में प्रत्येक रक्त दाताओं के नाम और स्वास्थ्य प्रोफाइल होना चाहिए; संग्रहित और पृथक किए गए रक्त की प्रयोज्यता जांच के लिए सेरोलॉजी परीक्षण के परिणामों; और रक्त को जारी और नष्ट किए जाने के विवरणों को कारणों के साथ दर्शाया जाना चाहिए। वर्ष 2014-17 हेतु गुरु तेग बहादुर अस्पताल (जीटीबीएच) के रक्त कोष के अभिलेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि मास्टर अभिलेख पूर्ण रूप से अनुरक्षित नहीं किया गया था तथा महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे प्रत्येक रक्तदाता का नाम और स्वास्थ्य प्रोफाइल; तथा संग्रहित एवं पृथक किए गए रक्त की प्रयोज्यता जांच करने के लिए सेरोलॉजी टेस्ट के परिणाम मास्टर अभिलेख रजिस्टर में अभिलिखित नहीं किए गए थे। जीटीबीएच ने कहा (अक्टूबर 2017) कि मास्टर अभिलेख एक अतिरिक्त रजिस्टर था तथा रक्तदाता के प्रत्येक पहलू को रक्तदाता रजिस्टर फार्म/ रक्तदाता अभिलेख रजिस्टर में अभिलिखित किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स नियमों के अंतर्गत मास्टर रजिस्टर का रखरखाव अनिवार्य था।

(ख) डीसीआर के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रक्त 18-65 साल के उम्र वाले, 45 किग्रा से अधिक वजन तथा 12.5 ग्रा./डेल से अधिक हिमोग्लोबिन वाले केवल स्वस्थ रक्तदाताओं से संग्रहित किया गया है। प्रत्येक रक्त कोष में चिकित्सा अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित रक्तदाता के ब्यौरे जैसे आयु, वजन, हिमोग्लोबिन, रक्तचाप आदि दर्शाते हुए रक्तदाता अभिलेख का रखरखाव आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 17,933 दाताओं के मामले में रक्तदाता अभिलेखों में वजन, हिमोग्लोबिन, रक्तचाप, चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर अभिलिखित नहीं किए गए जिन्होंने दो²⁶ चयनित रक्त कोषों के संदर्भ में वर्ष 2014-17 के दौरान 342 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के माध्यम से रक्तदान किया था। पूर्ण सूचना के आभाव में, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि क्या रक्त योग्य दाताओं से संग्रहित किया गया था।

(ग) स्वामी दयानन्द अस्पताल में, दाता की आयु, वजन, रक्तचाप और प्लेटलेट्स की गुणवत्ता को प्लेटलेटफेरेसिस के दाता रजिस्टर में दर्शाया नहीं गया था।

(घ) चयनित पांच रक्त कोषों में से चार²⁷ में, रक्त अवयव रजिस्टर में रक्त अवयवों को तैयार करने और परिष्करण के समय अभिलिखित नहीं किए गए थे। चूँकि यह महत्वपूर्ण सूचना प्रासंगिक कॉलम में नहीं दर्शायी गयी थी, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ था कि क्या अवयव को रक्त संग्रहण की निर्धारित अवधि 6 घण्टे तथा आवश्यक गुणवत्ता के भीतर पृथक किया जा रहा था जैसा कि डीसीआर के अंतर्गत अनिवार्य था। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ने कहा (जून 2017) कि गुणवत्ता के संदर्भ में कोई समझौता नहीं किया गया था। हालांकि, कर्मचारियों की कमी और एक ही समय पर अत्यधिक कार्यभार के कारण, दस्तावेज के भाग को अनदेखा कर दिया गया था।

ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 रक्त कोषों द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली अभिलेखों की सूची प्रदान करता है तथा इन अभिलेखों का निरीक्षण के दौरान ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण किया जाता है। ये अभिलेख समग्र रूप से रक्त और इनके अवयवों, पारदर्शिता को प्रोत्साहित और साथ ही सेरो रिएक्टिव मामले में अनुसरण से संबंधित आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए है। इस प्रकार ऐसे अभिलेखों का रखरखाव न होने

²⁶ गुरु तेग बहादुर अस्पताल (295 रक्तदान शिविरों में 15,149 रक्तादाता) और लोक नायक अस्पताल (47 रक्तदान शिविरों में 2,784 रक्तदाताओं)

²⁷ दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, लोकनायक अस्पताल, स्वामी दयानन्द अस्पताल और गुरु तेग बहादुर अस्पताल

पर रक्त की गुणवत्ता और इनके अवयवों और रक्त संग्रहण एवं प्रसंस्करण में पारदर्शिता के साथ समझौता करने का जोखिम होगा।

3.5.5.7 सेरो - रिएक्टिव दाताओं की पोस्ट डोनेशन काउंसेलिंग

इलाज के दायरे में संक्रमित किन्तु अनजान (एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी) रक्त दाताओं को लाने के लिए, राष्ट्रीय रक्त नीति ने पूर्व और पोस्ट डोनेशन काउंसेलिंग हेतु प्रत्येक रक्त कोष में एक सलाहकार की नियुक्ति की परिकल्पना की। लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित पांच रक्त कोषों में से दो²⁸ ने वर्ष 2014-17 के दौरान 2,031 सेरो रिएक्टिव मामलों का पता लगाया। चूँकि इन रक्त कोषों में कोई सलाहकार नियुक्त नहीं किया गया था, कोई भी सेरो रिएक्टिव दाता प्रोफेशनल काउंसेलिंग प्राप्त नहीं कर सका। आगे के उपचार हेतु संदर्भित किए गए मामलों का कोई संकेत नहीं था। हालांकि, रक्त कोषों ने यह दावा किया है कि उन्होंने लगभग सभी सेरो-रिएक्टिव दाताओं से संपर्क किया, लेकिन इस संदर्भ में अभिलेख की अनुपलब्धता में लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं किया जा सका।

3.5.5.8 गुणवत्ता आश्वासन प्रबंधक की अनुपलब्धता

राष्ट्रीय रक्त नीति का लक्ष्य 3.2.1 प्रदान करता है कि परिकल्पित क्षेत्र में रक्त और इनके अवयवों की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 15,000 से अधिक संग्रहण करने वाले प्रत्येक क्षेत्रीय रक्त केन्द्र/रक्त कोष में एक गुणवत्ता आश्वासन प्रबंधक (क्यूएएम) पदांकित होगा। क्यूएएम केवल गुणवत्ता नियमावली तैयार करने और नियमित रूप से अद्यतित करने, प्रयोगशालाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा, समय-समय पर दस्तावेजों की समीक्षा यदि आवश्यक हो तो, उपकरणों का अंशशोधन सुनिश्चित करने और सुधारात्मक कार्रवाई द्वारा गुणवत्ता आश्वासन हेतु उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-17 के दौरान चयनित पांच रक्त कोषों में से तीन²⁹ में वार्षिक रक्त संग्रहण प्रत्येक वर्ष 15,000 इकाई से अधिक थे। हालांकि, यह पाया गया था कि इन रक्त कोषों में से दो³⁰ में क्यूएएम का पद संस्वीकृत नहीं किया गया था और इनमें से एक में (दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल), क्यूएएम के रूप में तकनीकी सहायक पदांकित किया जो कर्मचारियों की कमी के कारण गुणवत्ता आश्वासन हेतु अनन्य रूप से उत्तरदायी नहीं था। इस प्रकार, ऐसा जोखिम था कि रक्त की गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

²⁸ लोकनायक अस्पताल (1883 सेरो-रिएक्टिव मामलों) तथा स्वामी दयानंद अस्पताल (148 सेरो - रिएक्टिव मामलों)

²⁹ दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, लोक नायक अस्पताल एवं गुरु तेग बहादुर अस्पताल

³⁰ दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल और लोक नायक अस्पताल

3.5.5.9 उपकरणों का अपर्याप्त रखरखाव

(i) **गैर-क्रियाशील उपकरण:** ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 (डीसीआर) निर्धारित करता है कि रक्त और इनके अवयवों के संग्रहण, प्रसंस्करण, परीक्षण तथा भंडारण में उपयोग किए गए उपकरण स्वच्छ और उचित तरीके से अनुरक्षित किया जाए ताकि सफाई और रखरखाव सुविधाजनक ढंग से हो सके। लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित पांच रक्त कोषों में से तीन में 17 उपकरण खराब पड़े थे। इनमें से पांच उपकरण 31 मार्च 2017 तक 17 दिन से छः माह के बीच की अवधि से खराब पड़े थे। इसके अतिरिक्त, चार उपकरण छः माह से लेकर एक वर्ष से खराब पड़े थे, सात उपकरण एक वर्ष से लेकर दो वर्ष की अवधि से खराब पड़े थे और एक उपकरण 38 महीने से खराब पड़ा था (**परिशिष्ट-3.5.1**)। ये उपकरण या तो मरम्मत की प्रक्रिया के अधीन थे या मरम्मत योग्य नहीं थे।

यह स्थिति रक्त कोषों में महत्वपूर्ण मशीनरी और उपकरण के मरम्मत और रखरखाव के प्रति रक्त कोषों के अपर्याप्त ध्यान की परिचायक थी, जिसमें रक्त कोषों के प्रदर्शन स्तर को प्रभावित करने की क्षमता है।

(ii) **उपकरण का अंशशोधन:** डीसीआर में आवश्यक है कि रक्त और रक्त अवयवों के संग्रहण, प्रसंस्करण, परीक्षण, भंडारण और विक्रय/वितरण तथा आधान हेतु रक्त कोषों में उपयोग किए गए उपकरणों का नियमित और निर्धारित आधार पर अवलोकन, मानकीकृत और अंशशोधन किया जाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित पांच रक्त कोषों में से तीन³¹ रक्त कोषों के 25 उपकरण (**परिशिष्ट-3.5.2**) जिन्हें 2014-17 के दौरान वार्षिक रूप से अंशशोधित किया जाना था, को अंशशोधित नहीं किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ने कहा (जुलाई 2017) कि उपकरण अप्रैल 2017 में अंशशोधित किए गए थे। स्वामी दयानंद अस्पताल ने कहा (मई 2017) कि उपकरण मई 2017 में अंशशोधित किए गए थे।

निर्धारित अंतरालों में उपकरणों को अंशशोधित न करना त्रुटिपूर्ण और अविश्वसनीय परिणामों/रीडिंग के जोखिम से भरा है जिसका परिणाम रक्त संग्रहण की अविश्वसनीय गुणवत्ता, रक्त भंडारण, रक्त को जारी करने तथा आखिरकार मरीजों को जोखिम में डालते हैं।

3.5.6 रक्त उपयोगकर्ताओं को वास्तविक जानकारी की अनुपलब्धता

राष्ट्रीय रक्त नीति ने सुविधाजनक नेटवर्किंग के लिए नियमित रूप से सभी रक्त कोषों द्वारा उपयोग हेतु कम्प्यूटर आधारित सूचना और प्रबंधन प्रणाली

³¹ स्वामी दयानंद अस्पताल, लोक नायक अस्पताल तथा दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल

के विकास की परिकल्पना की। यह किसी भी समय रक्त कोषों में गए बिना रक्त कोषों में उपलब्ध रक्त और रक्त अवयवों के विभिन्न वर्गों की मात्रा के बारे में लोगों को सूचना प्रदान करने के लिए था।

राष्ट्रीय रक्त आधान संस्थान/राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने स्वास्थ्य सूचना केन्द्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझेदारी में जून 2015 में मोबाईल रक्त लोकेटर एप्प का शुभारंभ किया। सभी लाइसेंस प्राप्त रक्त कोष राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल (एनएचपी) पर नामांकित थे तथा उनसे रक्त/रक्त अवयव, स्टॉक की स्थिति से संबंधित विश्वसनीय सूचना प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया था तथा इसे नियमित रूप से अद्यतित किए जाने के लिए अनुरोध किया गया था क्योंकि यह जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में थी और यह रक्त उपयोगकर्ता के लिए लाभदायक थी। एनएचपी का एक अवलोकन दर्शाता है कि यद्यपि सभी रक्त कोष नामांकित थे, फिर भी 31 मार्च 2017 तक 32 रक्त कोष ने एनएचपी पर प्रासंगिक जानकारी अद्यतित नहीं की थी। इनमें से, पांच ने एनएचपी पर सूचना प्रदान नहीं किया जबकि मार्च 2017 से पहले 22 रक्त कोषों ने 12 से 19 महीने की जानकारी अद्यतित नहीं की। चयनित पांच रक्त कोषों में से तीन³² सहित 22 रक्त कोष भी अवसंरचना की कमी के कारण जानकारी अद्यतित नहीं कर रहे थे। रक्त कोषों द्वारा जानकारी के गैर अद्यतन ने रक्त उपयोगकर्ता के लिए वास्तविक रक्त की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य को विफल कर दिया।

दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने कहा (जून 2017) कि सभी प्रमुख रक्त कोष एनएचपी पर आंकड़े अद्यतित कर रहे थे। शेष रक्त कोषों द्वारा एनएचपी पर आंकड़े दर्ज करने की सुविधा के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। एसबीटीसी ने कहा (अक्टूबर 2017) कि एनएचपी पर जानकारी अद्यतित करने के लिए सभी रक्त कोषों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए थे।

3.5.7 राष्ट्रीय रक्त नीति का गैर-अनुपालन

राष्ट्रीय रक्त आधान संस्थान/दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी/रक्त कोषों ने राष्ट्रीय रक्त नीति के निम्नलिखित लक्ष्यों का अनुपालन नहीं किया:

(क) सभी तकनीकी कर्मचारियों हेतु प्रवीणता परीक्षा (लक्ष्य 3.24) चयनित पांच रक्त कोषों में से दो³³ में आयोजित नहीं की गयी थी। संजय गाँधी मेमोरियल अस्पताल ने कहा (मई 2017) कि प्रवीणता परीक्षा आयोजित

³² संजय गाँधी मेमोरियल अस्पताल, स्वामी दयानंद अस्पताल तथा लोक नायक अस्पताल

³³ संजय गाँधी मेमोरियल अस्पताल, स्वामी दयानंद अस्पताल

करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये थे तथा साथ ही ड्रग्स नियंत्रण विभाग और दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान भी यह नहीं उठाया गया था।

(ख) रक्तस्त्राव चिकित्सा विभाग (लक्ष्य 6.1.1) मार्च 2017 तक एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा चालित पांच³⁴ मेडिकल कॉलेज में से केवल एक³⁵ में स्थापित किया गया है। डीएसएसीएस ने कहा (जून 2017) कि अभी तक मेडिकल कॉलेज में रक्तस्त्राव चिकित्सा विभाग के सृजन हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से कोई दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुआ था।

(ग) मेडिकल और पैरा मेडिकल कर्मचारी (लक्ष्य 6.7) हेतु अलग कैंडर रक्त-आधान सेवा हेतु सृजित नहीं किया गया था। यह पाया गया था कि स्वास्थ्य मंत्री, जीएनसीटीडी, की अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित बैठक में, यह निर्णय लिया गया था (जुलाई 2015) कि रक्त कोष के लिए अलग कैंडर की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सामानान्तर प्रणाली का सृजन व्यावहारिक नहीं था।

(घ) रक्त कोष से संबंधित रक्तस्त्राव चिकित्सा और तकनीकी अनुसंधान सुविधा के लिए निधि कोष (लक्ष्य 7.1) सृजित नहीं की गई थी। डीएसएसीएस ने कहा (जून 2017) कि इस उद्देश्य हेतु निधियां डीएसएसीएस को आवंटित नहीं की गयी थी।

(ङ) अपने मरीजों के लिए रक्त की खरीद हेतु लाइसेंस प्राप्त रक्त कोष के साथ संबद्धता के लिए नर्सिंग होम के पंजीकरण के लिए नियम जीएनसीटीडी द्वारा अधिनियमित नहीं किए गए थे (लक्ष्य 8.6)।

इस प्रकार, राष्ट्रीय रक्त नीति के (एनबीपी) लक्ष्यों को एनबीपी के नियमन की तिथि से 15 वर्ष के बाद भी प्राप्त नहीं किए गए थे।

3.5.8 निरीक्षण एवं निगरानी में प्रभावशीलता और कार्यकुशलता

3.5.8.1 रक्त कोषों के निरीक्षणों की अपर्याप्त संख्या

(क) ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 के नियम 52 के अनुसार ड्रग्स इंस्पेक्टर को वर्ष में न्यूनतम एक बार ड्रग्स के निर्माण हेतु लाइसेंस प्राप्त सभी परिसरों का निरीक्षण करना चाहिए व अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस नियम के अंतर्गत निर्धारित सभी प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। रक्त कोषों को लाइसेंस प्रदान करते समय केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण ने निर्देश दिया कि रक्त कोष का निरीक्षण नवीकरण की तिथि से वर्ष में न्यूनतम एक बार केंद्रीय ड्रग्स मानक

³⁴ 1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) 2. वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग अस्पताल, 3. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज 4. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज 5. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस तथा जीटीबी अस्पताल

³⁵ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)

नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और राज्य लाइसेंस प्राधिकरण के ड्रग्स इंस्पेक्टर के दल द्वारा किया जाए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाइसेंस के जारी होने/नवीकरण के समय ड्रग्स इंस्पेक्टर (डीआई) द्वारा संयुक्त निरीक्षण के अतिरिक्त 2014-15 और 2015-16 के दौरान कोई निरीक्षण नहीं किया गया। दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के दल के साथ ड्रग्स इंस्पेक्टर ने 2016-17 के दौरान 68 रक्त कोषों में से केवल आठ का ही निरीक्षण किया। नियमित निरीक्षण की अनुपलब्धता में रक्त कोषों की कमियां जैसे उपकरण की अनुपलब्धता, अपर्याप्त कार्मिक आदि को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारी के संज्ञान में नहीं लाया जा सका।

ड्रग्स नियंत्रण विभाग ने बताया (जून 2017) कि विभाग संघ लोक सेवा आयोग द्वारा डीआई के खाली पदों पर भर्ती किए जाने के लिए प्रयत्न कर रहा है और विभाग एक बार डीआई की पूर्ण संख्या प्राप्त कर लेता है तो नियमित रूप से निरीक्षण करेगा।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि:

(ख) राष्ट्रीय रक्त नीति (लक्ष्य 3.1) के अनुसार रक्त और इसके अवयवों की जांच, प्रक्रिया और भंडारण के न्यूनतम मानदंडों को सुनिश्चित करने हेतु डीसीडी के अधीन एक सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन किया जाना था। हालांकि मार्च 2017 तक कोई सतर्कता प्रकोष्ठ गठित नहीं हुआ था। डीसीडी ने बताया कि एनबीपी सतर्कता प्रकोष्ठ के गठन और ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु इसकी भूमिका और प्रकार्य का विवरण प्रदान नहीं करता। इसमें आगे यह बताया गया कि विभाग द्वारा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा, यदि इन्हें देश भर में समान रूप से लागू करने हेतु उपलब्ध किया जाए। इस प्रकार एनबीपी के अंतर्गत रक्त कोषों की प्रभावी निगरानी को सुनिश्चित नहीं किया गया, जैसा कि एनबीपी के अंतर्गत आवश्यक था।

(ग) रक्त कोषों का पर्याप्त निरीक्षण तथा एनबीपी के लक्ष्य 8.4 के अंतर्गत अनिवार्यता के रूप में उल्लिखित शर्तों के पालन हेतु एनसीटी दिल्ली में प्रशिक्षित अधिकारियों और निरीक्षकों का एक पृथक रक्त कोष प्रकोष्ठ नहीं बनाया गया था। डीसीडी ने बताया (जून 2017) कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा डीआई के रिक्त पदों की भर्ती के बाद एक पृथक रक्त कोष प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।

3.5.8.2 रक्तदान शिविरों का निरीक्षण न करना

रक्तदान शिविरों (बीडीसी) के आयोजन हेतु दिशानिर्देशों में इन शिविरों हेतु पर्याप्त साफ-सफाई युक्त क्षेत्र, प्रशिक्षित कर्मचारी, उपकरण, अन्य सुविधाओं

इत्यादि से युक्त परिसर की अनिवार्यता का प्रावधान किया गया है। यह पाया गया था कि 2014-17 के दौरान 31 रक्त कोषों द्वारा 7,428 बीडीसी के माध्यम से 3.90 लाख इकाई रक्त संग्रहित किया गया था जिसमें से 32,464 रक्त इकाईयाँ पाँच चयनित रक्त कोषों द्वारा 652 बीडीसी के माध्यम से संग्रहित की गयी। हालांकि राज्य रक्त आधान परिषद ने स्टाफ की कमी के कारण 652 बीडीसी में से एक का भी निरीक्षण नहीं किया और इस प्रकार, बीडीसी के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा।

3.5.8.3 स्ट्रेटजिक सूचना प्रबंधन प्रणाली में अपूर्ण सूचना

दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसाईटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार (फरवरी 2008) सभी रक्त कोषों के लिए माह के दौरान संग्रहित रक्त इकाईयों से संबंधित सूचना, जांच की स्थिति, रक्त व रक्त अवयवों का विवरण, जांच किट्स की स्टॉक स्थिति, उपभोग्य मर्दों का स्टॉक, आपूर्ति इकाईयों की मात्रा, नष्ट की गई रक्त इकाईयों की संख्या और इसके कारण, उपकरण एवं स्टाफ की स्थिति को मासिक आधार पर स्ट्रेटजिक सूचना प्रबंध प्रणाली (सिम्स) पर अपलोड करना अनिवार्य था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनेक रक्त कोष, नष्ट की गई रक्त इकाईयों और उनके कारण, जांच किट्स और रक्त बैगों की स्टॉक स्थिति, कर्मचारी एवं उपकरण की स्थिति जैसी सूचनाएँ पूर्ण रूप से अपलोड नहीं कर रहे थे। एसआईएमएस का आरंभ डीएसएसीएस ने रक्त कोषों की निगरानी के उद्देश्य से किया जिसने पूर्ण आंकड़ा उपलब्ध न होने के कारण इसके प्रयोजन को विफल कर दिया।

डीएसएसीएस ने बताया (जून 2017) कि अधिकांश राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन समर्थित रक्त कोष और एनएसीओ से समर्थन प्राप्त न किए हुए रक्त कोषों को डीएसएसीएस से किट व उपभोग्य मर्दें प्राप्त नहीं हुईं और इसलिए रक्त कोषों ने उपरोक्त सूचना प्रदान नहीं की लेकिन अन्य सूचनाओं का रक्त कोषों द्वारा नियमित रूप से अद्यतन किया गया। डीएसएसीएस का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन निर्देशों का अनुपालन रक्त कोषों द्वारा किया जाना अनिवार्य था।

3.5.8.4 अस्पतालों में अस्पताल रक्त आधान समितियों और राज्य रक्त आधान परिषद की शासकीय निकाय और कार्यपालक समिति की बैठकों में कमी

राष्ट्रीय रक्त नीति के उद्देश्यों के अनुपालन में दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसाईटी (डीएसएसीएस) ने रक्त के नैदानिक उपयोग के मार्गदर्शन, निगरानी और लेखापरीक्षा हेतु अस्पताल रक्त आधान समितियों (एचटीसी) के गठन हेतु

सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए (जनवरी 2010)। एचटीसी की बैठक माह में एक बार होना अनिवार्य था। चयनित पाँच रक्त कोषों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पता चला कि दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में एचटीसी की कोई भी बैठक नहीं हुई। बाकी चार अस्पतालों में 2014-17 के दौरान 144 बैठकों के लक्ष्य के प्रति मात्र 11 बैठकें ही आयोजित की गईं। अस्पतालों ने बैठकों का आयोजन न/कम होने का कारण कार्य की अधिकता/कार्य में व्यस्तता को माना (जून 2017) और भविष्य में बैठकें आयोजित करने का आश्वासन प्रदान किया।

इसी प्रकार, राज्य रक्त आधान परिषद के नियमों व विनियमों के अनुसार एसबीटीसी के शासकीय निकाय को एक वर्ष में न्यूनतम दो बार और कार्यपालक समिति को प्रतिमाह एक बैठक करना अनिवार्य था। हालांकि 2014-17 के दौरान शासकीय परिषद ने मात्र तीन बार और कार्यपालक समिति ने मात्र दो बार बैठक की। एसबीटीसी ने बताया (जून 2017) कि ये बैठकें अध्यक्ष, शासकीय निकाय के पदाधारी में बार-बार बदलाव और चर्चा का एजेंडा न होने के कारण आयोजित नहीं हो सकी। उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि बहुत सारे मामले जैसे कर्मचारियों की कमी, रक्त कोषों का निरीक्षण, लाइसेंस, स्वैच्छिक रक्तदान, रक्त और इनके अवयवों का अपव्यय आदि जिन पर शासकीय निकाय और कार्यकारी परिषद पर ध्यान देने की आवश्यकता थी।

3.5.9 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिल्ली के 68 रक्त कोषों में से 32 बिना वैध लाइसेंस के कार्य कर रहे थे। मेट्रो रक्त कोष- उत्कृष्टता केंद्र भा.स. द्वारा केंद्र प्रायोजित परियोजना दिल्ली में स्थापित नहीं की जा सकी और एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा कार्रवाई में देरी के कारण दूसरे राज्य को स्थानांतरित कर दिया गया। राज्य रक्त आधान परिषद और रक्त कोषों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं थे। रक्त संग्रहण व इसके प्रसंस्करण, जैसे स्वैच्छिक रक्त संग्रहण और रक्त के अवयव पृथक करने में कई कमियाँ थी; न्यूक्लिक एसिड एम्प्लिफिकेशन टेस्ट और एलिसा-IV को अंगीकार करने/न करने में विलंब; अभिलेख, इत्यादि के रखरखाव में कमियाँ थी। रक्त कोषों द्वारा उपकरणों के रखरखाव में भी कमियाँ थी क्योंकि इनमें से कई खराब हो चुके थे, या जो क्रियाशील थे उन्हें भी 2014-17 के दौरान अंशशोधित नहीं किया गया था। रक्त उपयोगकर्ताओं को रक्त की उपलब्धता के बारे में पूर्ण सूचना प्रदान नहीं की जा सकती थी क्योंकि 32 रक्त कोष द्वारा संबंधित सूचना राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल पर अध्यतित नहीं की जा रही थी। राष्ट्रीय रक्त नीति के कई

लक्ष्य जैसे मेडिकल कॉलेजों में रक्त आधान विभाग की स्थापना, और रक्त कोषों में मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ हेतु अलग-अलग कैंडर बनाना, नर्सिंग होम की लाइसेंस रक्त कोष आदि से संबद्धता जैसे कई उद्देश्यों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई। रक्त कोषों के कार्य निष्पादन का पर्यवेक्षण और निगरानी पर्याप्त रूप से नहीं की गई।

यह मामला सरकार को अगस्त 2017 में भेजा गया था और उनका उत्तर जनवरी 2018 तक प्रतीक्षित है।

3.6 मानव व्यवहार और सम्बद्ध विज्ञान संस्थान द्वारा शिक्षण संसाधन भत्ता और शैक्षणिक भत्ता का अनियमित भुगतान।

मानव व्यवहार और सम्बद्ध विज्ञान संस्थान ने अपने संकाय सदस्यों को ₹ 60,000 प्रतिवर्ष शिक्षण संसाधन भत्ता ₹ 71.71 लाख व ₹ 60,000 प्रतिवर्ष शैक्षणिक भत्ता ₹ 1.73 करोड़ का अनियमित भुगतान किया जोकि अनुदान की स्वीकृति को शासित करने वाले सरकारी अनुदेशों/नियमों का उल्लंघन था।

मानव व्यवहार और सम्बद्ध विज्ञान संस्थान (आईएचबीएएस) को जुलाई 1993 में सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत दिल्ली में स्थापित किया गया था। आईएचबीएएस को संयुक्त रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (भा.स.) और दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी सरकार (जीएनसीटीडी) द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। आईएचबीएएस की कार्यकारी परिषद (का.प.) ने अपने संकाय सदस्यों को वर्ष 2008-09 से ₹ 20,000 प्रतिवर्ष की दर से शिक्षण संसाधन भत्ता (एल.आर.ए.) का भुगतान करने को मंजूरी दी (नवम्बर 2008) जिसको वर्ष 2012-13 से ₹ 60,000 प्रतिवर्ष (अक्तूबर 2012) बढ़ा दिया गया। 2008-09 से 2015-16 की अवधि के दौरान, आईएचबीएएस ने अपने संकाय सदस्यों को एल आर ए के रूप में ₹ 71.71 लाख का भुगतान किया। का.प. की मंजूरी के साथ, आईएचबीएएस ने भी अपने संकाय सदस्यों को प्रति वर्ष ₹ 30,000 का शैक्षणिक भत्ता (ए.ए.) दिया जो कि सितम्बर 2008 से प्रतिवर्ष ₹ 60,000 बढ़ाया गया। आगे, शैक्षणिक भत्ते को जुलाई 2010 से प्रतिवर्ष ₹ 1,20,000 करने हेतु जीएनसीटीडी को निर्दिष्ट किया गया जो कि स्वीकार नहीं किया गया लेकिन आईएचबीएएस ने प्रतिवर्ष ₹ 60,000 की मौजूदा दर पर शैक्षणिक भत्ता देना जारी रखा। अप्रैल 2008 से अगस्त 2017 तक संकाय सदस्यों को कुल शैक्षणिक भत्ता ₹ 1.73 करोड़ भुगतान किया गया। एलआरए और एए का भुगतान निम्न कारणों से अनियमित था।

1. संकाय को एलआरए और एए का भुगतान आरंभ से अनियमित था। अपने आवर्ती व्यय का पचास प्रतिशत से अधिक जीएनसीटीडी से प्राप्त सहायता अनुदान से पूरा किया जाता है। जीएफआर 209(6) (iv) (ए) के अनुसार सभी अनुदान ग्राही संस्थाएँ, जो सहायता अनुदान के रूप में अपने आवर्ती व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करती हैं, सामान्यता उनके कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और नियमों को तैयार करना चाहिए जो कि कुल मिलाकर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की इसी प्रकार की श्रेणियों के लिए लागू होने से अधिक नहीं हो। अपवादस्वरूप मामलों में, वित्त मंत्रालय से

परामर्श करके छूट दी जा सकती है। जीएनसीटीडी के वित्त विभाग ने इन निर्देशों को 18 जुलाई, 2011 के सरकारी आदेश के द्वारा दोहराया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इसी तरह जीएनसीटीडी द्वारा वित्त पोषित चिकित्सा संस्थान अर्थात् जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेंडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मेंडिकल कॉलेज और अस्पताल, और मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज अपने संकायों में एलआरए का भुगतान नहीं करते हैं।

2. अनुदानों की स्वीकृति की नियम व शर्तों को आईएचबीएस द्वारा सभी मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का पालन करने और अन्य सभी कोडल औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता थी। अनुदान को नियंत्रित करने में सहायता के मानक पैटर्न बताते हैं कि वेतन और भत्ते अनुदानग्राही संस्थान द्वारा जीएनसीटीडी के परामर्श से तय किए जायेंगे, जो इस मामले में नहीं किया गया।

3. का.प. में अपने प्रतिनिधियों के होने के बावजूद जीएनसीटीडी आईएचबीएस द्वारा अनुदान सहायता की मंजूरी को संचालित करने वाले सरकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने में विफल रही जो इन निर्देशों के उल्लंघन के साथ जारी रहा।

आईएचबीएस ने उत्तर दिया (जनवरी, सितम्बर और नवम्बर 2017) कि वे निम्नहेंस बेंगलोर में लागू वेतनमान और भत्ते का अनुसरण कर रहे हैं। आईएचबीएस ने कार्यकारी परिषद की मंजूरी के साथ एलआरए/ए का भुगतान किया है जो कि उसे स्वीकृति देने में सक्षम है। एम्स ने अपने संकाय को एलआरए का भुगतान भी किया है और निम्नहेंस अपने सभी नियमों और विनियमों के लिए संकाय वेतन और भत्तों को नियंत्रित करते हुए एम्स का अनुसरण करता है। हालांकि, लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से वर्ष 2016-17 के लिए एलआरए का भुगतान रोक दिया गया था। एए को ₹ 1,20,000 प्रतिवर्ष बढ़ाने के लिए जीएनसीटीडी को निर्दिष्ट किया गया था जिसे प्रदान नहीं किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है और निम्नलिखित तथ्यों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए।

(i) जीएफआर निर्धारित करता है कि अनुदान ग्राही संस्थान के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सरकारी संस्थानों में लागू दर के समान होने चाहिए और छूट केवल वित्त विभाग के परामर्श से ही प्रदान की जा सकती है।

(ii) स्वास्थ्य और परिवार मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार अपने पत्र संख्या वी-16020/919/2004-डेस्क-1 दिनांक 20 जुलाई 2004 के द्वारा एम्स में एलआरए के भुगतान को रोकने का निर्देश दिया और बदले में, संकाय सदस्यों (केवल समूह ए) को उनके सेवानिवृत्ति तक संबंधित संकाय सदस्यों के द्वारा अनन्य उपयोग हेतु पुस्तकें और पत्रिकाओं की खरीद के लिए पुस्तकालयों को मांग भेजने की अनुमति दी गयी। संकाय सदस्य संस्थान के माध्यम से सूचीबद्ध व्यावसायिक निकायों की व्यावसायिक सदस्यता भी प्राप्त कर सकते हैं। इन निर्देशों को एक परिपत्र संख्या पीएमएसएसवाई-07 दिनांक 8 अगस्त 2014 द्वारा दोहराया गया था। इसलिए, एम्स और निमहेंस में संकाय सदस्यों को एलआरए का भुगतान भी अनियमित था और आईएचबीएस के संकाय सदस्यों को समान भुगतान करने के लिए इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, मानव व्यवहार संस्थान और सम्बद्ध विज्ञान ने ₹ 60,000 प्रतिवर्ष शिक्षण संसाधन भत्ता ₹ 71.71 लाख और ₹ 60,000 प्रतिवर्ष शैक्षणिक भत्ता ₹ 1.73 करोड़ का अनियमित भुगतान अपने संकाय सदस्यों को किया जो कि अनुदान की स्वीकृति को शासित करने वाले सरकारी निर्देशों/नियमों का उल्लंघन था।

मामला सितम्बर 2017 में सरकार को भेजा गया था एवं उनका उत्तर जनवरी 2018 तक प्रतीक्षित था।

3.7 ₹ 14.79 करोड़ के परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान

जीएनसीटीडी के 26 अस्पतालों/निदेशालयों के द्वारा सरकारी आदेशों की गैर अनुपालना के कारण ₹ 14.79 करोड़ के परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान हुआ।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपने कार्यालय जापन दिनांक 29 अगस्त 2008 के द्वारा छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर परिवहन भत्ते की दरों को निर्धारित किया। इसके अनुसार ₹ 5400 एवं अधिक के ग्रेड पे आहरित करने वाले कर्मचारियों को परिवहन भत्ता की दर ₹ 3200 के साथ मँहगाई भत्ता (डीए) जोड़कर निर्धारित किया गया। आगे ओ.एम. के पैरा 3 के अनुसार, ₹ 10,000 एवं 12,000 ग्रेड पे आहरित करने वाले अधिकारी तथा जो उच्च प्रशासनिक ग्रेड+स्केल में हैं और जो दिनांक 28 जनवरी 1994 के ओ.एम. के अनुसार शासकीय कार के उपयोग के हकदार हैं, को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे या तो मौजूदा सुविधा का उपयोग करें या ₹ 7,000 प्रतिमाह के साथ उस पर डीए की दर से परिवहन भत्ता आहरित करें।

वित्त मंत्रालय ने अपने ओ.एम. दिनांक 19 अगस्त 2016 के द्वारा आगे स्पष्ट किया कि अधिकारी जो निवास स्थान से कार्यालय जाने व वापस आने हेतु शासकीय कार के उपयोग के लिए हकदार नहीं है, वे ₹ 7,000/- प्रतिमाह के साथ डी.ए. की दर से परिवहन भत्ता के आहरण हेतु विकल्प देने के योग्य नहीं है चाहे वे डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन (डीएसीपी) के अन्तर्गत पीबी-4 में ₹ 10,000/- का ग्रेड पे आहरित कर रहे हो।

जीएनसीटीडी के अधीन अस्पतालों द्वारा वित्त मंत्रालय के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन की जाँच में डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत ₹ 10,000 ग्रेड पे में ₹ 7,000 प्रति माह के साथ डी.ए. की दर से परिवहन भत्ता आहरित करने वाले डाक्टरों का ब्यौरा सभी 40 अस्पतालों/कॉलेजों, एनसीटी दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय व परिवार कल्याण निदेशालय से माँगा गया था, जिसमें से 34 अस्पतालों व निदेशालयों ने सूचना प्रदान की। इनमें से, 24 अस्पतालों एवं दो निदेशालय ₹ 3,200 प्रतिमाह के साथ डीए पर परिवहन भत्ता के बदले सितम्बर 2008 से डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत कर्मचारियों को उपरोक्त सरकारी आदेशों (अगस्त 2008 एवं अगस्त 2016) का उल्लंघन कर ₹ 7,000/- प्रतिमाह के साथ डीए पर परिवहन भत्ता का भुगतान कर रहे हैं। इस प्रकार जुलाई 2017 तक इन 26 अस्पतालों /निदेशालयों द्वारा दिए गए परिवहन भत्ता का कुल अनियमित भुगतान ₹ 14.92 करोड़ निकाला गया (परिशिष्ट 3.7.1)। इस अनियमितता को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान (एमएआईडीएम), संजय गाँधी मैमोरियल अस्पताल, आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल एवं परिवार कल्याण निदेशालय ने क्रमशः नवम्बर 2016, अप्रैल 2016, जुलाई 2016, जुलाई 2016 एवं सितम्बर 2017 से बढ़े हुए दर पर टीए के भुगतान को रोक दिया एवं डॉ. एन.सी. जोशी स्मारक अस्पताल ने कहा कि वे इसे दिसम्बर 2017 से रोक देगा। बढ़े हुए दर से अतिरिक्त भुगतान की वसूली हालाँकि लंबित है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ने ₹ 12.77 लाख वसूली कर ली।

इस प्रकार, जीएनसीटीडी के 26 अस्पतालों/निदेशालयों द्वारा सरकारी आदेशों के गैर अनुपालना के कारण ₹ 14.79 करोड़ के परिवहन भत्ता का अनियमित भुगतान हुआ।

मामला अक्टूबर 2017 में सरकार को भेजा गया था एवं उनके जवाब जनवरी 2018 तक प्रतीक्षित थे।

3.8 यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान द्वारा ₹ 60 करोड़ के सहायता अनुदान का अनियमित उपयोग

अस्पताल के कर्मचारी के साथ राजस्व साझा करने की प्रस्तावित योजना के वित्त पोषण के लिए 2012-16 के दौरान ₹ 60 करोड़ के कॉरपस फण्ड बनाने के लिए आईएलबीएस की कार्रवाई अनियमित थी क्योंकि यह योजना को भावी प्रभाव के साथ 1 सितम्बर 2017 को अनुमोदित किया गया एवं कॉरपस फण्ड में निधियों का हस्तान्तरण प्रभावी रूप से सहायता अनुदान से हुआ न कि संस्थान द्वारा प्रदान की गई सेवा से उत्पन्न राजस्व से हुआ। उधारों पर भुगतान किये गये ब्याजों में अंतर के कारण भी सरकार को नुकसान हुआ।

यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस या संस्थान) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया था (2002 में पंजीकृत एवं 2010 में उद्घाटन किया)। सहायता के अनुमोदित पैटर्न के अनुसार, आईएलबीएस द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए शुल्क प्रभार के द्वारा उत्पन्न अपनी आय पर कुल व्यय से अधिक की सीमा तक आईएलबीएस, जीएनसीटीडी से आवर्ती अनुदान एवं पूँजीगत संपत्ति हेतु अनावर्ती अनुदान प्राप्त करती है। अनुदान उपयोग करते समय आईएलबीएस को अनुदान के नियम व शर्तों एवं जीएनसीटीडी के निर्देशों/सलाह का पालन करना होता है। जीएनसीटीडी के मंत्री परिषद (कैबिनेट) ने आईएलबीएस हेतु बिजनेस मॉडल अनुमोदित किया (मई 2006) जो अन्य बातों के साथ कहता है कि आईएलबीएस चालू लागत को पूरा करने के लिए इस समय तक वार्षिक सहायता अनुदान प्राप्त करेगा जब तक यह लाभ कमाने शुरू नहीं कर देता। कैबिनेट ने अनुमत किया कि राजस्व हिस्सेदारी का एक निश्चित प्रतिशत सभी प्रोफेसरों/सहायक प्रोफेसरों/सहभागी प्रोफेसरों के पारिश्रमिक पैकेज में अन्तर्निहित रहेगा।

2012-16 के दौरान, आईएलबीएस ने सहायता अनुदान के रूप में ₹ 302.49 करोड़ प्राप्त किया। यद्यपि मई 2006 में की गई राजस्व हिस्सेदारी योजना को तैयार नहीं किया गया था, आईएलबीएस की शासन परिषद ने राजस्व हिस्सेदारी पर व्यय को पूरा करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष अर्जित राजस्व से कॉरपस फण्ड बनाने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2013)। आईएलबीएस ने तदनुसार कुल ₹ 60 करोड़ (अर्थात् आय एवं व्यय लेखा से 2012-13, 2013-14 में प्रत्येक वर्ष ₹ 10 करोड़ तथा 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान जमा पूँजीगत निधि से ₹ 40 करोड़) इस कॉरपस में फण्ड स्थानांतरित किया। फरवरी 2017 तक कॉरपस फण्ड की जमा राशि

₹ 7.97 करोड़ के ब्याज को शामिल करते हुए ₹ 67.97 करोड़ थी। आईएलबीएस की यह कार्रवाई अनियमित थी क्योंकि 2012-16 के दौरान कोई राजस्व हिस्सेदारी योजना अनुमोदित नहीं थी एवं 2012-16 के दौरान कोई अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नहीं हुआ था।

आईएलबीएस ने जवाब दिया (जुलाई और अगस्त 2017) कि आईएलबीएस के उप नियम एवं जीएनसीटीडी द्वारा अनुमोदित सहायता पैटर्न, शासन परिषद को स्टाफ के हित में संस्थान द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से उत्पन्न निधियों का उपयोग करने की अनुमति देता है; उक्त कॉरपस फण्ड बनाने के लिए सहायता अनुदान का इस्तेमाल नहीं हुआ एवं लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामले पर एक उपचारात्मक उपायों के रूप में; निधियों को 31 मार्च 2016 के बाद कॉरपस फण्ड में स्थानांतरित नहीं किया गया। जवाब स्वीकार्य नहीं है एवं निम्नलिखित तथ्यों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए:

1. कॉरपस फण्ड आईएलबीएस द्वारा अर्जित राजस्व से बनाया जाना था लेकिन 2012-16 के दौरान इसका स्वयं का कोई अतिरिक्त राजस्व नहीं था। आईएलबीएस के लेखापरीक्षित लेखे के अनुसार 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान कुल राजस्व आय पर कुल राजस्व व्यय (सहायता अनुदान को छोड़कर) क्रमशः ₹ 59.24 करोड़, ₹ 21.38 करोड़, ₹ 30.65 करोड़ एवं ₹ 41.19 करोड़ से अधिक था। इस प्रकार प्रभावी ढंग से कॉरपस फण्डस बनाने हेतु सहायता अनुदान का इस्तेमाल किया गया था जो अनुदानों को संचालित करने में सहायता से अनुमोदित पैटर्न, शासन परिषद के निर्णय एवं अनुमोदित बिजनेस योजना में परिकल्पित नहीं किया गया था।
2. राजस्व हिस्सेदारी योजना 1 सितम्बर 2017 को अनुमोदित हुआ। इस प्रकार, बीते वर्षों के किसी प्राप्ति में से निधियों का उपयोग कारपस फण्ड के निर्माण हेतु एवं 1 सितम्बर 2017 को अनुमोदित राजस्व हिस्सेदारी योजना के लिए इसकी उपयोगिता भावी प्रभाव से संचालित होनी थी एवं उस पर अर्जित ब्याज सहित जीएनसीटीडी को वापस किया जाना चाहिए
3. जब त्रैमासिक अनुदान जारी किया जा रहा था तब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (डीएचएफडब्ल्यू) ने आईएलबीएस द्वारा निश्चित जमाराशि के रूप में कॉरपस फण्ड को इकट्ठा करने का विरोध किया था (नवम्बर 2015) एवं कहा कि सहायता अनुदान से एक निश्चित लागत को जोड़ा गया था क्योंकि जीएनसीटीडी ने उधार लिया एवं ऐसी गतिविधियों से बचने के लिए आईएलबीएस को सलाह दी थी। लेकिन

डीएचएफडब्ल्यू ने कॉरपस फण्ड को बनाये रखने के लिए आईएलबीएस द्वारा अनियमित रूप से उपयोग किये जाने वाले धन वापसी/सहायता अनुदानों के समयोजन की जाँच नहीं की एवं इस प्रकार बैंकों में निश्चित जमाराशि में ₹ 68 करोड़ के सरकारी निधियों के निष्क्रिय पड़े रहने को अनुमति दी।

इस प्रकार, अस्पताल के स्टाफ के साथ राजस्व हिस्सेदारी के प्रस्तावित योजना को वित्त पोषित करने के लिए 2012-16 के दौरान ₹ 60 करोड़ का एक कॉरपस फण्ड बनाने के लिए आईएलबीएस की कार्रवाई अनियमित थी क्योंकि इस प्रकार की योजना भावी प्रभाव से 1 सितम्बर 2017 को अनुमोदित हुई एवं प्रभावी ढंग से कॉरपस फण्ड में निधियों का स्थानांतरण सहायता अनुदान से किया गया था न कि संस्थान द्वारा प्रदत्त सेवा से उत्पन्न राजस्व से किया गया था। कॉरपस फण्ड के निर्माण के परिणाम स्वरूप उधारों पर सरकार द्वारा दिये गये ब्याज एवं कॉरपस फण्ड पर आईएलबीएस द्वारा अर्जित ब्याज में अंतर के कारण भी सरकार को नुकसान हुआ।

मामला जुलाई 2017 में सरकार को भेजा गया था एवं उनके जवाब जनवरी 2018 तक प्रतीक्षित थे।

3.9 दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में पर्याप्त श्रमशक्ति की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना अस्पताल उपकरण की खरीद

जीएनसीटीडी के द्वारा डीएससीआई (पश्चिम) हेतु संस्वीकृत स्टाफ में चार वर्षों की देरी के कारण नवम्बर 2014 तक आईपीडी के शुरु होने की योजना अक्टूबर 2017 तक चालू नहीं हो पायी जिससे कैंसर रोगी उपचार सुविधा से वंचित रहे। पचास अस्पताल बेड (₹ 96.89 लाख) एवं फोटोन बीम एकसीलेटर (₹ 12.28 करोड़) भी क्रमशः नवम्बर 2015 एवं जुलाई 2016 से निष्क्रिय पड़े हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान (डीएससीआई) कैंसर रोगियों हेतु व्यापक नैदानिक एवं उपचार सुविधाओं को मुहैया करने के लिए डीएससीआई (पूर्व) दिलशाद गार्डन में स्थापित किया गया था (अगस्त 2006)। पश्चिम दिल्ली में इस सुविधा पर अत्यधिक कार्य दबाव एवं कैंसर उपचार सुविधा की अनुपस्थिति के कारण जीएनसीटीडी ने डीएससीआई को जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के ऑन्कोलोजी ब्लॉक में डीएससीआई (पश्चिम) स्थापित करने का कार्य सौंपा (अगस्त 2012) गया। डीएससीआई (पश्चिम) में आऊटडोर रोगी एवं डे केयर

सेवाएँ डीएससीआई (पूर्व) से स्टाफ की पुनः तैनाती के द्वारा मार्च 2013 में शुरू हुई। इन्डोर रोगी विभाग (आईपीडी) नवम्बर 2014 तक शुरू होना था। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत है:-

डीएससीआई ने अक्टूबर 2013 में अस्पताल बेडों हेतु टेंडर आमंत्रित करने से पहले मई 2013 में जीएनसीटीडी से स्टाफ हेतु अनुरोध किया था। दूसरे उपकरण हेतु टेंडर प्रक्रिया अगस्त 2014 तक या तो प्रगति एवं/या पूर्ण/आदेश में था। हालांकि स्टाफ की संस्वीकृति का मुद्दा जीएनसीटीडी एवं डीएससीआई से संबंधित विभागों के बीच घूमता रहा एवं अक्टूबर 2017 तक इसका हल नहीं हो सका।

बीच में, डीएससीआई (पश्चिम) हेतु ₹ 16.55 करोड़ मूल्य के खरीदे गए उपकरण जीएनसीटीडी से संस्वीकृत स्टाफ की कमी के कारण या तो निष्क्रिय पड़े रहे या डीएससीआई (पूर्व) को वापिस कर दिये गये। पचास अस्पताल बेड (₹ 96.89 लाख) एवं फोटोन बीम एक्सीलेरेटर (₹ 12.28 करोड़) क्रमशः अक्टूबर 2015 एवं जुलाई 2016 से डीएससीआई (पश्चिम) में निष्क्रिय पड़े हैं। डीएससीआई (पश्चिम) हेतु खरीदे गए ₹ 3.30 करोड़ मूल्य के उपकरण डीएससीआई (पूर्व) को भेज दिए गए एवं इसमें से, ₹ 66.33 लाख मूल्य के उपकरण अक्टूबर 2014 में इसकी आपूर्ति के समय से संस्थापनागत रहे।

डीएससीआई ने कहा (जून एवं अक्टूबर 2017) कि प्रणाली के विभिन्न प्रशासनिक बाधाओं के कारण, न कि डीएससीआई के तरफ से कोई कमी के कारण, आपस में जुड़ी सुविधाओं के पूर्ण होने में अंतर रहा। लेखापरीक्षा ने पाया कि आईपीडी के स्थापना में देरी शासन परिषद (सीसी) जिसका प्रमुख जीएनसीटीडी का मुख्य सचिव होता है के अपर्याप्त पर्यवेक्षण एवं जीएनसीटीडी के सभी स्तरों पर अनिर्णायकता के कारण हुआ जैसेकि नीचे टिप्पणी की गई है:-

- (i) सीसी को प्रत्येक तीन महीने में बैठक करनी होती है एवं इसकी संरचना पर विचार करते हुए, सीसी एवं जीएनसीटीडी के विभागों के बीच समय पर हस्तक्षेप के माध्यम से डीएससीआई के संचालन में तेजी लाना था। सीसी ने डीएससीआई (पश्चिम) को पूर्ण संचालित बनाने के लिए नितांत आवश्यकता के रूप में 310 पदों पर विचार किया (28 दिसम्बर 2012) एवं ओपीडी, डे केयर एवं नैदानिक सेवाओं को शुरू करने के लिए 117 पदों को अनुमोदित किया परन्तु उसके बाद, अगले 42 महीने के दौरान बैठक नहीं हुई।

- (ii) मई 2013 से स्टाफ की संस्वीकृति हेतु डीएससीआई की जीएनसीटीडी से लगातार अनुरोध पर प्रशासनिक सुधार विभागों, जीएनसीटीडी के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा जीएनसीटीडी के वित्त व डीएससीआई के बीच चार वर्षों से लगातार विचार-विमर्श किया गया एवं उपराज्यपाल, दिल्ली के हस्तक्षेप के बावजूद इस संबंध में अक्टूबर 2017 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
- (iii) आईपीडी हेतु ₹ 4.30 करोड़ एवं 46.90 लाख यूएस डॉलर को रोक कर रखा जब भी स्टाफ संस्वीकृति उपलब्ध होगी इसकी पुनः टेडरिंग की जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि डीएससीआई (पश्चिम) का पूर्ण संचालन में फिर आगे देरी होगी।

इसी प्रकार, जीएनसीटीडी द्वारा डीएससीआई (पश्चिम) हेतु स्टाफ संस्वीकृति में चार वर्षों की देरी के कारण नवम्बर 2014 तक आईपीडी शुरू होने की जो योजना बनाई गई थी वह अक्टूबर 2017 तक चालू नहीं हो पायी जिसके कारण कैंसर रोगी उपचार सुविधा से वंचित रहे। पचास अस्पताल बेड (₹ 96.89 लाख) एवं फोटोन बीम एक्सीलेरेटर (₹ 12.28 करोड़) क्रमशः नवम्बर 2015 एवं जुलाई 2016 से निष्क्रिय पड़े हैं।

मामला सितम्बर 2017 में सरकार को भेजा गया था एवं उनके उत्तर जनवरी 2018 तक प्रतीक्षित थे।

3.10 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 2 अक्टूबर 2014 को इसके आरम्भ होने से ढाई साल तक एक भी शौचालय का निर्माण नहीं किया गया; इस उद्देश्य के लिए आवंटित कुल राशि ₹ 40.31 करोड़ बैंक में निरर्थक पड़े रहे; स्कीम में निर्धारित निगरानी और मूल्यांकन करने वाले तंत्र ने कार्य की प्रगति की निगरानी प्रभावी तौर पर नहीं की। यह प्रदर्शित करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन योजना के कार्यान्वयन को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।

3.10.1 प्रस्तावना

भारत सरकार (भा.स.) ने 2 अक्टूबर 2014 को 25 प्रतिशत राज्य के हिस्से सहित देश में स्वच्छता और सफाई को बेहतर करने के लिए खुले में शौच से मुक्ति, हाथ से कूड़ाकरकट उठाने का उन्मूलन, ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन इत्यादि के द्वारा भारत को 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ करने की दृष्टि से

स्वच्छ भारत मिशन का आरम्भ किया था। मिशन के अंतर्गत छः घटक हैं जिनके नाम हैं (i) घरेलू शौचालय (ii) सामुदायिक शौचालय (iii) सार्वजनिक शौचालय (iv) ठोस अवशिष्ट प्रबंधन (v) सूचना, शिक्षा, संचार और सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम (vi) क्षमता निर्माण एवं प्रशासनिक व कार्यालय व्यय। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान जीएनसीटीडी ने मिशन के अंतर्गत क्रमशः ₹ 1.01 करोड़ और ₹ 212.30 करोड़ का प्रावधान रखा। 2015-16 में, भा.स. ने एनसीटी दिल्ली में घरेलू शौचालयों के लिए ₹ 50.16 करोड़ एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु ₹ 5.15 करोड़ की केन्द्रीय सहायता का आवंटन किया, जबकि सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से राज्यों और यूएलबी के द्वारा किया जाना था। इस लेखापरीक्षा में, तीन घटकों जैसे कि घरेलू शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों एवं सार्वजनिक शौचालयों को कवर किया गया था जिसके प्रति ₹ 40.31 करोड़ की राशि (₹ 30.23 करोड़ का केन्द्रीय हिस्सा एवं ₹ 10.08 करोड़ का राज्य हिस्सा) क्रियान्वयन एजेंसियों को जारी किए गए (जनवरी 2016)।

मिशन दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक राज्य को शहरी स्वच्छता योजना एवं राज्य स्वच्छता योजना बनाने की आवश्यकता है। मिशन को जल्दी शुरू करने और अनुदान की पहली किस्त जारी करने के क्रम में भारत सरकार ने राज्यों को राज्य स्वच्छता योजना पर संक्षिप्त अवधारणा नोट जिसमें भौतिक और वित्तीय लक्ष्य सम्मिलित किये हों जो कि 2011 की जनगणना के आधार पर हों, 30 जनवरी 2015 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इसके पश्चात शहरी स्वच्छता योजना एवं राज्य स्वच्छता योजना जिसका आधार घर-घर सर्वेक्षण/व्यक्तियों से मिले आवेदन पत्र पर इनकी आवश्यकता का आकलन करके प्रत्येक घर में शौचालयों का निर्माण (घरेलू शौचालय), जिसमें अस्वच्छ शौचालयों का फलश शौचालयों में रूपांतरण सम्मिलित हो और सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण था।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जीएनसीटीडी ने (मार्च 2015) एक उच्च स्तरीय समिति (एचपीसी) का गठन उनके अधिकार क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले चार शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) जैसे दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (दक्षिणी डीएमसी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (उत्तरी डीएमसी), पूर्वी दिल्ली नगर निगम (पूर्वी डीएमसी), नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली अरबन शैल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (डीयूएसआईबी) और दिल्ली कन्टोनमेंट बोर्ड (डीसीबी) के माध्यम से मिशन के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए किया। दिल्ली अरबन शैल्टर डेवलपमेंट बोर्ड, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था।

लेखापरीक्षा ने स्कीम के आरम्भ होने अर्थात् 2 अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक की अवधि को लिया है। लेखापरीक्षा ने शहरी विकास विभाग (यूडीडी), जीएनसीटीडी के रिकार्ड और कार्यान्वयन एजेंसियों से एकत्र की गई जानकारी की जाँच की।

3.10.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का व्यापक उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:-

- (i) स्कीम के कार्यान्वयन के लिए बनाई गई योजना विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त और प्रभावी थी
- (ii) जारी की गई राशियों का ठीक से हिसाब रखा गया और उपयोग किया गया।
- (iii) मिशन की उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा बनाए रखने के लिए विभिन्न घटकों के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य पर्याप्त थे।
- (iv) मिशन का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण दक्षतापूर्वक किया गया।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.10.3 योजना, कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग

3.10.3.1 योजना में अपर्याप्तता

2011 की जनगणना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की शहरी जनसंख्या 1.14 करोड़ थी तथा 23,15,906 शहरी परिवार थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार ने इन आंकड़ों और मिशन के मापदण्डों का प्रयोग कर 6 कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा 1,25,398 घरेलू शौचालय, 1982 सामुदायिक शौचालयों एवं 7602 सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए भौतिक लक्ष्यों की सूची तैयार की थी और भारत सरकार से मिशन के अन्तर्गत वित्त पोषण का अनुरोध किया था (मार्च 2015)। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बाद में शौचालयों की आवश्यकता के आकलन के साथ भारत सरकार ने 2019 तक आबादी का आकलन किया और कार्यान्वयन एजेंसियों-वार लक्ष्य निर्धारित किए थे (सितम्बर 2015)। जैसा कि तालिका-3.10.1 में दिया गया है।

तालिका-3.10.1 : एजेंसी-वार भारत सरकार के लक्ष्य, जारी की गई निधियां और शौचालयों के निर्माण की अनुमानित आवश्यकता

क्र. स.	कार्यालय एजेंसी	5 वर्षों के लिए भा.स. के लक्ष्य			कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अनुमानित आवश्यकता (5 वर्ष)			जीएनसीटीडी द्वारा जारी निधि (₹ लाख में)		
		आईएचएचटी	सीटी	पीटी	आईएचएचटी	सीटी	पीटी	आईएचएचटी	सीटी	कुल @
1	उत्तरी डीएमसी	32,663	1,027	4,116	0	8,886	205	800	0	800
2	पूर्वी डीएमसी	56,734	191	1,972	11,117	5	120	1,386	267	1,653
3	दक्षिणी डीएमसी	25,515	718	2,729	0	0	0	616	0	616
4	एनडीएमसी	399	13	111	0	156	280	0	0	0
5	डीसीबी	11,694	408	229	0	0	0	276	0	276
6	डीयूएसआईबी	*	*	*	0	16,050	0	0	686	686
कुल		1,27,005	2,357	9,157	11,117	25,097	605	3,078	953	4,031

@ मार्च 2017 तक एवं जीएनसीटीडी का हिस्सा ₹ 10.08 करोड़ शामिल हैं। *निर्धारित नहीं है।

जैसा कि तालिका 3.10.1 में दिखाया गया है, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा (सितम्बर 2015) आकलित घरेलू शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों और सार्वजनिक शौचालयों की कुल आवश्यकता 2011 की जनगणना के आधार पर भारत सरकार द्वारा शौचालय के निर्माण की अनुमानित संख्या से काफी कम थी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद, दिल्ली अरबन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड और दिल्ली कैन्टोनमेंट बोर्ड ने अपने क्षेत्र में घरेलू शौचालयों के निर्माण की आवश्यकता को नहीं देखा जबकि भारत सरकार द्वारा अनुमानित 56,734 घरेलू शौचालयों के प्रति पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 11,117 घरेलू शौचालयों के निर्माण को ही आवश्यक माना। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली कैन्टोनमेंट बोर्ड ने सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का आकलन नहीं किया जबकि भारत सरकार ने क्रमशः 718 और 408 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की आवश्यकता का अनुमान किया था। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली कैन्टोनमेंट बोर्ड और दिल्ली अरबन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की कोई परियोजना नहीं थी जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा केवल 205 और 120 सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की आवश्यकता समझी गयी जबकि भारत सरकार द्वारा क्रमशः 4,116 और 1,972 का अनुमान था। यद्यपि भारत सरकार द्वारा डीयूएसआईबी हेतु कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया था, जीएनसीटीडी ने सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु डीयूएसआईबी को ₹ 6.86 करोड़ जारी किए क्योंकि ये एनसीटीडी में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु नोडल एजेंसी है।

लेखापरीक्षा ने यह नोट किया कि मिशन के अन्तर्गत स्थान की कमी का हवाला देते हुए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सामुदायिक शौचालयों एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु आवश्यकता को लक्षित नहीं किया था।

दक्षिणी एवं उत्तरी डीएमसी ने यह कहते हुए व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के लक्ष्यित आवश्यकता हेतु अनाधिकृत कालोनियों पर विचार नहीं किया कि वे उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं उसके कारण घरेलू शौचालयों के संबंध में अनाधिकृत कालोनियाँ मिशन कवरेज से बाहर है।

लेखापरीक्षा ने यह भी नोट किया कि जन-जागरण कार्यक्रम के लिए जारी किए गए ₹ 5.17 करोड़ के जगह कुल ₹ 2.03 करोड़ ही खर्च किए गए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली कैन्टोनमेंट बोर्ड ने जीएनसीटीडी द्वारा उन्हें रिलीज किए गए क्रमशः ₹ 186 लाख और ₹ 27 लाख की जगह क्रमशः ₹ 23 लाख और ₹ 5 लाख ही खर्च किए थे। इसका मतलब यह है कि परिवारों को कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा घरेलू शौचालयों की सुविधा के लाभों के बारे में पर्याप्त रूप से शिक्षित करने के प्रयास नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए प्रत्येक घर को लक्ष्यित करने और सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए स्थान एवं खण्डों की पहचान करने में असमर्थता व अनाधिकृत कालोनियों में शौचालय की आवश्यकता को अनदेखा करना दर्शाता है कि दिल्ली के सामान्य जन द्वारा प्रयोग की जाने वाली सार्वजनिक सुविधाओं के प्रति कार्यान्वयन एजेंसियों की चिन्ता कम थी।

3.10.3.2 मिशन के अन्तर्गत एक भी शौचालय का निर्माण न होना

17 अप्रैल 2015 के फाइल रिकॉर्ड के अनुसार, सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने घोषणा पत्र में स्लम/झुग्गी झोपड़ी और अनाधिकृत कालोनियों के लिए दो लाख शौचालय ब्लॉक बनाने का वायदा किया गया था। उच्च स्तरीय समिति की बैठक (जून 2015) में, दिल्ली अरबन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड को स्थान व खण्डों की पहचान करने का (जून 2015) कार्य सौंपा गया था। यद्यपि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने मिशन स्कीम के अन्तर्गत अक्टूबर 2019 तक 11,117 घरेलू शौचालय, 25,097 सामुदायिक शौचालय (16,050 स्लम एवं झुग्गी झोपड़ियों के लिए सम्मिलित करके) और 605 सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण करने की आवश्यकता का आकलन किया था। मिशन के अंतर्गत, शौचालयों के निर्माण हेतु भा.स. ने ₹ 30.23 करोड़ जारी किए। यद्यपि 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुए योजना और 31 मार्च 2017 तक की अवधि के मध्य मिशन के अन्तर्गत छः क्रियान्वयन एजेंसी में से किसी के द्वारा एक भी शौचालय का निर्माण नहीं किया गया था।

उपरोक्त स्थिति की पुष्टि करते हुए उत्तरी, पूर्वी व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने कहा कि उन्होंने कुछ शौचालयों का निर्माण अपने स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने संसाधनों से किया और अब वे उन्हें मिशन के

अन्तर्गत निर्मित व्यय में समायोजित करने पर विचार कर सकते हैं। पूर्व में निर्मित शौचालयों के खर्चों को मिशन के अन्तर्गत निर्मित दर्शा कर मिशन के भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति दर्शाना मिशन के दिशानिर्देशानुसार नहीं है।

3.10.4 वित्तीय प्रबंधन

3.10.4.1 कार्यान्वयन एजेंसियों को धन जारी करने में विलंब

मार्च 2015 में जीएनसीटीडी ने भारत सरकार से ₹ 2.26 करोड़ और नवंबर 2015 में ₹ 27.97 करोड़ शौचालयों के निर्माण हेतु प्राप्त किए और जनवरी 2016 में अर्थात् भारत सरकार से निधि प्राप्त होने के दो से दस माह बाद क्रियान्वयन एजेंसी को ₹ 40.31 करोड़ जारी किया, जिसमें ₹ 10.08 करोड़ का राज्य अंश भी शामिल है। दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य अंश के साथ केंद्र अंश की प्राप्ति तिथि के 30 दिनों के अंदर यूएलबी को निधि जारी होनी थी। सचिव, शहरी विकास, भारत सरकार ने इस पर यह टिप्पणी की (अक्टूबर 2015) कि निधि जारी करने में छः माह से अधिक समय तक का विलंब एक गंभीर मामला है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्रियान्वयन एजेंसी को निधि के संवितरण में विलंब के कारण मिशन निधि की कोई भी धनराशि 2015-16 में उपयोग नहीं की गई।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2017) कि नए लेखा शीर्ष को खोलने का प्रस्ताव आवश्यक अनुमोदन हेतु सभा के समक्ष प्रस्तुत होना था। इसमें यह भी बताया कि वित्त विभाग, जीएनसीटीडी को आंतरिक लेखा कार्यकर्ताओं के माध्यम से अनेक बार कार्रवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया गया, और नया लेखा खोलने के बाद निधि जारी की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधि जारी करने संबंधी मिशन दिशानिर्देशों का पालन नहीं हुआ।

3.10.4.2 क्रियान्वयन एजेंसियों ने शौचालय के निर्माण हेतु मिशन निधि का उपयोग नहीं किया

क्रियान्वयन एजेंसियों को 'मिशन' के अन्तर्गत कुल ₹ 40.31 करोड़ प्राप्त हुए, जिसमें राज्य अंश ₹ 10.08 करोड़ भी शामिल है, और यह संपूर्ण धनराशि मार्च 2017 तक बिना उपयोग हुए बची रही। डीयूएसआईबी ने मिशन निधि की समूची राशि ₹ 6.86 करोड़ अप्रैल 2017 में जीएनसीटीडी को वापस की जबकि अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को दी गई निधि उनके बचत बैंक खाते में निष्क्रिय पड़ी रही। इन एजेंसियों ने आरंभ में इन निधियों को ब्याजरहित चालू खाते में रखा जिसके कारण 29 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2017 की अवधि के दौरान ₹ 33.93 लाख ब्याज का घाटा हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष की पुष्टि करते हुए डीयूएसआईबी ने बताया कि ₹ 6.86 करोड़ की संपूर्ण धनराशि लौटा दी गई क्योंकि सरकार ने अतिरिक्त राज्य

अंश प्रदान नहीं किया। हालांकि, तथ्य यह है कि निधि का उपयोग शौचालय के निर्माण में नहीं हुआ।

3.10.4.3 जीएनसीटीडी ने क्रियान्वयन एजेंसियों को उनके आवश्यकता अनुसार मिशन निधि का आवंटन नहीं किया।

जीएनसीटीडी ने क्रियान्वयन एजेंसियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मिशन निधि आवंटित नहीं की। उत्तरी डीएमसी, दक्षिणी डीएमसी और डीसीबी ने घरों में शौचालयों की आवश्यकता का आकलन नहीं किया परन्तु घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु उन्हें ₹ 16.92 करोड़ की मिशन निधि जारी की गयी। उत्तरी डीएमसी और डीयूएसआईबी ने 8,886 और 16,050 सामुदायिक शौचालयों की आवश्यकता का आकलन किया जिसके लिए उन्होंने क्रमशः ₹ 23.10 करोड़ और ₹ 41.49 करोड़ की निधि के लिए अनुरोध किया (सितम्बर 2015)। उत्तरी डीएमसी ने हालांकि सामुदायिक शौचालय हेतु कोई निधि प्राप्त नहीं की और डीयूएसआईबी को केवल ₹ 6.86 करोड़ मिले। एनडीएमसी ने 156 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का अनुमान लगाया, लेकिन उन्हें कोई धन नहीं मिला।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2017) कि उसने दिशानिर्देशों के निर्धारित प्रारूप को परिचालित किया था, और धनराशि जारी करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा इसे भारत सरकार को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। लेकिन इस प्रारूप में एजेंसियों द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। यह भी कहा गया कि यूडी, जीएनसीटीडी के साथ उपलब्ध सूचनाएं एमओयूडी और भारत सरकार को दी गई तथा मार्च/नवंबर 2015 में भारत सरकार से धन प्राप्त होने के बाद इसे लागू करने वाली एजेंसियों को इस निधि को जारी किया गया। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएनसीटीडी को निधि जारी करने से पहले एजेंसियों के लिए आवश्यक निधि के बारे में पता था परन्तु वास्तविक आवश्यकता पर विचार किए बिना निधि जारी की गयी थी।

3.10.4.4 दिल्ली अरबन शैलटर इम्प्रूवमेंट बोर्ड को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से राज्य हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ

डीयूएसआईबी मिशन का कार्यान्वयन कर झुग्गी झोपड़ी और गन्दी बस्ती को खुले शौच से मुक्ति (ओडीएफ) के लिए जिम्मेदार था। इस हेतु, डीयूएसआईबी ने ₹ 41.49 करोड़ की आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 6.86 करोड़ प्राप्त किया (जनवरी 2016) जिसमें ₹ 1.71 करोड़ राज्य हिस्सा (कुल लागत का 25 प्रतिशत) शामिल है। बाद में, जुलाई 2016 में, भारत सरकार ने सामुदायिक शौचालयों के बेसिक यूनिट लागत को ₹ 65,000 से ₹ 98,000 बढ़ा दिया एवं केन्द्रीय हिस्सा को भी 75 प्रतिशत से 40 प्रतिशत घटा दिया। इस प्रकार,

राज्य को सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लागत को 60 प्रतिशत उठाना था।

यद्यपि, डीयूएसआईबी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्रभावी तौर पर सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए राज्य हिस्से (60 प्रतिशत) हेतु कार्रवाई की जाती रही, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने 2016-17 के दौरान राज्य हिस्से को नहीं दिया था। इसलिए, डीयूएसआईबी ने मिशन के अंतर्गत मिली पूरी निधि ₹ 6.86 करोड़ वापस कर दी। केन्द्रीय हिस्सा मिलने के बावजूद भी मिशन के कार्यान्वित होने के प्रथम ढाई वर्षों के दौरान मिशन के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों का निर्माण नहीं किया गया था, इसमें जोखिम है कि डीयूएसआईबी झुग्गी झोपड़ी बस्ती/कलस्टर को खुले शौच से मुक्ति के उद्देश्य को 2017-18 के अंत तक प्राप्त नहीं कर सकेगा।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के प्राप्त होने पर सरकार ने कहा है कि (अक्टूबर 2017) डीयूएसआईबी के निवेदन पर उन्होंने ₹ 12 करोड़ जारी किये थे (जून 2017)। हालांकि, वास्तविकता यह है कि निधियाँ उपयोग करने हेतु समय से जारी नहीं की गईं।

3.10.5 निरीक्षण और निगरानी तंत्र प्रभावी नहीं था

योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी स्तरों पर निरीक्षण एवं निगरानी प्रणाली प्रावधान मिशन दिशानिर्देशों में किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय समिति (एचपीसी) योजना तथा परियोजनाओं के अनुमोदन, संसाधनों के आबंटन की मंजूरी और मिशन के परिणाम की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। लेखापरीक्षा ने पाया कि उच्च स्तरीय समिति ने योजना के कार्यान्वयन के बाद चार बार बैठक की; लाभार्थियों की पहचान करने के बारे में विचार करना; योजना कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना की मांग की गई। भारत सरकार से प्राप्त निधि को समय पर जारी करने के आदेशों के साथ-साथ कार्यान्वयन ऐजेंसियों को राज्य का हिस्सा देने का अनुरोध और उपयोगिता प्रमाणपत्र को समय पर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। बिना प्रगति के इनमें से बहुत से मुद्दों पर बार-बार चर्चा की गई थी। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए राज्य शेयर को जारी करने के संदर्भ में उच्च स्तरीय समिति में नहीं सुलझाया जा सका। परिणामतः दिल्ली अरबन शैल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने मिशन निधि को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को वापस कर दिया। उच्च स्तरीय कमेटी ने दिल्ली नगर निगमों को अनाधिकृत कालोनियों के लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें मिशन

के अंतर्गत शामिल करने के निर्देश दिए थे, परन्तु दिल्ली नगर निगमों ने इन कालोनियों को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं माना।

योजना के अनुसार जिला स्तर पर निगरानी और समीक्षा कमेटी, मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार को देने के लिए तैयार किए जाने हैं, जिनमें लक्ष्य और उपलब्धियाँ दर्शायी जायेंगी। यद्यपि लेखापरीक्षा ने देखा कि जिला स्तर पर समीक्षा और निगरानी समितियाँ अभी तक नहीं बनायी गयी थी।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2017) कि दिल्ली में मिशन का कार्यान्वयन और क्रियान्वयन की गतिविधियों की अध्यक्षता के लिए राज्य मिशन निदेशक है जिन्हें सीमित शक्ति दी गई है और सम्पूर्ण स्टाफ को दूसरे विभागों/शाखाओं का अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है जो बराबर महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि मिशन के अंतर्गत कार्य के सुधार के लिए अभ्युक्तियों पर विचार किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त, जिला स्तरीय समीक्षा एवं निगरानी समितियों के गठन नहीं होने के बारे जवाब मौन है।

3.10.6 निष्कर्ष

अपर्याप्त रूप से शौचालय की आवश्यक संख्या का आकलन किया गया था। दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार, दिल्ली में 3.5 लाख घरों में (कुल घरों का लगभग 10.5 प्रतिशत) शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। बाईस प्रतिशत झुग्गी झोपड़ियों में किसी प्रकार की शौचालय सुविधा नहीं थी। फिर भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने मिशन के कार्यान्वयन को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। मिशन के आरंभ 2 अक्टूबर 2014 से ढाई वर्षों में मिशन के अंतर्गत एक भी शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार 2019 तक विस्तारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 1,27,005 घरेलू शौचालय, 2,357 सामुदायिक शौचालय (स्लम और झुग्गी झोपड़ी में आवश्यक सामुदायिक शौचालयों के अतिरिक्त) और 9,157 सार्वजनिक शौचालयों की आवश्यकता थी जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने 11,117 घरेलू शौचालयों, 25,097 सामुदायिक शौचालयों (झुग्गी झोपड़ी और स्लम हेतु 16,050 को सम्मिलित कर) और 605 सार्वजनिक शौचालयों का अक्टूबर 2019 तक मिशन के अंतर्गत घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु आकलन किया था। अनाधिकृत कालोनी के निवासी मिशन के अंतर्गत घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु विचार नहीं किए गए इसका आशय यह है कि योजना के चरण से ही अधिकांश शौचालय की सुविधा से वंचित निवासी मिशन से बाहर कर दिए गए थे। घरेलू शौचालयों के लाभ लेने

के लिए परिवारों को शिक्षित करने का पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने मिशन के अंतर्गत कार्यान्वयन ऐजेंसियों को उनके आकलन के अनुसार निधियां प्रदान नहीं की। कार्यान्वयन ऐजेंसियों को निधियाँ जारी करने में विलम्ब किया गया और मिशन के लिए जारी की गयी कुल निधि ₹ 40.31 करोड़ बैंक में निरर्थक पड़ी रही। निरीक्षण और निगरानी तंत्र प्रभावी नहीं था।

मामला अगस्त 2017 में सरकार को भेजा गया एवं उनके उत्तर जनवरी 2018 तक प्रतीक्षित थे।

3.11 दिल्ली जल बोर्ड में ₹ 10.85 करोड़ खर्च करने के बाद 10 वर्षों तक सीवर का कार्य चलता रहा।

तदर्थ योजना में युग्मित यथोचित परिश्रम की कमी व समयबद्धता तथा अपर्याप्त प्रबंधन पर्यवेक्षण के कारण सीवर बिछाने का कार्य जो कि सितम्बर 2007 तक पूरा किया जाना था 30 जून 2017 तक प्रगति पर था एवं ₹ 10.85 करोड़ खर्च करने के बाद भी जुलाई 2011 से निर्मित भाग का इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के शाहदरा जल निकासी क्षेत्र के अधीन जागृति सीवेज पम्पिंग स्टेशन (एस.पी.एस.) क्षेत्र के अन्य पम्पिंग स्टेशनों से प्रवाह प्राप्त करता है। डीजेबी ने (अगस्त 2006) मौजूदा सीवर लाईन की 1200-1400 मिमी व्यास ट्रंक सीवर को आगे बढ़ाने के लिए विवेकानन्द महिला कालेज से जागृति एस.पी.एस. तक 1000-1200 मिमी व्यास सीवर बिछाने का निर्णय लिया। इसका मुख्य उद्देश्य विवेकानन्द कालेज के नजदीक नाले के पानी के अतिप्रवाह को रोकना एवं जलग्रहण क्षेत्र में मौजूद सीवर का अधिभार लगाना, एवं यमुना नदी में प्रदूषण स्तर को कम करना था। 1000-1200 मिमी व्यास के सीवर को प्रदान करने, बिछाने एवं जोड़ने का यह कार्य ₹ 3.76 करोड़ के लागत से सितम्बर 2007 तक पूर्ण होने के लिए एक ठेकेदार को दिया गया (अगस्त 2006)।

डीजेबी ने ₹ 1.24 करोड़ मूल्य के 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के बाद इस संविदा को रद्द कर दिया (अगस्त 2009) जिसमें से ठेकेदार को ₹ 1.01 करोड़ का भुगतान किया गया। सड़क मरम्मत शुल्क के रूप में डीजेबी ने ₹ 6.88 करोड़ की राशि का भी सड़क मालिक एजेंसियों को भुगतान किया। डीजेबी ने बाकी बचे कार्य को जोखिम पर ₹ 4.78 करोड़ की कुल लागत पर एक दूसरे ठेकेदार को पुनः प्रदान किया एवं पहले ठेकेदार से ₹ 2.01 करोड़ की वसूली की जानी थी। दूसरे ठेकेदार ने चार सड़क क्रॉसिंग³⁶ पर खाली जगहों को छोड़कर जिन्हे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक एवं सड़क मालिक एजेंसियों से अनुमति की अनुपलब्धता के कारण, जारी नहीं रख सका, जुलाई 2011 में अनुबंध के समय के भीतर कार्य पूरा कर लिया। डीजेबी ने संविदा को शीघ्र बन्द कर दिया एवं दूसरे ठेकेदार को उसके कार्य के लिए ₹ 2.96 करोड़ का भुगतान किया। सीवर बिछाने का कार्य जो सितम्बर 2007 तक पूरा किया

³⁶ दीपक मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने एवं मेट्रो लाईन के नीचे सड़क सं. 75 बी की क्रॉसिंग, कडकडुमा जिला न्यायालय के नजदीक सड़क सं. 58 की क्रॉसिंग, एमसीडी जोनल ऑफिस के नजदीक सड़क सं. 72 विस्तार व गंदा नाला की क्रॉसिंग एवं विवेकानन्द महिला कॉलेज के नजदीक मेन चौक की क्रॉसिंग।

जाना था 30 जून 2017 तक चालू रहा एवं ₹ 10.85 करोड़³⁷ खर्च करने के बाद भी, जुलाई 2011 से निर्मित हिस्सा उपयोग में नहीं लाया जा सका।

डीजेबी के कार्यकारी अभियन्ता (सी) जल-प्रणाली -X डिवीजन ने उत्तर दिया (मार्च 2016 एवं जुलाई 2017) कि संविदा अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार उसके गैर-निष्पादन के कारण डीजेबी ने पहले ठेकेदार से संविदा रद्द कर दी थी। दूसरे ठेकेदार के साथ संविदा शीघ्र ही बंद कर दी गई क्योंकि चार सड़क क्रॉसिंग में खाली जगहों पर कार्य नहीं किया जा सका क्योंकि सीवर बिछाने के लिए करीब 16 फीट गहराई की खुदाई इन क्रॉसिंग पर अत्यधिक ट्रैफिक, भूमिगत उपयोगिताओं की उपस्थिति, नीचे की मिट्टी की स्थिति के कारण ओपन कट विधि से संभव नहीं थी। ट्रेंचलेस तकनीक का उपयोग कर इन क्रॉसिंग्स के चारों ओर सीवर बिछाने का निर्णय लिया गया (मई 2011) जो दूसरे ठेकेदार के कार्यक्षेत्र में नहीं था। ₹ 2.42 करोड़ की लागत पर 3 मार्च 2017 को ट्रेंच तकनीक के द्वारा सीवर के खाली भाग हेतु कार्य आदेश जारी किया गया है। डीजेबी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है एवं निम्नलिखित तथ्यों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए:-

1. डीजेबी सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के पैरा 4.2 के संदर्भ में पहले ठेकेदार को अवरोधमुक्त साइट मुहैया करने में विफल रहा जो बताता है कि विस्तृत आकलन एवं ड्राइंग और डिजाइन की तैयारी इस बात का आश्वासन प्राप्त होने के बाद ही करना चाहिए कि साइट बिना किसी अवरोध के उपलब्ध है अथवा उचित समय के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा।
2. यह कार्य व्यस्त एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में क्रियान्वित करना था एवं सिविक निकायों से सड़क काटने की अनुमति की आवश्यकता थी। अनुमति लेने में देरी की जोखिम को सीवर बिछाने की योजना के बारे में इन सिविक एजेंसियों से परामर्श कर पहले ही पर्याप्त रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिए था एवं ठेका देने से पूर्व अनुमति लिया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया था।
3. ठेका के सामान्य शर्तों के खण्ड 32 के अनुसार, ठेकेदार को इन प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति हेतु अनुरोध करना था। डीजेबी को हालांकि अनुमति एवं प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई करने हेतु औपचारिक पत्र जारी करना था। यह नहीं किया गया था। हमने देखा कि पाँच सड़क साइट ऐसे थे जहाँ सड़क काटने की अनुमति जरूरी थी। डीजेबी ने 01 अगस्त 2006 एवं

³⁷ प्रथम ठेकेदार को भुगतान - ₹ 1.01 करोड़, ठेकेदार को भुगतान - ₹ 2.96 करोड़ एवं सड़क मरम्मत शुल्क - ₹ 6.88 करोड़

06 फरवरी 2008 को डीडीए से दो साइट, 18 अप्रैल 2006 एवं 14 मार्च 2008 को पीडब्ल्यूडी से दो साइटें एवं 14 फरवरी 2008 को एमसीडी से एक साइट हेतु सड़क काटने की अनुमति हेतु आवेदन किया था। डीजेबी ने मार्च 2007 एवं मार्च 2011 के बीच इन सिविक एजेंसियों को सड़क मरम्मत शुल्क जमा किया था। डीजेबी केवल एक साइट अर्थात् महिला कालेज से झिलमिल चौक तक सड़क सं. 71 एवं 58 हेतु सड़क काटने की ही अनुमति प्राप्त कर सका।

आगे, ओपन कट तकनीक से चार सड़क क्रॉसिंग पर खाली जगहों पर सीवर बिछाने हेतु बाधाओं की उपस्थिति जैसेकि इन क्रॉसिंगों पर ज्यादा ट्रैफिक, भूमिगत उपयोगिताओं की उपस्थिति तथा नीचे की मिट्टी की स्थिति के बारे में डीजेबी को पता होना चाहिए था, जब उसने 2006 में पहला ठेका दिया साथ ही जब उसने सितम्बर 2010 में दुबारा ठेका दिया। इस प्रकार, ट्रेंचलेस तकनीक के इस्तेमाल को शामिल कर उचित तकनीक पर विचार किया जाना चाहिए था। परन्तु डीजेबी ने यह मई 2011 में महसूस किया जब डीजेबी की वरिष्ठ प्रबंधन टीम ने क्षेत्र का दौरा किया। मई 2011 में डीजेबी ने ट्रेंचलेस तकनीक के इस्तेमाल पर निर्णय लेने पर भी, डीजेबी ने मार्च 2017 में संविदा देने के लिए छः वर्ष का समय लिया। जो कार्य ₹ 3.76 करोड़ की लागत पर होना था वह अब ₹ 6.62 करोड़ की लागत पर होगा।

डीजेबी ने कहा (दिसम्बर 2017) कि कार्य के क्रियान्वयन में देरी सीवर लाईन के सीध में परिवर्तन के कारण हुई जिसके लिए डीडीए, पीडब्ल्यूडी व डीएमसी से दुबारा सड़क काटने की अनुमति लेना जरूरी था। हालाँकि, पीडब्ल्यूडी ने सड़क पर बढ़ते ट्रैफिक के कारण अनुमति देने से मना कर दिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीध में परिवर्तन के कारण नई सड़क काटने की अनुमति की आवश्यकता शुरु के स्तर में उचित योजना की कमी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, डीजेबी ने यह विश्लेषण नहीं किया कि अगस्त 2011 तक ₹ 10.85 करोड़ पर पूरा किए गए कार्य का कितना भाग उपयोग किया जा सकेगा जब सितम्बर 2018 में चार सड़क क्रॉसिंग पर सीवर बिछाने का कार्य पूरा होगा, विश्लेषण नहीं किया।

इस प्रकार, तदर्थ योजना से युग्मित यथोचित परिश्रम की कमी व समयबद्धता तथा अपर्याप्त प्रबंधन पर्यवेक्षण के कारण सीवर बिछाने का कार्य जो कि सितम्बर 2007 तक पूरा किया जाना था, 30 जून 2017 तक प्रगति पर था एवं ₹ 10.85 करोड़ जिसमें ₹ 6.88 करोड़ के सड़क मरम्मत शुल्क शामिल हैं खर्च करने के बाद भी अगस्त 2011 से निर्मित भाग का इस्तेमाल नहीं किया जा सका। आगे, सड़क मालिक एजेंसियों द्वारा सड़क मरम्मत पर वास्तविक

खर्च के बारे में डीजेबी को नहीं बताया गया। इसके अतिरिक्त विवेकानन्द महिला कॉलेज के नजदीक नाले के पानी के ऊपर प्रवाह की समस्या का समाधान करने एवं जलग्रहण क्षेत्र में मौजूदा सीवर शुल्क एवं यमुना नदी में प्रदूषण स्तर को कम करने का आशयित उद्देश्य पिछले 10 वर्षों से प्राप्त नहीं हो सका।

मामला जुलाई 2017 में जीएनसीटीडी को भेजा गया और उत्तर जनवरी 2018 तक प्रतीक्षित था।

3.12 ₹ 3.18 करोड़ मूल्य के निष्क्रिय उपकरण

सिविल कार्यों के साथ इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल उपकरण की समक्रमिक खरीद में दिल्ली जल बोर्ड की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.18 करोड़ की लागत वाले उपकरण निष्क्रिय पड़े रहे। तथ्य यह है कि ये उपकरण छः वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त थे, जोकि उनकी उपयोगिता के बारे में संदेह भी पैदा करता है।

चन्द्रावल वाटर वर्क्स न. 1 में जमावट व छानने के नवीनीकरण का कार्य अक्टूबर 2007 में टर्नकी आधार पर ₹ 38.20 करोड़ (सिविल वर्क्स के लिए ₹ 28.00 करोड़ और इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल कार्यों के लिए ₹ 10.20 करोड़) के लागत पर एक ठेकेदार को दिया गया था। दोष देयता अवधि के दौरान कार्य में डिजाईन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशन, ट्रायल रन और एक साल के आपरेशन और रखरखाव शामिल थे। इसके अलावा 1911 में निर्मित 20 फिल्टर एवं 1916 में 10 फिल्टर युक्त फिल्टर हाउस के नवीनीकरण को इस काम में शामिल किया गया था। कार्य 27 महीनों में अर्थात् 6 फरवरी 2010 तक तीन महीने का ट्रायल रन सहित पूरा किया जाना था।

कार्य के निष्पादन में बहुत ज्यादा विलंब हुआ और जैसा कि ठेकेदार द्वारा अनुरोध किया गया, के अनुसार सदस्य (जल आपूर्ति), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने बकाया कार्यों को छोड़कर अनुबंध बंद करने के मुद्दे को जांचने के लिए निर्देशित किया (मई 2014)। काम को अंततः सितम्बर 2016 में रोक दिया गया, यानी इस मुद्दे की जांच के लिए 16 महीने बाद डीजेबी ने देरी के लिए ठेकेदार पर ठेका लागत का 5 प्रतिशत दण्ड लगाया। फिल्टर हाउस का निर्माण अब एक दूसरे परियोजना के क्षेत्र में शामिल किया गया है जो जून 2017 तक निविदा प्रक्रिया में था।

बंद करने के समय भी, फिल्टर हाउस का निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ था। हालांकि, फिल्टर हाउस के सिविल निर्माण शुरु नहीं किया गया था, ठेकेदार ने नवम्बर 2009 और जुलाई 2011 के बीच फिल्टर हाउस के लिए ₹ 3.22 करोड़ मूल्य के इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल उपकरणों की खरीद की और डीजेबी ने ₹ 2.58 करोड़ का भुगतान किया जो कि इन मर्दों की अनुबंध लागत के 80 प्रतिशत था। कार्य के बन्द होने से परियोजना में इन उपकरणों को अनुपयोगी बना दिया और ये खरीद के समय से निष्क्रिय पड़े हैं।

डीजेबी ने उत्तर दिया (जुलाई 2017) कि ये उपकरण सर्वत्र डीजेबी में विशेष रूप से जल कार्य प्रभागों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के समान हैं और इनमें से अधिकतर अनुबंध बंद किए जाने के बाद उपयोग किये जा रहे हैं। जवाब सत्यापन के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं, लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि इन उपकरणों को अन्य प्रभागों में स्थानांतरित कर दिया गया था लेकिन जुलाई 2017 तक ₹ 3.9 लाख लागत में केवल 1000 मिमी. बटरफ्लाई वाल्व का उपयोग किया गया था और अन्य सभी उपकरण उनकी खरीद के छः वर्ष बाद भी अप्रयुक्त पड़े थे। आगे, चूंकि ये उपकरण ठेकेदार द्वारा स्थापित नहीं किये गये, इसलिए ठेकेदार द्वारा प्रदत्त दोष देयता भी समाप्त हो गई।

इस प्रकार, सिविल कार्यों के साथ इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल उपकरणों की समक्रमिक खरीद में डीजेबी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.18 करोड़ की लागत वाले उपकरण निष्क्रिय पड़े हैं। तथ्य यह है कि ये उपकरण छः वर्षों से अधिक समय से अप्रयुक्त थे, जो उनकी उपयोगिता के बारे में संदेह भी पैदा करता है। फिल्टर हाउस के निर्माण के बिना काम रुकने के परिणामस्वरूप निष्पादन सिस्टम की दक्षता से समझौता हुआ, क्योंकि विषम वायु और पानी के दबाव के विकास की समस्या बैक वाशिंग और फिल्टरिंग कार्यों को प्रभावित करता है जिसका समाधान नहीं हुआ।

मामला अक्टूबर 2017 में सरकार को भेजा गया एवं उनके उत्तर जनवरी 2018 तक प्रतीक्षित थे।

3.13 ठेकेदार को लिक्विडेटेड क्षति आरोपित नहीं करना एवं लागत में वृद्धि का अनियमित भुगतान

₹ 4.48 करोड़ के लिक्विडेटेड क्षति को आरोपित किये बिना समय विस्तार एवं पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद ₹ 3.86 करोड़ की लागत में वृद्धि का भुगतान जो संविदा में नहीं दिखाया गया था, ठेकेदार को अनुचित लाभ दिए जाने को दर्शाता है जिससे परियोजना की कुल लागत में ₹ 8.34 करोड़ की वृद्धि हुई।

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने यमुना विहार, शाहदरा में डिजाईन, बिल्ड एवं संचालन आधार पर 25 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी.) एवं दूसरे संबंधित संयुक्त/संबद्ध सहायक कार्यों के निर्माण हेतु कार्य ₹ 62.05 करोड़ की एकमुश्त लागत पर जिसमें सिविल कार्य हेतु ₹ 15.07 करोड़, इलैक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल (ई.एम.) कार्य हेतु ₹ 29.75 करोड़ एवं 10 वर्षों के संचालन व रखरखाव (ओएम) हेतु ₹ 17.22 करोड़ शामिल हैं, ठेकेदार को सौंपा (मार्च 2007) गया। एसटीपी 24 माह अर्थात् मार्च 2009 तक शुरु होना था। एसटीपी साढ़े छः वर्षों के विलम्ब के बाद 2 सितम्बर 2015 को शुरु हुआ एवं कुछ सिविल कार्य अगस्त 2017 तक प्रगति में थे।

जैसाकि कार्य पूर्ण होने के निर्धारित तिथि के बाद भी संविदा में काफी विलम्ब हुआ, ठेकेदार ने जून 2011 तक के विस्तार हेतु नवम्बर 2010 एवं पुनः दिसम्बर 2013 तक विस्तार हेतु जुलाई 2013 में लागत वृद्धि के साथ समय विस्तार हेतु अनुरोध किया। ठेकेदार द्वारा उल्लेखित देरी के कारणों में बाधा मुक्त निर्माण स्थल की अनुपलब्धता, डिजाईन एवं ड्राईंग की देरी से स्वीकृति, सामग्रियों की लागत में असाधारण वृद्धि, श्रमिकों की कमी, बारिश के कारण निर्माण स्थल में बाढ़ आना इत्यादि थे।

यह संविदा सामग्रियों के मूल्य में लागत वृद्धि एवं कार्य के समाप्ति की निर्धारित तिथि अर्थात् मार्च 2009 तक श्रमिकों की मजदूरी हेतु ठेकेदार को क्षतिपूर्ति प्रदान किया न कि उसके बाद भी चाहे कार्य के पूर्ण होने में देरी हेतु बिना लिक्विडेटेड क्षति आरोपित किये समय विस्तार (इओटी) दिया गया हो। उक्त संविदा प्रावधान के उल्लंघन में, डीजेबी ने 30 जून 2014 अर्थात् कार्य

समाप्ति हेतु निर्धारित तिथि के बाद 1,921 दिनों के लिए ठेकेदार को ₹ 3.86 करोड़ के लागत वृद्धि के भुगतान सहित इओटी प्रदान किया। उसने एसटीपी के चालू होने में साढ़े छः वर्षों के विलम्ब के लिए कुल संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत (ओ.एम. की लागत को छोड़कर) ₹ 4.48 करोड़ के लिक्विडेटेड क्षति को नहीं लगाया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बिना लिक्विडेटेड क्षति आरोपित किए पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाहर लागत वृद्धि सहित बाद के समय विस्तार की अनुमति प्रदान करने का एक मामला जिसमें बाधा ठेकेदार के कारण नहीं होना दर्शाया गया और कार्य को पूरा करने के लिए डीजेबी से थोड़ी मदद की आवश्यकता थी क्योंकि उनकी न्यूनतम बोली इसके समान अन्य परियोजनाओं के औसत लागत से कम थी जिससे अनुमोदित लागत पर कार्य को पूरा करना कठिन हो जाता है। कार्यकारी अभियन्ता ने जवाब दिया (अगस्त 2017) कि वृद्धि के भुगतान सहित समय विस्तार को डीजेबी के सभी स्तरों पर विचार-विमर्श करने के बाद तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उस देरी की अवधि के लिए ठेकेदार उत्तरदायी नहीं था। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है एवं निम्नलिखित तथ्यों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए।

1. डीजेबी में शक्तियों का प्रत्यायोजन किसी प्राधिकारी को संविदा शर्त में बदलाव की अनुमति प्रदान नहीं करता। डीजेबी की वित्त शाखा जो वित्तीय प्रस्ताव से सहमत है ने विशिष्ट रूप से इस मामले में कहा (अगस्त 2011) कि संविदा अनुबंध में बदलाव उचित प्रतीत नहीं होता है।

2. तकनीकी रूप से योग्य पाँच बोलीकर्ताओं में जिसके मूल्य बोली खोले गये थे, से खुली निविदा में इस ठेकेदार से सबसे कम बोली प्राप्त हुई थी। जब इस संविदा को दिए जाने हेतु बोर्ड (डीजेबी) से अनुमति मांगी गयी तो मुख्य अभियन्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस ठेकेदार का पिछला कार्य संतोषप्रद था क्योंकि उन्होंने डीजेबी हेतु पप्पन कलां में 20 एमजीडी एवं महरौली में 5 एमजीडी हरियाणा के गुड़गांव में 30 एमएलडी³⁸ तथा पानीपत में 93.3 एमएलडी तथा पंजाब में भाटियां में 222 एमएलडी तथा भलोक में

³⁸ मिलियन लीटर प्रतिदिन

304 एमएलडी के एसटीपी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया था। इसलिए, एसटीपी निर्माण में काफी अनुभव होने के कारण यह स्वीकार करना असंगत है कि इस ठेकेदार ने सबसे कम बोली उद्धृत करने में गलती की होगी एवं इस प्रकार डीजेबी से समर्थन की आवश्यकता है। यदि इस ठेकेदार ने संविदा पाने के लिए कम बोली प्रस्तुत करने का जोखिम लेने का फैसला किया तो उसे अपने फैसले की लागत माननी चाहिए और डीजेबी की निधि से मुआवजा नहीं देना चाहिए।

3. यह कहना वास्तव में गलत है कि देरी की अवधि (1,921 दिनों) के लिए लागत वृद्धि का भुगतान किया गया जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं था। डीजेबी ने मार्च 2007 से अगस्त 2013 में कार्य के शुरु होने के समय से व्यवधान रजिस्टर बनाया था जिसमें व्यवधान की प्रकृति/मदों के कुल दिन दर्ज हैं। रजिस्टर 1,921 दिनों के देरी के विरुद्ध कुल 601 दिनों के व्यवधान को दर्शाता है जिसके लिए डीजेबी द्वारा लागत वृद्धि का भुगतान किया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि 1,320 दिनों की देरी के लिए लागत वृद्धि के भुगतान का जिम्मेदार किसी कार्य से संबंधित व्यवधान को नहीं ठहराया जा सकता है।


4. संविदा 24 महीनों (मानसून को शामिल कर) दो वर्षा ऋतुओं एवं निर्धारित संसदीय/विधानसभा चुनाव को सम्मिलित करते हुए थी एवं इस प्रकार वर्षा व चुनाव के कारण संभावित व्यवधान (186 दिन) के बारे में ठेकेदार को पता होना चाहिए था। चूँकि इसके सीध में एक पेड़ आ रहा था जिसके कारण इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने में 46 दिनों की देरी तथा डाइजेस्टर्स को बदलने पर 40 दिनों का व्यवधान हुआ जिसके लिए डीजेबी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि संविदा को शुरु करने के लिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना ठेकेदार की जिम्मेवारी थी एवं पेड़ की मौजूदगी के बारे में ठेकेदार को पता होना चाहिए था क्योंकि उसने बोली प्रस्तुत करने से पहले साइट का मुआयना किया था। 2007-08 के दौरान उच्च सामग्री मूल्य एवं फसल सीजन के दौरान श्रमिक की कमी के कारण परियोजना हेतु पर्याप्त सामग्री खरीदने के लिए ठेकेदार की अयोग्यता के लिए डीजेबी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार, देरी हेतु लिक्विडेटेड क्षति लगाए बिना

एवं लागत वृद्धि के भुगतान सहित समय विस्तार प्रदान करने के लिए निर्धारित समाप्ति अवधि के दौरान इन व्यवधान को उदधृत करना उचित नहीं था।

इस प्रकार, ₹ 4.48 करोड़ के लिक्विडिटेड क्षति को आरोपित किये बिना समय विस्तार एवं पूर्ण होने के निर्धारित तिथि के बाद ₹ 3.86 करोड़ के लागत वृद्धि के भुगतान जो ठेकेदार को अनियमित लाभ दिये जाने को दर्शाता है जिसके कारण परियोजना की कुल लागत में ₹ 8.34 करोड़ से वृद्धि हुई।


मामला सितम्बर 2017 में सरकार को भेजा गया एवं उनके उत्तर जनवरी 2018 तक प्रतीक्षित थे।

नई दिल्ली
दिनांक: 21 मार्च 2018


(सुशील कुमार जायसवाल)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 22 मार्च 2018


(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 25 लाख या अधिक के सहायता अनुदान प्राप्त
एनजीओ की विवरणी
(पैराग्राफ 1.1 देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	एनजीओ का नाम	प्राप्त अनुदान	
1	महिला एवं बाल विकास विभाग	1	दिल्ली का वाईडब्ल्यूसीए	77.00
		2	दिल्ली समाज कल्याण बोर्ड	142.23
		3	प्रयास, ओएचबी-1	79.58
		4	सलाम बालक ट्रस्ट	32.71
		5	बालिकाओं हेतु प्रयास आश्रम गृह	28.97
		6	बालिकों हेतु प्रयास आश्रम गृह	55.90
		7	बाल सहयोग	50.44
		8	सलाम बालक ट्रस्ट डीएमआरसी बाल गृह	61.29
		9	ओडीआरएस एसबीटी मोरीगेट	19.64
2	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक का कल्याण विभाग/केआइएसएस)	10	समाज विज्ञान का कलिंग संस्थान	282.36
3	विधि, न्याय एवं विधायी मामलें	11	दिल्ली विवाद समाधान सोसाइटी	400.00
कुल			1,230.12	

परिशिष्ट 2.1.1
कम जीवन काल वाली दवाइयों की खरीद
(पैराग्राफ 2.1.9.4 देखें)

क्र. सं.	दवा का नाम	एजेंसी	इनवाइस सं. एवं तिथि	उत्पादन तिथि	कुल जीवनकाल (माह)	खरीद के समय बकाया जीवन अवधि	मात्रा	इकाई दर	लागत (₹ में)
1	अंताफ सीरफ	मेसर्स केएपीएल	(206)8.2.13	10/11	36	21 माह (58)	3800	21.50	81,700
2	ब्लोपूर सीरफ	मेसर्स केएपीएल	(206)8.2.13	9/11 6/11 10/10	36 36 36	20 माह (55) 17 माह (47) 09 माह (25)	865 246 350	19.95	29,147
3	काल्डिस सीरफ	मेसर्स केएपीएल	(206)8.2.13	9/11	36	20 माह (55)	2100	19.90	41,790
4	डाइकॉन सीरफ	मेसर्स केएपीएल	(206)8.2.13	10/11	24	8 माह (33)	2000	19.85	39,700
5	के.फेरोमैक्स सीरफ	मेसर्स केएपीएल	(206)8.2.13	10/11	36	21 माह (58)	900	26.90	24,210
6	नेबोर सीरफ	मेसर्स केएपीएल	(206)8.2.13	9/11 10/11	36 24	20 माह (55) 09 माह (37)	1842 250	20.30	42,468
7	डिल्का सीरफ	मेसर्स केएपीएल	(206)8.2.13	9/11	36	20 माह (55)	1200	20.15	24,180
8	के.कोल्ड टैबलेट	मेसर्स केएपीएल	(206)8.2.13	10/11	36	21 माह (58)	37	16.70	618
9	हरिद्रया	मेसर्स केएपीएल	(206)8.2.13	10/11	36	21 माह (58)	80	25.50	2,040
10	डेल्टा सीरफ	मेसर्स केएपीएल	(208)13.2.13	9/11	36	19 माह (53)	40	20.15	806
11	एक्सोल टैबलेट	मेसर्स केएपीएल	(207)8.2.13	9/11 9/11	36 36	20 माह (55)	1731 5280	17.10	1,19,888
12	डाइकॉन टैबलेट	मेसर्स केएपीएल	(207)8.2.13	9/11	36	20 माह (55)	1690	11.25	19,012
13	काल्डिस टैबलेट	मेसर्स केएपीएल	(207)8.2.13	10/11 10/11	36 36	21 माह (58)	3804 1692	18.65	1,02,500
14	रेफिड टैबलेट	मेसर्स केएपीएल	(207)8.2.13	10/11	36	21 माह (58)	2286	22.40	51,206
15	ल्यू टैबलेट	मेसर्स केएपीएल	(207)8.2.13	9/11	36	20 माह (55)	1806	20.30	36,662
16	मधु नियंत्रक टैबलेट	मेसर्स केएपीएल	(207)8.2.13	10/11	36	21 माह (58)	261	25.00	6,525
17	के.बर्न कूल आइंट	मेसर्स केएपीएल	(207)8.2.13	11/11	24	10 माह (42)	876	22.35	19,579
18	करगुल पी आइंट	मेसर्स केएपीएल	(207)8.2.13	11/11	24	10 माह (42)	1076	22.40	24,102
19	के- कोल्ड रब	मेसर्स केएपीएल	(207)8.2.13	11/11	24	10 माह (42)	840	21.00	17,640
20	रेफिट आइंट	मेसर्स केएपीएल	(207)8.2.13	11/11	24	10 माह (42)	85	22.50	1,912
21	डरमेक्स आइंट	मेसर्स केएपीएल	(207)8.2.13	11/11	24	10 माह (42)	476	24.45	16,638
22	एक्सोल टैबलेट	मेसर्स केएपीएल	(281)29.11.16	11/14	36	12 माह (33)	15	18.97	285
कुल									7,02,608/-

परिशिष्ट 2.2.1
सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बगैर क्रियान्वित किये गये कार्यों का विवरण
(पैराग्राफ 2.2.9.2 (iii) देखें)

क्र. स.	डिवीजन	डिवीजन	कार्यों का विवरण	कार्य आदेश/कार्य को अवाई करने की तिथि	अंतिम/पूर्ण बिल की राशि (₹)
1	2	3	4	5	6
1	एसडीएमसी	(प्रो)-I/सीएनजेड	एनडीएसई-1 में सड़कों का सुधार तथा सुदृढीकरण तथा नालियों का निर्माण कराना	02/ 27.06.14	8,50,633
2	एसडीएमसी	(प्रो)-I/सीएनजेड	चिराग एन्क्लेव में आरएमसी फुटपाथ तथा नालियों की प्रणाली में सुधार के द्वारा सड़क बर्म का सुधार	04/ 11.08.15	3,13,87,650
3	एसडीएमसी	(प्रो)-I/सीएनजेड	डिफेंस कालोनी स्कूल क्षेत्र में कुल स्टेशन सर्वेक्षण	08, 22.08.12	1,97,500
4	एसडीएमसी	(प्रो)-I/सीएनजेड	अम्बेडकर स्टेडियम में कार्यालय फर्नीचर का प्रावधान	09, 22.08.12	5,99,436
5	एसडीएमसी	(प्रो)-I/सीएनजेड	अम्बेडकर स्टेडियम में कार्यालय फर्नीचर का प्रावधान	10, 22.08.12	5,84,476
6	एसडीएमसी	(प्रो)-I/सीएनजेड	कुल स्टेशन सर्वेक्षण तथा परामर्श	34, 15.01.13	1,53,400
7	एसडीएमसी	एम-1/डब्ल्यू जेड	नागल राया में वाणिज्यिक परिसर में फुटपाथ का निर्माण	839/ 17.12.14	4,99,798
8	एसडीएमसी	एम-1/डब्ल्यू जेड	हरि नगर में थर्मोप्लास्टिक पेंट का प्रयोग करके रोड मार्किंग स्ट्रिप को उपलब्ध कराना तथा लगाना	1192/ 11.03.15	4,62,426
9	एसडीएमसी	एम-1/डब्ल्यू जेड	रजोरी गार्डन में परिवहन मार्ग (बचा हुआ कार्य) का रुका होना	126/ 09.07.15	1,82,39,242
10	एसडीएमसी	प्रो-II/एस जेड	गदियापुर गांव में डैस कार्पेट बिछा कर सड़क का सुधार	3/ 26.04.12	4,96,968
11	एसडीएमसी	प्रो-II/एस जेड	एसडीएमसी में सिविक सेंटर में कार्यालय केबिन का निर्माण	9/ 05.11.12	2,63,053
12	एसडीएमसी	प्रो-II/एस जेड	सिविक सेंटर में कार्यालय केबिन का निर्माण	14/ 24.12.12	5,74,589
13	एसडीएमसी	प्रो-II/एस जेड	सिविक सेंटर/एसडीएमसी में आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराना	01/ 22.05.14	22,13,761
14	एसडीएमसी	डब्ल्यूजेड, प्रो-II	विकास पुरी में पुलिया का निर्माण	05/ 18.04.12	3,69,595
15	एसडीएमसी	डब्ल्यूजेड, प्रो-II	जनक सेतु पर साइनेज, ब्लिंक्स तथा रंबल स्ट्रिप उपलब्ध कराना	65/ 17.10.12	4,51,290
16	एसडीएमसी	डब्ल्यूजेड, प्रो-II	जनक सेतु के समीप बिटुमिनस कांक्रीट के द्वारा सड़क में सुधार	89/ 04.01.13	4,34,369
17	एसडीएमसी	डब्ल्यूजेड, प्रो-II	होली इनॉसेंट स्कूल से नजफगढ़ रोड तक सड़क का सुधार तथा सुदृढीकरण	10/ 29.04.13	14,36,445
18	एसडीएमसी	डब्ल्यूजेड, प्रो-II	विकास पुरी में कांगरा निकेतन सोसाइटी से के जी-2 के पार्क गेट तक सड़क का सुधार तथा सुदृढीकरण	11/ 29.04.13	14,51,280
19	एसडीएमसी	डब्ल्यूजेड, प्रो-II	वेस्ट जोन में डाबरी फ्लाइओवर के नीचे ई ई (प्रोजेक्ट-II) डब्लू जेड के कार्यालय भवन	16/ 01.08.14	12,21,412

क्र. स.	डिवीजन	डिवीजन	कार्यो का विवरण	कार्य आदेश/कार्य को अवाई करने की तिथि	अंतिम/पूर्ण बिल की राशि (₹)
			का निर्माण		
20	एसडीएमसी	डब्ल्यूजेड, प्रो-II	डाबरी फ्लाईओवर के नीचे अधीक्षक अभियंता (वेस्ट) के कार्यालय भवन का निर्माण	17/ 01.08.14	12,80,995
21	एसडीएमसी	डब्ल्यूजेड, प्रो-II	डाबरी फ्लाईओवर के नीचे ई ई (प्रोजेक्ट-1) डब्ल्यू जेड के कार्यालय भवन का निर्माण	26/ 13.11.14	12,50,047
22	एसडीएमसी	डब्ल्यूजेड, प्रो-II	वेस्ट जोन में डाबरी फ्लाईओवर के पिलर संख्या तीन एवं चार के नीचे भूखण्ड का सुधार	87/ 18.02.15	3,88,593
23	एसडीएमसी	डब्ल्यूजेड, प्रो-II	डी -1 - ए ब्लॉक, जनकपुरी के साइड बर्म का सुधार	92/ 25.02.15	3,66,236
24	एसडीएमसी	डब्ल्यूजेड, प्रो-II	जनकपुरी में रोड मार्किंग स्ट्रिप उपलब्ध कराना	93/ 25.02.15	4,34,099
25	एसडीएमसी	डब्ल्यूजेड, प्रो-II	डाबरी फ्लाईओवर के नीचे डिवीजनल कार्यालय में शौचालय ब्लॉक का निर्माण	105/ 27.03.15	7,33,411
26	एसडीएमसी	डब्ल्यूजेड, प्रो-II	भूतल का विकास	01/ 06.04.15	3,14,708
27	एसडीएमसी	डब्ल्यूजेड, प्रो-II	डाबरी फ्लाईओवर के नीचे स्पान सं. एक तथा दो के नीचे डिवीजनल कार्यालय में अतिरिक्त कमरें तथा बाउंडरी वाल का निर्माण	11/ 16.04.15	12,23,143
28	एसडीएमसी	डब्ल्यूजेड, प्रो-II	जनकपुरी में थर्मो प्लास्टिक पेंट का प्रयोग करके रोड मार्किंग स्ट्रिप उपलब्ध कराना तथा लगाना	19/ 10.07.15	2,16,832
29	एसडीएमसी	डब्ल्यूजेड, प्रो-II	जनक सेतु के रेलवे स्पान के फुटपाथ पर चेकड टाइल उपलब्ध कराना	47, 24.07.12	4,99,300
30	एसडीएमसी	डब्ल्यूजेड, प्रो-II	जनक सेतु के रेलवे स्पान पर हैंड रेलिंग उपलब्ध कराना	48, 24.07.12	4,98,600
31	एसडीएमसी	डब्ल्यूजेड, प्रो-II	जनक सेतु पर केंद्रीय वर्ज उपलब्ध कराना	01, 04.04.13	4,99,200
32	एसडीएमसी	डब्ल्यूजेड, प्रो-II	पंजाबी बाग में साइड बर्म का सुधार	108, 04.02.14	4,98,400
33	इडीएमसी	शाहदरा नार्थ प्रो-1	टोल टैक्स प्लाजा बाबापुर रोड के समीप अप्सरा बार्डर तथा अनाज मंडी ओल्ड जोनल कार्यालय शाहदरा के भूखण्ड के विकास के लिये नियत परामर्श कार्य	41/ 09.01.13	3,78,000
34	इडीएमसी	शाहदरा नार्थ प्रो -1	डिवीजनल कार्यालय के प्रयोग के लिए फ्लोरिंग सैनिटरी तथा जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के द्वारा साइट कार्यालय का उन्नयन	11/ 20.06.13	13,87,849
कुल					7,18,56,736

परिशिष्ट 2.3.1

दिल्ली में कार्यशील मानक प्रयोगशालाओं द्वारा सेवित जनसंख्या में भिन्नता
(पैराग्राफ 2.3.7.3 (i) देखें)

क्र.सं.	जोनल कार्यालय	जोनल कार्यालय के अंतर्गत क्षेत्र वर्ग कि.मी. में	दिल्ली के रा.रा.क्षे. के कुल क्षेत्र में क्षेत्र का प्रतिशत	जनसंख्या	प्रयोगशालाएँ
1	उत्तर	61	4.11	8,87,978	एक कार्य मानक प्रयोगशाला
2	नई दिल्ली	35	2.36	1,42,004	एक कार्य मानक प्रयोगशाला
3	केंद्रीय	21	1.42	5,82,320	एक कार्य मानक प्रयोगशाला
4	पूर्व	63	4.25	17,09,346	एक कार्य मानक प्रयोगशाला
5	उत्तर पूर्व	62	4.18	22,41,624	एक कार्य मानक प्रयोगशाला
6	दक्षिण पश्चिम	421	28.39	22,92,958	एक कार्य मानक प्रयोगशाला
7	पश्चिम	130	8.77	25,43,243	एक कार्य मानक प्रयोगशाला और एक माध्यमिक मानक प्रयोगशाला
8	दक्षिण	247	16.66	27,31,929	एक कार्य मानक प्रयोगशाला
9	उत्तर पश्चिम	443	29.87	36,56,539	एक कार्य मानक प्रयोगशाला
	कुल	1,483		1,67,87,941	

परिशिष्ट 2.3.2

राजस्व प्राप्तियों व बैंक खातों में डिपोजिटों के बीच बेमेल होने का विवरण
(पैराग्राफ 2.3.8.2 (i) देखें)

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	उत्तर पश्चिम क्षेत्र	व्यास मापन यूनिट	पश्चिम जोन
1	रोकड़ बही के अनुसार नकद का आरंभिक शेष (01.04.2012 को)	1,20,860	10,833	5,700
2	जोड़ें ड्राफ्ट पंजिका के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट का आरंभिक शेष (01.04.2012 को)	1,12,375	-	-
3 (1+2)	आरंभिक शेष का कुल योग (नगद + ड्राफ्ट)	2,33,235	10,833	5,700
4	जोड़ें 01.04.2012 से 31.03.2017 के दौरान प्राप्त शुल्क/पेनल्टी	8,63,11,522	1,23,70,322	3,84,48,110
5 (3+4)	बैंक में डिपोजिट करने हेतु कुल धनराशि	8,65,44,757	1,23,81,155	3,84,53,810
6	घटाएँ 31-03-2017 को नकद/ड्राफ्ट का अंतिम शेष	4,000	55,885	-
ए (5-6)	बैंक में डिपोजिट करने हेतु निवल धनराशि	8,65,40,757	1,23,25,270	3,84,53,810
7	01.04.2012 से 31.03.2017 के दौरान बैंक में वास्तव में डिपोजिट की गई धनराशि (नगद + ड्राफ्ट)	8,61,63,327	1,21,81,169	3,78,90,880
8	जोड़ें पीओएस के माध्यम से बैंक में सीधे डिपोजिट की गई धनराशि	3,23,135	25,011	85,450
बी (7+8)	01.04.2012 से 31.03.2017 के दौरान बैंक में डिपोजिट की गई कुल धनराशि	8,64,86,462	1,22,06,180	3,79,76,330
सी (ए-बी)	01.04.2012 से 31.03.2017 की अवधि के दौरान प्राप्त तथा जमा की गई धनराशि में अंतर	54,295	1,19,090	4,77,480
	डिपोजिट में कुल कमी		6,50,865	

नोट: आंकड़े यह दर्शाते हैं कि डिपोजिट की गई धनराशि जोनल कार्यालयों/यूनिट द्वारा एकत्रित राजस्व से कम थी।

परिशिष्ट 2.3.3
राजस्व प्राप्तियों के डिपोजिट में विलंब के विवरण
(पैराग्राफ 2.3.8.2 (ii) देखें)

जोन/यूनिटों का नाम	बैंक में राजस्व डिपोजिट करने का तरीका	जोनल कार्यालयों/ यूनिटों द्वारा बैंक में रोकड़/डीडी डिपोजिट करने में लिए गए दिनों का रेंज	बैंक में रोकड़/डीडी डिपोजिट करने के मामलों की कुल संख्या	मामलों की संख्या जहाँ		जोन/यूनिटों में रोकड़/डीडी के संचलन की अधिकतम राशि
				रोकड़/डीडी डिपोजिट करने में तीन अथवा उससे कम दिन लिए गए	रोकड़/डीडी डिपोजिट करने में चार अथवा उससे अधिक दिन लिए गए	
दक्षिण जोन	रोकड़	2 दिन से 23 दिन	183	6	177	2,45,670
	डीडी	1 दिन से 43 दिन	155	12	143	14,46,000
उत्तर पश्चिम जोन	रोकड़	1 दिन से 25 दिन	183	10	173	5,45,995
	डीडी	1 दिन से 33 दिन	169	11	158	15,06,375
पश्चिम जोन	रोकड़	1 दिन से 33 दिन	239	18	221	5,00,525
	डीडी	1 दिन से 46 दिन	211	29	182	4,36,500
टैक्सी मीटर यूनिट (टीएमयू)	रोकड़	1 दिन से 16 दिन	310	58	252	5,23,210
व्यास मापन यूनिट	रोकड़	1 दिन से 55 दिन	154	5	149	1,50,971
	डीडी	1 दिन से 80 दिन	93	4	89	4,07,183
पूर्वी जोन	रोकड़	1 दिन से 38 दिन	181	8	173	2,78,915
	डीडी	2 दिन से 73 दिन	117	2	115	2,91,500
कुल			1995	163	1832	

परिशिष्ट 2.3.4
बैंक में रोकड़/डीडी डिपोजिट करने के लिए चालान प्रपत्रों में त्रुटियाँ
(पैराग्राफ 2.3.8.2 (iv) देखें)

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	जोन का उत्तर
उत्तर पश्चिम जोन	
<ul style="list-style-type: none"> चालान फाईल से आठ चालान मिसिंग थे रोकड़ डिपोजिट करने के लिए दो मामलों (चार चालान) में पृथक लेनदेन के लिए एक ही चालान संख्या उपयोग की गई ₹ 13.42 लाख मूल्य के तीन चालानों में कटिंग थी जिससे कटिंग के पश्चात वह ₹ 10.05 लाख प्रतिबिंबित हो रहा था 	<ul style="list-style-type: none"> मिसिंग चालान गंभीर प्रयासों के बावजूद नहीं मिले लिपिकीय गलती के कारण एक ही चालान संख्या थी एसबीआई ने कटिंग वाले चालानों के लिए डिपोजिट राशि का सामंजस्य करने का प्रस्ताव किया परन्तु एसबीआई का उत्तर प्रतीक्षित था
दक्षिण जोन	
2016-17 के दौरान रोकड़/डीडी डिपोजिट के 18 मामलों में एक ही चालान संख्याओं का उपयोग किया गया जबकि लेन-देन अलग तिथियों में हुए थे।	एक ही चालान संख्याएं गलती से जारी की गईं।

परिशिष्ट 3.2.1
कैलेंडर 2015-16 तथा 2016-17 में हिंदुस्तान स्काउट तथा गाइड द्वारा
संचालित नहीं की गई अनुमोदित गतिविधियां
(पैराग्राफ 3.2.7.6 (ग) देखें)

माह जिसमें गतिविधियां संचालित की जानी थी	गतिविधियों के नाम
मई 2015	कुल्तू मनाली में स्काउट, गाइड, स्काउटर्स तथा गाइडर्स के लिए ग्रीष्मावकाश प्रशिक्षण कैंप
नवंबर 2015	5 से 8 नवंबर तक कब, बुलबुल, स्काउट गाइड दिवस प्रशिक्षण कैंप (उत्तर पश्चिम क जिला) 11 से 14 नवंबर तक कब, बुलबुल, स्काउट गाइड दिवस प्रशिक्षण कैंप (उत्तर पश्चिम ख जिला) 16 से 19 नवंबर तक कब, बुलबुल, स्काउट गाइड दिवस प्रशिक्षण कैंप (उत्तर पश्चिम क जिला) 23 से 26 नवंबर तक कब, बुलबुल, स्काउट गाइड दिवस प्रशिक्षण कैंप (उत्तर पश्चिम ख जिला)
जनवरी 2016	3 जनवरी से 10 जनवरी 2016 तक ऋषिकेश/धर्मशाला में स्काउटर्स, गाइडर्स, रोवर्स तथा रैंजर के लिए एचडब्ल्यूबी पाठ्यक्रम 12 से 15 जनवरी 2016 तक कब, बुलबुल, स्काउट गाइड दिवस प्रशिक्षण कैंप
फरवरी 2016	22.02.2016 को आयोजित किया जाने वाला युनिट, जिला तथा राज्य स्तरीय थ्रिंकिंग डे
अप्रैल 2016	15 से 30 अप्रैल 2016 के दौरान सामुदायिक सेवाएं (सम तथा विषम स्कीम)
मई 2016	12 से 16 मई 2016 के दौरान नैनीताल में आयोजित किया जाने वाला शिक्षक प्रशिक्षण कैंप (बेसिक/एडवांस पाठ्यक्रम) नोएडा शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, दादरी में 25 से 29 मई 2016 तक प्रबंधन पाठ्यक्रम
जून 2016	2 से 4 जून तक रोवर्स प्रशिक्षण कैंप तथा 10 से 14 जून 2016 तक रैंजर्स ट्रेकिंग हाइकिंग कैंप (नवंबर 2016 में पुनर्योजित)
जुलाई 2016	दिल्ली में 24 से 30 जुलाई तक वन महोत्सव समारोह
सितंबर 2016	29 सितंबर 2016 को निबंध लेखन (जिलों द्वारा)
नवंबर 2016	26 से 29 नवंबर 2016 तक जिम कार्बेट पार्क में स्काउटर्स गाइडर्स तथा आफिसर्स ट्रेकिंग कैंप
दिसंबर 2016	9 से 11 दिसंबर 2016 तक स्काउट तथा गाइड के लिए दक्षता बैज के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कैंप 25 से 28 दिसंबर 2016 तक स्काउट तथा गाइड के लिए एडवेंचर हाइक तथा ट्रेकिंग
फरवरी 2017	27 फरवरी को मेट्रो स्टेशन के समीप रेल सेवा दिवस

परिशिष्ट 3.2.2

कैलेंडर 2015-16 तथा 2016-17 में भारत स्काउट तथा गाइड द्वारा संचालित नहीं की गई अनुमोदित गतिविधियां (पैराग्राफ 3.2.7.6 (ग) देखें)

माह जिसमें गतिविधियां संचालित की जानी थी	गतिविधियों के नाम
अप्रैल 2015	दिनांक 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक वेन्यू एस. मुख्यालय दरयागंज में कब, बुलबुल, स्काउट, गाइड दिवस प्रशिक्षण कैंप
	दिनांक 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस समारोह
	दिनांक 22 अप्रैल से 25 अप्रैल वेन्यू एस. मुख्यालय, दरयागंज, बुलबुल स्काउट, गाइड दिवस प्रशिक्षण कैंप
मई 2015	दिनांक 12 से 16 मई 2015 तक स्काउट, गाइड, स्काउटर्स, गाइडर्स के लिए ट्रेकिंग कैंप कसौली शिमला (हि.प्र.)
अगस्त 2015	दिनांक 26 से 29 अगस्त तक वेन्यू एस. मुख्यालय दरयागंज में कब, बुलबुल, स्काउट, गाइड दिवस प्रशिक्षण कैंप
सितंबर 2015	दिनांक 19 अप्रैल से 23 सितंबर तक स्काउट, गाइड, स्काउटर्स, गाइडर्स के लिए धर्मशाला (हि.प्र.) ट्रेकिंग कैंप
अक्टूबर 2015	दिनांक 28 अक्टूबर 2015 को वार्षिक स्काउटर्स - गाइडर्स सम्मेलन
	दिनांक 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय अखंडता सामाजिक सेवा दिवस समारोह
नवंबर 2015	दिनांक 14 से 18 नवंबर तक स्काउट, गाइड स्काउटर्स, गाइडर्स के लिए माउंट आबू उदयपुर में ट्रेकिंग कैंप
	दिनांक 19 से 23 नवंबर तक स्काउट, गाइड स्काउटर्स, गाइडर्स के लिए पंचमढ़ी (म. प्र.) में ट्रेकिंग तथा प्रकृति अध्ययन कार्यक्रम
जनवरी 2016	दिनांक 2 से 6 जनवरी तक स्काउट, गाइड, स्काउटर्स, गाइडर्स के लिए डलहौजी, अमृतसर में ट्रेकिंग कैंप
	दिनांक 7 से 15 जनवरी तक स्काउट, गाइड, स्काउटर्स, गाइडर्स के लिए मैसूर, ऊँटी में ट्रेकिंग कैंप
फरवरी 2016	दिनांक 22 फरवरी को यूनिट, जिला तथा राज्य स्तरीय थिंकिंग डे समारोह
मार्च 2016	दिनांक 1 से 8 मार्च तक यूनिट, जिला तथा राज्य स्तरीय अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह
	22 से 28 मार्च 2016 तक यूनिट, जिला तथा राज्य स्तरीय अस्पताल तथा सामुदायिक सेवाएँ समारोह

परिशिष्ट 3.4.1
वन विभाग द्वारा दी गई अनुमति फाईलों की सूची
(पैराग्राफ 3.4.1 देखें)

क्र. सं.	अनुमति आदेश संख्या	अनुमति की तिथि	वृक्षों की संख्या	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का दायित्व	
				विभाग	परमिट धारक
नो.नि.वि.					
1.	एफ.215/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/12-13/55-60	03.04.2014	212	1,120	1,120
2.	एफ.20/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/13-14/156-61	07.04.2014	349	1,510	3,490
3.	एफ.215/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/12-13/1077-82	21.05.2014	193	1,040	1,040
4.	121/एनएफडी/टीसी/फेलिंग/14-15/1085-88	24.09.2015	308	1,143	1,143
5.	आर.96 आईटीओ-(एस)/टीसी-फेलिंग/14-15/1455	05.08.2014	129	645	645
6.	एफ.49/एनएफडी/टीसी/14-15/378-80	21.07.2014	50	260	260
7.	आर.98आईटीओ-(एस)/टीसी-फेलिंग/15-16/2349-51	22.07.2015	216	1,080	1,080
8.	आर.418टीओ-(एस)/टीसी-फेलिंग/14-15/2886	21.10.2014	55	390	390
9.	एफ.08/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/15-16/10853-58	07.03.2016	191	955	955
10.	एफ.65/एनएफडी/टीसी/फेलिंग/13-14/231-36	28.05.2014	15	405	405
11.	एफ.09/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/15-16/7518-22	17.12.2015	165	0	1,650
12.	एफ.118/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/15-16/2213-21	21.03.2016	129	0	1,690
13.	एफ./डब्ल्यूएफडी/सीओटी/15-16/2861	19.07.2016	152	0	1,520
14.	एफ.215/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/13-14/पीटी-III/55-60	05.04.2016	56	280	280
डीएमआरसी					
15.	एफ.8(81)/डीसीएफ/एन/2011-12/738-41	24.11.2014	205	2,550	0
16.	आर.77टीओ-(एस)/टीसी-फेलिंग/13-14/921-22	24.06.2014	84	840	0
17.	आर.1465टीओ-(एस)/टीसी-फेलिंग/14-15/1085-88	26.05.2015	115	1,500	0
18.	एफ.33/एनएफडी/टीसी/फेलिंग/2015-16/819-21	23.12.2016	97	720	720
19.	एफ.89/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/13-14/4921-27	18.11.2014	216	2,310	0
ईडीएमसी					
20.	एफ.(18)/डीसीएफ/टीसी/उत्तर/डीपीटीए/बीएस/2012-13/839-42	15.12.2014	449	2,765	2,765
21.	एफ.30/डीसीएफ/टीसी/उत्तर/डीपीटीए/बीएस/2012-13/174-77	14.05.2015	86	880	880
एनएचआई					
22.	एफ.71/एनएफडी/टीसी/एनएचडीपी/2014-15/751-53	24.11.2016	530	0	40,000
	एफ.71/एनएफडी/टीसी/एनएचडीपी/2014-15/759-61	29.11.2016	1,503		
डीजेबी					
23.	एफ.84/एनएफडी/टीसी/फेलिंग/14-15/1106-09	03.03.2015	71	355	355
24.	एफ.63/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/15-16/7176-81	02.12.2015	158	820	820
25.	एफ./डब्ल्यूएफडी/सीओटी/14-15/5950-54	22.12.2014	137	0	1,720
दिल्ली पुलिस					
26.	एफ.18/डीसीएफ/उत्तर/13-14/56-61	16.04.2014	111	905	905

क्र. सं.	अनुमति आदेश संख्या	अनुमति की तिथि	वृक्षों की संख्या	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का दायित्व	
				विभाग	परमिट धारक
27.	आर.1154टीओ-(एस)/टीसी-फेलिंग/14-15/5575-79	23.12.2015	126	630	630
दिल्ली डेवलपमेंट ऑथोरिटी					
28.	एफ.40/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/14-15/330-34	26.09.2014	2	0	470
आर्मी					
29.	एफ.13/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/15-16/1158-62	14.03.2016	92	0	920
30.	एफ.61/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/15-16/7931-36	04.01.2016	48	240	240
31.	एफ.18/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/15-16/7879-84	01.01.2016	189	945	945
दिल्ली ट्रांस्को लि.					
32.	एफ.15/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/15-16/6521-22	02.11.2015	91	525	525
एनएटीजीआरआईडी					
33.	एफ.19/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/15-16/2183	30.06.2015	305	1,560	3,440
डीटीसी					
34.	एफ./डब्ल्यूएफडी/सीओटी/16-17/9023-28	03.03.2017	28	370	370
डीएसएसआईआईडीसी					
35.	एफ.78/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/13-14/2184	30.06.2015	444	2,220	2,780
एनबीसीसी					
36.	आर.202टीओ-(एस)/टीसी-फेलिंग/14-15/4105-07	08.12.2014	1,123	5,835	8,165
एम/ओ समाज कल्याण तथा सशक्तिकरण					
37.	आर.233टीओ-(एस)/टीसी-फेलिंग/14-15/2872	22.10.2014	75	455	745
सीपीडब्ल्यूडी					
38.	आर.1247टीओ-(एस)/टीसी-फेलिंग/15-16/983-84	24.05.2016	38	0	380
आईआईटी, होज खास					
39.	आर-570/टीओ(एस)/टीसी-फेलिंग/2016-17/856-857	01.06.2017	377	1,885	1,885
नॉदर्न रेलवेज					
40.	आर.155टीओ-(एस)/टीसी-फेलिंग/14-15/5815	18.02.2015	56	280	520
रेल विकास निगम लि.					
41.	आर.1310/टीओ(एस)/टीसी-फेलिंग/2015-16/5348-49	19.12.2016	103	530	530
आई.टी.पी.ओ.					
42.	आर.303/टीओ(एस)/टीसी-फेलिंग/2016-17/6287-88	01.02.2017	99	0	990
कुल			9,178	38,938	86,378

परिशिष्ट 3.5.1
रक्त कोषों में गैर-क्रियाशील उपकरणों का विवरण
(पैराग्राफ 3.5.5.9 (i) देखें)

क्र. सं.	रक्त बैंक का नाम	गैर क्रियाशील उपकरणों का नाम
1.	एसडीएनएच	डीप फ्रीजर - 30°C (15 माह), एयर लैमिनेटर फ्लो (3 माह) तथा रक्त कोष रेफ्रिजरेटर (38 माह)
2.	डीडीयूएच	जैल कार्ड इनक्यूबेटर (क्र.सं. 1002237) (17 दिन), ब्लड कलेक्शन मानीटर (हीमोमिक्सर) (क्र. सं. 4112223) (4 माह), ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर (क्र. सं. 1.2 पी 133 तथा 123) (5 माह तथा 7 माह) फुली आटोमेटेड ब्लड कंपोनेंट एक्स-ट्रैक्टर (क्र. सं. 7091015) (6 माह), ड्राई इनक्यूबेटर (7 माह), एलीशा रीडर (क्र. सं. आर टी 0908 आर बी के 043 (17 माह), अल्ट्रा लो डीप फ्रीजर (-80°C) स्पेंसर 052100008 (20 माह), बेंचटाप डाइइलेक्ट्रिक ट्यूब सीलर (क्र. सं. 20966) (12 माह), प्लेटलेट अगीटेटर तथा इनक्यूबेटर (11 माह), ब्लड कलेक्शन मानीटर (हीमोमीटर) (क्र. सं. जेडीएमसीटी 1019) (13 माह)
3.	एलएनएच	तीन ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर (16 माह से 18 माह)

परिशिष्ट 3.5.2
2014-17 के दौरान अंशशोधित ना किये गए उपकरणों का विवरण
(पैराग्राफ 3.5.5.9 (ii) देखें)

क्र. सं.	रक्त बैंक का नाम	अंशशोधित ना किए गए उपकरणों के नाम
1.	एसडीएनएच	बायो मिक्सर (दो), इनक्यूबेटर (दो), माइक्रो पिपेट्स, वेडिंग मशीन
2.	डीडीयूएच	लैब रेफ्रिजरेटर (क्र. सं. 209047), रेफ्रिजरेटर (इक्यूप आई डी सं. डीडीयूएच/एलआर), लैब रेफ्रिजरेटर क्र. सं. 0एसी1200195, लैब रेफ्रिजरेटर आर-00-10, प्लेटलेट एगीटेटर क्र.सं. पीए 1-04
3.	एलएनएच	ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, ट्यूब सीलर, क्रायोफ्यूज (दो), पी ए आई - 200, प्लाज्मा एक्सप्रेसर (दो), एलीशा रीडर, बीसीएम (दो), एचबी एनालाइजर, डिजिटल एनालीटिकल बैलेंस, पी एच मीटर तथा स्टेराइल कान डिवाइस

परिशिष्ट 3.7.1
अस्पतालों द्वारा भुगतान किए गए अधिक परिवहन भत्ते का विवरण
(पैराग्राफ 3.7 देखें)

क्र. सं.	अस्पताल/निदेशालय का नाम	भुगतान किया गया अधिक टीए
1	हेल्थ सेंटर कम मैटरनिटी अस्पताल (एच सी सी एम एच), एनसीटी दिल्ली सरकार, कांति नगर, शाहदरा, दिल्ली - 110051.	3,94,845
2	भगवान महावीर अस्पताल, पीतम पुरा, दिल्ली	15,66,170
3	पं. मदन मोहन मालवीय अस्पताल, मालवीय नगर, नई दिल्ली	17,76,442
4	महर्षि बाल्मिकि अस्पताल, पूथ कुर्द, दिल्ली	10,86,310
5	गुरु नानक आई सेंटर अस्पताल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली	1,81,716
6	डा. एन.सी. जोशी मेमोरियल अस्पताल, करोल बाग, दिल्ली	13,95,398
7	सरदार बल्लभ भाई पटेल अस्पताल, पटेल नगर, दिल्ली - 110008	10,02,934
8	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, एनसीटी दिल्ली सरकार, खिचड़ीपुर दिल्ली - 110091	45,32,108
9	डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान, विश्वास नगर, दिल्ली - 110032	40,24,580
10	चाचा नेहरु बाल चिकित्सालय, गीता कालोनी, राजा राम कोहली मार्ग, दिल्ली	2,77,783
11	आचार्य श्री भिक्षु सरकारी अस्पताल, मोती नगर, नई दिल्ली - 110015	20,87,457
12	लोक नायक अस्पताल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, दिल्ली गेट, नई दिल्ली	1,37,86,589
13	दीन दयाल उपाध्याय सरकारी अस्पताल, नई दिल्ली - 110064	1,72,11,988
14	अरुणा आसफ अली सरकारी अस्पताल, राजपुर रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली - 110054	6,16,851
15	जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल, शास्त्री पार्क, दिल्ली	10,31,814
16	संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, ब्लॉक एस, मंगोलपुरी, दिल्ली - 110083	43,53,855
17	सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र अस्पताल, नरेला, दिल्ली	20,704
18	बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल, जहांगीर पुरी, दिल्ली	12,81,208
19	दीप चंद बंधु अस्पताल, भारत नगर पुलिस स्टेशन, बुनकर कालोनी, अशोक विहार, फेज - IV, नई दिल्ली, दिल्ली-110052	3,93,072
20	दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, अंबेडकर अस्पताल, रोहिणी, दिल्ली - 110085	1,17,306
21	स्वास्थ्य सेवा निदेशालय जीएनसीटीडी	2,13,06,324
22	परिवार कल्याण निदेशालय, विकास भवन-II, दिल्ली	31,75,533
23	जनक पुरी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल	4,87,552
24	मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज	4,74,60,712
25	गुरु तेग बहादुर अस्पताल	1,80,74,743
26	मौलाना आजाद इन्स्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस	15,11,734
कुल		14,91,55,728
एमएमसी द्वारा की गई वसूली		12,77,070
कुल टीए		14,78,78,658

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agaudelhi.cag.gov.in